ा माला, खंड 31, अंक 16

गुरुवार, 6 दिसम्बर, 2007
15 अग्रहायण, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 64
Dated 17 Sept. 2008

(खण्ड 31 में अंक 11 से 17 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

राकेश कुमार
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 31, बारहवां सत्र, 2007/1929 (शक)]

अंक 16, गुरूवार, 6 दिसम्बर, 2007/15 अग्रहायण, 1929 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 301 से 320	2-58
अतारांकित प्रश्न संख्या 2885 से 3106	58-306
सभा पटल पर रखे गए पत्र	307
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	324
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के संबंध में श्रम संबंधी स्थायी समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन	326
(दो) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित हथकरघा क्षेत्र के लिए विकासात्मक स्कीमों (2005-2006) के संबंध में श्रम संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन	327
(तीन) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रोरसायन विभाग से संबंधित पेट्रोरसायनों की मांग और उपलब्धता के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के अठारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री विजय हान्डिक	327
कार्य मंत्रणा समिति के चौवालीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	338
सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित	
(एक) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007	339
(दो) पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2007	340
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) पालनपुर-कांडला-खेड ब्राह्म-श्यामला और अहमदाबाद-आबू रोड को जोड़ने वाली सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री हरिसिंह चावड़ा	341

विषय		कॉलम
(दो)	भगवान राम से संबंधित सभी तीर्थस्थलों को जोड़ने वाला एक "रामपथ" बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री गणेश सिंह	341
(तीन)	नई दिल्ली और जयपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को छह लेन में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री गिरधारी लाल भार्गव	342
(चार)	महाराष्ट्र के शोलापुर को विमान सेवा से जोड़े जाने की आवश्यकता	
	श्री सुभाष सुरेशचंद देशमुख	342
(पांच)	बरेली में राजमार्ग संख्या 24 पर एक बाईपास और एक रेल ऊपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री संतोष गंगवार	343
(छह)	"खेसरी दाल" के उत्पादन पर से प्रतिबंध हटाए जाने की आवश्यकता	
	श्री हंसराज गं. अहीर	343
(सात)	केरल में क्विलॉन (कोल्लम) बाईपास के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
	श्री पी. राजेन्द्रन	344
(आठ)	उत्तर प्रदेश में कोशी रेलवे फाटक पर एक सड़क ऊपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती जयाप्रदा	344
(नौ)	गन्ने का लाभकारी मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री हरिकेवल प्रसाद	345
(दस)	बिहार में भूतही-बलान नदी पर पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
	श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	345

विषय	कॉलम

(ग्यारह) देश में गो-वध पर प्रतिबंध लगाने हेतु विधेयक लाए जाने की आवश्यकता

श्री चंद्रकांत खैरे 346

(बारह) पश्चिम बंगाल के खडगपुर में रेल संपत्ति "पूजा परिसर" में दुकानों के आबंटन हेतु लाइसेंस देने संबंधी नीति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रबोध पाण्डा 346

(तेरह) नासिक में लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 2142) का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री रामस्वरूप प्रसाद 347

(चौदह) नारियल का लाभकारी मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता

श्री किन्जरपु येरननायडु 347

(पन्द्रह) वृहत् विद्युत परियोजनाओं से राज्यों को विद्युत के आबंटन के लिए विद्युत वितरण के निजीकरण के बारे में लिए गए निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री के. फ्रांसिस जार्ज 348

सशस्त्र बल अधिकरण विधेयक, 2007

विचार करने के लिए प्रस्ताव 349

श्री ए.के. एंटनी 350

खंड 2 से 43 और 1 350

पारित करने के लिए प्रस्ताव 351

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 355-356

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 355-366

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 367-368

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 367-370

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारांयण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

गुरुवार, 6 दिसम्बर, 2007/15 अग्रहायण, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

(इस समय श्री इलियास आजमी तथा अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग वहां अपनी सीट पर जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आजमी साहब, आप क्या चाहते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप तो मौन के उल्टा काम करते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे रामदास आठवले जी का भाषण सुनने दीजिए!

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) **:** अध्यक्ष महोदय, आज बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन है।...*(व्यवधान)* लिब्रहान कमीशन का समय 42 बार बढ़ाया गया और उसकी रिपोर्ट आने के बाद भी उसकी रिपोर्ट संसद में नहीं रखी गई।...*(व्यवधान)* बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए जो लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) **:** बाबरी मस्जिद गिराने वालों को सजा दो।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : बाबरी मस्जिद ढहाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों पर कीऑस्कों के आवंटन की शर्तें

*301. **श्री भाईलाल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों पर कीऑस्कों के आबंटन के लिए रेलवे द्वारा निर्धारित वर्तमान मानदंड तथा निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे को विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर कीऑस्कों के आबंटन के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन कीऑस्क मालिकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई जिनके विरुद्ध शर्तों के उल्लंघन के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) वर्तमान नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय रेलों पर 'ए', 'बी' और 'सी' कोटि के स्टेशनों पर अनारक्षित खानपान इकाइयों अर्थात् स्टॉलों/ट्रॉलियों एवं बुक स्टॉलों और सभी कोटि के स्टेशनों पर ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीनों (ए वी एम), फास्ट फूड इकाइयों के ठेके भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आई आर सी टी सी) द्वारा दो पैकेटों वाली निविदा प्रणाली के तहत प्रदान किए जाते हैं। 'डी', 'ई' और 'एफ' कोटि के स्टेशनों पर खानपान तथा 'ए', 'बी' और 'सी' कोटि के स्टेशनों पर आरक्षित कोटि के छोटे खानपान और अन्य वेंडिंग इकाइयों के ठेके, मंडल रेल प्रबंधक द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करके प्रदान किए जाते हैं। दुग्ध स्टॉल/पार्लर/बूथ आवेदन आमंत्रित करके केंद्र सरकार/राज्य/संघशासित क्षेत्र द्वारा अनुमोदित शीर्षस्थ सहकारी समितियों को आबंटित किए जाते हैं।

'ए', 'बी' और 'सी' कोटि के स्टेशनों पर सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग/पब्लिक कॉल ऑफिस (एस टी डी/पी सी ओ) बूथों के आवंटन के लिए दो पैकेट वाली निविदा प्रणाली अपनाई जाती है। 'डी', 'ई' और 'एफ' कोटि के स्टेशनों के लिए मंडल रेल प्रबंधक द्वारा आवेदन आमंत्रित करके ड्रा के आधार पर आबंटन किया जाता है।

(ख) स्टेशनों पर कीऑस्क आबंटित करने की शिकायत के संबंध में अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जिन लाइसेंसधारियों के खिलाफ शिकायतों को प्रमाणित पाया जाता है उनके विरुद्ध चेतावनी, समझाने-बुझाने, जुर्माने आदि की कार्रवाई की जाती है।

विमानपत्तन क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण

***302. श्री मदन लाल शर्मा :**
प्रो. एम. रामदास :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को देश में सभी प्रमुख विमानपत्तनों के आस-पास झुग्गी बस्तियों सहित अनधिकृत निर्माण को तोड़ने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार का इन अनधिकृत निर्माणों में रहने वाले लोगों का किस प्रकार पुर्नवास करने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उन क्षेत्रों से अतिक्रमणों को हटाने के लिए नियमित रूप से राज्य सरकारों से संपर्क करता है जिनकी आवश्यकता हवाईअड्डे के विकास/विस्तार के लिए प्रचालनात्मक आवश्कता हेतु अथवा वे क्षेत्र जो सामान्य हवाईअड्डा संचालन में सुरक्षा धमकी का कारण बनते हैं।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हवाईअड्डों और पुनर्सरचित हवाईअड्डों के संबंध में अतिक्रमण के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

अतिक्रमित भूमि (एकड़ में)- महाराष्ट्र राज्य में मुम्बई-276, जुहू-29 और नागपुर-13; मध्यप्रदेश में सतना-150 और भोपाल-30; आंध्र प्रदेश में हैदराबाद-97; राजामुंद्री-8; तिरूपति-0.3 और विशाखापट्टनम-0.2; पंजाब में अमृतसर-83; पश्चिम बंगाल में कोलकाता-75.7; गुजरात में अहमदाबाद-20 और राजकोट-1; राजस्थान में कोटा-35.32; झारखंड में रांची-9; बिहार में गया-5; दिल्ली में सफदरजंग-1.5; उत्तर प्रदेश में लखनऊ-1.7; अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (संघ क्षेत्र) में पोर्टब्लेयर-1.5 और कर्नाटक में बेलगांव-1

(ग) राज्य सरकारें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के उन अनुरोधों के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी हैं जो विमान सुरक्षा प्रचालनों से संबंधित कारणों के बारे में हैं। तथापि, स्थानीय विरोध और न्यायालयी मामलों के कारण अतिक्रमण को हटाने की प्रगति बहुत धीमी है।

(घ) अतिक्रमण को हटाने से संबंधित भूमि और नीति के राज्य के कानून एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग हैं। अतिक्रमण को हटाये जाने और/अथवा अतिक्रमण-कर्त्ताओं के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों की नीतियों की दृष्टि से, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि से अतिक्रमण को हटाने/पुनर्वास के लिए संबंधित राज्य सरकारों से मामले को उठा रहा है।

[हिन्दी]

एलपीजी/मिट्टी के तेल पर राजसहायता

***303. श्री बालेश्वर यादव :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एलपीजी और मिट्टी के तेल पर दी जाने वाली राजसहायता को जारी रखने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त राजसहायता को कब तक जारी रखा जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (ग) अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में रिकार्ड स्तर की वृद्धि हुई है और ये वर्तमान में 86 अमरीकी डालर प्रति बीबीएल (04.12.2007 को) से ऊपर है। आम आदमी के बचाव के लिए पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के खुदरा घरेलू मूल्यों में पिछले तीन वर्षों में वृद्धि नहीं की गई है।

पीडीएस मिट्टी तेल की आपूर्ति रु. 24.39/लीटर (अप्रैल-नवंबर, 2007 की अवधि के अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्य) के मुकाबले रु. 9.09/लीटर (दिल्ली में) पर की जा रही है। इसी प्रकार घरेलू एलपीजी (दिल्ली में) अप्रैल-नवंबर, 2007 के रु. 487.95/सिलेंडर के अंतर्राष्ट्रीय समतुल्य मूल्य के मुकाबले रु. 294.75/सिलेंडर पर खुदरा रूप में बेची जा रही है। इसके परिणामस्वरूप होने वाली अल्प वसूलियों को सरकार और तेल पीएसयूज द्वारा वहन किया जा रहा है।

पेट्रोल, डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी पर वर्तमान अनुमानित वार्षिक अल्प वसूलियां 69,700 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। इन अल्प वसूलियों में से लगभग 33,600 करोड़ रुपये घरेलू एलपीजी और पीडीएस मिट्टी तेल के कारण हैं। कुल अल्प वसूलियों का 42.7% सरकार द्वारा तेल बाण्डों के माध्यम से पूरा किया जाएगा। लगभग 1/3 अल्प वसूलियों को पीएसयू अपस्ट्रीम कंपनियों द्वारा वहन किया जाएगा। शेष को पीएसयू तेल विपणन कंपनियों द्वारा झेला जाएगा।

सरकार ने पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी राजसहायता योजना, 2002 और भाड़ा राजसहायता (दूरदराज के क्षेत्रों के लिए) योजना, 2002 की समय वृद्धि को 1.4.2007 से 31.3.2010 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया है। बजट के जरिए इन योजनाओं के तहत स्वीकार्य राजसहायता की दर वही होगी जो वर्ष 2006-07 के लिए लागू होगी अर्थात् पीडीएस मिट्टी तेल के लिए 0.82 रुपये/लीटर और घरेलू एलपीजी के लिए 22.58 रुपये/सिलेंडर।

[अनुवाद]

एशियाई विकास बैंक से निधियां

***304. श्री पी.सी. गद्दीगौडर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक (एडीबी) कुछ रेल लाइनों के निर्माण को वित्त पोषित करने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर कर्नाटक राज्य के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एशियाई विकास बैंक द्वारा दी जा रही सहायता की शर्तों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) से (ग) एशियाई विकास बैंक (एडीबी) रेल नेटवर्क की क्षमता का संवर्धन करने और परिचालनिक कुशलता/संरक्षा में सुधार करने के उद्देश्य के साथ रेल क्षेत्र सुधार परियोजना के भाग के रूप में भारतीय रेल पर आठ रेल परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रहा है जिसके लिए 212.3 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण लिया गया है। इन परियोजना को रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल), जो रेल मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है, द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। उक्त ऋण से अभी तक लगभग 49.688 मिलियन अमरीकी डालर की राशि उपयोग की जा चुकी है।

एशियाई विकास बैंक से जिन रेल परियोजनाओं के लिए सहायता प्राप्त हो रही है, उनका ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	लंबाई (किमी)	परियोजना की किस्म	पूरा होने की प्रत्याशित तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	महानदी पर दूसरा पुल	उड़ीसा	2	पुल	22.04.08

1	2	3	4	5	6
2.	कटक-बरांग दोहरीकरण	उड़ीसा	14.3	दोहरीकरण	01.11.08
3.	रजतगढ़-बरांग दोहरीकरण	उड़ीसा	29.3	दोहरीकरण	01.11.08
4.	गुत्ती-पल्लमपेट दोहरीकरण	आंध्र प्रदेश	151	दोहरीकरण	29.06.09
5.	बरांग-खुर्दा रोड तीसरी लाइन	उड़ीसा	32.3	तीसरी लाइन	01.11.08
6.	भटपारा-उरकुरा तीसरी लाइन	छत्तीसगढ़	60	तीसरी लाइन	04.04.09
7.	अलीगढ़-गाजियाबाद तीसरी लाइन	उत्तर प्रदेश	106.15	तीसरी लाइन	13.07.08
8.	तिरुवालूर-अरक्कोणम तीसरी लाइन	तमिलनाडु	26.83	तीसरी लाइन	28.02.08

एशियाई विकास बैंक कर्नाटक राज्य में किसी परियोजना का वित्तपोषण नहीं कर रहा है।

ए.डी.बी. ऋण की शर्तें नीचे लिखे अनुसार हैं:

(i) परियोजनाओ का आंशिक वित्तपोषण ए.डी.बी. ऋण और आंशिक रूप से स्वयं रेलवे के संसाधनों के द्वारा किया जा रहा है।

(ii) ऋण के ब्याज की दरें परिवर्तनीय हैं जो कमोबेश 6 महीने के लन्दन इन्टर बैंक आफर्ड रेट (एलआईबीओआर) जमा फैलाव के समान हैं।

(iii) अदायगी 5 वर्ष की छूट अवधि के साथ 20 वर्ष की अवधि में की जानी है।

(iv) सम्मत करार के अनुसार ऋण के गैर-आहरित आय पर 0.75% वार्षिक प्रतिबद्धता प्रभार देय है।

(v) ए डी बी को ऋण राशि के 1% के बराबर राशि की एकमुश्त (फ्रंट एन्ड) शुल्क का भुगतान किया जाना है।

[हिन्दी]

प्रमुख पर्यटक स्थल

*305. **डा. सत्यनारायण जटिया :**

श्री जी.एम. सिद्देश्वर :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में सबसे अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले प्रमुख पर्यटक स्थलों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं, जहां से पर्यटक आए थे;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन पर्यटक स्थलों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता का राज्य-वार और पर्यटक स्थल-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश द्वारा अर्जित कुल विदेशी मुद्रा में से पर्यटन क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) पर्यटन आंकड़ों के समेकन की वर्तमान प्रणाली में विदेशी पर्यटकों के लिए पर्यटक स्थल-वार आगमन आंकड़े सरकार द्वारा नहीं रखे जाते। तथापि वर्ष 2004, 2005 और 2006 के दौरान विभिन्न देशों से भारत में विदेशी पर्यटक आगमनों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान, पर्यटन के विकास के लिए स्वीकृत की गई, परियोजनाओं की संख्या और अवमुक्त की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) वर्ष 2004, 2005 और 2006 के दौरान, देश में प्राप्त कुल विदेशी मुद्रा में से, देश में पर्यटन के माध्यम से अर्जित विदेशी मुद्रा क्रमशः लगभग 3.37%, 3.06% और 2.80% थी।

विवरण-I

राष्ट्रिकता का देश	भारत में विदेशी पर्यटक आगमन		
	2004	2005	2006
1	2	3	4
उत्तरी अमरीका			
कनाडा	135884	157643	176567
यूएसए	526120	611165	696739
कुल	662004	768808	873306
केन्द्रीय और दक्षिणी अमरीका			
अर्जेंटीना	2799	3313	4493
ब्राजील	7397	7005	9148
मैक्सिको	4570	5398	6502
अन्य	16198	19870	18602
कुल	28165	35586	38745
पश्चिमी यूरोप			
आस्ट्रिया	21093	27187	28045
बेल्जियम	24007	25596	29156
डेनमार्क	15805	20170	21592
फिनलैण्ड	12525	16258	22860
फ्रांस	131824	152258	175345
जर्मनी	116679	120243	156808
यूनान	4468	4793	5146
आयरलैण्ड	8996	10052	14936
इटली	65561	67642	79978
नीदरलैण्डस	51211	52755	58611
नार्वे	10631	11194	14216
पुर्तगाल	10648	11457	13108
स्पेन	42895	45247	53520
स्वीडन	26154	28799	36013
स्विटजरलैण्ड	28260	34311	37446
यू.के.	555907	651083	734240
अन्य	1633	3074	6251
कुल	1128297	1282119	1487271
पूर्वी यूरोप			
चैकोस्लोवाकिया	4114	4783	5760
पौलेण्ड	8445	10983	14808
सी.आई.एस.	61187	75242	87433
अन्य	8680	10437	13308
कुल	82426	101445	121309
अफ्रीका			
मिस्र	3781	4048	5528

1	2	3	4
केन्या	17538	19816	20313
मॉरिशस	19823	19760	20607
नाइजीरिया	6659	10049	9348
दक्षिणी अफ्रीका	32148	39229	41954
तंजानिया	9953	11193	11954
अन्य	25591	30706	33109
कुल	115493	134801	142813
पश्चिम एशिया			
बहरैन	4414	4923	4793
इजरायल	39083	42866	42735
ओमान	14927	14979	17849
सऊदी अरब	11929	12444	14006
तुर्की	7008	7906	10221
यू.ए.ई.	22668	24560	27593
यमन अरब गणतंत्र	8826	9423	9573
अन्य	13953	16720	19923
कुल	122808	133821	146693
दक्षिणी एशिया			
अफगानिस्तान	12705	14025	18799
ईरान	24733	28691	29771
मालद्वीव	21099	33915	37652
नेपाल	51534	77024	91552

1	2	3	4
पाकिस्तान	67416	88609	83426
बंगलादेश	477446	456371	484401
श्रीलंका	128711	136400	154813
भूटान	7054	6934	8502
कुल	790698	841969	908916
दक्षिण पूर्वी एशिया			
इंडोनेशिया	11408	12640	16990
मलेशिया	84390	96276	107286
म्यांमार	4932	5652	7734
फिलिपिन्स	10492	11422	15644
सिंगापुर	60710	68666	82574
थाइलैण्ड	33442	41978	46623
अन्य	3736	4774	4875
कुल	209110	241408	281726
पूर्वी एशिया			
चीन (मेन)	34100	44897	62330
चीन (ताइवान)	18179	18894	26503
जापान	96851	103082	119292
कोरिया (दक्षिणी)	47835	49895	70407
अन्य	4662	6799	4453
कुल	201627	223567	282985
आस्ट्रेलिया			
आस्ट्रेलिया	81608	96258	109867

1	2	3	4
न्यूजीलैण्ड	16762	20463	23493
अन्य	2574	3057	4076
कुल	100944	119778	137436

1	2	3	4
अन्य	14471	21818	25320
राज्यविहीन	1434	13490	647
कुल जोड़	3457477	3918610	4447167

विवरण-II

(लाख रुपयों में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2004-05		वर्ष 2005-06		वर्ष 2006-07	
		स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	16	2240.68	7	1700.00	3	1195.44
2.	असम	8	766.22	10	1698.45	9	1813.21
3.	अरुणाचल प्रदेश	9	927.96	10	1655.21	12	1497.24
4.	बिहार	7	1527.71	3	722.49	2	974.59
5.	छत्तीसगढ़	6	897.93	7	1436.54	16	2491.12
6.	गोवा	3	38.00	1	8.00	0	0.00
7.	गुजरात	2	111.14	5	1169.04	7	359.51
8.	हरियाणा	6	513.64	7	515.77	5	902.39
9.	हिमाचल प्रदेश	12	2161.00	6	921.00	8	1226.13
10.	जम्मू और कश्मीर	5	699.04	22	5320.31	29	3392.90
11.	झारखंड	2	756.72	5	697.76	3	769.99
12.	कर्नाटक	12	1937.37	8	1001.21	4	1081.81

1.	2	3	4	5	6	7	8
13.	केरल	10	1820.33	13	3889.90	18	3441.61
14.	मध्य प्रदेश	11	942.21	12	2419.54	10	2797.75
15.	महाराष्ट्र	10	925.30	9	1662.99	13	2278.46
16.	मणिपुर	0	0.00	2	39.84	9	649.48
17.	मेघालय	2	807.91	1	4.00	9	1149.93
18.	मिजोरम	6	382.38	10	1687.29	9	2044.80
19.	नागालैंड	7	1413.40	9	1873.17	8	1862.51
20.	उड़ीसा	8	1059.38	10	1586.44	13	1974.66
21.	पंजाब	7	581.47	5	1150.13	13	1968.68
22.	राजस्थान	13	1375.07	7	2086.40	8	763.06
23.	सिक्किम	8	531.33	14	2213.74	13	1647.77
24.	तमिलनाडु	7	705.83	19	3007.68	11	1496.87
25.	त्रिपुरा	1	16.00	3	569.43	4	96.01
26.	उत्तराखंड	7	1750.73	13	2193.18	16	1434.34
27.	उत्तर प्रदेश	9	831.19	18	3126.03	7	2663.24
28.	पश्चिम बंगाल	10	407.43	5	792.48	10	2195.35
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	1	5.00	0	0.00
30.	चंडीगढ़	3	373.60	1	13.70	2	14.00
31.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0.00	2	25.92	0	0.00
32.	दिल्ली	8	511.00	2	17.00	5	1209.54
33.	दमन एवं दीव	0	0.00	1	208.61	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0	1	5.60
35.	पुडुचेरी	2	360.00	2	375.51	1	400.00
	कुल	217	27371.97	253	45793.76	278	45797.99

टिप्पणी: इसमें परिपथों, गंतव्यों, भारी राजस्व परियोजनाओं ग्रामीण पर्यटन (साफ्टवेयर और हार्डवेयर), आईटी, कार्यक्रमों, मेलों और उत्सवों आदि से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

[अनुवाद]

निजी विमान कंपनियों को खाड़ी मार्गों पर उड़ान भरने की अनुमति

*306. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रियों का समूह (जी ओ एम) विमानन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मंत्रियों के समूह की सिफारिशों की प्रतीक्षा किए बिना कुछ निजी विमान कंपनियों को लाभप्रद खाड़ी मार्गों पर उड़ान भरने की अनुमति दे दी है;

(घ) यदि हां. तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) निजी विमान कंपनियों को उक्त अनुमति दिए जाने के कारण इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया पर क्या वित्तीय प्रभाव पड़ा है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय नागर विमानन नीति मसौदा पर विचार करने के लिए मंत्रियों के एक समूह (GOM) का गठन किया गया है।

(ग) और (घ) दिनांक 29 दिसम्बर, 2004 को मंत्रिमंडल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार 20 विमानों के बेड़े तथा घरेलू क्षेत्र में पांच वर्षों के प्रचालन के अनुभव वाले निजी अनुसूचित वाहकों को गल्फ मार्गों को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर प्रचालन की अनुमति दी गई थी। गल्फ मार्गों को दिसम्बर, 2007 तक 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय वाहकों हेतु आरक्षित रखा गया था। इस निर्णय के अनुसार मै. जेट एयरवेज को यातायात अधिकारों की उपलब्धता के मद्देनजर 1 जनवरी, 2008 से गल्फ मार्गों पर प्रचालन की अनुमति दी गई है।

(ङ) दिनांक 29 दिसम्बर, 2004 को मंत्रिमंडल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार खाड़ी मार्गों पर प्रचालन के लिए मै. जेट एयरवेज को यातायात अधिकारों को आवंटित किये जाने से पूर्व राष्ट्रीय वाहकों की प्रचालनिक आवश्यकताओं पर विधिवत रूप से विचार किया गया है। पात्र निजी अनुसूचित एयरलाइनों के प्रचालनों से गल्फ मार्ग पर प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी जो कि यात्रियों के हित में होगा।

[हिन्दी]

राज्यों को रासायनिक उर्वरकों की समय पर आपूर्ति

*307. श्री थावरचंद गेहलोत : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और अन्य उर्वरकों का आयात किया गया;

(ख) क्या सरकार मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों को समय पर उर्वरकों का आबंटन और उर्वरकों की ढुलाई के लिए वाहनों का प्रबंध नहीं कर पाई; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख उर्वरकों अर्थात् यूरिया (सरकारी खाते से), डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी) का किया गया आयात निम्नानुसार है:-

(मात्रा लाख मी.टन में)

वर्ष	यूरिया	डीएपी	एमओपी
2004-05	6.41	6.44	34.09
2005-06	20.57*	24.38	45.78
2006-07	47.19*	28.75	34.48

*यूरिया उठान समझौता के अंतर्गत ओमान से वर्ष 2005-06 में प्राप्त 13.25 लाख मी.टन तथा 2006-07 में प्राप्त 18.37 लाख मी.टन का आयात शामिल है।

(ख) और (ग) आयातित उर्वरक पोत मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय/रेलवे बोर्ड के घनिष्ठ समन्वय से खपत करने वाले राज्यों में राज्यवार आवश्यकताओं के आधार पर पहुंचाया जा रहा है। पोत से उर्वरकों को उतारने और उन्हें वांछित गंतव्य स्थलों को प्रेषित करने में होने वाली किसी समस्या का समय-समय पर समाधान किया जाता है। उपर्युक्त (क) में दर्शाए गए उर्वरकों के आयात के बढ़ते स्तर से इसका पता चलता है। जहां तक मध्य प्रदेश का संबंध है, पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित मात्रा उपलब्ध कराई गई है:-

(मात्रा लाख मी.टन मे)

वर्ष	यूरिया	डीएपी	एमओपी
2004-05	11.67	6.10	0.68
2005-06	10.97	5.76	0.91
2006-07	14.07	6.35	0.76

माल गाड़ियों के लिए समय सारणी

***308. श्री सुभाष महरिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे उच्च परिवहन सुरक्षा के साथ-साथ एक निर्धारित समय सारणी के अनुसार मालगाड़ियां चलाने की योजना बना रहा है ताकि सामान को उनके गंतव्य स्थानों पर समय पर पहुंचाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यात्री गाड़ियों का सुचारू संचलन सुनिश्चित करने के लिए इंटरचेंज स्थलों पर मालगाड़ियों के संचलन को विनियमित करने की वर्तमान प्रणाली को हतोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गतिभेद के कारण यात्री गाड़ियों को मालगाड़ियों की अपेक्षा तरजीह दी जाती है। इसलिए इस प्रकार के उपाय आवश्यक नहीं समझे जाते।

[अनुवाद]

आम उपयोग में आने वाली दवाइयों की कीमतें

***309. श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
श्री अधीर चौधरी :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आम उपयोग में आने वाली दवाइयों की कीमतों में गत दस वर्षों में प्रत्येक वर्ष लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जैसाकि दिनांक 15 नवम्बर, 2007 के ''द टाइम्स ऑफ इंडिया'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने कोई सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो आवश्यक दवाइयों को शामिल करने हेतु मूल्य नियंत्रण का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ 95) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 बल्क औषध एवं उन पर आधारित फार्मूलेशनों के मूल्य डीपीसीओ 95 के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित किए जाते हैं। अतिप्रभार के किसी मामले में अतिप्रभारित राशि की वसूली के लिए एनपीपीए द्वारा कार्रवाई की जाती है।

गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्य-उत्पादन लागत, विपणन/बिक्री व्यय, अनुसंधान और विकास व्यय, व्यापार कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्द्धा, उत्पाद नवीकरण, उत्पाद गुणवत्ता आदि जैसे विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए विनिर्माताओं द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। इन औषधों की कीमतों की नियमित निगरानी की जाती है तथा जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की स्थिति में सरकार द्वारा सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

दिसंबर, 1994 से जुलाई, 2007 की अवधि के लिए ओआरजी आईएमएस आंकड़ों का एनपीपीए द्वारा आंकड़ा आधारित संस्थागत विश्लेषण के आधार पर यह पाया गया है कि डीपीसीओ, 1995 के तहत मूल्य नियंत्रण के अधीन बनी रहने वाली 15 शीर्ष बल्क औषधों की 15 दवाओं के मूल्य 0.94% प्रतिवर्ष की दर से बढ़े हैं जबकि डीपीसीओ, 95 के प्रख्यापन के फलस्वरूप जिन 15 शीर्ष बल्क औषधों की 15 दवाएं मूल्य नियंत्रण के बाहर हो गई, उनमें 9.65% प्रतिवर्ष की दर से मूल्य वृद्धि हुई है।

एसएलपी सं. 3668/2003 में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर और राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में सरकार के गरीबों को उचित कीमतों पर आवश्यक व जीवनरक्षक दवाएं उपलब्ध कराने के घोषित उद्देश्य के अनुरूप राष्ट्रीय औषध नीति-2006 के प्रारूप में अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रस्ताव किया गया है कि मूल्य नियंत्रण की सूची में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के तहत मूल्य नियंत्रणाधीन मौजूदा 74 औषधों के अलावा आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची, 2003 में शामिल आवश्यक दवाएं होंगी।

राष्ट्रीय औषध नीति के प्रारूप पर 11.01.2007 को मंत्रिमंडल की बैठक में विचार किया गया था। मंत्रिमंडल ने इस नीति को मंत्रियों के समूह (जीओएम) को संदर्भित कर दिया है। जीओएम की पहली बैठक 10.04.2007 और दूसरी बैठक 12.09.2007 को हुई थी। राष्ट्रीय औषध नीति को अंतिम रूप दिए जाने की कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है।

ग्रामीण पुस्तकालयों को बढ़ावा देना

***310. श्री के. विरुपाक्षप्पा** : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय क्षेत्र प्लान स्कीम के माध्यम से प्रत्येक राज्य में ग्रामीण पुस्तकालयों में सुधार करने हेतु विशेष कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान ग्रामीण पुस्तकालयों के सुधार के लिए प्रत्येक राज्य को दिए गए अनुदान का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) जी, हां। देश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सार्वजनिक पुस्तकालयों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 11वीं योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र योजना स्कीम के रूप में राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्तावित स्कीम के तहत, केन्द्र सरकार, भण्डारण स्थल, पठन सामग्री में सुधार, प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा ज्ञान की सुलभता हेतु ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भेदभाव किए बिना ग्रामीण पुस्तकालयों सहित केन्द्र, जिला तथा उप-जिला स्तरों पर पुस्तकालयों को सहायता करेगी।

(ग) सरकार, राजाराम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता की विभिन्न स्कीमों के माध्यम से ग्रामीण पुस्तकालयों सहित सार्वजनिक पुस्तकालयों को सहायता प्रदान करती हैं। गत दो वर्षों (2005-06 और 2006-07) के दौरान प्रत्येक राज्य को दिए गए अनुदानों के ब्यौरे क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में दिए गए हैं। ग्रामीण पुस्तकालयों को दिए जाने वाले अनुदान का अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

विवरण-I

2005-06 के दौरान दी गई सहायता का राज्य-वार स्कीम-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	खण्ड स्कीम		बाल स्कीम		शताब्दी समारोह		पुस्तक सहायता	
	पुस्त. सं.	राशि	पुस्त. सं.	राशि	पुस्त. सं.	राशि	पुस्त. सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	0	0	35	350000	0	47500	435	5239362
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
असम	5	392145	0	0	0	0	240	2499999
बिहार	0	0	0	0	0	0	200	52275
गुजरात	13	523245	31	305000	1	92000	804	21579666
गोवा	1	20395	2	20000	0	0	90	767076
हरियाणा	0	0	0	0	0	0	26	2932433
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	451	124200
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	53	4792962
कर्नाटक	8	690125	0	0	0	0	175	7464425
केरल	86	5634640	25	250000	0	0	300	415739
मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	800	5599444
महाराष्ट्र	12	1435353	26	260000	0	0	1030	10570514
मणिपुर	4	287375	0	0	0	0	121	2218774
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	2	270000	0	0	0	0	421	2599989

भण्डारण		संवर्धनशील स्थान		कम्प्यूटर		सेमिनार		सचल	
पुस्त. सं.	राशि	पुस्त. सं.	राशि	पुस्त. सं.	राशि	पुस्त. सं.	राशि	पुस्त. सं.	राशि
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
71	682464	28	5680000	0	0	2	50000	16	420000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	1785605	1	200000	0	0	1	50000	0	0
1	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	25000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
967	9492129	40	5395000	5	995730	0	0	0	0
100	467000	22	2900000	0	0	0	0	39	390000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	10	1983359	4	734111	4	100000	1	50000
120	1383424	0	0	0	0	3	285000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3	6000000	0	0	2	75000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
नागालैंड	1	150000	0	0	0	0	244	3497622
उड़ीसा	13	771845	9	90000	0	0	600	7938600
पंजाब	0	0	4	55000	0	0	13	2251647
राजस्थान	0	119240	0	0	0	0	7800	15336152
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	57	3363948
तमिलनाडु	0	0	44	440000	0	0	1910	13748208
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	23	233068
उत्तर प्रदेश	1	74455	13	130000	0	0	212	22952169
पश्चिम बंगाल	23	1792499	19	629619	2	224381	2432	4852894
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	20	1161328
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	5	2861053
दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	0	0	0	0	0	0	72	2813298
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
झारखण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	169	12161317	208	2529619	3	363881	18534	147866845
ग्रामीण घटक	142	10435439	172	2091800	0	0	17830	137946382

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
150	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0
110	1087602	1	200000	0	0	3	92989	1	30000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	996682	0	0	0	0	10	250000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	2875908	0	0	13	2475716	16	400000	0	0
26	1282985	0	0	21	1554845	0	0	0	0
399	1765289	0	0	4	2418980	0	0	0	0
210	641576	54	9842839	0	0	38	891250	8	200000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	1249057	0	0	5	1524458	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3245	25219721	159	32201198	52	9703840	80	2219239	65	1090000
3072	23875348	82	16607983	0	0	0	0	65	1090000

विवरण-II

वर्ष 2006-07 के दौरान दी गई सहायता का राज्य-वार स्कीम-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वैच्छिक स्कीम		बाल स्कीम		शताब्दी समारोह		पुस्तक सहायता	
	पुस्त. सं.	राशि	पुस्त. सं.	राशि	पुस्त. सं.	राशि	पुस्त. सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	0	0	22	775000	0	0	435	4873523
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
असम	8	606660	0	0	0	0	240	2166667
बिहार	2	56000	0	0	0	0	200	928519
गुजरात	6	284925	39	944300	0	0	804	21378329
गोवा	1	25000	2	20000	0	0	90	398884
हरियाणा	0	0	0	0	0	0	26	2572848
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	0	0	20	749325	0	0	53	147293
कर्नाटक	10	721635	0	0	0	0	175	8938527
केरल	95	5923210	15	150000	0	0	300	9473474
मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	800	12626093
महाराष्ट्र	27	1503260	10	399727	1	50000	1030	224382
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	121	9741627
मेघालय	0	0	0	0	0	0	5	497247
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	421	5112553

भण्डारण		संवर्धनशील स्थान		कम्प्यूटर		सेमिनार		सचल		बाल कोना	
पुस्त. सं.	राशि	पुस्त. सं.	राशि	पुस्त. सं.	राशि	पुस्त. सं.	राशि	पुस्त. सं.	राशि	पुस्त. सं.	राशि
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
146	1460000	11	2628327	0	0	4	100000	3	250910	3	450000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	297000
0	0	1	200000	0	0	0	0	0	0	1	150000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409	3831388	4	797975	0	2443969	2	100000	0	0	5	700000
0	0	0	0	0	0	1	25000	0	0	4	600000
24	198906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1349550
1295	9000000	11	955000	0	0	0	0	13	130000	0	649998
179	1617005	19	3242500	0	0	0	0	22	220000	4	590000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	11	3285798	0	0	1	50000	0	0	2	300000
0	0	0	0	0	0	8	200000	0	0	0	0
4	255671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	438414	18	6700000	0	0	8	400000	0	0	4	600000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
नागालैंड	5	559625	0	0	0	0	244	2790829
उड़ीसा	22	953975	5	46000	0	0	600	28575886
पंजाब	0	0	0	0	0	0	13	4271
राजस्थान	1	29810	1	19000	1	47500	7800	6077128
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	57	2377656
तमिलनाडु	2	80950	15	750000	0	0	1910	15587428
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	23	3133387
उत्तर प्रदेश	8	309930	4	35000	0	0	212	14758351
पश्चिम बंगाल	40	1775740	57	1829727	5	243500	2484	6060517
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	840076
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	5	4268751
दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	0	0	0	0	0	0	72	8112131
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	366	367045
छत्तीसगढ़	1	23600	0	0	0	0	0	0
झारखण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	228	3577784
दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	228	12854320	190	5718079	7	341000	18714	175611206
ग्रामीण घटक	189	10655555	165	4965700	0	0	17663	165748676

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	0	2	1000000	10	1997312	0	0	0	0	3	600000
59	537201	1	200000	0	0	0	0	0	0	8	1350000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	300000
6	50778	13	4300000	0	0	15	750000	0	0	3	739191
0	0	0	0	0	0	4	200000	0	0	0	0
629	4200440	5	880000	10	4676282	0	0	0	0	5	750000
22	400222	0	0	0	0	4	200000	0	0	1	150000
360	1741894	0	0	13	8737800	0	0	0	0	6	1050000
63	198998	44	8519758	5	7106071	15	332750	4	93200	7	996961
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	150000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	750000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	625975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3327	24556892	140	32709358	38	2.5ई+07	62	2357750	42	694110	75	12522700
3102	22896146	73	17055594	0	0	0	0	42	694110	0	0

विमानन विश्वविद्यालय

*311. श्री सनत कुमार मंडल :

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विमानन क्षेत्र में अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जबकि विमानन अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने कुशल भारतीय विमानचालकों की मांग और पूर्ति के बीच अन्तर को कम करने के लिए उड़ान प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के प्रशिक्षण आधार पर संरचना का स्तरोन्नयन और आधुनिकीकरण करना जिससे इसकी प्रशिक्षण क्षमता को प्रतिवर्ष 40 से बढ़ाकर 100 विमान चालक किया जा सके, गौंदिया, महाराष्ट्र में विश्व स्तर के उड़ान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, 100 कैडेटों के प्रशिक्षण के लिए तथा नागर विमानन महानिदेशालय, एयरो क्लब ऑफ इंडिया के माध्यम से प्रशिक्षण विमान उपलब्ध कराकर उड़ान क्लबों को सहायता प्रदान करना शामिल है।

[हिन्दी]

नई उर्वरक परियोजनाएं

*312. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :

श्री अजीत जोगी :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए नए संयंत्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अन्य किन कदमों पर विचार किया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) सरकार, ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान रासायनिक उर्वरकों, प्रमुख रूप से यूरिया का उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। यह कार्य फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल), हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमि. (एचएफसीएल) की वर्तमान में बंद पड़ी इकाइयों का पुनरुद्धार करके तथा नए संयंत्रों की स्थापना करके किया जाना है। जहां तक बंद पड़ी इकाइयों का संबंध है, मैसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल), राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) और कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको) ने 5 इकाइयों अर्थात बरौनी, दुर्गापुर, गोरखपुर, तालचर और रामागुंडम के पुनरुद्धार में रूचि दर्शाई है। ये कम्पनियां पाइपलाइन कनेक्टिविटी और गैस की उपलब्धता के लिए गैस कम्पनियों के साथ बातचीत कर रही हैं।

सरकार, यूरिया क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति विकसित कर रही है ताकि इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके और स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि की जा सके।

फॉस्फेटयुक्त उर्वरक के क्षेत्र में देश में स्वदेशी उत्पादन काफी हद तक आयातित कच्चे माल/मध्यवर्तियों पर निर्भर है क्योंकि देश में रॉक फॉस्फेट निक्षेप की मात्रा सीमित है। सरकार, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को संसाधन संपन्न देशों के फॉस्फेटयुक्त उर्वरक क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करती है ताकि कच्चे माल/मध्यवर्तियों की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और जिसके आधार पर देश में स्वदेशी उत्पादन बढ़ाया जा सके।

पोटाशयुक्त उर्वरक के क्षेत्र में देश पूरी तरह से आयात पर निर्भर है क्योंकि देश में आर्थिक रूप से दोहन योग्य पोटाश के ज्ञात स्रोत नहीं हैं।

[अनुवाद]

नकली गैस सिलिंडर

***313. श्री सुरेश अंगडि :**
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बड़े पैमाने पर नकली और दोषपूर्ण गैस सिलिंडरों का प्रयोग हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर दिल्ली में वर्षवार ऐसे कितने मामलों का पता चला है और इन मामलों में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे गैस सिलिंडरों के प्रयोग को रोकने के लिए कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) और (ख) जी, नहीं। देश में नकली और खराब सिलेंडरों के भारी पैमाने पर परिचालन के संबंध में कोई जानकारी अथवा रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। देश में और दिल्ली में पिछले तीन वर्ष के दौरान पता लगाए गए नकली सिलेंडरों के मामले का वर्षवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है। दोषी डिस्ट्रीब्यूटरों/परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की गई।

(ग) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) तेल उद्योग तकनीकी समिति (ओआईटीसी) द्वारा अनुमोदित और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और मुख्य विस्फोटक नियंत्रक (सीसीओई) से वैध निर्माण लाइसेंस प्राप्त कर चुके निर्माताओं से एलपीजी सिलेंडरों का प्रापण कर रही हैं। निर्माण प्रक्रिया पर बीआईएस द्वारा कड़ा नियंत्रण रखा जाता है। ओएमसीज द्वारा प्रापण किए गए एलपीजी सिलेंडर अपेक्षित गुणवत्ता मानक पूरे करते हैं।

भरण संयंत्रों पर डिस्ट्रीब्यूटरों/परिवहनकर्ताओं से प्राप्त एलपीजी सिलेंडर की अधिदेशात्मक जांच उनकी गुणवत्ता और वास्तविकता के लिए की जाती है ताकि परिचालन में नकली और अति पुराने सिलेंडरों के प्रवेश से बचा जा सके। घटिया मानक वाले/नकली सिलेंडरों का पता लगने पर इनको जब्त कर लिया जाता है और उसके बाद परिचालन में उनका पुनः प्रवेश रोकने के लिए उनको तोड़फोड़ दिया जाता है।

नकली उपकरण कब्जे में पाए जाने अथवा वितरण व्यवस्था में ऐसा उपकरण शामिल किए जाने के किसी वितरक के मामले में नकली एलपीजी उपकरण के आपूर्तिकर्ता के विरूद्ध की जा सकने वाली कानूनी कार्रवाई के अलावा, विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ साथ उपकरण की जब्ती, जुर्माना लगाने और प्रथम व द्वितीय अपराधों के लिए दण्डात्मक दरों पर वसूली तथा तृतीय अपराध की दशा में डिस्ट्रीब्यूटरशिप की समाप्ति का प्रावधान है।

विवरण

ओएमसीज द्वारा देश में पिछले तीन वर्ष के दौरान भरण संयंत्रों पर पता लगाने गए नकली सिलेंडरों की वर्षवार संख्या

वर्ष	पता लगाए गए नकली सिलेंडरों की संख्या
2004-05	2556
2005-06	4923
2006-07	3343

ओएमसीज द्वारा दिल्ली में पिछले तीन वर्ष के दौरान भरण संयंत्रों पर पता लगाए गए नकली सिलिंडरों की वर्षवार संख्या

वर्ष	पता लगाए गए नकली सिलेंडरों की संख्या
2004-05	23
2005-06	18
2006-07	15

[हिन्दी]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा उत्पादों की बिक्री पर छूट में कमी

***314. श्री रामजीलाल सुमन :**
श्री सूरज सिंह :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ने हाल ही में उत्पादों की बिक्री हेतु दी जा रही छूट की दर में कमी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और छूट में कितनी कमी की गई है;

(ग) क्या छूट में कमी के कारण इसके उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत छह महीनों के दौरान देश में इस्पात के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि की गई है और तत्संबंधी वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) में एक ऐसी प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें इसके 5 एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादित किए जा रहे विभिन्न लोहा तथा मृदु इस्पात उत्पादों की एक्स कारखाना कीमतें एक जैसी हैं और इनकी बिक्री इसके केंद्रीय विपणन संगठन (सीएमओ) के माध्यम से की जाती है। जब भी अपेक्षित होता है बाजार की स्थिति और विभिन्न स्थानों पर प्रतिस्पर्धियों की कीमतों के अनुरूप अपनी कीमतों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए लोहा और इस्पात उत्पादों की कीमतों को रिबेट मैकेनिज्म के जरिए समायोजित किया जाता है।

हाल ही में, सेल ने किसी उत्पाद विशेष के लिए बाजार स्थिति पर निर्भर करते हुए विभिन्न उत्पादों के लिए दी जा रही रिबेट में बढ़ोतरी भी की है और साथ ही कमी भी की है। यह बढ़ोतरी और कमी विभिन्न घटकों द्वारा तय होती है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ किसी भी स्थान पर मांग और आपूर्ति, कस्टमर सैगमेंट, प्रतिस्पर्धियों की कीमतें, आयात की लैंडेड प्राइसेज, माल सूची का स्तर, भाड़ा और ग्राहकों तथा उत्पादों के लिए बाजार स्थिति आदि को शामिल किया जा सकता है। तथापि, इस संबंध में ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) किसी स्थान विशेष पर सेल के लोहा और मृदु इस्पात उत्पादों की कीमतें संबंधित उत्पाद के लिए उस स्थान विशेष पर इसकी एक्स कारखाना कीमतें और रिबेट, यदि कोई हों, के संयोजन पर निर्भर करती हैं। परिणामत: रिबेट में मामूली सी कमी से कीमतों में बढ़ोतरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। पिछले छ: माह (जून-नवंबर, 2007) के दौरान कीमतों में समग्र उतार-चढ़ाव से पता चलता है कि विभिन्न इस्पात उत्पादों की कीमत में बढ़ोतरी और कमी, दोनों हुई हैं। तथापि, सेल ने इस्पात की सूचीबद्ध कीमतों में केवल एक बार बढ़ोतरी की है। पिछले छ: माह के दौरान 4 मैट्रो शहरों में कुछ रिप्रेजेंटेटिव इस्पात मदों की घरेलू बाजार कीमतें विवरण में दी गई हैं।

विवरण

पिछले छ: माह के दौरान घरेलू बाजार कीमतें (स्रोत: जेपीसी)

क्रम सं.	मद	क्षेत्र	अप्रैल, 07	मई, 07	जून, 07	जुलाई, 07	अगस्त, 07	सितंबर, 07	अक्तूबर, 07	नवंबर, 07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	बिलेट्स 100एमएम	कोलकाता	23600	23750	23825	22775	24450	24025	24900	24300
		दिल्ली	27350	25575	NA	25000	25000	25500	26500	26000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		मुम्बई	25250	25000	25000	26650	26650	26250	26750	26100
		चेन्नई	24000	एनए	24000	एनए	23000	25000	25000	25000
2.	वॉयर रॉड्स 8एमएम	कोलकाता	26950	28250	28000	27850	27675	27750	28150	28325
		दिल्ली	32025	30950	30950	एनए	30000	30500	32800	33450
		मुम्बई	28250	30500	30000	31000	31000	30250	30250	30300
		चेन्नई	31000	31000	31000	31000	31000	31500	32000	31500
3.	राउन्ड्स 12एमएम	कोलकाता	26250	30175	27400	26950	29975	28175	27175	27235
		दिल्ली	31200	एनए	एनए	एनए	30000	27000	30250	30100
		मुम्बई	29500	30000	30000	30000	30000	29250	29250	29250
		चेन्नई	29000	29500	31000	30000	29800	29900	30500	29750
4.	राउन्ड्स 16एमएम	कोलकाता	27850	30950	30000	30250	30350	28375	28850	29200
		दिल्ली	31200	31250	31250	एनए	30000	27000	30250	30100
		मुम्बई	29500	30500	30500	30000	30000	29250	29250	29250
		चेन्नई	29000	29000	31000	30500	29800	29750	30250	30500
5.	टोरस्टील 25एमएम	कोलकाता	28025	28350	30400	30100	29125	27950	29250	29250
		दिल्ली	32025	30475	35875	30800	30900	29600	32450	31525
		मुम्बई	29250	32000	32200	31500	31500	30250	31900	32000
		चेन्नई	31000	31500	31000	31000	31500	30750	31000	31250
6.	एंगल्स 75x75x6एमएम	कोलकाता	29325	29650	29750	28800	29275	28825	29525	29500
		दिल्ली	30050	31100	31725	एनए	31000	29850	31575	31725
		मुम्बई	29500	30500	30700	30000	31000	29500	30000	31000
		चेन्नई	32000	32500	31000	30000	30600	30150	30650	32000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	जोइस्ट्स 200x100एमएम	कोलकाता	30700	31100	32250	31000	30900	31575	32400	31250
		दिल्ली	33075	NA	34850	NA	33500	32250	34000	34425
		मुम्बई	30500	33000	32500	32000	32000	31000	30750	32000
		चेन्नई	33000	32000	33000	31000	30500	30500	32250	33000
8.	चैनल्स 75x40एमएम	कोलकाता	29375	28900	30500	30700	31600	29725	30225	29450
		दिल्ली	30375	31975	32250	NA	32500	31750	32750	33100
		मुम्बई	29500	30000	30000	30000	30000	30000	30500	31000
		चेन्नई	32000	32000	31000	30500	31400	31250	32350	33000
9.	प्लेट्स 10एमएम	कोलकाता	34500	35600	35750	34700	34350	35225	36200	35700
		दिल्ली	35875	36200	36925	34300	33900	35175	34825	34775
		मुम्बई	34750	34500	34500	34500	34500	33750	33750	34250
		चेन्नई	36500	36500	36000	36000	34000	34500	34750	35250
10.	सीआर क्वॉयल्स 3.15एमएम(टीएमक्यू)	कोलकाता	34150	35100	35350	34600	34000	35125	35900	35450
		दिल्ली	34525	34325	34850	33700	33100	35250	34550	35200
		मुम्बई	34500	34000	34000	35000	35000	31750	33000	34750
		चेन्नई	36300	36500	35000	34000	34000	33900	34250	35000
11.	एचआर क्वॉयल्स 0.63एमएम	कोलकाता	39500	40500	40025	39425	40075	40300	41000	40400
		दिल्ली	39525	39825	39000	36600	36700	39550	39175	39775
		मुम्बई	38500	38000	38000	38500	38500	36750	36750	37250
		चेन्नई	39000	39000	38000	38500	38500	38400	38750	38750
12.	सीआर क्वॉयल्स 1एमएम	कोलकाता	39150	39750	39300	38650	39650	40025	40500	39400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		दिल्ली	38275	39100	38900	36000	37250	39050	40075	39275
		मुम्बई	38000	37000	37000	38000	38000	35750	36000	37150
		चेन्नई	38000	38500	39000	38000	38000	38250	38750	38250
13.	जीपी शीट्स 0.63एमएम	कोलकाता	46450	47600	48100	46750	46400	46875	47650	47350
		दिल्ली	46800	46275	48050	48000	48500	46750	44075	49475
		मुम्बई	41000	40000	40000	40000	40000	39250	39000	42500
		चेन्नई	48000	48000	47000	48000	47000	47500	47500	47000

[अनुवाद]

शीतकालीन अवकाश के दौरान विमान सेवाओं का उन्नयन

*315. **श्री चन्द्रभूषण सिंह :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शीतकालीन अवकाश के दौरान निजी एयरलाइनों को अपनी क्षमता और उड़ानों में वृद्धि करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सभी एयरलाइनों को अपने विमानों में क्षमता को किसी भी स्तर तक बढ़ाने हेतु अनुमति देने का भी निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) सरकार ने 1 दिसम्बर, 2007 से 31 जनवरी, 2008 की अवधि के दौरान वर्तमान आवृत्तियों पर अपने विवेक के अनुसार अपने उपस्करों के स्तरोन्नयन के लिए सभी एयरलाइनों को अनुमति देने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

नये विमानों की खरीद

*316. **श्री राजनरायन बुधौलिया :**

श्री गणेश सिंह :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितने विमानों की आवश्यकता है और कितने विमान उपलब्ध हैं;

(ख) क्या कुछ और विमानों की खरीद हेतु अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी कोई प्रस्ताव योजना आयोग को भेजा गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संबंधित प्राधिकरणों ने उक्त, प्रयोजनार्थ और अधिक धनराशि आबंटित करने का अनुमोदन कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) नेशलन एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियों के बेड़े में इस समय 140 विमान हैं जिसमें 69 विमान पट्टे पर लिये गये हैं। वर्तमान में आदेशित विमानों की सुपुर्दगी, जो 2011 तक पूरी हो जायेगी, के पश्चात अतिरिक्त विमानों की आवश्यकता घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय यातायात में वृद्धि, विदेशी तथा भारतीय निजी वाहकों द्वारा अपनी क्षमता में वृद्धि तथा विलय से प्राप्त लाभ के माध्यम से अतिरिक्त सेवाओं के कारण महसूस की गई है। महत्वपूर्ण नेटवर्क तथा क्षमता तैनाती योजना पर अवधारणा

पत्र तैयार करने के लिए नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा एक इन-हाऊस संयुक्त कार्यदल का गठन किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

घरेलू उड़ानों में मदिरा और बीयर परोसना

***317. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :**
श्री मोहन सिंह :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार घरेलू उड़ानों में मदिरा और बीयर परोसने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विमान यात्रियों की प्रतिक्रिया का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ङ) फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (एफ.आई.ए.) तथा अन्य संगठनों द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। बहरहाल, सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा

***318. श्री रघुवीर सिंह कौशल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल दुर्घटनाओं में हताहत यात्रियों के आश्रितों को मुआवजा दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन सी स्थितियां हैं जिनमें मुआवजे की अलग-अलग धनराशि दी जाती है;

(ग) चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान मुआवजे के मंडल-वार कितने दावे किए गए हैं;

(घ) कितने दावों का निपटान किया गया है; और

(ङ) लम्बित दावों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) मृत्यु और चोट के लिए रेल दावा अधिकरण द्वारा 1997 में यथासंशोधित रेल दुर्घटना एवं अप्रिय घटनाएं (प्रतिकर) नियम, 1990 जिसमें निम्नलिखित प्रावधान है, के अनुसार मुआवजे की मात्रा का अधिनिर्णय लिया जाता है:

(i) मृत्यु के लिए 4 लाख रुपये

(ii) चोट के लिए 32,000 रुपये से 4 लाख रुपये (चोट की गंभीरता के आधार पर)

(ग) से (ङ) गाड़ी दुर्घटनाओं के लिए दायर किए गए, निपटाए गए और लंबित पड़े दावों की स्थिति नीचे लिखे अनुसार है-

रेलवे	2005-06			2006-07			2007-08 (31.10.07 तक)		
	दायर किए गए दावे	निपटाए गए दावे*	लंबित दावे*	दायर किए गए दावे	निपटाए गए दावे*	लंबित दावे*	दायर किए गए दावे	निपटाए गए दावे*	लंबित दावे*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मध्य	8	0	26	0	7	19	0	1	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पूर्व	7	14	20	30	4	46	15	2	59
उत्तर	34	62	53	30	23	60	2	21	41
पूर्वोत्तर	0	3	34	2	2	34	0	3	31
पूर्वोत्तर सीमा	1	1	0	1	0	1	0	0	1
दक्षिण	3	34	13	11	8	16	1	1	16
दक्षिण मध्य	138	19	165	69	153	81	5	34	52
दक्षिण पूर्व	1	16	2	1	0	3	1	0	4
पश्चिम	62	1	80	24	50	54	2	7	49
पूर्व मध्य	11	4	12	0	1	11	0	0	11
पूर्व तट	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर मध्य	12	0	13	19	9	23	6	1	28
उत्तर पश्चिम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दक्षिण पूर्व मध्य	1	31	6	0	1	5	1	0	6
दक्षिण पश्चिम	0	0	3	0	1	2	0	1	1
पश्चिम मध्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कोंकण रेलवे	0	23	33	9	17	25	0	12	13
जोड़	278	208	460	196	276	380	33	83	330

टिप्पणी: आंकड़े क्षेत्रीय रेलवार रखे जाते हैं, मंडलवार नहीं।

*लंबित और निपटाए गए दावों की संख्या में वे मामले शामिल हैं जो उपर्युक्त वर्ष से पहले दायर किए गए हैं।

सरकारी तेल कंपनियों को घाटा

*319. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तेल कंपनियों को तेल का मूल्य नियत करने की स्वतंत्रता देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वैश्विक बाजार में तेल के मूल्यों में लगातार वृद्धि के कारण तेल कंपनियों को भारी घाटा हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त घाटे की भरपाई के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (ङ) वर्ष 2004 से कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य उच्च और अस्थिर रहे हैं। तेल के मूल्यों में हुई अत्यधिक वृद्धि को समग्र रूप से उपभोक्ताओं पर डालने से आम आदमी को कठिनाई हो गई होती, पेट्रोल, डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्य, तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुसार घट-बढ़ नहीं किए गए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) घरेलू एलपीजी और पीडीएस मिट्टी तेल जैसे राजसहायता प्राप्त उत्पादों के मूल्यों को बनाए रखने के अतिरिक्त, सरकार के साथ परामर्श करके पेट्रोल और डीजल के मूल्य में वृद्धि को घटा-बढ़ा रही हैं।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में होने वाली वृद्धि के कारण, संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों अर्थात् पेट्रोल, डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी की घरेलू बिक्री पर ओएमसीज में अल्प वसूलियां हो रही हैं। ओएमसीज की अप्रैल-सितंबर, 07 की अवधि के दौरान इन उत्पादों की बिक्री पर सकल अनुमानित अल्प वसूलियां निम्नानुसार दी गई हैं-

(रु. करोड़ में)

अल्प वसूलियां*	अप्रैल-सितंबर, 07 (अनन्तिम)
पेट्रोल	2638
डीजल	9911
पीडीएस मिट्टी तेल	8206
घरेलू एलपीजी	5608
योग	26363

*तेल बांडों, अपस्ट्रीम सहायता और रिफाइनरी कटौतियों पर विचार किए बिना सकल अल्प वसूलियां

आम आदमी, समाज के कमजोर वर्गों और ओएमसीज की वित्तीय स्थिति के भी हितों की सुरक्षा के लिए, सरकार ने सरकार और तेल पीएसयूज के बीच समान भार हिस्सेदारी का सिद्धान्त अपनाया है। इस संदर्भ में, सरकार ने ओएमसीज की वर्ष 2007-08 के लिए उनकी अल्प वसूलियों के लिए आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति करने के लिए निम्नलिखित उपाय अनुमोदित किए हैं-

(क) कुल अनुमानित अल्प वसूलियों के 42.7% तक तेल बांड जारी करना, और

(ख) अपस्ट्रीम तेल कंपनियां, कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर रियायत देकर अल्प वसूलियों का लगभग 1/3 भाग शेयर करेंगी।

गैस और तेल पर रॉयल्टी

*320. **श्री हरिसिंह चावड़ा :**
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई उपबंध है जिसमें तेल और गैस पर प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् रायल्टी निर्धारित करने की व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो पिछली बार रायल्टी किस तारीख को निर्धारित की गई थी तथा उसकी राशि कितनी थी;

(ग) रायल्टी का पुनर्निधारण कब तक किया जाएगा;

(घ) क्या इस रायल्टी का भुगतान सीधे जिला प्रशासन को करने पर विचार किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा विचार किस तारीख को किया गया था?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (ङ) रायल्टी की दरें तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1984 द्वारा शासित होती हैं। सरकार समय-समय पर रायल्टी की दरों की समीक्षा कर सकती है तथा किसी खनिज तेल के लिए, जो तेल क्षेत्र अथवा तेल कूप-शीर्ष पर जैसा भी मामला हो, खनिज तेल के बिक्री मूल्य के 20% से अधिक हो, रायल्टी दर निश्चित नहीं करेगी।

1.4.2002 से नियंत्रित मूल्य तंत्र को बंद किए जाने के बाद रायल्टी की दर नियम को पणधारियों के साथ परामर्श करके 16 दिसंबर, 2004 की अधिसूचना सं. 11011/1/97-ओएनजी-4 द्वारा निम्नलिखित रूप में संशोधित किया गया था:

(1) राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसीज), नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) से पहले निजी/संयुक्त उद्यम संविदाकारों को प्रदत्त अन्वेषण ब्लाकों तथा निजी/संयुक्त उद्यम संविदाकारों को प्रदत्त जमीन में खोजे गए क्षेत्रों को नामांकन आधार पर प्रदत्त क्षेत्रों से कच्चे तेल के उत्पादन पर रायल्टी:

(क) जमीनी क्षेत्रों में कुएं मुहाने मूल्य का 20% की दर से।

(ख) उथले जल अपतट क्षेत्रों में (400 मीटर गहरे जल तक) कूप-शीर्ष मूल्य का 10% की दर से।

(ग) गहरे जल अपतट क्षेत्रों (400 मीटर से अधिक जल तक) वाणिज्यिक उत्पादन के बाद पहले 7 वर्षों के दौरान कूप-शीर्ष मूल्य का 5% की दर से तथा अन्य अवधियों के दौरान उथले जल क्षेत्रों (400 मीटर गहरे जल तक) के लिए यथा लागू सामान्य दर से।

(घ) 25 डिग्री एपीआई और उससे कम वाले भारी कच्चे तेल के लिए: उपर्युक्त उल्लिखित लागू दरों से 2.5% कम दर से।

(2) निजी/संयुक्त उद्यम संविदाकारों को प्रदत्त अपतट में खोजे गए क्षेत्रों से कच्चे तेल पर रायल्टी संबंधित उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससीज) में यथा उल्लिखित दरों पर है।

(3) उत्पादन हिस्सेदारी नियम के अधीन क्षेत्रों से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर रायल्टी संबंधित उत्पादन संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाती है। नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के अधीन कच्चे तेल पर रायल्टी जमीनी क्षेत्रों में कूप-शीर्ष मूल्य का 12.5% और अपतट क्षेत्रों में 10% है। प्राकृतिक गैस पर कूप-शीर्ष मूल्य का 10% रायल्टी है।

(4) प्राकृतिक गैस उत्पादन पर रायल्टी कूप-शीर्ष पर प्राप्त प्राकृतिक गैस के मूल्य का 10% है।

जमीनी क्षेत्रों से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन पर प्राप्त रायल्टी तेल तथा गैस के उत्पादन की तारीख से राज्य सरकार के राजकोष में अदा की जाती है। अपतट क्षेत्रों से प्राप्त रायल्टी केन्द्र सरकार को अदा की जाती है।

हिमालय प्रदेश में हवाई अड्डे

2885. प्रो. प्रेम कुमार धूमल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं के बारे में जानकारी है तथा लाखों विदेशी पर्यटक प्रत्येक वर्ष हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, मनाली, चम्बा तथा किन्नौर शहर का भ्रमण करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त शहरों के लिए विमान यात्रा भाड़ा तुलनात्मक रूप से काफी ज्यादा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में स्थिति हवाईअड्डों पर केवल छोटे हवाई जहाज उतर सकते हैं जो राज्य में पर्यटन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में वायु पट्टियों के विस्तार तथा हवाईअड्डों के उन्नयन संबंधी कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उत्तर-पूर्व राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश के लिए विमान यात्रा भाड़ा कर करने का है;

(च) यदि हां, तो कब तक इसे क्रियान्वित कर दिया जाएगा; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) से ((छ) वर्ष 1994 में विमान निगम अधिनियम के

निरस्त होने के पश्चात सरकार विमान किरायों को विनियमित नहीं करती है। एयरलाइनें मांग प्रतिस्पर्धा, मौसम आदि के आधार पर अपने वाणिज्यिक विवेक के अनुसार किरायों को निर्धारित करने के लिए मुक्त हैं।

(ग) और (घ) हिमाचल प्रदेश में हवाईअड्डों के संबंध में हवाईअड्डा-वार स्थिति निम्नानुसार है:

(i) कांगड़ा हवाईअड्डा-हवाईअड्डे का एटीआर-72 प्रकार के विमान के प्रचालन के लिए स्तरोन्नयन किया गया है।

(ii) कुल्लु हवाईअड्डा-एटीआर-72 प्रकार के विमान के प्रचालन के लिए हवाईअड्डे के स्तरोन्नयन की योजना है।

(iii) शिमला हवाईअड्डा-भूभागीय कठिनाइयों के कारण हवाईअड्डे का भावी विस्तार व्यवहारिक नहीं है।

वितरकों द्वारा व्यावसायिक एलपीजी की बिक्री

2886. श्री मुंशी राम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक वितरक द्वारा व्यावसायिक एलपीजी की बिक्री हेतु कोई मासिक कोटा निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या प्रत्येक वितरक द्वारा व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों को मंजूर करने के लिए मांग पत्र लिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उपभोक्ताओं से उनके द्वारा उपयोग में लाए जा रहे सिलेंडर के प्रकार की जानकारी मांगी जाती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने रिपोर्ट दी है कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर, एलपीजी सिलेंडरों के अपने फ्लोर स्टाक तथा बाजार की मांग के आधार पर वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति के लिए मांग पत्र भेजते हैं।

(ङ) और (च) जी नहीं। तथापि, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के अनुसार गैर घरेलू श्रेणी उपभोक्ता केवल 19 कि.ग्रा. तथा 47.5 कि.ग्रा. सिलेंडरों का प्रयोग कर सकते हैं।

[अनुवाद]

पेट्रो-रसायन क्षेत्र में निवेश

2887. श्री एल. राजगोपाल :
श्रीमती भावना पुंडलिक राव गवली :
श्री बापू हरी चौरे :
श्री संजय धोत्रे :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगामी पांच वर्षों के दौरान पेट्रो-रसायन क्षेत्र में 36,000 करोड़ रुपये निवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे किस सीमा तक विद्यमान 2.7 मिलियन टन इथेन क्षमता बढ़ाई जाएगी; और

(घ) आगामी पांच वर्षों में देश में पालीमरों के उपभोग में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय इन्डिक) : (क) से (घ) पेट्रोरसायन क्षेत्र लाईसेंस मुक्त एवं विनियम-मुक्त है। पेट्रोरसायन क्षेत्र में योजनाधीन निवेश निजी क्षेत्र एवं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों द्वारा किया जाता है। 11वीं योजना के लिए रसायन एवं उर्वरक पर कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पेट्रोरसायन (पालीमर्स) की मांग 12.5 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच जाने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2012 तक इथाइलीन उत्पादन 8.6 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच जायेगा। अब तक अतिरिक्त इथाइलीन क्षमता को 3.2 मीट्रिक टन तक विस्तार करने और नई क्षमता तैयार करने की घोषणा हुई है जिस पर 36,000 करोड़ रु. के अनुमानित निवेश की संभावना है। इसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

नेफ्था एवं गैस क्रैकर संयंत्रों में निवेश

(मिलियन टन में)

कंपनी	फीडस्टाक	2005-06 इथाइलीन क्षमता	प्रस्ताविक इथाइलीन क्षमता	संभावित निवेश
गेल, पाटा	गैस	0.3	0.4(0.1)*	650 करोड़ रु.
एचपीएल, हल्दिया	नेफ्था	0.52	0.67(0.15)*	650 करोड़ रु.
आईओसी, पानीपत	नेफ्था	0	0.8	16,000 करोड़ रु.
गेल, असम	गैस/नेफ्था	0	0.22	5460 करोड़ रु.
आरआईएल, जामनगर	गैसों की रिफाइनरी	0	2.0	13,500 करोड़ रु.
कुल			3.27	36,260 करोड़ रु.

*अतिरिक्त क्षमता

[हिन्दी]

एयरलाइनों में हिन्दी साहित्यिक सामग्री को उपलब्ध कराया जाना

2888. **श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :**
डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निजी एयरलाइनों में यात्रियों को यात्रा के दौरान हिन्दी भाषा में पत्रिकाएं, समाचार-पत्र तथा अन्य साहित्यिक सामग्रियां उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार एयरलाइनों में हिन्दी भाषा में अनिवार्य रूप से पत्रिकाएं, समाचार-पत्र तथा साहित्यिक सामग्री रखने के लिए निदेश जारी करके हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ङ) निजी एयरलाइनों द्वारा हवाई जहाज में समाचार-पत्र/पत्रिकाएं तथा क्षेत्रीय पत्र/पत्रिकाएं दिए जाते हैं, फिर भी हवाई जहाजों में समाचार-पत्र/पत्रिकाएं देने का निर्णय एयरलाइंस द्वारा अपनी व्यापारिक रणनीति को ध्यान में रखकर लिया जाता है।

इस संबंध में जहां तक सरकार द्वारा एयरलाइंस में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने का प्रश्न है, मंत्रालय के अधीन के संगठन नागर विमानन महानिदेशालय ने सभी निजी एयरलाइंस को निदेश दिए हैं कि सभी क्षेत्रों की उड़ानों में अन्य भाषाओं के साथ-साथ हिन्दी के समाचार-पत्र/पत्रिकाएं भी उपलब्ध कराई जाएं।

[अनुवाद]

वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र जारी करना

2889. **श्री दलपत सिंह परस्ते :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार सभी भारत सरकार के कार्यालयों तथा अन्य संबद्ध कार्यालयों को केन्द्र सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान की गई अन्य सुविधाओं को उन्हें प्रदान किए जाने के अलावा "वरिष्ठ नागरिकता पहचान पत्र" जारी करने हेतु निदेश जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार वरिष्ठ नागरिकों को विशेष कार्ड जारी करके इन सुविधाओं का विस्तार परिवहन, रेलवे तथा वायु सेवाओं में भी करने हेतु निदेश जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे स्टेशनों पर उद्योगपतियों द्वारा सुविधाएं प्रदान किया जाना

2890. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई उद्योगपति रेलवे स्टेशनों को गोद लेकर वहां पर सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए आगे आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ उद्योगपति केवल कुछ सुविधाएं प्रायोजित करने के लिए आगे आए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) तमिलनाडु में दो स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का विकास करने के लिए उद्योगपति आगे आए हैं:

(i) मैसर्स महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी डेवलपर्स लि., चेन्नै पारानूर रेलवे स्टेशन के लिए आगे आया है तथा

(ii) मैसर्स फ्रंटियर लाइफ लाइन, चेन्नै ने एलावूर रेलवे स्टेशन के विकास की जिम्मेदारी ली है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नई सचल प्रदर्शनी रेलगाड़ी

2891. श्री मिलिन्द देवरा : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 150वें वर्ष तथा शहीद भगत सिंह की शताब्दी समारोह को दर्शाने वाली नई सचल प्रदर्शनी रेलगाड़ी 'आजादी एक्सप्रेस' शुरू की जिसने अपनी पहली यात्रा राजधानी से 28 सितंबर, 2007 को शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं;

(ग) परियोजना की कुल अवधि कितनी है तथा इस पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है;

(घ) क्या रेल मंत्रालय तथा दृश्य-श्रव्य प्रचार 'निदेशालय' को कोई भूमिका दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ङ) जी, हां। यह गाड़ी 28.9.07 को दिल्ली से शुरू कर दी गई है।

गाड़ी पर सचल प्रदर्शनी से बड़ी संख्या में लोग अपने द्वार पर प्रदर्शनी देख सकेंगे और उनकी कल्पना सजीव हो उठेगी तथा इसे देखकर ऐतिहासिक घटनाओं, विभूतियों तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से जुड़े ज्ञात और अज्ञात अनेक स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों की याद ताजा होगी। इस प्रदर्शनी में विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्र भारत की उपलब्धियों को भी दर्शाया गया है।

इस प्रदर्शनी की कुल अवधि 9 माह है और इस पर कुल 9.27 करोड़ रु. (लगभग) खर्च होंगे।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। रेल मंत्रालय ने भी विशेष कोच उपलब्ध कराए हैं और साथ ही रियायती दरों पर संचालन और अनुरक्षण की व्यवस्था भी की है।

एसकेओ/केरोसिन का आयात

2892. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जरूरतमंद थोक उपभोक्ता/ग्राहक एसकेओ/केरोसिन की आयात नीति में संशोधन के कारण आसानी से खुले बाजार में खुली बिक्री से एसकेओ/केरोसिन नहीं प्राप्त कर पाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार राज्य में सफेद एसकेओ/केरोसिन की पर्याप्त मात्रा को उपलब्ध कराने के लिए पृथक विपणन चैनल की व्यवस्था करने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) और (ख) इस मंत्रालय ने देश में बाजार मूल्यों पर मिट्टी तेल का आयात और विपणन करने के लिए निजी एजेंसियों को अनुमति देते हुए दिनांक 2.9.1993 की अधिसूचना के माध्यम से मिट्टी तेल हेतु समानांतर विपणन प्रणाली (पीएमएस) आरंभ की थी। तदुपरांत, इस मंत्रालय की सिफारिश पर वाणिज्य विभाग की दिनांक 25.11.2003 की अधिसूचना के माध्यम से मिट्टी तेल के आयात को सभी प्रयोजनार्थ इंडियन आयल कार्पोरेशन (आईओसी) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) जैसे राज्य व्यापार उद्यमों द्वारा और साथ ही अग्रिम लाइसेंस धारकों द्वारा स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन के माध्यम से नियंत्रित किया गया। अब 6.7.2006 को एसकेओ नियंत्रण आदेश, 1993 को संशोधित किया गया है जिसमें समानान्तर विपणनकर्ताओं को स्वदेशी स्रोतों से भी अपनी आवश्यकताओं को जुटाने की अनुमति दे दी गई है।

(ग) से (ङ) आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल खुले बाजार में गैर पीडीएस मिट्टी तेल बेच रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा गैर पीडीएस मिट्टी तेल को बेचने के लिए अपनाई जा रही मौजूदा प्रणाली के अनुसार, ऐसे वास्तविक औद्योगिक और गैर घरेलू ग्राहकों, जिनकी एक समय में एक टैंक लारी वजन से अधिक की मांग है, को सीधे ही आपूर्ति की जा रही है और छोटे ग्राहकों, जिनकी मांग पूरे टैंक लारी वजन से कम की है, को गैर राजसहायता प्राप्त दर पर वर्तमान एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप नेटवर्क के माध्यम से आपूर्ति की जा रही है।

मिट्टी तेल (उपयोग पर प्रतिबंध और उच्चतम कीमत का नियतन) आदेश, 1993 के उपबंधों के अधीन सरकार ने आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी), मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड (एमआरपीएल) और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) को पीडीएस मिट्टी तेल की मांग पूरी करने के बाद, गैर पीडीएस ग्राहकों को स्वदेशी तौर पर उत्पादित मिट्टी तेल बेचने की अनुमति दी है। तेल कंपनियां मांग के अनुसार, मुक्त बिक्री मिट्टी तेल की बिक्री बाजार भाव पर करती हैं।

शुरू में आजमाइशी आधार पर मिट्टी तेल की बिक्री 1 लीटर के छोटे छोटे पैकेटों में शुरू करने की योजना बनाई गई थी ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शामिल न किए गए ग्राहकों द्वारा उत्पाद की छोटे पैकेटों में स्वीकार्यता का जायजा लिया जा सके। इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने आजमाइशी आधार पर 1 लीटर की शीशे की बोतल में मिट्टी तेल का विपणन करने के लिए रिवाड़ी (हरियाणा) में एक प्रायोगिक संयंत्र स्थापित किया है। उत्पादन 17.10.2007 से शुरू हो गया है। इस उत्पाद का विपणन हाल में हरियाणा में फरीदाबाद और गुड़गांव में किया जा रहा है।

कम प्रचलित औषधियों के मूल्य में कमी

2893. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसार जीवन-रक्षक औषधियों के मूल्यों को नियंत्रित करने की बजाय 886 ब्रांडों के अधिकांश कम प्रचार वाली तथा कभी-कभार उपभोग में आने वाली औषधियों का मूल्य कम करने का प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय इन्डिक) : (क) से (ग) सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप औषध उद्योग 886 जेनेरिक फार्मूलेशन पैकों के मूल्यों में स्वैच्छिक-कटौती के लिए सहमत हो गया है।

एसएलपी सं. 3668/2003 में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर और राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में सरकार के गरीबों को उचित कीमतों पर आवश्यक व जीवनरक्षक दवाएं उपलब्ध कराने के घोषित उद्देश्य के अनुरूप राष्ट्रीय औषध नीति-2006 के प्रारूप में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रस्ताव किया गया है कि मूल्य नियंत्रण की सूची में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के तहत मौजूदा 74 मूल्य नियंत्रणाधीन औषधों के अलावा आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची, 2003 में शामिल आवश्यक दवाएं होंगी।

राष्ट्रीय औषध नीति के प्रारूप पर मंत्रिमंडल ने दिनांक 11.1.2007 को हुई अपनी बैठक में विचार किया था। मंत्रिमंडल ने इस नीति को मंत्री समूह (जीओएम) को संदर्भित कर दिया है। जीओएम की पहली और दूसरी बैठक क्रमशः 10.4.2007 तथा 12.9.2007 को हुई। राष्ट्रीय औषध नीति को अंतिम रूप दिए जाने की कोई समय निश्चित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

रेलवे भूमि पर अतिक्रमण

2894. डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री संतोष गंगवार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाहरी सिग्नल पर ठीक रेलवे पोल सं. 1529/9 के नीचे दीवार गिराकर अतिक्रमण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां। इस स्थान पर भवन निर्माण संबंधी कुछ सामग्री अप्राधिकृत रूप से रखी गई थी।

(ग) अतिक्रमण को अब हटा दिया गया है।

[अनुवाद]

प्राकृतिक गैस की बिक्री के लिए बोलियां

2895. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पन्ना, मुक्ता तथा ताप्ति (पीएमटी) संयुक्त उद्यम सहभागियों ने विभिन्न कंपनियों से 1 अप्रैल 2006 से 4 एमएमएससीएमडी तक प्राकृतिक गैस की बिक्री के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम (जीएसपीसी) ने बोली लगाने वालों में गैस के उच्चतम मूल्य की पेशकश की है;

(ग) यदि हां, तो जीएसपीसी को गैस आबंटित नहीं करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि ठेका प्रक्रियाओं के नियमों का पालन किया जाये तथा जीएसपीसी को गैस प्रदान की जाए क्योंकि उनकी बोली अधिकतम थी; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा अभ्यावेदन पर अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आई एल एस के लिए धनराशि का उपयोग

2896. श्री जी. करूणाकर रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने दिल्ली हवाई अड्डे

पर इन्स्ट्रुमेंट लैंडिंग सिस्टम (आई एल एस) की स्थापना करने लिए लगभग 55 करोड़ रुपये व्यय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस धनराशि का व्यय समुचित रूप से हुआ है क्योंकि केवल कुछ एयरलाइंस नई स्थापित इन्स्ट्रुमेंट लैंडिंग सिस्टम (आई एल एस) का उपयोग करते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने ग्राउंड लाइटिंग सिस्टम सहित कैट III-ए इन्स्ट्रुमेंट लैंडिंग सिस्टम लगाए जाने पर 43 करोड़ रुपए तथा कैट-III-बी स्तर के प्रचालन का उन्नयन करने के लिए ए.एस.एम.जी.सी.एस. लगाए जाने पर 12 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

(ख) से (घ) जी, हां। इन सिस्टमों को कम दृश्यता समय के दौरान विमान की गतिविधियों को संभालने के लिए उपयोगी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एयरलाइनों को अपने बेड़े में और अधिक कैट कम्प्लायंट विमान लेने तथा कैट III ए/बी प्रचालनों के लिए और पायलटों को प्रशिक्षित किए जाने के लिए नियमित रूप से परामर्श दिया जा रहा है ताकि कम दृश्यता/कोहरे के कारण होने वाले व्यवधानों को कम से कम किया जा सके।

[हिन्दी]

रामसेतु पत्थर

2897. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रामसेतु के प्राचीन पत्थर देश के कई राज्यों में, विशेष रूप से झारखंड के गिरिडिह जिले में उपलब्ध हैं तथा ये पत्थर पानी में कागज की नाव की तरह तैरते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषज्ञों के अनुसार उक्त प्राचीन पत्थर 1480 (ईसा पूर्व) तक रामसेतु के हिस्से थे तथा ब्रिटिश विशेषज्ञ सी.डी. मैक्लिन ने 1903 में अपनी प्रकाशित पुस्तक 'मैनुअल ऑफ दि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दि मद्रास प्रेसिडेंसी' में उल्लेख किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (घ) सी.डी. मैक्लिन द्वारा सम्पादित और 1885 में प्रथम प्रकाशित "मैनुअल ऑफ दि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दि मद्रास प्रेसीडेंसी" में रामसेतु और हिमालय से लाई गई चट्टानों की श्रृंखला (लाइन ऑफ रॉक्स) का उल्लेख है।

तथापि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को गिरिडीह या अन्य किन्हीं प्राचीन पत्थरों के रामसेतु से संबंधित होने की किसी विशेषज्ञ राय अथवा प्रमाण की जानकारी नहीं है।

[अनुवाद]

कन्नूर हवाई अड्डा

2898. श्रीमती सी.एस. सुजाता : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल में कन्नूर हवाई अड्डे के अंतिम अनुमोदन के संबंध में प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में अंतिम निर्णय हेतु कोई औपचारिकता राज्य सरकार के पास लंबित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त हवाई अड्डे का समय पर निर्माण शुरू करने हेतु सभी औपचारिकताओं को मंजूर करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ङ) केरल राज्य सरकार ने कन्नूर में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने के लिए "सिद्धांत रूप में" स्वीकृति मांगी है। रक्षा मंत्रालय

ने इस परियोजना के लिए अपनी क्लीयरेंस दे दी है। परियोजना के मंजूर होने के बाद राज्य सरकार को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से क्लीयरेंस लेनी होगी। प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए अब इस पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

घरेलू ईंधन के रूप में पीएनजी

2899. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई उपभोक्ता जो पहले एलपीजी कनेक्शन का उपयोग कर रहे थे उन्होंने पीएनजी को घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पीएनजी उपभोक्ता पीएनजी आपूर्ति वाले क्षेत्र से एलपीजी आपूर्ति क्षेत्र में स्थानांतरित होने पर अपनी एलपीजी कनेक्शन को जारी रख सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या व्यवस्था की गई है या उपभोक्ता के पास कौन से विकल्प उपलब्ध है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने सूचित किया है कि वे पहले घरेलू ईंधन के रूप में एलपीजी का उपयोग करने वाले अब पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) के उपभोक्ताओं के आंकड़े नहीं रखती हैं।

(ग) से (ङ) वर्तमान में पीएनजी कनेक्शन प्राप्त करने के बाद एलपीजी कनेक्शन अपने पास रखने में कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि, सुरक्षा के लिए उपभोक्ता अपने एलपीजी कनेक्शन समाप्ति वाउचर के प्रति सौंप सकते हैं जो बाद में पीएनजी स्थल से गैर-पीएनजी स्थल में स्थानांतरण/पुर्नस्थापन के अवसर पर उपयोग किया जा सकता है।

[हिन्दी]

गुजरात में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

2900. श्री जीवाभाई ए. पटेल :

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कुल कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा शीतागार हैं;

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु प्रस्तावित स्थानों का ब्यौरा क्या है तथा वहां कौन-कौन से उत्पाद प्रसंस्कृत किए जाएंगे; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक उन पर व्यय की गई राशि के साथ-साथ इस उद्देश्य के लिए सरकार ने कितनी धनराशि आबंटित की है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय गुजरात सहित देश के विभिन्न राज्यों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे खाद्य पार्कों, शीत श्रृंखलाओं आदि की स्थापना तथा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों/उद्यमियों को सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में हैं इसलिए देश में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की संख्या से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। वैसे, वर्ष 1997-98 से अब तक मंत्रालय ने गुजरात में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए 56 आवेदन तथा शीतागारों की स्थापना के लिए 9 आवेदन प्राप्त किए हैं। ये यूनिटें गुजरात के विभिन्न जिलों जैसेकि अहमदाबाद, वलसाड, सूरत, भावनगर, आनंद, मेहसाणा, गांधीनगर, खेड़ा, मोरबी, राजकोट, बड़ौदा, कच्छ, साबरकांथा, नवसरी, गांधीधाम, पोरबंदर आदि में स्थित हैं। इन यूनिटों में प्रसंस्कृत होने वाले उत्पादों में फल और सब्जियां, खाद्य तेल परिष्करण, विलायक निस्सारण, सी फूड, मसाले, चावल, आटा, दालें, आलू के चिप्स, बेकरी और मिष्टान्न वस्तुएं, बिस्कुट, खाने के लिए तैयार नाश्ता तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुएं शामिल हैं। शीतागारों का उपयोग फसलोत्तर बागवानी वस्तुओं जैसे ताजे फल और सब्जियां तथा जमे हुए खाद्य आदि के भण्डारण के लिए किया जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों यानी 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में अब तक उपर्युक्त स्कीमों के लिए आबंटित निधियां तथा उन पर व्यय निम्नानुसार हैं-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	स्थापना आदि संबंधी स्कीम		बुनियादी ढांचा विकास संबंधी स्कीम*	
	आंबटित निधियां	वास्तविक व्यय	आंबटित निधियां	वास्तविक व्यय
2004-05	48.50	51.14	10.00	11.82
2005-06	68.40	69.81	10.00	15.65
2006-07	79.70	82.19	13.60	13.21
2007-08 (3.12.2007 तक)	80.00	63.66	100.00	07.37

*दर्शायी गई निधियों का आबंटन और व्यय शीतागारों सहित विभिन्न संघटकों को कवर करने वाली सम्पूर्ण स्कीम के लिए है। उपर्युक्त आबंटन/व्यय देश के सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों को कवर करने वाली पूरी स्कीम के लिए है। वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान दो शीतागारों के लिए स्वीकृत किया गया व्यय 44.20 लाख रुपये है।

[अनुवाद]

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खाद्य वस्तुओं की अनुपलब्धता

2901. श्री सुनील खां : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि विक्रेताओं द्वारा की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर चाय, दूध, पूरी तथा अन्य खाद्य वस्तुएं अनुपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विक्रेताओं द्वारा हड़ताल करने के क्या कारण हैं; और

(घ) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) जी नहीं। कमीशन वेंडरों द्वारा परिचालित की जा रही इकाइयों से इतर खानपान इकाइयों के जरिए निबार्ध खानपान सेवाएं सुनिश्चित की गई थी। दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर खाना पकाना रोकने के आदेश और बेनमैरिज, माइक्रोवेव ओवन आदि के जरिए परोसे जाने वाले पके-पकाए भोजन की मदों की संकल्पना के जरिए उच्च गुणवत्ता की खानपान सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम द्वारा किए जाने वाले सुधारों के विरोध में 10.11.2007 से 21.11.2007 तक कमीशन वेंडर हड़ताल पर थे।

नार्वे की कंपनी के साथ ओएनजीसी द्वारा समझौता

2902. श्री नवीन जिन्दल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने नार्वे की सरकार द्वारा चलाई जा रही नास्क हाइड्रो प्रोडक्शन कंपनी के साथ आंध्र प्रदेश के तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में गैस ब्लाकों की खोज करने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है;

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना में कंपनी द्वारा कुल कितना निवेश किया जा रहा है;

(घ) क्या इस कंपनी के साथ दीर्घावधि समझौता करने का कोई अन्य प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश को इससे क्या लाभ मिलेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) और (ख) जी हां। ओएनजीसी ने भारत के कुछ अपतटीय क्षेत्रों अन्वेषण और विकास के लिए 2 जुलाई, 2007 को नार्वे के नार्स्क हाईड्रो प्रोडक्शन के साथ एक विकास तथा सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें ओएनजीसी नोर्स्क हाईड्रो को ब्लाक केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2 में 10% भागीदारी हित सौंपने के लिए सहमत हो गई है। समनुदेशन का प्रस्ताव भारत सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है। नोर्स्क हाईड्रो प्रोडक्शन जो एक अन्य राज्य स्वामित्व वाली कंपनी है, का स्टेट आयल के साथ विलय होने के बाद अब उसका स्टेट आयल हाईड्रो के रूप में पुन: नामकरण किया गया है।

सहयोग के परिकल्पित मुख्य क्षेत्र इस प्रकार हैं:

- जानकारी तथा दक्षता अंतरण
- वसई पूर्व सेवाएं
- ब्लाक केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2 में भागीदारी हित और साथ ही अन्य एनईएलपी ब्लाकों में सहयोग।

(ग) कंपनी इस परियोजना में अपने भागीदारी हित के अनुपात में लागत वहन करेगी।

(घ) और (ङ) एनईएलपी के अधीन अन्य ब्लाकों में संयुक्त भागीदारी की संभावना का पता भी लगाया जा रहा है।

(च) स्टेट आयल हाईड्रो के पास गहरे समुद्र में विकास तथा उत्पादन के लिए विशेष विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी है। इस सहयोग से अपतट खोजों के विकास में सहायता मिलेगी तथा गहरे समुद्री अन्वेषण/अन्वेषण प्रौद्योगिकी का अंतरण भी होगा।

ओएनजीसी को होने वाले संभावित लाभों में निम्न शामिल होंगे:-

— जटिल तथा नवीनतम प्रौद्योगिकियों के उपयोग से गहरे समुद्र तथा अत्यधिक गहरे समुद्र से उत्पादन करने के लिए जानकारी आधार तथा योग्यता निर्माण करना।

— अपतट अन्वेषण, विकास तथा प्रचालन कार्य में लगे कार्मिकों के ज्ञान का विकास करना।

— भावी एनईएलपी ब्लाकों का अन्वेषण तथा संयुक्त सहयोग के माध्यम से उनका विकास करना।

— स्टेट आयल हाईड्रो के भागीदारी हित में केजी बेसिन में गहरे समुद्री ब्लाकों का तेजी से विकास करने में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

नांगल तथा हरिद्वार के बीच नई रेलगाड़ी

2903. **श्री अविनाश राय खन्ना :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार नांगल तथा हरिद्वार के बीच कोई नई रेलगाड़ी शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार नांगल तथा सहारनपुर के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का विस्तार हरिद्वार तक करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में मिट्टी के तेल की कमी

2904. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में मिट्टी के तेल की कमी है;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) महाराष्ट्र को मिट्टी के तेल का आबंटन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) और (ख) पीडीएस मिट्टी तेल का एक आवंटित उत्पाद है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) नेटवर्क के तहत आगे वितरण करने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को पीडीएस मिट्टी तेल का त्रैमासिक आधार पर आवंटन करता है। प्रति कार्ड धारक वितरण के लिए पीडीएस मिट्टी तेल की मात्रा का निर्णय संबद्ध राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र द्वारा किया जाता है और यह राज्य दर राज्य भिन्न होती है।

महाराष्ट्र राज्य में पीडीएस मिट्टी तेल के उठान पर उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से अक्तूबर, 2007 के दौरान राज्य सरकार ने 744.8 मीट्रिक टन के आवंटन की तुलना में पीडीएस मिट्टी तेल को 741.6 मीट्रिक टन तक उठाया है। महाराष्ट्र राज्य में मिट्टी तेल की किसी प्रकार की कमी की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। दिनांक 3.12.07 को महाराष्ट्र राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के अपने आपूर्ति स्थलों पर मिट्टी तेल का कुल इतना स्टाक था जो महाराष्ट्र राज्य में 24 दिनों तक आपूर्ति कर सकेगा।

(ग) मिट्टी तेल का आबंटन खाना पकाने और रोशनी के प्रयोजनार्थ ही पूर्वाधार पर पीडीएस के अंतर्गत वितरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटीज) को किया जाता है। सरकार द्वारा वर्ष 2000 में अपनाई गई नीति के अनुसार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत वितरण के लिए मिट्टी तेल (एसकेओ) का आवंटन 2001-02 से शुरू करके 2003-04 तक, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जारी किए गए एलपीजी कनेक्शनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवर्ष कम की गई थी। जबकि 2004-05 के लिए प्रारंभिक आबंटन अब तक अपनाए गए मानदंड के आधार पर किया गया था, तो भी अतिरिक्त आबंटन वर्ष के दौरान अत्यावश्यक आपातिक मांग को पूरा करने के लिए किए गए थे। वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिए आवंटनों को 2004-05 के स्तर पर रखा गया है जिनमें उस वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त आवंटन भी शामिल हैं। वर्ष 2007-08 के लिए पहली तीन तिमाही के लिए आबंटनों को 2006-07 के स्तर पर बनाए रखा गया है।

एसकेओ आबंटन में वृद्धि करने के लिए महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने दिसंबर 2004 में राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) के जरिए मिट्टी तेल की मांग का विस्तृत अध्ययन शुरू कराया था। एनसीएईआर ने अपनी रिपोर्ट अक्तूबर 2005 में प्रस्तुत की थी। एनसीएईआर ने अन्य सिफारिशों के साथ-साथ मिट्टी तेल पर राजसहायता गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों तक ही सीमित करने की सिफारिश की है।

इसके अतिरिक्त, दीर्घावधि मूल्य निर्धारण नीति तैयार करने के उद्देश्य से पेट्रोलियम, उत्पादों के मूल्य निर्धारण और कराधान के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए, उनकी कीमतों को स्थिर/युक्तियुक्त बनाने की दृष्टि से प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डा. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयीन समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट 17.2.2006 को प्रस्तुत की थी। समिति ने अन्य सिफारिशों के साथ-साथ मिट्टी तेल पर राजसहायता बीपीएल परिवारों तक ही सीमित करने की सिफारिश की थी। सरकार ने डा. रंगराजन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और सिद्धान्त रूप से यह निर्णय लिया है कि पीडीएस मिट्टी तेल पर राजसहायता बीपीएल पीवारों तक ही सीमित रखी जाए। इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए तरीके पता करने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच पीडीएस मिट्टी तेल के आबंटन को युक्तियुक्त बनाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

[अनुवाद]

कंट्रोल चार्टिंग सिस्टम (सी सी एस)

2905. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने कंट्रोल चार्टिंग सिस्टम (सी सी एस) शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के सभी मंडलों में इस स्कीम का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां। दक्षिण रेलवे के त्रिवेन्द्रम (तिरुवनन्तपुरम) एवं मदुरई मंडल में नियंत्रण चार्टिंग का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है।

(ग) और (घ) जी हां। भारतीय रेलवे में नियंत्रण चार्टिंग के कंप्यूटरीकरण के लिए एक परियोजना को 2006-07 में 86.03 करोड़ रु. की लागत पर स्वीकृत किया गया है। इसे चरणबद्ध तरीके में कार्यान्वित किया जाएगा और यह आशा की जाती है कि दिसंबर, 2008 तक इस प्रणाली द्वारा भारतीय रेलवे के सभी मंडलों को शामिल कर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र तथा मॉडल स्कूल

2906. **श्री हरिकेवल प्रसाद :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दृष्टिहीनों, बधिरों, मूक तथा अन्य निःशक्त व्यक्तियों के लिए उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में राष्ट्रीय केन्द्र तथा मॉडल स्कूल चला रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य-वार उक्त केन्द्रों तथा मॉडल स्कूलों में कितने व्यक्ति अध्ययन कर रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ग) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद, अपने कार्यकलापों के भाग के रूप में हैदराबाद में विशेष शिक्षा केन्द्र (मॉडल स्कूल) और नई दिल्ली में मॉडल विशेष शिक्षा केन्द्र का संचालन करता है। इन केन्द्रों में 219 व्यक्ति अध्ययन कर रहे हैं।

[अनुवाद]

यात्री गाड़ियों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ एवं दुर्व्यवहार

2907. **श्री कीरेन रिजीजू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हाल ही में यात्री गाड़ियों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ एवं दुर्व्यवहार के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में कितने मामलों का पता चला है;

(ग) रेलवे द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे दैनिक महिला यात्रियों के लिए एक 'विशेष गाड़ी' चलाने पर विचार कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या रेलवे को इस संबंध में कोई प्रस्ताव मिला है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां। भारतीय रेलों पर यात्री गाड़ियों में महिला यात्रियों के साथ छेड़छाड़ एवं दुर्व्यवहार के मामलों में मामूली वृद्धि हुई है। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रेल गाड़ियों में महिला यात्रियों के साथ छेड़छाड़ एवं दुर्व्यवहार के मामलों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) चालू वर्ष में भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत 2007 के दौरान (सितम्बर तक) भारतीय रेल में महिला यात्रियों के साथ छेड़छाड़ एवं दुर्व्यवहार के 57 मामले और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 21 मामले दर्ज किए गए।

(ग) महिला यात्रियों सहित रेल यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिदिन औसतन 1400 गाड़ियों का मार्गरक्षण रेलवे सुरक्षा बल द्वारा किया जा रहा है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चालू वर्ष के दौरान (सितम्बर तक) महिला यात्रियों के विरूद्ध अपराध के 17 मामलों का पता लगाया और 11 अपराधियों के मामले को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित राजकीय रेलवे पुलिस को अग्रेषित कर दिए गए थे। इसी अवधि के दौरान रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 42,249 पुरुषों, जो महिला कम्पार्टमेंट में सफर कर रहे थे, को पकड़ा गया और रेलवे अधिनियम की धारा 162 के तहत उनके विरूद्ध कार्रवाई की गई।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा संसद सदस्य से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। इस समय दैनिक महिला यात्रियों के लिए विशेष गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं है।

[हिन्दी]

आपदा प्रबंधन समिति

2908. श्री राकेश सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत जबलपुर स्टेशन पर आपदा प्रबंधन समिति द्वारा किए गए निरीक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त निरीक्षण के दौरान किसी अनियमितता का पता चला है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) हाल ही में पश्चिम मध्य रेलवे के अधीन जबलपुर स्टेशन पर आपदा प्रबंधन कमेटी द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अजमेर और जयपुर में सड़क उपरिपुल का निर्माण

2909. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजमेर मंडल और जयपुर मंडल (उत्तर पश्चिम रेलवे) में पृथक-पृथक निर्माणाधीन सड़क उपरि पुल (आर ओ बी) के कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) प्रत्येक सड़क उपरिपुल के लिए स्वीकृत राशि का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है और उक्त कार्य के शीघ्र पूरा होने हेतु क्या मानदंड/प्रक्रिया अपनाई जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग)

क्र. सं.	कार्य का नाम	अद्यतन स्थिति	2007-08 में स्वीकृत धनराशि (करोड़ रु. में)
	जयपुर मंडल		
1.	किशनगढ़ के निकट समपार सं. 28 के बदले ऊपरी सड़क पुल	सामान्य व्यवस्था आरेखण (जी ए डी) अनुमोदित कर दिया गया है। निविदा 14.11.07 को खोली गई है।	0.01
2.	दौसा के निकट समपार सं. 181 के बदले ऊपरी सड़क पुल	सामान्य व्यवस्था आरेखण को अनुमोदित कर दिया गया है। रेलवे के हिस्से के कार्य के लिए विस्तृत अनुमान भी स्वीकृत कर दिए गए हैं और निविदा खोल दी गई है।	0.01
	अजमेर मंडल		
1.	आबू रोड के निकट समपार सं. 134-बी के स्थान ऊपरी सड़क पुल	सामान्य व्यवस्था आरेखण अनुमोदित। प्रस्तावित डबल स्टैक माल यातायात गलियारे को ध्यान में रखते हुए ऊपरी सड़क पुल की ऊंचाई के निर्धारण के बाद प्राक्कलन तैयार किए जाएंगे।	0.01 - प्रत्येक कार्य के लिए
2.	मांडल के निकट समपार सं. 63-सी के बदले ऊपरी सड़क पुल		
3.	अजमेर-सराधना खंड पर समपार सं. 5-ए/2 के बदले ऊपरी सड़क पुल		

[अनुवाद]

उर्वरक कंपनियों द्वारा डीलरों की नियुक्ति

2910. **श्री निखिल कुमार : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरक कंपनियों द्वारा डीलरों की नियुक्ति हेतु अपनाए जाने वाले नियमों/प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ उर्वरक कंपनियों विशेषकर पंजाब स्थित कंपनियों ने इन उपबंधों का उल्लंघन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई जांच करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) डीलरों की नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांत जारी नहीं किए गए हैं। इनकी नियुक्ति संबंधित उर्वरक उत्पादक/विपणन कंपनी द्वारा अपनी वाणिज्यिक आवश्यकता और देश के विभिन्न राज्यों में विपणन आवश्यकताओं को देखते हुए की जाती है। वितरण अधिकार का लाइसेंस संबंधित राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है।

(ख) से (ङ)नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (एनएफएल) पंजाब की एक प्रमुख उर्वरक इकाई है। एनएफएल ने पंजाब सहित विभिन्न राज्यों में कंपनी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डीलरों की नियुक्ति की है और इस संबंध में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

नागांव-जुरिया-बलिकटिया सड़क बंद होना

2911. **डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आमान परिवर्तन और वैगनों से माल उतारने के लिए 1995 में अस्थायी रूप से बंद की गई एन एफ रेलवे के हरिबोर गांव रेलवे स्टेशन के समीप वाली नागांव-जुरिया-बलिकटिया पी डब्ल्यू डी सड़क को सार्वजनिक उपयोग के लिए अभी खोला जाना बाकी है;

(ख) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं और इसे खोलने हेतु क्या समय निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या हरिबोर गांव स्थित वर्तमान वैगन से माल उतारने की सुविधा से शैक्षिक संस्थानों और स्थानीय जनता को असुविधा हो रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे का विचार माल उतारने के यार्ड को किसी उपयुक्त जगह पर स्थानांतरित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रेलवे द्वारा लवणीय भूमि का उपयोग

2912. **श्री अनंत गुढ़े : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे और उसके अंतर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने देश की लवणीय भूमि में रूचि दर्शायी है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे के विस्तार, विकास और मलिन बस्तियों को स्थानांतरित करने में लवणीय भूमि का प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे द्वारा उक्त भूमि को अधिगृहीत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है तथा इस संबंध में किए गए अध्ययन की अद्यतन स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पानी में जहरीले रसायन

2913. **श्री प्रतीक पी. पाटील : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनियन कारबाइड के नजदीकी इलाके के पानी में कुछ जहरीले रसायन पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश पर्यावरण बोर्ड ने इस संबंध में जानकारी का खुलासा नहीं किया है और इलाके के लोगों को अंधेरे में रखा गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकार ने कुछ नमूनों का परीक्षण कराया है और यह पाया गया है कि कुछ स्थानों के कुछ हैंडपंपों व ट्यूबवेलों में पेस्टिसाइड मौजूद हैं।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। उच्चतम न्यायालय ने 7 मई, 2004 के अपने आदेश के तहत मध्य प्रदेश राज्य सरकार को भोपाल स्थित यूनियन कारबाईड संयंत्र के निकट अवस्थित 14 गैस प्रभावित बस्तियों को सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। मध्य प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए कार्रवाई की और उक्त बस्तियों में अलग-अलग जगहों पर 98 वॉटर टैंक स्थापित किए। आरम्भिक चरण के दौरान इन टैंकरों को निजी और निगम के टैंकरों के माध्यम से जल लाकर भरा जाता था। अंतरिम उपाय के रूप में रासलाखेड़ी में चार ट्यूबवैल लगाए गए थे जो इन बस्तियों से 5 कि.मी. की दूरी पर है और भानपुर तथा ब्ल्यू मून कालोनी में 50,000 गैलन क्षमता वाली दो हौदियों का निर्माण किया गया था। शेष टैंकों को अभी भी टैंकरों के माध्यम से जल लाकर भरा जा रहा है। जल को क्लोरिन से परिशोधित किया जा रहा है और यह पीने योग्य है तथा इसकी गुणवत्ता-जांच नियमित रूप से की जाती है।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत परियोजना के लिए अप्रैल 2006 में भारत सरकार द्वारा मंजूरी के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने यूसीआईएल संयंत्र स्थल के आसपास की 14 बस्तियों को कोलार जलाशय से पाइपलाईनों के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इस परियोजना के अंतर्गत भोपाल नगर निगम को 14.18 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। डीआई पाइपों को बिछाने और जोड़ने के लिए 10.55 करोड़ रुपए की राशि के कार्य आदेश (वर्क आर्डर्स) 20 जुलाई, 2007 को और आरसीसी ओवरहेड टैंकों के निर्माण के लिए 2.47 करोड़ रुपए की राशि के कार्य आदेश (वर्क आर्डर्स) 6 नवम्बर, 2007 को जारी किए गए थे। इन क्रियाकलापों से संबंधित निर्माण कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार कार्य आदेश (वर्क आर्डर्स) जारी होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर इन कार्यों को पूरा किया जाना है। 14 बस्तियों सहित भोपाल नगर में जल संवितरण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए एक परामर्शदाता की नियुक्ति भी की गई है।

रेल संग्रहालय

2914. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार प्रत्येक राज्य विशेषकर महाराष्ट्र में "रेल म्यूजियम इन दिल्ली" की तर्ज पर रेल संग्रहालय खोलने का है क्योंकि यह एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल बन गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्ति दिल्ली स्थित रेल संग्रहालय को देखने गए और टिकटों की बिक्री से कितनी राशि एकत्र हुई;

(ङ) क्या रेलवे का विचार संग्रहालय की ओर लोगों को आकृष्ट करने के लिए उसमें और अधिक विशेषताएं जोड़ने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं। दिल्ली में रेल संग्रहालय राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है। बहरहाल, क्षेत्रीय रेल संग्रहालयों का भी अस्तित्व है।

(ख) क्षेत्रीय रेल संग्रहालय चेन्नै, मैसूर, कोलकाता तथा नागपुर में है।

पश्चिम क्षेत्र में क्षेत्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना की व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) (i) आगंतुकों की संख्या

2004-05	2,97,231
2005-06	2,99,491
2006-07	3,21,598

(ii) टिकट की बिक्री से एकत्रित धनराशि :

2004-05	15,46,436 रुपए
2005-06	13,56,062 रुपए
2006-07	14,75,136 रुपए

(ङ) जी हां।

(च) विशेषताओं को बढ़ाना एक सतत् प्रक्रिया है। हाल में, विगत तीन वर्षों में एक मल्टीमिडिया कियोस्क, पुरातात्विक चित्रों का अंकोकरण, पानी का फव्वारा स्थापित करना तथा प्रदर्शित वस्तुओं की सुरक्षा के लिए कुछ सायबान का निर्माण किया गया है।

[हिन्दी]

रेलवे पर झारखंड की बकाया राशि

2915. डा. रामेश्वर उरांव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड राज्य द्वारा शासकीय रेलवे पुलिस पर खर्च की गई राशि के आधार पर आज की तारीख तक रेलवे पर झारखंड राज्य की कितनी राशि बकाया है;

(ख) देय राशि का अभी तक भुगतान न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) समस्त बकाया राशि का भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) झारखंड राज्य से इस बात का पता लगाया जाना है कि क्या इस बिल को संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है।

(ख) महालेखाकार के प्रमाण-पत्र सहित बिलों का ब्यौरा प्रस्तुत न किया जाना।

(ग) महालेखाकार के प्रमाण-पत्र सहित बिलों का ब्यौरा प्राप्त होने पर।

[हिन्दी]

राशि का निवेश

2916. श्री जसुभाई धनाभाई बारड़ : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए ए आई) के कर्मचारियों की राशि का जंक बॉण्ड और शेयरों में धोखाधड़ी से निवेश करने का मामला आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है और दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की कर्मचारी अंशदान भविष्य निधि ट्रस्ट ने कुछ राज्य स्तर के सार्वजनिक उपक्रमों में कुछ निवेश किया था जो ब्याज के भुगतान के मामले में चूककर्ता बन गए हैं। तथापि, कर्मचारी अंशदान भविष्य निधि ट्रस्ट ने शेयर में कोई निवेश नहीं किया है। यह चूक निम्नलिखित मामलों में हुई है :

(i) असम वित्तीय निगम-(5.30 करोड़ रुपए), (ii) उड़ीसा राज्य वित्तीय निगम (21.30 करोड़ रुपए), (iii) मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम (19.90 करोड़ रुपए), (iv) जम्मू और कश्मीर वित्तीय निगम (12.50 करोड़ रुपए) और (v) पी आई सी यू पी-(3.10 करोड़ रुपए)।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा चूककर्ता मामलों की जांच की जा रही है।

एयर माइलेज पर बोनस प्वाइंट

2917. श्री रामदास आठवले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस (आई ए) सहित कुछ एयरलाइनें अपनी-अपनी एयरलाइनों द्वारा उड़ान सम्पन्न करने पर एयर माइलेज पर बोनस प्वाइंट दे रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया द्वारा इन योजनाओं पर वर्ष-वार कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) क्या कुछ अधिकारी, जिनकी हवाई यात्रा का भुगतान उनका संबंधित विभाग करता है, अपनी अधिकारिक हवाई यात्रा के एवज में योजना के अंतर्गत उन्हें प्राप्त हुए माइलेज प्वाइंटों को मुफ्त उपहारों और व्यक्तिगत हवाई यात्रा या पैसा लेकर उसका दूसरों से लाभ उठाने के लिए भुना रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा किस नियम के अधीन अनुमत्य है; और

(ङ) सरकार द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। यात्री नैसिल-इंडियन एयरलाइन्स की विशिष्ट नामित उड़ानों पर प्रीमियम क्लब यथा गोल्डन एज क्लब तथा सिल्वर एज क्लब का सदस्य बनने पर समय समय पर (विशिष्ट सेक्टरों/उड़ानों पर) आरम्भ की जाने वाली अल्पकालीन प्रोत्साहन बोनस योजनाओं के माध्यम से विमान माइलेज पर बोनस/अतिरिक्त प्वाइन्ट अर्जित कर सकते हैं तथा ई-माइलेज विवरण के लिए पंजीकरण पर 500 माइलेज प्वाइन्टों का एक मुश्त बोनस प्राप्त कर सकते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान माइलेज पर उपलब्ध कराए गए बोनस प्वाइन्टों का विवरण इस प्रकार है:- (i) मुंबई-न्यूयार्क-मुंबई सेक्टर पर नान स्टाप उड़ान पर 1.8.07 तथा 30.11.2007 के मध्य यात्रा करने के लिए डबल बोनस प्वाइंट (ii) 15.9.2007 से 30.11.2007 तक यूएस, गल्फ तथा एसईए कार्यक्रमों के सदस्यों के लिए चुनिंदा सेक्टरों पर बोनस तथा रियायतें (iii) सिल्वर एज क्लब/गोल्डन एज क्लब-एयर इंडिया-इंडियन एयरलाईन्स के नामित उड़ानों तथा सार्क सेक्टरों पर सामान्यत: संचित (यात्रा की श्रेणी के मद्देनजर) प्वाइन्टों के अतिरिक्त 10%/25% अतिरिक्त माइलेज प्वाइन्ट बोनस (iv) एयरलाइन-एमेक्स गोल्ड को-ब्रांड कार्ड के लिए सदस्यता हेतु विकल्प करने तथा एक मुश्त क्लाक बोनस अतिरिक्त बोनस माइलेज प्वाइन्टों को यात्री के एकाउन्ट में डाला जाता है जिसे सदस्य निर्धारित अंतिम सीमा को पार करने के पश्चात ही टिकटों के रूप में बदल सकते हैं। सदस्यों के एकाउन्ट में बोनस माइलेज प्वाइन्टों को डालने के लिए कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ता है।

(ग) से (ङ) सरकारी कर्मचारियों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी भारत सरकार के दिनांक 5.03.1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/2/99-स्थापना (क) तथा 15.09.98 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/2/97-स्थापना (क) में समाविष्ट निर्देशों के अनुसार सभी एयरलाइनों के फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्यक्रम तथा फ्लाईंग रिटर्न कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय वाहकों ने यात्रा पर फ्री कम्पेनियन टिकट प्राप्त करने की अनुमति है।

सांस्कृतिक केन्द्र

2918. श्री अबु अयीश मंडल : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न भागों में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इंडिया हैबीटेट सेंटर जैसे और बहु-सांस्कृतिक केन्द्र बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निजी टी वी कंपनी के पास महात्मा गांधी के दस्तावेज

2919. श्री रेवती रमन सिंह : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महात्मा गांधी के मूल दस्तावेज, पांडुलिपियां, छायाचित्र और लगभग 47 घंटे की अवधि वाले दृश्य-श्रृव्य टेप बिना किसी कानूनी वचनबद्धता या उन्हें नष्ट होने या अनुकृति से बचाने की सरकारी अनुमति के बिना कम से कम दो दिनों तक एक अलोकप्रिय निजी टीवी कंपनी के पास रहे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) सक्षम प्राधिकारी के उचित अनुमोदन के बाद, राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के उपयोगार्थ महात्मा गांधी के जीवन पर 28 मिनट की एक डी वी डी तैयार करने के लिए निदेशक, राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय द्वारा मैसर्स सी एम एल मल्टीमीडिया प्राइवेट लि. को वीडियो टेप की केवल प्रतियां (न कि मूल टेप) दी गई थीं। उक्त कम्पनी को उपलब्ध कराई गई टेप उसकी कॉपी थी न कि अभिलेखागार की मूल सामग्री।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देना

2920. **श्री शैलेन्द्र कुमार :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को मूलतः अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कोल खारवार, गोंड और मुशार जातियों को अनुसूचित जातियों का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन जातियों के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने के बाद वन क्षेत्र से बाहर कर दिया जाएगा और फिर उनका वनों पर कोई अधिकार नहीं रहेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार उनके अनुसूचित जनजाति के दर्जे को बरकरार रखने और उनके विकास हेतु कोई योजना बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

यथामूल्य शुल्क को समाप्त करना

2921. **श्री बसुदेव आचार्य :**
श्री बालासाहिब विखे पाटील :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पेट्रोल और डीजल के मूल्यों को नियंत्रित रखने के लिए यथामूल्य शुल्क को समाप्त करने की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान उपभोक्ता को अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के बोझ से बचाने के लिए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क का पुनर्गठन करने की ओर भी आकृष्ट किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

टैगोर के नोबेल मैडल का गुम होना

2922. **श्री प्रबोध पाण्डा :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को रवीन्द्र नाथ टैगोर के नोबेल मैडल के गुम होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टैगोर का नोबेल पदक सदा के लिए गुम हो गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने देश भर में फैले संग्रहालयों में फैली हुई कलाकृतियों को बचाने की कोई योजना लागू की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) जी, हां। विश्व भारतीय विश्वविद्यालय, शान्ति निकेतन के

तहत आर.एन. स्मारक संग्रहालय, बिचित्रा से 25.3.2004 को मैडल चोरी हो गया था।

(ग) और (घ) बोलपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया है और तदुपरान्त इसे जांच हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया गया है।

(ङ) और (च) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित स्मारकों और स्थल संग्रहालयों तथा सीधे संस्कृति मंत्रालय के अधीन संग्रहालयों और इसके स्वायत्त निकायों ने, जहां कहीं आवश्यक समझा गया, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल/प्राइवेट सिक्योरिटी एजेन्सियों की तैनाती, सी सी टी वी, मेटल डिटेक्टर अग्नि-भेदी यन्त्रों आदि की संस्थापना करके पर्याप्त संरक्षण हेतु उपाय किए हैं।

ओएनजीसी की पीआरबीएस योजना

2923. श्री संतोष गंगवार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम बोर्ड ओएनजीसी की पोस्ट रिटायरमेंट एंड डेथ इन सर्विस बेनीफिट स्कीम (पीआरबीएस) के लिए उत्तरदायी और जिम्मेदार है;

(ख) यदि हां, तो ओएनजीसी के पीआरबीएस न्यास के न्यासी कौन-कौन हैं और वे किस हैसियत से न्याय के सदस्य हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी बार व्यक्तियों से की जाने वाली कटौतियों और प्राप्त लाभों में परिवर्तन किया गया;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त परिवर्तन को लागू करने से पहले प्रत्येक सदस्य से लिखित सहमति ली गई थी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) और (ख) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) की सेवानिवृत्ति पश्चात् तथा मृत्यु सेवा लाभ योजना में (पीआरबीएस) एक स्व अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें ओएनजीसी का अंशदान 100/-रु. प्रति वर्ष तक सीमित है। इस योजना का प्रबंध एक न्यास द्वारा किया जाता है जिसमें ओएनजीसी के अध्यक्ष व प्रबंधन निदेशक द्वारा नामित सात तथा वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारी संघ (एएसटीओ) (अधिकारी संघ) तथा मान्यताप्राप्त संघों में से प्रत्येक द्वारा नामित तीन-तीन सामूहिक प्रतिनिधि रहते हैं। ओएनजीसी बोर्ड, ओएनजीसी की पीआरबी योजना के लिए जिम्मेदार नहीं है। तथापि, पीआरबीएस चलाने के लिए जनशक्ति, बुनियादी और प्रशासनिक व्यय ओएनजीसी द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। निधियों के निवेश के लिए न्यास सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करता है तथा कार्यप्रणाली/कार्यनिष्पादन बोर्ड की मानव संसाधन उप समिति को समय-समय पर प्रस्तुत किया जाता है।

(ग) योजना के शुरू होने की तारीख से अर्थात् 1.4.1990 से कार्यपालकों के मामले में दो बार वेतन/काल्पनिक वेतन की प्रतिशतता के रूप में अंशदान की दरों में परिवर्तन किया गया है और गैर कार्यपालकों के मामले में योजना के शुरू होने अर्थात् 16.11.1995 से एक बार परिवर्तन किया गया है।

(घ) और (ङ) एएसटीओ (अधिकारी संघ) तथा मान्यताप्राप्त संघों के साथ चर्चाओं के आधार पर पीआरबी योजना का गठन व क्रियान्वयन किया गया था। उनमें किसी प्रकार के परिवर्तन पर आगे चर्चा की जाती है और क्रियान्वयन से पूर्व समझौते के रूप में सहमति प्रकट की जाती है।

जीएमआर और एएआई के बीच करार

2924. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीएमआर ने दिल्ली विमानपत्तन पर वाणिज्यिक स्थान के लिए डवलपर्स से अग्रिम अदायगी की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह जीएमआर और एएआई के बीच करार का एक भाग है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में करार दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते समय इस मुद्दे पर कानूनी राय ली थी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड

(डीआईएएल) ने प्रत्याशित विकासकर्ताओं से अग्रिम भुगतान के रूप में प्रत्यर्पणीय प्रतिभूति के नाम पर प्रति एकड़ न्यूनतम 63 करोड़ रुपए की मांग की है। सरकार मामले की जांच कर रही है।

(ङ) से (छ) इस परियोजना से संबंधित विभिन्न संव्यवहार कागजातों की ड्राफ्टिंग के लिए मैसर्स अमरचन्द मंगलदास एण्ड सुरेश ए. श्रॉफ (एएमएसएस) को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कानूनी सलाहकार के रूप में रखा गया था।

नाइपर के माध्यम से पत्र और पेटेंट प्रकाशित करना

2925. श्री जे.एम. आरून रशीद : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (नाइपर) के माध्यम से प्रकाशित पत्र और पेटेंट लघु भेषज इकाइयों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चयन समिति और अन्य संबंधित समितियों में लघु भेषज उद्योग का कोई प्रतिनिधि नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) और (ख) राष्ट्रीय औषध शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (नाइपर) औषध विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान करता है। पेपर्स और पेटेंट्स के रूप में प्रकाशित अनुसंधान निष्कर्षों का उपयोग किसी भी फार्मा उद्योग द्वारा किया जा सकता है चाहे वे लघु या वृहत् किसी भी फार्मा इकाई क्षेत्रों में हों।

(ग) चयन समिति और अन्य संबंधित समितियां, नाइपर अधिनियम के अनुसार तैयार संविधियों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ही गठित की जाती हैं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

विज्ञापनों पर व्यय

2926. श्री विजय कृष्ण :
श्री हेमलाल मुर्मू :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों विशेषकर डीजल और पेट्रोल के लिए उपभोक्ता नहीं मिल रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इन उत्पादों विशेषकर पावर/स्पीड पेट्रोल और डीजल के बारे में व्यस्त समय पर इलेक्ट्रानिक मीडिया पर खर्चीले विज्ञापन देने का क्या औचित्य है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विज्ञापन पर किए गए व्यय का सरकारी क्षेत्र के उपक्रमवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के विज्ञापन की नीति को तर्कसंगत बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) पेट्रोलियम उत्पादन जैसे पेट्रोल और डीजल की मोटर वाहनों के लिए ईंधन के रूप में आवश्यक आवश्यकता होती है, इसलिए इन उत्पादों के लिए ग्राहक ढूंढने में आम तौर पर कोई कठिनाई नहीं होती है।

(ख) और (ग) पावर तथा स्पीड ऐसे ब्रांडिड पेट्रोल हैं जिनकी बिक्री क्रमशः हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) द्वारा की जाती है। केवल ब्रांडिड प्रीमियम ईंधनों के लिए विज्ञापन दिए जा रहे हैं न कि सामान्य पेट्रोल और डीजल के लिए। ब्रांडिड ईंधनों के लाभ ग्राहकों को बताने की आवश्यकता होती है और इसी कारण से मीडिया के विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन दिए जाते हैं। इन लाभों में ग्राहकों के वाहनों का बेहतर अनुरक्षण, धुंए का कम उत्सर्जन तथा बेहतर कार्यनिष्पादन शामिल है। गत तीन वर्षों के दौरान ब्रांडिड ईंधनों के लिए इलैक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापनों पर किए गए खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है:-

आंकड़े करोड़ में

वर्ष	आईओसीएल	एचपीसीएल	बीपीसीएल
2004-05	46.00	11.71	7.73
2005-06	34.62	7.88	13.23
2006-07	21.81	13.83	12.64

(घ) विज्ञापनों के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए तेल विपणन कंपनियों द्वारा बाजार स्थितियों तथा निजी कंपनियों से प्रतियोगिता की दृष्टि से लिया गया वाणिज्यिक निर्णय है।

[हिन्दी]

दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड हेतु एएआई की राजस्व नीति

2927. श्री भुनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड (डीआईएएल) के साथ हुए करार की निबंधन और शर्तें क्या है;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में उनका उल्लंघन करने की कोई बात आयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) डीआईएएल हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की राजस्व नीति क्या है;

(ङ) वित्त वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान तथा 30 सितम्बर, 2007 तक डीआईएएल द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को कितने प्रतिशत राजस्व का भुगतान किया गया;

(च) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा उक्त राजस्व की लेखा परीक्षा की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने दिनांक 03.05.2006 से 30 वर्ष की अवधि (आगे 30 वर्ष तक विस्तारणीय) के लिए दिल्ली हवाई अड्डे के प्रचालन, अनुरक्षण, विकास, डिजाइन निर्माण, स्तरोन्नयन, वित्त-पोषण तथा प्रबंधन के लिए दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड (डीआईएएल) के साथ एक प्रचालन प्रबंधन तथा विकास करार (ओ एम डी ए) किया है। सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने के निदेश दिए हैं कि ओ.एम.डी.ए. की शर्तों व नियमो का उल्लंघन न हो।

(घ) और (ङ) डी आई ए एल को 45.99% प्रत्याशित राजस्व का मासिक/वार्षिक शुल्क प्रत्येक महीने की 7 तारीख को अथवा इससे पहले अग्रिम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अदा करना है।

(च) और (छ) ओ एम डी ए की शर्तों में, स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा राजस्व को सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। डी आई ए एल के राजस्व का शेयर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कुल राजस्व का एक भाग है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लेखे सी एण्ड ए जी द्वारा लेखा परीक्षा के अध्याधीन है।

[अनुवाद]

रेल अधिकारियों को धमकी

2928. डा. टोकचोम मैन्या : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिरबाम-तुपुल परियोजना में तैनात रेल अधिकारियों को कुछ क्षेत्रीय संगठनों से धमकी मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा इस संबंध में किए गए सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां। अभी तक धमकी देने का एक मामला प्रकाश में आया है। दिनांक 09.03.2007 को 7:30 बजे एन.एस.सी.एल.-के (नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल ऑफ नागालैंड-खपलांग) द्वारा एक वाहन चालक के माध्यम से जीरीबाम-तुपुल परियोजना में कार्यरत डिप्टी चीफ इंजीनियर (निर्माण)/सिल्चर श्री हिमांशु दास को 5 लाख रुपए की जबरन वसूली का नोटिस मिला। बाद में, संदिग्ध उग्रवादी ने श्री दास को फोन के जरिए संपर्क किया और धन की मांग की। लेकिन कोई भुगतान नहीं किया गया।

(ग) 15.03.2007 को स्थानीय सिल्चर पुलिस के पास प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। रेल सुरक्षा बल/लमडिंग द्वारा पुलिस अधीक्षक/सिल्चर, जीरीबाम के सैन्य अधिकारियों और जीरीबाम में तैनात अर्ध सैनिक बलों के साथ एक समन्वय बैठक आयोजित की गई थी। इसके अतिरिक्त धमकी का कोई मामला सामने नहीं

आया है। जीरीबाम-तुपुल परियोजना में कार्यरत रेल कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय पुलिस, सेना, अर्ध सैनिक बल और स्थानीय प्राधिकरण के साथ नियमित संपर्क बनाए रखा जा रहा है।

मिट्टी के तेल का वितरण

2929. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रति माह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सरकार द्वारा राजसहायता प्राप्त दरों पर पंजीकृत उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित मिट्टी तेल का भारी हिस्सा सही लोगों को नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) हाल के समय के दौरान ऐसे कितने मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(ङ) क्या इस प्रयोजनार्थ अपात्र व्यक्तियों को सूची से बाहर करने के लिए एक समानांतर सर्वेक्षण करने हेतु सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों संघ शासित क्षेत्र (यूटीज) को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) वाला मिट्टी तेल (एसकेओ) पीडीएस के तहत त्रैमासिक आधार पर आवंटित किया जाता है। आगे राज्य/संघ शासित क्षेत्र के भीतर उनके पीडीएस नेटवर्क के माध्यम से इसका वितरण करना संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्रों का उत्तरदायित्व होता है।

पीडीएस के तहत आवंटित मिट्टी तेल एक अत्यधिक राजसहायता प्राप्त उत्पाद है। आर्थिक लाभों के लिए बेईमान तत्व पीडीएस मिट्टी तेल की कालाबाजारी में लिप्त हो जाते हैं। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में मिट्टी तेल की वास्तविक मांग आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने की दृष्टि से सरकार ने राष्ट्रीय अनुप्रयोग आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) के माध्यम से इस विषय पर दिसंबर, 2004 में एक अध्ययन कराया था। एनसीएईआर ने अक्टूबर, 2005 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में वितरण के लिए दिए जाने वाले मिट्टी तेल की 2004 में कुल लीकेज/विपथन पीडीएस एसकेओ की कुल बिक्री का 38.6% होने का अनुमान लगाया है। एनसीएईआर ने खुले बाजार (काला बाजार) में 2004 के दौरान पीडीएस मिट्टी तेल की कुल बिक्री का 17.9% प्रतिशत विपथन होने का अनुमान भी लगाया है।

(ग) और (घ) ओएमसीज ने सूचित किया है कि दिसंबर 2006 से अक्टूबर, 2007 तक मिट्टी तेल की काला बाजारी के 11 मामले प्रकाश में आए हैं। उपर्युक्त मामलों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा इस प्रकार है:-

की गई कार्रवाई	मामलों की संख्या
समाप्त की गई	04
बिक्री तथा आपूर्ति के निलंबन के बाद आपूर्ति अभी चालू होनी है	04
बिक्री तथा आपूर्ति के निलंबन के बाद थोक लाइसेंस बहाल	03

(ङ) और (च) पीडीएस नेटवर्क से अपात्र व्यक्तियों को हटाने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा समानांतर सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। एनसीएईआर ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की है कि राजसहायता प्राप्त मिट्टी तेल की बिक्री को केवल गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों तक सीमित किया जाए। पेट्रोलियम उत्पादों की दीर्घावधि मूल्यनिर्धारण नीति तैयार करने की दृष्टि से सरकार ने डा. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक अंतःमंत्रालय समिति का गठन किया था। इस समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि मिट्टी तेल पर राजसहायता केवल बीपीएल परिवारों तक ही सीमित रखी जाए। सरकार ने डा. रंगराजन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और ''सिद्धांत रूप में'' यह निर्णय लिया है कि पीडीएस मिट्टी तेल पर राजसहायता केवल बीपीएल परिवारों तक ही सीमित रखी जाएगी।

मुद्रणालय हेतु मिट्टी का तेल

2930. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास मुद्रण उद्योग हेतु मिट्टी के तेल का कोई विशेष कोटा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) और (ख) पीडीएस मिट्टी तेल एक आबंटित और राजसहायता प्राप्त उत्पाद है। भारत सरकार द्वारा पीडीएस मिट्टी तेल का आबंटन एसकेओ नियंत्रण आदेश, 1993 के तहत यथा उपलब्ध केवल खाना पकाने और रोशनी के प्रयोजनार्थ त्रैमासिक आधार पर विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को किया जाता है। इसके बाद राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर उनके पीडीएस नेटवर्क के माध्यम से इसका वितरण करना संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्रों का उत्तरदायित्व होता है। प्रीटिंग उद्योगों के लिए अलग से एसकेओ आबंटन नहीं किया जाता।

स्वतंत्रता सेनानियों हेतु स्मारक

2931. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वतंत्रता सेनानियों हेतु एक स्मारक बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने स्वर्गीय वी.के. कृष्ण मेनन की जन्मशताब्दी के अवसर पर तिरुवनंतपुरम में एक स्मारक स्थापित करने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम, 1857 की 150वीं वर्षगांठ, भारतीय स्वतन्त्रता की 60वीं वर्षगांठ; वन्दे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकार करने की शताब्दी; तथा शहीद भगत सिंह की शहादत की 75वीं पुण्यतिथि तथा उनकी जन्म शताब्दी मनाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति गठित की है। इन समारोहों की स्मृति में कार्यक्रमों और कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु एक राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति भी गठित की गई है। राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति ने इस आशय का एक प्रस्ताव अनुमोदित किया है कि दिल्ली में शहीदों का एक स्मारक/शहीद मीनार बनाई जाए।

(ग) और (घ) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव संस्कृति मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

हज यात्रियों हेतु विमान किराया

2932. श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष हज यात्रियों हेतु विमान किराया बढ़ाए जाने का प्रस्ताव था जबकि केन्द्र सरकार द्वारा इसे घटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) हज यात्रियों हेतु वर्तमान में प्रति व्यक्ति कितनी किराया है तथा इसमें वास्तविक किराया और राजसहायता का अलग-अलग ब्यौरा क्या है और इसे कब से परिवर्तित नहीं किया गया है;

(घ) इस वर्ष भारत से कितने श्रद्धालुओं के हज यात्रा पर जाने की उम्मीद है तथा केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार सऊदी अरब प्राधिकारियों द्वारा पहली बार लगाया गया 50 सऊदी रियाल विमानपत्तन कर भी वहन करेगी; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा केन्द्र सरकार को इस मद में कुल कितनी धनराशि का बोझ वहन करना पड़ेगा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) हज 2007 के लिए प्रति हज यात्री हवाई किराया बढ़कर लगभग 46000 रुपए हो गया है। हज यात्री द्वारा अदा की जाने वाली राशि 12000 रुपए है तथा शेष लगभग 34000 रुपए सब्सिडी के रूप में होती है। हज यात्रियों से प्रभावित की जाने वाली राशि वर्ष 1994 से अपरिवर्तित रही है।

(घ) इस वर्ष केन्द्रीय हज समिति के माध्यम से भारत से हज करने के लिए संभावित श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 1,10,000 है। इन हज यात्रियों को सरकार हवाई किराए में सब्सिडी प्रदान करती है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। 50 सऊदी रियाल के हवाई अड्डा कर को हज यात्रियों से वसूल किया जाएगा।

कोयला गैसीकरण

2933. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :
श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज) :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी प्रौद्योगिकी किस सीमा तक वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम है;

(घ) क्या कुछ विदेशी कंपनियों ने कोयले को तेल में परिवर्तित करने की तकनीक का प्रयोग करते हुए देश में अपना व्यवसाय शुरू करने की अनुमति मांगी है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(च) वर्तमान में इन प्रस्तावों पर किस स्तर पर विचार किया जा रहा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) जी हां।

(ख) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने 25 नवंबर 2004 को भारत में भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए स्कोचिंस्की इंस्टीट्यूट आफ माइनिंग (एसआईएम-एनएमआरसी), मास्को, रूस के साथ सहयोग करार (एओसी) पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्यारह स्थलों का अध्ययन करने के बाद, सूरत गुजरात में गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड (जीआईपीसीएल) से संबंधित एक स्थल अर्थात् वास्तान खान बलाक यूसीजी के लिए अधिकतम उपयुक्त पाया गया है।

(ग) यूसीजी प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिक अनुप्रयोग पूर्व सोवियत संघ में ही किया गया है। एक यूसीजी आधारित बिजली संयंत्र स्टेशन उज्बेकिस्तान में अभी भी प्रचालनरत है और लगभग 25 मैगावाट बिजली उत्पादित कर रहा है। यूसीजी आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में भी प्रायोगिक स्तर पर उत्पादित की जा रही है। भारतीय परिस्थिति में भूमिगत कोयले के गैसीकरण का वाणिज्यिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन प्रायोगिक स्तर पर अध्ययन करने के बाद ही किया जा सकता है।

(घ) से (च) जहां तक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का संबंध है, कोयले को तेल में बदलने की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके इस देश में अपना व्यापार शुरू करने के लिए किसी भी विदेशी कंपनी को अनुमोदन नहीं दिया गया है। तथापि, विदेशी कंपनियां इस संबंध में भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं।

आंध्र प्रदेश में पर्यटक स्थलों से अर्जित राजस्व

2934. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक आंध्र प्रदेश का दौरा करने वाले विदेशी पर्यटकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश में कितनी राजस्व अर्जित किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान पुनरुद्धार, मरम्मत तथा आंध्र प्रदेश का दौरा करने वाले पर्यटकों हेतु सुविधाओं की व्यवस्था पर ऐसे राजस्व का कितने प्रतिशत खर्च किया गया;

(घ) क्या भारत ने आंध्र प्रदेश और देश के अन्य भागों में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मुहैया कराने हेतु कोई विशेष पैकेज क्रियान्वित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) वर्ष 2004, 2005 एवं 2006 के दौरान आंध्र प्रदेश का दौरा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या क्रमशः 501019, 560024 और 669617 है।

(ख) और (ग) वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 के दौरान आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा अर्जित राजस्व एवं संपत्तियों की मरम्मत और रख-रखाव पर खर्च किये गये ब्यौरे निम्नलिखित है :-

(लाख रुपये में)

	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
अर्जित राजस्व	5917.57	7660.37
संपत्तियों की मरम्मत और रख-रखाव पर खर्च	131.24	233.68
आय के खर्च का प्रतिशत	2.2 प्रतिशत	3.0 प्रतिशत

(घ) से (च) पर्यटन के विकास की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को गंतव्यों/परिपथों के उत्पाद/अवसंरचना विकास तथा भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं की सहायता की योजनाओं के अंतर्गत उनके साथ परामर्श और पारस्परिक विचार-विमर्श से अभिनिर्धारित पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान, आंध्र प्रदेश सरकार के लिए अवमुक्त की गई वित्तीय सहायता की राशि क्रमशः 2240.68 लाख रुपए, 1700.00 लाख रुपए एवं 1195.44 लाख रुपए है।

[हिन्दी]

गेल (इंडिया) लि. के अधिकारियों द्वारा विदेशी दौरे

2935. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गेल (जीएआईएल) इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कुल कितने अधिकारिक विदेशी दौरे किए गए;

(ख) इन विदेशी दौरों पर कुल कितना खर्च हुआ;

(ग) इन दौरों की क्या उपलब्धियां रहीं;

(घ) क्या विदेशी दौरों की वजह से अधिकारियों की अनुपस्थिति से संगठन का कार्य प्रभावित हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) गेल इंडिया लिमिटेड (गेल) के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा 1 अप्रैल, 2005 से आज तक 68 सरकारी विदेश यात्राएं की गई हैं।

(ख) इन विदेश यात्राओं पर विदेशी मुद्रा में 1,28,383 अमरीकी डालर तथा भारतीय रुपए में 88,00,615/- रुपए व्यय किए गए हैं।

(ग) ये यात्राएं गेल के व्यवसाय से जुड़ी अनेक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ व्यापार बैठकों तथा साथ ही प्रशिक्षण कार्यशालाओं, प्रदर्शियों आदि में भाग लेने के संबंध में किए गए थे जिनसे संदर्भाधीन अवधि के दौरान गेल के विस्तार में योगदान मिला है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दवाओं का ज्यादा मूल्य वसूलने संबंधी गुम मिसिलें

2936. चौ. मुनव्वर हसन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख दवा विनिर्माताओं द्वारा विधान, 1987 के संबंध में दवाओं का ज्यादा मूल्य वसूलने से संबंधित मिसिलें गुम हो गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) डीपीएलआर समिति के गठन के समय डीपीईए में शेष धनराशि कितनी थी तथा इस समिति के विघटन के समय संबंधित शेष धनराशि कितनी थी;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गयी है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(च) सरकार द्वारा दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जब डीपीएलआर समिति का गठन हुआ था उस समय डीपीईए में 1,29,258/-रुपये की राशि शेष थी और जब समिति का परिसमापन किया गया तब शेष राशि 29,293/- थी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विमानपत्तन

2937. श्री तापिर गाव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों के अंतर्गत कितने विमानपत्तनों को शामिल किया जाएगा तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऐसे विमानपत्तनों की अद्यतन प्रगति क्या है;

(ख) क्या योजना आयोग ने अरूणाचल प्रदेश में पासीघाट और तेजू विमानपत्तनों हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन दोनों विमानपत्तनों में कार्य की प्रगति कितनी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) सिक्किम में पेक्यांग, नागालैण्ड में चेतु (कोहिमा), अरूणाचल प्रदेश में इटानगर और तवांग, पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम में कोकराझाड़ में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के प्रस्ताव हैं। योजना आयोग के सिद्धांत रूप में अनुमोदन के आधार पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पेक्यांग हवाई अड्डे के संबंध में बोलीकर्ताओं से पूर्व अर्हता के लिए प्रेस विज्ञापन जारी किया है। जहां तक इटानगर और चेतु हवाई अड्डों का संबंध है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित तवांग हवाई अड्डे के संबंध में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण दल द्वारा एक पूर्व साध्यता अध्ययन किया गया है। कोकराझाड़ हवाई अड्डे के संबंध में बोडो लैंड क्षेत्रीय परिषद ने एक स्थल की पहचान की है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण दल जल्द ही एक पूर्व साध्यता अध्ययन करेगा।

(ख) से (ङ) योजना आयोग ने एटीआर 42 प्रचालनों के लिए अरूणाचल प्रदेश में पासीघाट और तेजु हवाई अड्डों के प्रचालनात्मकता के लिए सिद्धांत रूप में अनुमोदन दे दिया है। तदनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हवाई अड्डों के संबंध में डी पी आर तैयार करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी है।

निःशक्त व्यक्तियों हेतु कल्याण योजनाएं

2938. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री अनंत कुमार :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 के दौरान निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत और सरकारी संगठन/क्रियान्वयन एजेंसियों को आवंटित/जारी की गयी निधियों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार गैर-सरकारी संगठन-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2006-07 के दौरान प्रत्येक गैर-सरकारी संगठन/क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा निधियों के उपयोग का योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ गैर सरकारी संगठनों को इन निधियों का व्यापक पैमाने पर दुरूपयोग करते हुए पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो निधियों के दुरूपयोग हेतु गैर-सरकारी संगठनों के विरूद्ध मिली शिकायतों का ब्यौरा क्या है तथा उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों द्वारा निधियों का दुरूपयोग रोकने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) वर्ष 2007-08 के लिए निःशक्त व्यक्तियों

के कल्याणार्थ 143.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। दिनांक 1.12.2007 तक 927 प्रस्ताव प्राप्त हुए और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सहायक यंत्रों की खरीद/फिटिंग के लिए निःशक्त व्यक्तियों को सहायता (एडिप); दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस); और जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी) योजनाओं के अंतर्गत क्रमशः 26 गैर-सरकारी संगठनों/कार्यान्वयन एजेंसियों को 9.60 करोड़ रुपए, 394 गैर-सरकारी संगठनों को 21.93 करोड़ रुपए तथा एक गैर-सरकारी संगठन को 12.14 लाख रुपए जारी किए गए।

(ख) वर्ष 2006-07 के दौरान, डीडीआरएस, एडिप और डीडीआरसी योजनाओं के अंतर्गत उपयोग के लिए क्रमशः 742 गैर-सरकारी संगठनों को 54.60 करोड़ रुपए, 88 गैर-सरकारी संगठनों/कार्यान्वयन एजेंसियों को 60.19 करोड़ रुपए और 10 गैर-सरकारी संगठनों को 1.21 करोड़ रुपए सहायता अनुदान के रूप में जारी किए गए।

(ग) से (ङ) निधियों का दुरूपयोग करते हुए पाए जाने पर दस गैर-सरकारी संगठनों को काली-सूची में डाला गया। गैर-सरकारी संगठनों के विरूद्ध आठ अन्य शिकायतों में जांच-पड़ताल शुरू की गई थी। इनमें से दो मामलों में, शिकायतें आधार-हीन पाई गई और सहायता अनुदान को पुनः शुरू कर दिया गया। गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए जाने वाले निधियों के दुरूपयोग पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार/भारत सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण, आवधिक प्रगति रिपोर्ट, लेखा परीक्षित लेखाओं और उपयोग प्रमाण-पत्रों की संवीक्षा सहित कई उपाय किए गए है।

मैसूर से रेल संपर्क

2939. **श्री एम. शिवन्ना :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की ब्रह्मगिरी के तलहटी और बंगरदेश्वर टेम्पल सहित तीर्थोदभव और त्रिवेणी संगम के तीर्थ स्थलों और मैसूर के बीच रेल संपर्क मुहैया कराने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) प्रस्तावित सरेखण क्षेत्र में, थलसेरी (तेलीचेरी)-मैसूर नई लाइन के लिए एक अद्यतन सर्वेक्षण बजट 2007-08 में शुरू किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ में रसोई गैस एजेंसियों का आवंटन

2940. **श्री पुन्नूलाल मोहले :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने पेट्रोल पंप और डीजल पंप चल रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के शिक्षित बेरोजगार युवकों तथा स्वतंत्रता सेनानियों के कितने आश्रितों को रसोई गैस एजेंसियां और पेट्रोल पंप आवंटित किए गए हैं;

(ग) चालू वर्ष के दौरान कितने डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित किए जाने का विचार है; और

(घ) राज्य में ऐसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले संभावित जिलों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) 1.1.2007 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) नामतः इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसी) की 503 खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) डीलरशिप छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचालनरत हैं।

(ख) पिछले तीन वर्ष अर्थात 2004-05 से 2006-07 के दौरान ओएमसीज ने अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) उम्मीदवारों को 81 आरओ डीलरशिपों और 6 एलपीजी डीलरशिपों का आबंटन किया है। अन्य पिछड़े वर्गों अथवा स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को आरओ डीलरशिपों और एलपीजी डीलरशिपों के आबंटन के लिए कोई पृथक श्रेणी नहीं है।

(ग) और (घ) ओएमसीज का छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, सरगुजा, बस्तर, धमतारी, दुर्ग, जांजगीर चम्पा, कांकेर,

कवर्धा, कोरबा, राजनंदगांव और जशपुर नामक विभिन्न जिलों में वर्तमान वर्ष के दौरान 22 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आबंटन करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

नासिक और पुणे वाया कल्याण के बीच नई रेलगाड़ी

2941. श्री हरिभाऊ जावले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार महाराष्ट्र में नासिक और पुणे वाया कल्याण के बीच एक नई रेलगाड़ी शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या जलगांव जिले के लोगों की इस संबंध में सतत् मांग रही है; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) रेल बजट 2007-08 में 1025/1026 नासिक-पुणे एक्सप्रेस (दैनिक) चलाए जाने की घोषणा की गई है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में नए इस्पात संयंत्र की स्थापना

2942. श्री बापू हरी चौरे :
श्री संजय धोत्रे :
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से राज्य में एक नया इस्पात संयंत्र स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केंद्र सरकार द्वारा इस पर कोई कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) से (ग) राज्यों में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार की औपचारिक पूर्व अनुमति अपेक्षित नहीं है। जुलाई 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के अनुसार इस्पात उद्योग को लाईसेंस मुक्त कर दिया गया है और इसे स्थान-स्थिति संबंधी कतिपय प्रतिबंधों की शर्त पर सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से हटा दिया गया है। अत: औद्योगिक (विकास विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई औद्योगिक लाईसेंस अपेक्षित नहीं है और प्रतिबंधित स्थानों को छोड़कर उद्यमी अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर देश में कहीं भी ऐसे संयंत्र स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसे इस्पात संयंत्रों की स्थापना में सरकार सीधे दखल नहीं देती है। सरकार सुविधाप्रदाता की भूमिका अदा करती है और इस्पात उद्योग का तेजी से विकास करने के लिए नीतिगत पहलों के जरिए अनुकूल माहौल उपलब्ध करवाती है।

[अनुवाद]

घटिया उर्वरकों की बिक्री

2943. श्री उदय सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में ब्रांड नामों से बाजारों में घटिया उर्वरकों की बिक्री की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में बेहतर किस्म के उर्वरक उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (घ) उर्वरकों की बिक्री, उत्पादन आदि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी एक आदेश, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश (एफसीओ) 1985 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित की जाती है। विभिन्न उर्वरकों की विशिष्टियां एफसीओ, 1985 की अनुसूची में दी गई हैं। यह आदेश उन उर्वरकों के उत्पादन और बिक्री का निषेध करता है जो निर्धारित मानक के नहीं होते हैं।

गुणवत्ता का निरीक्षण करना एक सतत प्रक्रिया है। उर्वरकों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए भारत सरकार की चार प्रयोगशालाओं नामत: केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद और बम्बई कल्याणी तथा चेन्नै स्थित तीन क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं सहित देश में 68 उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला है। राज्य सरकार प्रवतर्न एजेंसियां हैं और उर्वरकों की गुणवत्ता के उल्लंघन, यदि कोई हो, सहित एफसीओ, 1985 में निहित प्रावधानों के अनुसार चूककर्ता के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए उन्हें पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं।

हाल ही में भारत सरकार के उर्वरक विभाग को अवमानक उर्वरकों के उत्पादन की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी काम्पलेक्स की स्थापना

2944. डा. एम. जगन्नाथ : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने कुछ निजी कंपनियों के साथ साझेदारी के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में पेट्रोलियम रिफाइनरी काम्पलेक्स की स्थापना करने हेतु एक समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त परियोजना हेतु अपनी स्वीकृति दे दी है;

(घ) इस परियोजना हेतु कुल कितना निवेश अपेक्षित है; और

(ङ) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (ङ) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में विशाखापटनम में एक शोधन एवं पेट्रोरसायन परिसर की स्थापना हेतु व्यवहार्यता अध्ययन और मूल्यांकन के लिए मैसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड, आयल इंडिया लिमिटेड, मित्तल एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लिमिटेड और टोटल फ्रांस एस.ए. के साथ एक वचनबद्धता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके लागत अनुमान, पूर्णता कार्यक्रम तथा अपेक्षित अनुमोदन इस व्यवहार्यता अध्ययन पर आधारित होंगे।

इस्पात का उत्पादन

2945. श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आनुक्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में इस्पात का वास्तविक उत्पादन निर्धारित लक्ष्यों से काफी कम रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चीन इस्पात उत्पादन करीब 460 एमटी के स्तर तक पहुंच गया है जबकि भारत अभी भी 45 एमटी के स्तर पर संघर्ष कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की राज्य सरकारों ने पिछले दो वर्षों में अपने राज्यों में इस्पात संयंत्रों की स्थापना हेतु उद्यमियों के साथ काफी संख्या में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं तथा कच्चा माल अर्थात लौह अयस्क ब्लाकों की अनुपलब्धता की वजह से किसी ने भी मूर्त रूप नहीं दिया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) और (ख) जी, नहीं। पंचवर्षीय योजनाओं में इस्पात उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 2006 में चीन और भारत में अपरिष्कृत इस्पात का उत्पादन क्रमश: 423 एमटी तथा 49 एमटी था। अवसंरचना विकास में तेजी से हुई बढ़ोतरी और उत्पादन के लिए घरेलू क्षमता तथा इस्पात की मांग में सुदृढ़ और अनवरत बढ़ोतरी, सकल घरेलू उत्पाद की अच्छी वृद्धि दर, लौह-अयस्क संसाधन की उपलब्धता, कम साख वाले धातुकर्मीय कोयले का बहुत अच्छा भंडार और सरकारी बैंकिंग क्षेत्र द्वारा उपलब्ध करवाई गई सस्ती पूंजीगत निधियों से चीन में इस्पात के उत्पादन में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ सकल घरेलू उत्पाद में संतुलित वृद्धि, कम निवेश दर, कम मांग और सस्ती साख की सीमित उपलब्धता के चलते लौह-अयस्क तथा कोयले के संसाधन होने के बावजूद भारतीय इस्पात उद्योग चीनी इस्पात उद्योग से पीछे है।

(ङ) और (च) पिछले 2 वर्षों में झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्य सरकारों ने अपने राज्य में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए उद्यमियों के साथ बड़ी संख्या में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

(छ) वर्ष 1992 में इस्पात उद्योग को नियंत्रणमुक्त किए जाने के बाद इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस अपेक्षित नहीं है। इस्पात संयंत्र की स्थापना में सरकार प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करती है। तथापि, सरकार सुविधाप्रदाता की भूमिका अदा करती है और इस्पात उद्योग की विकास की गति को बढ़ाने के लिए नीतिपरक पहलों के जरिए अनुकूल माहौल उपलब्ध करवाती है।

अमोनियम सल्फेट का उत्पादन

2946. श्री पी.सी. थामस : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कुछ उर्वरक कंपनियों द्वारा अमोनियम सल्फेट का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान अमोनियम सल्फेट के उत्पादन का इकाई-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अमोनियम सल्फेट के उत्पादन की इकाई-वार लागत क्या है;

(घ) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी) और देश में सरकारी क्षेत्र की अन्य उर्वरक कंपनियों द्वारा उत्पादित किए जा रहे प्रत्येक महत्वपूर्ण उत्पाद की उत्पादन लागत का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ङ) एफएसीटी में उत्पादन लागत अत्यधिक होने के क्या कारण हैं; और

(च) एफएससीटी में महत्वपूर्ण उत्पादों की उत्पादन लागत कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय इन्डिक) : (क) जी हां। अमोनियम सल्फेट का उत्पादन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावनकोर लि. (फैक्ट) द्वारा किया जाता है, जो एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। अमोनियम सल्फेट का दूसरा उत्पादक गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लि. (जीएसएफसी) है, जिसमें गुजरात राज्य सरकार की 38.4% शेयरधारिता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान फैक्ट द्वारा उत्पादित अमोनियम सल्फेट का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन
2004-05	200564 मी.टन
2005-06	172986 मी.टन
2006-07	183490 मी.टन

(ग) फैक्ट द्वारा उत्पादित अमोनियम सल्फेट की प्रति मी.टन उत्पादन लागत लगभग 9100/- रुपए है।

(घ) फैक्ट में मुख्य रूप से फैक्टमफॉस 20:20 (एनपीकेएस: 20:20:0:13) और अमोनियम सल्फेट का उत्पादन किया जा रहा है जो उर्वरक हैं और कैप्रोलैक्टम एक औद्योगिक रसायन है। देश में इनका उत्पादन करने वाला कोई दूसरा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। तथापि, जीएसएफसी भी अमोनियम सल्फेट और कप्रोलैक्टम का उत्पादन करता है।

फैक्ट द्वारा उत्पादित अमोनियम सल्फेट की प्रति मी.टन उत्पादन लागत लगभग 9100/- रुपए, फैक्टमफॉस की लागत लगभग 12400/- रुपए और कैप्रोलैक्टम की लागत लगभग 1.03 लाख रुपए है। जीएसएफसी द्वारा उत्पादित अमोनियम सल्फेट की प्रति मी.टम उत्पादन लागत लगभग 7500/- रुपए और कप्रोलैक्टम की लागत लगभग 86000/- रुपए है।

(ङ) और (च) फैक्ट में उत्पादन की अधिक लागत का कारण फीडस्टॉक के रूप में नेफ्था जैसे महंगे आदानों का उपयोग में लाया जाना है जो कि प्राकृतिक गैस से पांच गुना महंगा है और क्योंकि कोचीन में प्राकृतिक गैस उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, विगत कुछ महीनों में सल्फर और रॉक फॉस्फेट जैसे दूसरे कच्चे मालों की आदान लागतों में काफी वृद्धि हुई है।

उत्पादन लागत को कम करने के लिए फैक्ट ने अपने उद्योगमण्डल प्रभाग स्थित अमोनिया संयंत्र में लो लोड ऑपरेशन की एक योजना कार्यान्वित की है जहां केवल संश्लेषण गैस का उत्पादन किया जा

रहा है जो कैप्रोलैक्टम संयंत्र के लिए आवश्यक होती है और इसके अलावा जब कभी आयातित अमोनिया किफायती रूप से उपलब्ध होता है तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है।

बिना चौकीदार वाले समपारों को बंद किया जाना

2947. श्री ए. साई प्रताप : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में राज्य-वार बिना चौकीदार वाले कितने समपारों को बंद करने हेतु पहचान की गई है; और

(ख) वर्ष 2007 के दौरान अब तक कितने समपारों को बंद किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) समपारों, जिन्हें बंद किया जाना है, के लिए चिन्हित समपारों और बंद किए गए समपारों की जोन-वार (विवरण जोन-वार रखे जाते हैं न कि राज्य-वार) संख्या निम्न है:-

क्र. सं. सं.	जोन	बंद किए जाने के लिए निर्धारित बिना चौकीदार वाले समपारों की संख्या	वर्ष 2007 में अभी तक बंद किए गए बिना चौकीदार वाले समपारों की संख्या
1	2	3	4
1.	मध्य	16	22
2.	पूर्व	45	00
3.	पूर्व मध्य	38	08
4.	पूर्व तट	98	01
5.	उत्तर	40	06
6.	पूर्वोत्तर	88	16
7.	पूर्वोत्तर सीमा	22	00
8.	उत्तर मध्य	45	00
9.	उत्तर पश्चिम	288	33
10.	दक्षिण	15	00
11.	दक्षिण मध्य	72	08
12.	दक्षिण पूर्व	19	00
13.	दक्षिण पूर्व मध्य	54	00
14.	दक्षिण पश्चिम	190	02
15.	पश्चिम	183	12
16.	पश्चिम मध्य	72	05
	कुल	1,285	113

विमान यात्रियों से सघनता प्रभार (कन्जेशन चार्जेज)

2948. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान कंपनियां विमान यात्रियों से (कन्जेशन चार्जेज) वसूल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। कुछ एयरलाइनें भीड़-भाड़ शुल्क वसूल कर रही हैं। तथापि, घरेलू विमान किराए सरकार द्वारा विनियमित नहीं किए जाते। घरेलू एयरलाइनें अपने वाणिज्यिक विवेक पर विमान किराया लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) हवाई अड्डो पर आधार संरचना और हवाई क्षेत्र प्रबंधन में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे भीड़-भीड़ की घटनाएं स्वयं ही धीरे-धीरे कम हो जाएं। अन्य बातों के साथ-साथ इसमें रन-वे का निर्माण, विमानों को पार्क करने के लिए और एप्रन

क्षेत्र, यातायात नियंत्रकों इत्यादि की संख्या में वृद्धि करना शामिल है।

पेट्रोलियम उत्पादों/प्राकृतिक गैस की मांग

2949. श्री के.एस. राव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की खपत कितना रही;

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इनकी अनुमानित मांग कितनी हो जाएगी;

(ग) उक्त अवधि हेतु कितना आयात और कितने घरेलू उत्पादन की रूपरेखा तैयार की गयी है;

(घ) क्या सरकार का विचार तेल और प्राकृतिक गैस के अबाधित आयात के जरिए से देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सीमा पार गैस पाइपलाइन का निर्माण सुनिश्चित करने हेतु एक नई नीति तैयार करने और दिशानिर्देश देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) पेट्रोलियम उत्पादों (पीओएल) और प्राकृतिक गैस की खपत:

मद	इकाई	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*
पीओएल**	टीएमटी	104126	107751	111634	113213	119845
एनजी	एमएमएससीएम	29963	30906	30775	31325	30791
आर-एलएनजी	एमएमएससीएम	शून्य	शून्य	3189	6454	8585

टीएमटी: हजार मीट्रिक टन एमएमएससीएम: मिलियन मानक घन मीटर

आर-एलएनजी: पुनःगैसीकृत एलएनजी

*अनन्तिम

**निजी आयातों के माध्यम से खपत शामिल है।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना (2011-12) के अंत तक पीओएल और गैस के लिए अनुमानित मांग नीचे दी गई है:

1.	पीओएल खपत	(हजार मीट्रिक टन)
	बेस मामला	131767
	अपर मामला	141793
2.	गैस की मांग:	279.43 एमएमएससीएम

(ग) 10वीं योजना अवधि के लिए आयात और घरेलू उत्पाद नीचे दिए गए हैं

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
	1	2	3	4	5
घरेलू					
पीओएल*	33.043	33.373	33.980	32.191	33.98
एलएनजी**	86	87.3	87	88.2	86
आयात					
पीओएल	81.989	90.434	95.861	99.409	111.502

	1	2	3	4	5
एलएनजी	शून्य	शून्य	3274	6575	8987

*आंकड़े टीएमटी में

**आंकड़े एमएमएससीएम में

(घ) और (ङ) देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ईरान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइपलाइन परियोजना और तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान पाइपलाइन परियोजना के लिए सक्रियता से प्रयासरत है। तेल क्षेत्र में भारत निम्नलिखित कदम उठा रहा है:

1. नई अन्वेषण लाईसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के विभिन्न दौरों के अधीन प्रस्तुति हेतु अन्वेषण के लिए अधिक से अधिक क्षेत्र तैयार करना।

2. खोजे गए भंडारों का शीघ्रतर विकास करना ताकि उत्पादन आरंभ किया जा सके।

3. विद्यमान क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्प्रेरण तकनीकों का उपयोग करना।

4. विद्यमान क्षेत्रों से प्राप्ति घटक को बढ़ाने के लिए वर्धित तेल प्राप्ति (ईओआर)/उन्नत तेल प्राप्ति (आईओआर) तकनीकों का उपयोग करना।

5. पुराने क्षेत्रों में उत्पादन में आई गिरावट को रोकना।

6. विदेशों में अन्वेषण रकबे और तेल उत्पादन संपत्तियों का अर्जन करना ताकि तेल इक्विटी देश में लाई जा सके।

7. ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत जैसे बायो डीजल, एथेनोल आदि का उपयोग करके तेल का प्रतिस्थापन करना।

8. क्रूड के प्रापण के लिए स्रोतों का विविधीकरण। तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) अब सावधि संविदा आधार पर अथवा तत्स्थान खरीद के माध्यम से लगभग 25 देशों के कच्चे तेल का आयात कर रही हैं।

9. सरकार ने तीन स्थानों अर्थात विशाखापट्टनम, मंगलौर और पाडूर में अल्पकालीन आपूर्ति बाधाओं, प्राकृतिक आपदाओं आदि के कारण उत्पन्न होने वाली अनपेक्षित स्थितियों से निपटने के लिए एमएमटी क्षमता के कच्चे तेल के कार्यनीतिक भंडार का निर्माण करने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ से इस्पात का उत्पादन

2950. श्री अजीत जोगी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले पांच वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ में इस्पात का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित लौह अयस्क उपलब्ध कराने हेतु सरकार की नीति क्या है;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के भिलाई इस्पात संयंत्र ने वर्ष 2011-2012 तक 7 मिलियन टन अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन की योजना बनाई है। सरकार ने निजी इस्पात संयंत्रों के लिए कोई उत्पादन लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं।

(ख) लौह-अयस्क खानों के आबंटन के लिए सरकार की मौजूदा नीति खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 35 के साथ पठित खान खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 द्वारा नियंत्रित होती है।

(ग) खान मंत्रालय, भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के कांकेर/नारायणपुर जिलों में रावघाट के पूरे डिपोजिट-एफ को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए आरक्षित कर दिया है।

(घ) सेल ने, रावघाट लौह-अयस्क खानों के लिए पर्यावरण एवं वन संबंधी मंजूरियों के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं।

[अनुवाद]

पैसेंजर ट्रेन सेवा का दुरूपयोग

2951. **श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत डोरनाकल पैसेंजर ट्रेन तथा ककातिया पैसेंजर ट्रेन का उपयोग वेश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सी आई बी एस, लेह को समविश्वविद्यालय का दर्जा

2952. **श्री छेवांग थुपस्तन** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू एवं कश्मीर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज (सी आई बी एस) छेगलाविसार, लेह, लद्दाख को समविश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की स्थिति क्या है;

(ग) क्या यह संस्थान समविश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने हेतु सभी आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा करता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू जी सी) के मानदण्डों के अनुसार, किसी संस्थान को समविश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने पर विचार करने हेतु उसमें कम से कम 5 शिक्षण विभागों में कम से कम 1 प्रोफेसर, 2 रीडर तथा पर्याप्त संख्या में लेक्चरार का मुख्य शैक्षिक स्टाफ होना चाहिए। इस समय इस संस्थान में अपेक्षित शैक्षिक स्टाफ नहीं है।

शारीरिक रूप से निःशक्त यात्रियों को छूट

2953. **श्री अनवर हुसैन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की विमान कंपनियां शारीरिक रूप से निःशक्त यात्रियों को किराए में छूट दे रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) नेशनल एविएशन कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड घरेलू सेक्टर पर, सामान्य इकॉनामी क्लास के किरायों पर, केवल शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को ही छूट दे रही है। जो व्यक्ति 80% अथवा अधिक मात्रा में लोको मोटर नाम की विकलांगता के शिकार है उन्हें, चीफ मेडीकल ऑफिसर से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर 50% की छूट दी जाएगी। नेत्रहीन व्यक्तियों को घरेलू यात्रा के लिए मूल किराए में 55% की छूट, प्रदान की जाएगी।

हुबली और बंगलौर के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का पुनर्नामकरण

2954. **श्री प्रह्लाद जोशी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे को हुबली-धारवाड के आम लोगों से हुबली-बंगलौर के बीच चलने वाली एक्सप्रेस रेलगाड़ियों अथवा पैसेंजर रेलगाड़ियों में से किसी एक रेलगाड़ी का नामकरण प्रसिद्ध संत श्री सिद्धारूढ़ के नाम पर करने के लिए कोई विशेष अपीलें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) मौजूदा नीति के अनुसार, गाड़ियों का नामकरण व्यक्तियों,

देवी-देवताओं अथवा धार्मिक बोध देने वाली शब्दावलियों के आधार परं नहीं किया जाता है। अत: संत श्री सिद्धारूढ नाम के बारे में विचार नहीं किया जा सकता।

अल्पाहार पर व्यय

2955. डा. एच.टी. संगलिआना : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों दोनों पर विभिन्न एयरलाइंस द्वारा उड़ान के समय अल्पाहार पर कितना व्यय किया गया;

(ख) क्या सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता मानदण्ड समान हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो एक समान गुणवत्ता एवं मात्रा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) नेशनल एविएशन कम्पनी ऑफ इंडिया (नैसिल) द्वारा गत तीन वर्षों के लिए विमान यात्रियों (एअर इंडिया एवं इंडियन एयरलाइंस) के लिए परोसे गए भोजन पर किया गया खर्च निम्नानुसार है:-

वर्ष	राशि (रु. करोड़ में)
2004-05	393.73
2005-06	409.23
2006-07	445.75

(ख) जी, हां। नैसिल द्वारा विमान में रखे गए भोजन की क्वालिटी हमेशा ऊंचे स्तर की रही है और इसे कायम रखा गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे के लिए चीन से वित्तीय सहायता

2956. श्री एम.वी. वीरेन्द्र कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्नयन के लिए किन परियोजनाओं का चयन किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हॉस्पिटैलिटी संस्थान

2957. डा. के.एस. मनोज : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न राज्यों में हॉस्पिटैलिटी संस्थान की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पहले ही 21 केन्द्रीय और पांच राज्य होटल प्रबंध संस्थानों की स्थापना की जा चुकी है। 6 और राज्य होटल प्रबंध संस्थानों को पहले ही संस्वीकृति दी जा चुकी है और वे कुरूक्षेत्र, जमशेदपुर, रायपुर, सिलवासा, कोजीकोड और आइजवाल में समापन के विभिन्न चरणों पर है।

जलगांव तथा उधाना रेलवे लाइन का दोहरीकरण

2958. श्री वसंतराव मोरे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम रेलवे के जलगांव-सूरत लाइन पर जलगांव, उधाना के ट्रैक के दोहरीकरण का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त कार्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) इस सरेखण पर, सूरत और उधाना खंड के बीच पहले से ही दोहरी

बड़ी लाइन मौजूद है। इसके अतिरिक्त, विद्युतीकरण के साथ-साथ उधाना-जलगांव के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है, जिसके अनुसार 306.93 कि.मी. लंबी लाइन के विद्युतीकरण के साथ-साथ दोहरीकरण की लागत 13.71%की प्रतिफल की दर के साथ 714.60 करोड़ रुपये आकलित की गई है। सरकार से अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव पर कार्रवाई की गई है। अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त होने पर ही कार्य शुरू किया जाएगा।

[हिन्दी]

डिब्बों में धूम्रपान

2959. श्री रशीद मसूद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश रेलगाड़ियों के डिब्बों में धूम्रपान किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप अन्य यात्रियों को असुविधा होती है;

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या इसे रोकने के लिए टीटी, जीआरपी तथा आरपीएफ को और अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) गाड़ियों में यात्रियों द्वारा धूम्रपान किए जाने के कुछ मामले नोटिस में आए हैं।

(ख) रेल अधिनियम, 1989 तथा सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापनों का निषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, सप्लाई तथा वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003 के तहत गाड़ियों तथा रेल परिसरों में धूम्रपान एक दंडनीय अपराध है। रेलों पर उपलब्ध विभिन्न मीडिया तथा स्टेशनों और सवारी डिब्बों के अंदर प्रमुख स्थलों पर नोटिस प्रदर्शित करके जनता को धूम्रपान न करने के लिए जागरूक किया जाता है।

(ग) और (घ) टिकट जांच एजेंसियां अर्थात् वाणिज्यिक, परिचालन, सतर्कता तथा सुरक्षा कर्मचारियों को पहले से ही दोषियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं।

[अनुवाद]

वीजेएनटी, ओबीसी के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

2960. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक विमुक्त जाति अधिसूचित जनजातियों (वीजेएनटी), अन्य पिछड़ी जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान छात्रवृत्ति योजना के लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा राज्य सरकार द्वारा मांगी जाने वाली वास्तविक राशि कितनी थी;

(ग) क्या यह सत्य है कि जारी किए जाने के लिए एक बड़ी राशि अभी भी केन्द्र सरकार के पास लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो लंबित राशि राज्य सरकार को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) भारत सरकार की विमुक्त जाति अधिसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की कोई अलग योजना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

निःशक्त व्यक्तियों के लिए रिक्तियों का सृजन

2961. श्री अनंत कुमार : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के लिए सरकारी संस्थाओं तथा सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं में कितनी रिक्तियों का सृजन किया गया;

(ख) अभी तक कितनी रिक्तियों को भरा गया है; और

(ग) निःशक्त व्यक्तियों को अन्य क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) विद्यमान प्रावधानों के अनुसार नि:शक्त व्यक्तियों को चिन्हित पदों की रिक्तियों में 3% आरक्षण दिया जाता है। 2005 के दौरान 47 मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार सीधी भर्ती के 5600 पदों को भरा गया जिनमें से 389 पद नि:शक्त व्यक्तियों को प्रदान किए गए। यह कुल भर्ती का 6.94% है।

(ग) माननीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2007-08 के दौरान नि:शक्त व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने की योजना घोषित की है।

पर्यटन का विकास

2962. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका महत्वपूर्ण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए विशेषकर विकासशील देशों में पर्यटन के लिए पर्यावरणीय शर्त के उपयोग को प्रोत्साहित किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) भारत को परिस्थितिकीय तथा सामाजिक रूप से संवेदनशील पर्यटन गंतव्य बनाने के लिए पर्यटन के सतत् विकास को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) भारत के लिए टूरिज्म सेटेलाइट एकाउंट के अनुसार, पर्यटन ने वर्ष 2002-03 के दौरान, देश में कुल सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 5.83% और कुल रोजगार के 8.27% का योगदान दिया।

(ग) और (घ) जी, नहीं। कार्टागेना डी इंडियाज में 29 नवम्बर, 2007 को आयोजित संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) की महासभा के 'टूरिज्म एंड क्लाइमेट चेंज' के विषय पर सत्र में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि विकासशील देशों और विशेष रूप से पर्यटक सृजक बाजारों से लम्बी दूरी पर स्थित उन विकसित देशों के विरूद्ध, उनके आर्थिक विकास में बाधाएं डालकर कोई भेदभाव न किया जाए।

(ङ) पर्यटन मंत्रालय, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, गंतव्यों और परिपथों के उत्पाद/अवसंरचना विकास की योजना के अंतर्गत, ईको पर्यटन एवं ग्रामीण पर्यटन स्थलों सहित, पर्यटक परिपथों/गंतव्यों के विकास हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

नियंत्रण-मुक्त उर्वरकों की बिक्री पर रियायत योजना

2963. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नियंत्रण-मुक्त फॉस्फेटी एवं पोटाशीय उर्वरकों की बिक्री पर रियायत योजना का विस्तार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों को 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक रियायत योजना में शामिल किया है। विगत की भांति उत्पादकों/आयातकों को डीएपी, एनपीके मिश्रणों, एमओपी और एमएपी की बिक्री पर रियायत का भुगतान टैरिफ आयोग द्वारा संस्तुत प्रणाली के अनुसार किया जाएगा। एसएसपी पर रियायत तदर्थ आधार पर दी जाती है और भाड़े की वजह से लागत में वृद्धि होने के कारण 150 रुपए प्रति मी.टन अतिरिक्त अंतर्देशीय मालभाड़े की घोषणा भी की गई है। डीएपी, एनपीके मिश्रणों और एमओपी के भाड़े में भी वृद्धि की गई है। देशी डीएपी समूह-1, जिसपर पहले समूह-2 को देय रियायत के अंतर्गत प्रतिबंध लगा दिया गया था, पर दी जाने वाली रियायत पर 1 अप्रैल, 2007 से प्रतिबंध हटा लिया गया है ताकि डीएपी समूह-1 उद्योग को रॉक फॉस्फेट और सल्फर जैसे कच्चे माल की लागत में होने वाली वृद्धि का पूरा मुआवजा मिल सके।

[हिन्दी]

जोनल कार्यालयों की स्थापना

2964. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री संजय धोत्रे :
श्री बापू हरी चौरे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मंडलों तथा रेलवे बोर्ड के कार्यकरण के बीच समन्वय में सुधार लाने के लिए चार जोनल कार्यालयों की स्थापना की योजना पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस्ट कोस्ट ऑफ रेलवे के संचालन में सहायता करने वाले जोनल कार्यालयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यात्री सुविधाओं की गुणवत्ता तथा माल के परिवहन में किस हद तक सुधार होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कम लागत वाली घरेलू विमान कंपनियों के मार्ग

2965. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा संचालित कम लागत वाली घरेलू विमान कंपनी एअर इंडिया एक्सप्रेस का संचालन आरंभ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन मार्गों पर संचालन शुरू किया गया हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) एअर इंडिया एक्सप्रेस घरेलू सैक्टरों पर इस समय प्रति सप्ताह निम्नानुसार 22 फ्लाइटें प्रचालित कर रही है :-

मुम्बई-कोझिक्कोड	–	3 उड़ानें
मुम्बई-कोच्चि	–	3 उड़ानें
मुम्बई-चेन्नै	–	3 उड़ानें
मुम्बई-दिल्ली	–	1 उड़ानें
मुम्बई-नागपुर	–	3 उड़ानें
दिल्ली-जयपुर	–	3 उड़ानें
दिल्ली-लखनऊ	–	3 उड़ानें
चेन्नै-त्रिची	–	3 उड़ानें

[हिन्दी]

भिवाड़ी-दिल्ली-अहमदाबाद रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करना

2966. श्री सुभाष महरिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिवाड़ी-दिल्ली-अहमदाबाद के क्षेत्रों के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इन्हें बड़ी लाइन से जोड़ना महत्वपूर्ण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने राज्य सरकारों से परियोजना की लागत का वहन स्वयं करने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे इस परियोजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे स्वीकृति प्रदान कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (च) रेवाड़ी-भिवाड़ी के बीच एक नई बड़ी आमान लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण 2003-04 में लागत पूरा किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट

के अनुसार, 24.87 कि.मी. लंबी लाइन के निर्माण (–) 8.56% के प्रतिफल की दर सहित 105.04 करोड़ रुपये आंकी गई थी। राजस्थान की राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना और निर्यात और सहायक गतिविधियों के लिए अवसंरचना विकास हेतु राज्य को सहायता के अंतर्गत इस योजना को शुरू करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की थी। परियोजना की लागत वहन करने के लिए यह मामला राज्य सरकार को भेज दिया गया। लेकिन इस संबंध में कोई सकारात्मक प्रत्युत्तर नहीं मिला। इसको देखते हुए, प्रस्तावित नई लाइन के अलाभप्रद स्वरूप और संसाधनों की तंगी के कारण इसको शुरू नहीं किया गया।

जी.आर.पी. (रेलवे पुलिस) पर उपगत व्यय

2967. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे जी.आर.पी. (रेलवे पुलिस) पर होने वाले व्यय के 50 प्रतिशत भाग का अंशदान करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या अभी भी मध्य प्रदेश को मार्च 2005 की स्थिति के अनुसार वसूली के लिए लंबित 18,78,23,934/- रुपये का भुगतान करना है;

(ग) यदि हां, तो इस राशि का भुगतान नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसका भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दावा की गई बकाया राशि है। बहरहाल, रेलों पर इस संबंध में विवाद चल रहा है।

(ग) इस राशि का भुगतान न किए जाने के कारण निम्नानुसार हैं:-

(1) महालेखाकार का प्रमाण-पत्र प्राप्त न होना।

(2) रेल प्रशासन के अनुमोदन के बिना राजकीय रेलवे पुलिस के पदों का अत्यधिक परिचालन।

(3) महालेखाकार के प्रमाण-पत्र में बिल की राशि का कुछ हिस्सा शामिल नहीं किया गया।

(घ) मध्य प्रदेश की राजकीय रेलवे पुलिस के प्राधिकारियों को अपेक्षित कार्रवाई के लिए उपरोक्त स्थिति के बारे में सूचना दे दी गई है। राज्य सरकार से महालेखाकार के प्रमाण पत्र/अनुपूरक प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा राजकीय रेलवे पुलिस के पदों के अत्यधिक परिचालन के लिए लंबित रखी गयी राशि रेल मंत्रालय से कार्योत्तर मंजूरी प्राप्त होने के बाद ही रिलीज की जाएगी।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सौदे प्राप्त करने के लिए संस्थागत तंत्र की स्थापना

2968. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सौदे प्राप्त करने के लिए विदेश मंत्रालय तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच समन्वय में सुधार के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीन लैटिन अमेरिका तथा अफ्रीका के बाजारों का जोर-शोर से दोहन कर रहा है तथा म्यांमार के गैस ब्लाकों की बोली में चीन से पिछड़ने के बाद क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सौदों को हासिल करने के लिए सरकारी एवं निजी कंपनियों की सहायता करने हेतु संगठित एवं समन्वित प्रयास करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय कंपनियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सौदे प्राप्त करने में प्रस्तावित तंत्र किस हद तक सहायक होगा।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (घ) विदेश मंत्रालय और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच विदेश में उच्च मूल्य के इक्विटी तेल पणों के अर्जन के लिए संस्थागत व्यवस्था अंतरमंत्रालयीन परामर्शों के रूप में और सचिवों की शक्तिप्रदत्त समिति (ईसीएस) के माध्यम से है।

300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के वित्तीय निर्णयों से संबंधित परियोजना के संबंध में विचार करने और आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) को सीधे सिफारिश करने के लिए ईसीएस का गठन निम्नानुसार है:

सचिव (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस)	—	अध्यक्ष
सचिव (वित्त)	—	सदस्य
सचिव (विदेश मंत्रालय)	—	सदस्य
सचिव (विधि)	—	सदस्य
सचिव (लोक उद्यम विभाग)	—	सदस्य
सचिव (योजना आयोग)	—	सदस्य

इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, व्यय विभाग, लोक उद्यम विभाग, योजना आयोग के प्रतिनिधियों को शामिल करके ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) की परियोजनाओं के लिए एक निगरानी समिति है।

लेटिन अमरीका, अफ्रीका और अन्य देशों में तेल और गैस ब्लाकों का अवार्ड किया जाना अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली पद्धति पर आधारित है। तदनुसार, भारतीय कंपनियां संभाव्यता और वाणिज्यिक दृष्टिकोण के अपने आकलन के आधार बोली भेजती हैं। मौजूदा संस्थागत व्यवस्था से भारतीय कंपनियों द्वारा 20 से अधिक देशों में विदेशी इक्विटी तेल के अर्जन में सहायता मिली है।

वृद्धाश्रमों के लिए अनुदान

2969. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार वृद्धाश्रमों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में राज्यों के पक्ष में सहायता करती है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश को दिए जा रहे अनुदानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस संबंध में अनुदान सहायता में वृद्धि के लिए केन्द्र सरकार से संपर्क किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) मंत्रालय, सम्पूर्ण देश में वृद्धाश्रमों, दिवा देखभाल केन्द्रों और सचल चिकित्सा ईकाईयों को स्थापित करने और उनकी देखभाल के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान कर रहा है।

(ख) मध्य प्रदेश में वर्ष 2006-07 में वृद्धाश्रमों के संचालन के लिए 2,76,000 रुपए की राशि दी गई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बायो डीजल इकाइयां

2970. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की टीम ने तमिलनाडु में बायो डीजल उत्पादन इकाइयों का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार ने देश के सभी वाहनों में डीजल के साथ बायो डीजल का मिश्रण करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो देश में बायो-डीजल उत्पादन के लिए एक नोडल मंत्रालय है, ने सूचित किया है कि तमिलनाडु राज्य में विश्व बैंक दल के बायो डीजल उत्पादन इकाईयों के किसी दौरे का न तो उसने समन्वय किया है और न ही उसमें शामिल रहा है।

(ग) और (घ) बायो डीजल के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिनांक 1.1.2006 से बायो डीजल खरीद नीति की घोषणा की है। नीति के अनुसार, तेल विपणन

कंपनियां देश भर में चिन्हित 20 खरीद केन्द्रों पर 5% की सीमा तक हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) के साथ मिश्रण के लिए बायो डीजल खरीदेंगी। ओएमसीज ने ऐसी बसों और डीजल इंजनों पर क्षेत्र परीक्षण किए हैं जो बायो डीजल मिश्रित डीजल पर चल रहे थे।

कर्नाटक में आर.ओ.बी./आर.यू.बी.

2971. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में विशेषकर दावनगीर में अशोक थिएटर के नजदीक रोड अंडर ब्रिज (आर.यू.बी.) सहित कर्नाटक राज्य में निर्माणाधीन आर.ओ.बी./आर.यू.बी. परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक आरंभ एवं पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) 2008-09 के आगामी निर्माण कार्यक्रम में शामिल किए जाने के लिए राज्य सरकार से ऊपरी/निचले सड़क पुलों के 62 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक से केवल दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, एक गडग जंक्शन-बेलारी जंक्शन के समपार सं. 62, 64 एवं 66 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल तथा दूसरा सोमनहल्ली रेलवे गेट के निकट निचले सड़क पुल के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। दावननगेरे में अशोक थिएटर में ऊपरी सड़क पुल के लिए राज्य सरकार से कोई पुष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल, वहां पर समपार सं. 199 के स्थान पर निचले सड़क पुल की पहले से ही व्यवस्था की गई है लेकिन राज्य सरकार के अनुरोध पर समपार बंद नहीं किया गया था।

(ख) और (ग) प्रस्तावों की जांच की जा रही है और व्यावहारिक पाए जाने पर इन्हें 2008-09 के आगामी रेल बजट में शामिल किया जाएगा। स्वीकृत किए जाने पर निर्माण संबंधी आगे कार्रवाई की जाएगी।

अल्पसंख्यकों के लिए नौकरियों में आरक्षण

2972. श्री जी. करूणाकर रेड्डी : क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जाति/धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों के लिए नौकरियों में आरक्षण शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (ए. आर. अंतुले) : (क) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में अनिवार्य सुरक्षा जांच

2973. श्री राजनरायन बुधौलिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे रेलगाड़ियों के सामान्य डिब्बों में अनिवार्य रूप से सुरक्षा जांच करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलगाड़ियों में यात्रियों को लूटे जाने की घटनाएं

2974. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को यात्रियों को जहरीली वस्तुएं देकर उन्हें लूटे जाने की घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान हुई ऐसी घटनाओं का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(घ) क्या रेलवे ने ऐसे अपराधों से निपटने के लिए राज्य सरकारों से भी सहायता की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय रेल में वर्ष 2004, 2005, 2006 और 2007 (सितंबर तक) के दौरान गाड़ियों में जहर खुरानी अर्थात् नशीले पदार्थों के खिलाने से संबंधित दर्ज मामलों की संख्या को दर्शानेवाला रेलवे वार विवरण इस प्रकार है:-

रेलवे	दर्ज किए गए मामलों की संख्या			
	2004	2005	2006	2007 (सितंबर तक)
1	2	3	4	5
मध्य	106	45	56	59
पूर्व	–	23	51	23
पूर्व मध्य	39	24	49	17
पूर्व तट	10	6	11	19
उत्तर	90	60	47	52
उत्तर मध्य	55	42	24	35
पूर्वोत्तर	13	6	7	41
पूर्वोत्तर सीमा	32	37	46	58
उत्तर पश्चिम	–	–	–	–
दक्षिण	16	28	17	20
दक्षिण मध्य	25	37	72	28
दक्षिण पूर्व	62	81	77	71
दक्षिण पूर्व मध्य	4	6	7	7
दक्षिण पश्चिम	2	5	5	13
पश्चिम	54	29	28	40
पश्चिम मध्य	53	10	10	8
कुल	561	439	507	491

(ग) गाड़ियों में नशीले पदार्थों के खिलाने से संबंधित घटनाओं की रोकथाम के लिए निम्नलिखित निवारक उपाय किए जा रहे हैं:-

1. गाड़ियों, प्लेटफार्मों और यात्री परिसरों में नशीले पदार्थों के खिलाने से संबंधित कदाचारों में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध अभियान चलाने के लिए सभी थाना इंचार्जों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

2. प्रभावित स्टेशनों/खण्डों में चलने वाली गाड़ियों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए गाड़ी मार्गरक्षक दलों को सचेत किया जा रहा है।

3. आपराधिक आसूचना को इकट्ठा करने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस/सिटी पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके बदमाशों को पकड़ने के लिए सभी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं।

4. गाड़ियों के सामान्य सवारी डिब्बों में लाउड हेलरों का उपयोग करके और लाइन बंदोबस्त के दौरान गाड़ियों मे यात्रा करते समय अथवा प्लेटफार्मों पर अनधिकृत फेरीवालों अथवा अनजान व्यक्तियों से खाने की चीजों को न खरीदने/न लेने के लिए यात्रियों को सावधान करने के लिए जन उद्घोषणा प्रणाली द्वारा नियमित उद्घोषणा की जाती है।

5. यात्रा कर रहे यात्रियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए स्टेशनों के महत्वपूर्ण स्थानों और गाड़ियों में नशीले पदार्थों को खिलाने की घटनाओं के विरूद्ध चेतावनी को दर्शानेवाले पोस्टरों/पंफलेटों को परिपत्रित तथा चिपकाया जा रहा है।

6. स्थानीय पुलिस और राजकीय रेलवे पुलिस के साथ नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जा रही हैं ताकि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए आसूचना का बेहतर आदान-प्रदान किया जा सके और संयुक्त योजना तैयार की जा सके।

7. इस प्रकार की घटनाओं के मामले में दोषियों की पहचान करने के लिए सामान्य सवारी डिब्बों में चढ़ने के लिए पंक्ति में खड़े व्यक्तियों की वीडियोग्राफी की जा रही है।

8. नशीले पदार्थों को खिलाने में संलिप्त बदमाशों के डोजियर सभी थानों में परिपत्रित कर दिए गए हैं और मार्ग रक्षण दलों को भी मुहैया कराए गए है।

9. प्रभावित/संवेदनशील स्टेशनों और गाड़ियों की पहचान की जा रही है और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए चिन्हित गाड़ियों/स्टेशनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

महानिदेशक/रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलों पर नशीले पदार्थों के खिलाने जैसी घटनाओं को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त योजना तैयार करने के लिए विशेष दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। राजपत्रित अधिकारी, जिनके द्वारा नशीले पदार्थ खिलाने जैसे प्रत्येक मामले की विस्तार से जांच की जाएगी और सभी प्रकार के निवारक उपाय किए जाएंगे, की देखरेख में प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालय में ड्रगिंग निरोधक सेल का गठन किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) कानून एवं व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराधों की जांच करने के अधिकार पुलिस के पास हैं। अपराधों का पता लगाना और उनकी रोकथाम करना राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्व है। तद्नुसार जांच करने और अपराधी को दंडित करने के लिए नशीले पदार्थ खिलाने से संबंधित मामलें राजकीय रेलवे पुलिस को दर्ज कराए जाते हैं और इस प्रकार के अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए रेलवे को पूरी तरह उनपर निर्भर रहना पड़ता है। बहरहाल, रेलें गाड़ियों और यात्री परिसरों में दैनिक यात्रियों, महिलाओं और सामान्य यात्रियों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगभग 1400 गाड़ियों के मार्गरक्षण के लिए रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों को लगाकर और प्रश्न (ग) के उत्तर में उल्लिखित निवारक उपायों के द्वारा रेलों पर अपराध को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार की प्रयासों में सहायता पहुंचा रही हैं।

इस संबंध में राज्य प्राधिकारियों को जब भी आवश्यकता पड़ती है रेलवे प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है।

मृत पायलटों के आश्रितों को मुआवजा

2975. श्री अविनाश राय खन्ना : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दशक के दौरान कितनी विमान दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) उक्त विमान दुर्घटनाओं में कितने पायलटों की मृत्यु हुई;

(ग) क्या उन पायलटों के परिवार के सदस्यों को मुआवजा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो कितने परिवारों को मुआवजा दिया जा चुका है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) लंबित पड़े मुआवजे के मामलों का ब्यौरा क्या है तथा इन मामलों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) वर्ष 1997-2007 (आज तक) के दौरान भारतीय सिविल पंजीकृत विमान तथा हैलीकॉप्टरों में 54 दुर्घटनाएं हुई हैं।

(ख) उपर्युक्त दुर्घटनाओं के कारण 43 पायलटों व सहपायलटों की मृत्यु हो गई है।

(ग) से (च) क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, का भुगतान एयरलाइनों/निजी प्रचालकों द्वारा किया गया है।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों में अपराध

2976. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को देश में विशेषकर उपनगरीय रेलगाड़ियों में बढ़ते हुए अपराधों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो अपराधों को कम करने तथा अतिन्यून यात्री पुलिस अनुपात को बढ़ाने के लिए भी रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने सहयात्रियों के संरक्षण में पुलिस की सहायता के लिए नियमित यात्रियों से आग्रह किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा इसके परिणामस्वरूप क्या सकारात्मक परिणाम निकले;

(घ) क्या इस योजना को देश के सभी उपनगरीय क्षेत्रों में विस्तारित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2006 के दौरान उपनगरीय रेलगाड़ियों सहित भारतीय रेलवे पर यात्रियों के साथ अपराध के मामलों में कमी आई है।

(ख) से (ङ) भारतीय रेलवे पर अपराधों पर नियंत्रण के लिए 16.08.2007 से उपनगरीय खंडों सहित सभी क्षेत्रीय रेलों पर "रेसुब मित्र योजना" के नाम से एक योजना, जिसका उद्देश्य रेलवे सुरक्षा बल और ऐसे यात्रियों/जनता जिनकी किसी समय पर रेसुब द्वारा सहायता की गई थी, के बीच संपर्क और सूचना तंत्र को मजबूत करना है, शुरू की गई है। लाभार्थी यात्रियों की सूची तैयार की गई है और उनके साथ संपर्क साधा जा रहा है और जनता और रेल सुरक्षा बल के बीच दूरी कम करने के लिए विभिन्न स्तरों पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। विभिन्न स्थानों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पर्यटक स्थल

2977. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश में कतिपय पर्यटक स्थलों का विकास करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्रस्ताव प्रस्ताव हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा परियोजना/प्रस्ताव-वार कितनी वित्तीय सहायता दी गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) पर्यटन का विकास एवं संवर्धन मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, उनके साथ परामर्श और बातचीत से अभिनिर्धारित पर्यटल संबंधी परियोजनाओं के लिए गंतव्यों/परिपथों के उत्पाद/अवसंरचना विकास और भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं के लिए सहायता की योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सभी प्रकार से पूर्ण परियोजना प्रस्तावों का योजना के दिशा-निर्देशों और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण किया जाता है और संबंधित शीर्ष के अंतर्गत उपलब्धता की शर्त पर, निधियां जारी की जाती हैं।

चालू वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं को संस्वीकृति प्रदान की गई है:-

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	संस्वीकृत राशि
1.	जौनपुर का पर्यटक गंतव्य के रूप में विकास	440.10
2.	उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में बरसाना का विकास	319.37
3.	भागूवाला ग्राम में ग्रामीण पर्यटक	50.00
4.	उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में सिद्धेश्वर नाथ धाम का विकास और सौन्दर्यीकरण	141.96
	कुल	951.43

विकलांग व्यक्तियों हेतु परियोजनाओं संबंधी अभ्यावेदन

2978. **श्री अनंत गुढ़े** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकलांग व्यक्तियों से संबंधित परियोजनाओं के लिए सीधे ही विकलांग व्यक्तियों तथा सरकार, गैर-सरकारी संगठनों, जन प्रतिनिधियों के जरिए कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) इन अभ्यावेदनों में किन-किन मुख्य मुद्दों को उठाया गया है;

(ग) कितने अभ्यावेदनों को स्वीकार किया गया तथा कितने लंबित पड़े हैं एवं विलम्ब के कारण है;

(घ) क्या योजनाओं के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तथा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इन मामलों का निपटान करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ङ) मुख्य आयुक्त (नि:शक्तजन) के कार्यालय को अब तक कुल 14319 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, रोजगार, शिक्षा, सेवा मामलों, बाधा रहित वातावरण, छूट और रियायतें, नि:शक्तता प्रमाण-पत्र, नि:शक्तता पेंशन, सहायता सामग्री और उपकरण, उत्पीड़न आदि मुद्दे उठाए गए हैं। इनमें से, अक्तूबर, 2007 तक 13460 अभ्यावेदनों को निपटाया जा चुका है और 859 अभ्यावेदन कार्यवाही के भिन्न-भिन्न स्तरों पर है।

विद्यमान उपबंधों के अनुसार, एक शिकायत को; जहां तक संभव हो, तीन महीने की अवधि में निपटाना होता है।

[अनुवाद]

कंप्यूटरीकृत रेल टिकट काउंटर

2979. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने अपने कंप्यूटरीकृत रेल टिकट काउंटरों के नेटवर्क का देश में विस्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे काउंटरों का राज्य-वार तथा क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में अभी भी कतिपय रेलवे स्टेशनों का कंप्यूटरीकरण किया जाना बाकी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा विशेषकर महाराष्ट्र राज्य में उनका कंप्यूटरीकरण किए जाने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां। कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) जी हां। महाराष्ट्र राज्य में 138 कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, सभी भारतीय रेलों के लिए 1175 कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र, जिनमें महाराष्ट्र के लिए 71 केंद्र शामिल हैं, भी स्वीकृत हैं और इन्हें यथासमय परिचालित कर दिया जाएगा।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	स्थलों की सं.
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	121
2.	अरुणाचल प्रदेश	6
3.	असम	34
4.	बिहार	128
5.	छत्तीसगढ़	29
6.	दिल्ली	33
7.	गोवा	4
8.	गुजरात	63
9.	हरियाणा	24
10.	हिमाचल प्रदेश	17
11.	जम्मू एवं कश्मीर	23
12.	झारखंड	50
13.	कर्नाटक	58

1	2	3
14.	केरल	44
15.	मध्य प्रदेश	72
16.	महाराष्ट्र	138
17.	मणिपुर	1
18.	मेघालय	3
19.	मिजोरम	1
20.	नागालैंड	3
21.	उड़ीसा	49
22.	पंजाब	42
23.	राजस्थान	73
24.	सिक्किम	6
25.	तमिलनाडु	99
26.	त्रिपुरा	3
27.	उत्तर प्रदेश	162
28.	उत्तरांचल	27
29.	पश्चिम बंगाल	117

[हिन्दी]

इंटरनेट पर रेलवे टिकट बुक किया जाना

2980. डा. रामेश्वर उरांव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार इंटरनेट पर रेलवे टिकट बुक करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा इसके लिए अब तक क्या तंत्र बनाया गया है;

(ग) क्या रेलगाड़ियों में सभी श्रेणियों के लिए आरक्षण इंटरनेट पर उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे ने इंटरनेट तथा कंप्यूटर की कम उपलब्धता वाले ग्रामीण लोगों के हितों को ध्यान में रखा है; और

(ङ) यदि हां, तो उनके हितों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आई आर सी टी सी) के द्वारा आरक्षित तेल टिकटों की ऑन-लाइन बुकिंग अगस्त 2002 में पहले ही शुरू हो चुकी है। इच्छुक यात्री आई आर सी टी सी की साइट अर्थात् www.irctc.co.in. में पहुंचकर स्वयं को पंजीकृत करवाकर भारतीय रेलवे के कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पी आर एस) पर परिभाषित किसी भी श्रेणी के लिए और किसी भी गाड़ी के टिकट बुक करावा सकता है।

(घ) और (ङ) ग्रामीण लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक कंप्यूटरीकृत पी आर एस केंद्र और पी आर एस-सह-अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली (यू टी एस) केंद्र और डाकघरों में पी आर एस खोले जा रहे हैं।

[अनुवाद]

घरेलू एयरलाइनों द्वारा विदेशी नागरिकों की नियुक्ति

2981. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घरेलू एयरलाइनों द्वारा विदेशी नागरिकों की नियुक्ति किए जाने के संबंध में कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी नागरिकों की घरेलू एयरलाइनों में नियुक्ति से पूर्व उनकी सुरक्षा संबंधी अनापत्ति अनिवार्य है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) घरेलू एयरलाइनों में विभिन्न पदों पर अब तक नियुक्त किए गए विदेशी नागरिकों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस संबंध में एक नागर विमानन अपेक्षा, खंड 7, सीरीज जी, भाग-2 जारी किया है।

(ग) और (घ) जी, हां। उपरोक्त वर्णित सीएआर में यह व्यवस्था है कि संबंधित सरकारी एजेंसियों से सुरक्षा क्लीयरैंस, डीजीसीए द्वारा विदेशी लाइसेंसों की वैधता से पूर्व लेनी होती है।

(ङ) संबंधित एयरलाइनों द्वारा अपनी आवश्यकता के आधार पर विदेशी पायलटों की नियुक्ति की जाती है। अभी तक नागर विमानन महानिदेशालय ने 804 विदेशी पायलटों को स्वीकृति प्रदान की है। एयरलाइनवार इनका ब्यौरा है- इंडिगो-66, पेरामाउंट एयरवेज-21, ब्ल्यू डार्ट-10, स्पाइस जेट-42, एयर डक्कन-149, एलायंस एयर-20, गो-एयर-13, किंगफिशर एयरलाइंस-95, जेट एयरवेज-271 तथा एयर इंडिया-117।

[हिन्दी]

शीतकाल में पटरियों में टूट होने के कारण दुर्घटनाएं

2982. श्री राकेश सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने शीतकाल में पटरियों में टूट होने के कारण दुर्घटनाओं में वृद्धि के मद्देनजर भावी कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समस्या के समाधान के लिए कतिपय आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है/उपलब्ध हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जोड़ टूटने सहित पटरी में टूट-फूट के कारण परिणामी रेल दुर्घटनाओं की संख्या 2005-06 की तुलना में 2006-07 के दौरान घट गई है। पटरियों और जोड़ों को नियमित अंतराल पर पराश्रव्य दोष संसूचक द्वारा जांचा जाता है। सर्दियों में दुर्घटना को टालने के लिए आवश्यकतानुसार अग्रिम में ही दरारों की जांच के लिए पेट्रोलिंग भी की जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

असम में गैस का उत्पादन

2983. डा. अरूण कुमार शर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान असम में वार्षिक तौर पर कुल कितनी मात्रा में एसोशियटेड गैस का उत्पादन हुआ तथा कितनी मात्रा का हवा में ज्वलन हुआ और कितने मूल्य की गैस इस प्रकार हवा में ज्वलित हो गई;

(ख) सीएनजी/रसोई गैस और अन्य पेट्रोरसायन उत्पादों के उत्पादन सहित इस प्रकार की एसोशियटेड गैस का उपयोग करने की पद्धति क्या है;

(ग) भरी हुई गैस का वर्तमान में उपयोग का घटक-वार प्रतिशत कितना है;

(घ) इस राष्ट्रीय परिसंपत्ति के समुचित उपयोग के लिए सरकार की यदि कोई योजना है, तो वह क्या है और मंत्रालय द्वारा क्या निवेश प्रस्ताव किए गए हैं; ,और

(ङ) हवा में ज्वलित गैस से कितनी मात्रा में कार्बन का पर्यावरण में उत्सर्जन होता है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (ङ) गत तीन वर्षों के दौरान असम में उत्पादित, दहल की गई सहबद्ध गैस की कुल मात्रा तथा दहन की गई गैस का मूल्य इस प्रकार है-

	2004-05	2005-06	2006-07
गैस उत्पादन (एमएमएससीएम)	1735.46	1670.33	1688.42
दहन की गई गैस (एमएमएससीएम)	197.56	168.25	203.24
दहन की गई गैस का मूल्य (करोड़ रुपए)	35.6	41.43	52.6

प्राकृतिक गैस उपयोगिता पैटर्न एलपीजी निष्कर्षण, विद्युत उत्पादन, औद्योगिक ईंधन उर्वरक उपयोग, पेट्रोरसायन, चाय बागानों व अन्य उद्योगों में है। 0.65% ओएनजीसी द्वारा आंतरिक उपयोग के लिए है और गैस का बकाया भाग तकनीकी कारणों तथा कभी कभी खरीदारों द्वारा कम गैस उठाने के कारण दहन किया जा रहा है। जहां तक आयल इंडिया लिमिटेड की बात है, गैस का आंतरिक उपयोग उत्पादन का लगभग 17% है।

गैस के अधिकतम उपयोग के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें असम में सीधे विपणन के अंतर्गत असम गैस कंपनी लिमिटेड को गैस की आपूर्ति के लिए करार करना, गेलेकी ग्रुप गैदरिंग स्टेशन (जीजीएस)-3 लाकवा जीजीएस-2 तथा आरडीएस जीजीएस-1 पर किराये के गैस संपीडक लगाना शामिल है। गेलेकी में एक संपीडक पहले ही चालू है और गेलेकी, लाकवा तथा रुद्रसागर गैस संपीडक संयंत्रों का एकीकरण, पुनरूद्धार परियोजना के अधीन है।

सरकार दहन की गई गैस द्वारा उत्सर्जित कार्बन के प्रति सचेत है।

एन.एम.डी.एफ.सी की शेयर पूंजी में वृद्धि

2984. श्री मिलिन्द देवरा : क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम (एन.एम.डी.एफ.सी.) की शेयर पूंजी में वृद्धि करने की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एम.एम.डी.एफ.सी अल्पसंख्यकों के लाभार्थ इस धनराशि का किन-किन क्षेत्रों में उपयोग करेगा?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (ए. आर. अंतुले) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एम.एम.डी.एफ.सी.) की अधिकृत शेयर पूंजी को 650 करोड़ रु. से बढ़ाकर 750 करोड़ रु. करने की स्वीकृति दे दी गई है।

(ग) एम.एम.डी.एफ.सी. इस धनराशि का उपयोग अपने कार्यक्षेत्र में विस्तार के लिए अर्थात् आवधिक ऋण लघु वित्त, शैक्षिक ऋण आदि की अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत करेगा।

सोनपुर-केनिंग दोहरी रेल लाइन परियोजना

2985. श्री सनत कुमार मंडल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोनपुर केनिंग दोहरी रेल लाइन का प्रथम चरण पूरा होने के बावजूद भी इसका द्वितीय चरण अभी भी पूरा नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक द्वितीय चरण शुरू नहीं होने के क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना के प्रथम चरण पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(घ) द्वितीय चरण के लिए अनुमानित खर्च कितना है तथा चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितना बजट आबंटन किया गया; और

(ङ) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ङ) सोनपुर-केनिंग लाइन के दोहरीकरण के चरण-II के रूप में घुटियारी शरीफ-केनिंग खंड (14.05 कि.मी.) के दोहरीकरण को अभी स्वीकृत नहीं किया गया है। सोनपुर-केनिंग लाइन के दोहरीकरण के चरण-I के रूप में सोनपुर-घुटियारी शरीफ खंड के दोहरीकरण पर 31.10.07 तक लगभग 42 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

[हिन्दी]

नाफ्था पर उत्पाद शुल्क लगाया जाना

2986. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
डा. धीरेंद्र अग्रवाल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाफ्था पर उत्पाद शुल्क लगाए जाने से इसकी कीमत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या इस संबंध में संबंधित विभागों के साथ चर्चा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) और (ख) नाफ्था एक नियंत्रणमुक्त उत्पाद है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाले मूल्य उतार-चढ़ावों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) द्वारा इसके मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। वर्तमान में नाफ्था पर 16% उत्पाद शुल्क और उस पर 3% शिक्षा उप कर (उर्वरक के लिए शून्य) वसूला जाता है, जिसकी वसूली ग्राहकों से की जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना

2987. श्री रेवती रमन सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईरान गैस पाइपलाइन के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या पाकिस्तान भी ईरान से ऐसी परियोजना की मांग कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान को पेश की गई शर्तें भारत को पेश की गई शर्तों की तुलना में अधिक उपयुक्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (घ) भारत और पाकिस्तान, ईरान-पाकिस्तान-भारत (आई पी आई) राष्ट्रपार गैस पाइपलाइन के माध्यम से ईरान से प्राकृतिक गैस का आयात करने का प्रयास कर रहे हैं। भागीदार देशों के बीच इस परियोजना से संबंधित करारों सहित अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर वार्ता चल रही है।

[हिन्दी]

अमरनाथ गुफाओं का विकास

2988. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरनाथ तीर्थ-यात्रा को और अधिक सुगम तथा सुरक्षित बनाने के लिए इसकी अवधि को बढ़ाने हेतु सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरनाथ गुफा के विकास हेतु वैष्णों देवी श्राइन बोर्ड की तर्ज पर एक बोर्ड गठित करने के लिए सरकार किसी प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) दिनांक 15-11-2000 को जम्मू व कश्मीर राज्य विधानमंडल द्वारा पास किये गये एक अधिनियम के माध्यम से श्री माता वैष्णों देवी जी श्राइन बोर्ड की तर्ज पर "श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड" की स्थापना की गई है। इस बोर्ड का उद्देश्य, श्री अमरनाथ जी यात्रा का बेहतर प्रबंधन, पवित्र तीर्थ-यात्रियों की सुविधाओं का उन्नयन करना एवं उनसे संबंधित घटनाओं अथवा मामलों को देखना है।

[अनुवाद]

गैस आधारित परियोजनाओं हेतु गैस की आपूर्ति

2989. श्री अबु अयीश मंडल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैस आधारित परियोजनाओं को चलाने के

लिए गैस की सुचारू आपूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु मंत्रिमंडलीय समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गैस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उक्त समझौता ज्ञापन द्वारा क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेल परियोजना हेतु अनुदान

2990. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री काशीराम राणा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने कतिपय महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए विशेष अनुदान की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) उक्त अनुदान स्वीकृत करने के लिए रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) इस संबंध में उठाए गए कदमों के क्या परिणाम निकले?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जीवनकाल पूरा कर चुके सिगनल्स

2991. श्री मदन लाल शर्मा :
प्रो. एम. रामदास :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1500 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर सिगनलों में सिगनलिंग गियर अपना जीवनकाल पूरा कर चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में दोषपूर्ण सिगनलों के कारण कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं;

(घ) इन दोषपूर्ण सिगलर्लो को बदलने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) उक्त सिगनलों को कब तक बदल दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) 1448 स्टेशन, जहां 1.4.2001 को सिगनलिंग उपकरण को उनकी निर्धारित कार्यावधि से अधिक काम में लिया जा चुका था, को विशेष रेल संरक्षा निधि अंतर्गत प्रतिस्थापन के लिए स्वीकृत कर लिया गया है। नए उत्पन्न होने वाले कार्यों को भी आगे स्वीकृत किया जा रहा है।

(ग) दोषपूर्ण सिगनलिंग उपकरण के कारण हुई दुर्घटनाएं नीचे दिए गए अनुसार हैं:-

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या
2004-05	कुछ नहीं
2005-06	
2006-07	कुछ नहीं

(घ) और (ङ) 1448 स्टेशनों में से 1191 स्टेशनों पर सिगनलिंग उपकरणों का प्रतिस्थापन 30.09.07 को पूरा हो चुका है और शेष स्टेशनों पर उन्हें वर्ष 2008 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

बादामी में लघु विमानपत्तन

2992. श्री पी.सी. गद्दीगौडर : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बादामी, इहोल, पट्टाद् कल्लू, महाकूटा बनासांकरी पर्यटन स्थल हैं क्या वहां

पर पुराने स्मारक हैं जो कई भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की पर्यटकों के हितों में बादामी में एक लघु विमानपत्तन बनाने की योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) सरकार की, बादामी में छोटा एयरोड्रोम बनाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

(घ) और (ङ) कर्नाटक राज्य सरकार तथा एयरलाइनों को, बादामी आने/जाने के लिए, प्रचालन आरम्भ करने हेतु कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं मिला है।

शहरी गैस वितरण नेटवर्क

2993. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बोर्ड देश में शहरी गैस वितरण नेटवर्क विकसित करने के लिए सरकारी तथा निजी कंपनियों के चयन के लिए मसौदा/दिशा-निर्देश जारी करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के विभिन्न भागों में व्यवस्थित तरीके से शहरी गैस वितरण नेटवर्क विकसित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) और (ख) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड ने 15 नवम्बर, 2007 को www.engineersindia.com वेबसाइट पर नगर या स्थानीय वितरण नेटवर्क के विकास को प्राधिकृत करने के लिए विनियमों का मसौदा रख दिया है। विनियमों के मसौदे में अन्य बातों के साथ साथ, नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण परियोजना को विकसित करने के लिए निकाय के चयन के लिए प्रक्रिया और मानदण्ड निहित हैं। विनियमों के मसौदे पर पणधारियों, विशेषज्ञों और आम जनता की टिप्पणियां 21 दिसम्बर, 2007 तक मांगी गई हैं। विनियमों के मसौदे को, प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखने के बाद अन्तिम रूप दिया जाएगा।

(ग) गेल ने नगर गैस वितरण परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए, प्रमुख ओ एम सीज या कार्यनीतिक साझीदारों के साथ मिलकर, 8 संयुक्त उद्यम कंपनियां बनाई हैं।

सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों से निवेश को बढ़ावा देने और पक्षपात रहित विनियामक ढांचा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, सरकार ने "पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006" अधिनियमित किया है और "प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और नगर या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क्स के विकास लिए नीति" अधिसूचित की है।

धरोहर स्थलों की पहचान हेतु परियोजना

2994. श्री सुरेश अंगड़ि :
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए केन्द्रों के पुनरूद्धार हेतु देश में धरोहर स्थलों तथा पर्यटक गंतव्य स्थलों की पहचान करने के लिए कोई परियोजना लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या राज्य सरकारों विशेषकर केरल तथा कर्नाटक ने परियोजना में शामिल करने के लिए किसी धरोहर केन्द्र या पर्यटक गंतव्य स्थल का प्रस्ताव किया है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) विरासत स्थलों सहित पर्यटन परियोजनाओं की पहचान

तथा विकास करने की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। संरक्षित स्मारकों का संरक्षण, अनुरक्षण, संरचनात्मक मरम्मत तथा पर्यावरणीय विकास व आनुषंगिक सुविधाओं की व्यवस्था संसाधनों की उपलब्धता की शर्त पर, पुरातत्व मानकों के अनुसार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, ग्रामीण पर्यटन सहित, "गंतव्यों तथा परिपथों के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास" की योजना के अंतर्गत, विरासत स्थलों के विकास सहित, पर्यटन के विकास के लिए, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

(ग) वर्ष 2007-08 के दौरान, पर्यटन मंत्रालय ने केरल तथा कर्नाटक राज्य सरकारों के, विरासत स्थलों सहित, पर्यटक केन्द्रों पर अवसंरचना विकास के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं को स्वीकृत किया है :-

परियोजना	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)
केरल	
वायनाड का विकास	201.72
कोडुंगलौर विरासत परिपथ का विकास	361.79
पथिरामनाल जैव पार्क का विकास	499.61
कुल	1063.12
कर्नाटक	
बीजापुर-बीदर गुलबर्गा परिपथ का विकास	640.97
कुल	640.97
सकल कुल	1704.09

विकलांग अनाथ बच्चों हेतु योजनाएं

2995. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विकलांग अनाथ बच्चों को संरक्षण देने तथा महिलाओं को स्व-रोजगार प्रदान करने हेतु योजनाएं क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्यों/गैर-सरकारी संगठनों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(घ) इन योजनाओं के अंतर्गत धनराशि के अनुदान हेतु सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाया जाता है;

(ङ) क्या जारी की गई धनराशि का उचित उपयोग किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो ऐसे मामलों की संख्या क्या है जिनमें इन योजनाओं हेतु आबंटित धनराशि का अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया गया तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वोत्तर को जोड़ने वाली रेल परियोजनाएं

2996. श्री तापिर गाव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में तीन रेल परियोजनाओं पर अब तक किए गए कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने के लिए लाइनें बिछाने का कार्य कब तक आरंभ कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) अन्य राज्यों सहित अरुणाचल प्रदेश के लिए रेल संपर्क को बेहतर करने के लिए तीन कार्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

परियोजना	लागत	परिव्यय 2007-08	स्थिति
	(करोड़ रु. में)		
हरमुती-इटानगर नई लाइन (33 कि.मी.)	156	5	हरमुती से नहरलगुन पर, अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। अधिग्रहण के लिए भूमि संबंधी नक्शे राज्य सरकार के पास जमा किए जा चुके हैं और विस्तृत अनुमान अनुमोदनाधीन है। शेष खंड के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण शुरू हो गया है।
लिंकड फिंगरों सहित रंगिया-मुरकोंगसेलेक आमान परिवर्तन (510 कि.मी.)	915.7	22	रंगिया-मुरकोंगसेलेक आमान परिवर्तन को एक राष्ट्रीय परियोजना के तौर पर घोषित किया गया है वित्त पोषण के स्वरूप पर निर्णय ले लिया गया है। कार्य शुरू हो गया है और 2011-12 में पूरा करने का लक्ष्य है।
डिब्रुगढ़ और नार्थ बैंक लाइन के बीच लिंक्ड लाइन सहित असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील रेल एवं सड़क पुल	1767.36	249.45	बोगीबील रेल एवं सड़क पुल को एक राष्ट्रीय परियोजना के तौर पर घोषित किया गया है और वित्त-पोषण के स्वरूप को निश्चित कर लिया गया है। प्रतिरोधक कार्यों के लिए शिलाखंडों का संग्रहण तटबंधों के लिए भूमि संबंधी कार्य, पुल और लिंक लाइनों के लिए स्टेशन भवन आदि कार्य शुरू हो गए हैं और साउथ बैंक पर लिंक लाइन को 2008-09 में पूरा करने का लक्ष्य है। मुख्य पुल के लिए अवसंरचना हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है। परियोजना को 2001-12 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

हाइड्रोजन मिश्रित सी एन जी

2997. श्री अधीर चौधरी :
श्री निखिल कुमार :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राजधानी में वाहनों के लिए हाइड्रोजन मिश्रित सी एन जी आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो हाइड्रोजन मिश्रित सी एन जी कितनी सशक्त होगी तथा सी एन जी वाहन मालिकों के लिए कितनी किफायती साबित होगी;

(ग) क्या हाइड्रोजन मिश्रित सी एन जी के प्रारम्भिक परीक्षण किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) और (ख) हाईड्रोजन मिश्रित सी एन जी की व्यवहार्यता प्रमाणित करने के लिए परियोजना एक प्रायोगिक चरण में है।

(ग) और (घ) सवारी कारोंमिनि-बसों एवं तिपहिया वाहनों में 10% से 30% हाईड्रोजन मिश्रित सी एन जी का प्रयोग करते हुए अध्ययन किए जा रहे हैं। प्रारम्भिक परीक्षण, स्वचालित वाहनों में एच2-सी एन जी मिश्रण के उपयोग की व्यवहार्यता का संकेत देते हैं। तथापि, उत्सर्जन लाभ के लिए इंजन का इष्टतमीकरण अनिवार्य होगा, जिसे वाहन निर्माताओं के साथ उठाया गया है।

आंध्र प्रदेश में बायो-डीजल संयंत्र

2998. श्री एल. राजगोपाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में प्रथम बायो-डीजल संयंत्र उत्पादन शुरू करने को तैयार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संपूर्ण उत्पादन का निर्यात किया जाएगा तथा यह घरेलू खपत हेतु उपलब्ध नहीं होगा;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या बायो-डीजल का कार्य-निष्पादन गैसोलिन की तरह अच्छा नहीं है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (घ) आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश गुजरात तथा अन्य राज्यों में बायो-डीजल उत्पादन छोटे पैमाने पर शुरू हो गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा बायो-डीजल के निर्यात संबंधी कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) और (च) गैसोलीन की तुलना में बायो-डीजल का अलग प्रयोग किया जाता है। यह डीजल ईंधन का एक प्रतिस्थापन है और पारम्परिक डीजल की तुलना में इसके गुण एक समान हैं। तथापि, गैसोलीन की तरह ईंधन चालू करने में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता।

देश में विमानपत्तनों का विकास

2999. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री अविनाश राय खन्ना :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता से पूर्व देश में विमानपत्तनों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त विमानपत्तनों को बंद किए जाने के क्या कारण हैं तथा उन्हें चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने की संभावना है;

(ग) देश में आज की तारीख के अनुसार घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विकसित तथा निर्मित किए गए महानगरीय तथा गैर-महानगरीय विमानपत्तनों का विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) स्वंतत्रता से पहले देश में 406 हवाईअड्डे थें।

(ख) इनमें से अनेक एयरफील्ड रक्षा उद्देश्यों के लिए स्वंतत्रता से पहले निर्मित किए गए थें और तब से ये अप्रयुक्त हो चुके है। आगे, एयरलाइन प्रचालकों में वाणिज्यिक कारणों में इन हवाईअड्डों से प्रचालन करने की इच्छा नहीं जताई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) राज्य सरकारों के सहयोग से भिन्न हवाईअड्डों के विकास के लिए नियमित प्रयास करता है। इस संबंध में एएआई ने अनेक हवाईअड्डों के विकास के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र की राज्य सरकारों तथा पुदुचेरी संघशासित प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए है।

(ग) सिविल एन्केवों सहित अंतर्राष्ट्रीय तथा अन्तदेशीय हवाईअड्डों की राज्यवार संख्या निम्नानुसार हैं:-

आंध्रप्रदेश में 01 अंतर्राष्ट्रीय तथा 09 अन्तरदेशीय, कर्नाटक में 01 अंतर्राष्ट्रीय तथा 05 अन्तरदेशीय, तमिलनाडु में 01 अन्तर्राष्ट्रीय, तथा 05 अन्तरदेशीय, केरल में 03 अन्तर्राष्ट्रीय, पुदुचेरी में 01 अन्तरदेशीय, लक्ष्यद्वीप में 01 अंतरदेर्शीय, महाराष्ट्र में 02 अन्तर्राष्ट्रीय तथा 06 अन्तरदेशीय, गुजरात, में 01 अन्तर्राष्ट्रीय तथा 10 अन्तरदेशीय, मध्यप्रदेश में 03 अन्तरदेशीय, छत्तीसगढ़ में 01 अन्तरदेशीय, गोवा में 01 अन्तर्राष्ट्रीय, दीयू में 01 अन्तरदेशीय, अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह में 01 अन्तर्राष्ट्रीय, बिहार में 02 अन्तरदेशीय, उड़ीसा में 01 अन्तरदेशीय, झारखण्ड में 01 अन्तरदेशीय, पश्चिम बगांल में 01 अन्तर्राष्ट्रीय तथा 03 अन्तरदेशीय, असम में 01 अन्तर्राष्ट्रीय तथा 05 अन्तरदेशीय, मणिपुर में 01 अन्तरदेशीय, नागलैण्ड में 01 अन्तरदेशीय, मेघालय में 01 अन्तरदेशीय, त्रिपुरा में 01 अन्तरदेशीय, मिजोरम में 01 अन्तरदेशीय, दिल्ली में 01 अन्तर्राष्ट्रीय तथा 01 अन्तरदेशीय, हिमाचल प्रदेश में 03 अन्तरदेशीय, पंजाब में 01 अन्तर्राष्ट्रीय तथा 02 अन्तरदेशीय, चण्डीगढ़ में 01 अन्तरदेशीय, राजस्थान में 01 अन्तर्राष्ट्रीय तथा 04 अन्तरदेशीय, उत्तरप्रदेश में 07 अन्तरदेशीय, जम्मू कश्मीर में 01 अन्तर्राष्ट्रीय तथा 02 अन्तरदेशीय और उत्तराखंड में 02 अन्तरदेशीय हवाईअड्डे।

(घ) पिछले 3 वर्षों में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किए गए प्रमुख एयरसाईड तथा टर्मिनल भवन से संबंधित कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण के अनुसार हैं।

विवरण

रनवे का विस्तार

क्र.सं.	हवाईअड्डा/राज्य	मौजूदा माप	प्रस्तावित विस्तार
1	2	3	4
01.	गुजरात		
	सूरत	1400 मी.X30 मी.	एबी320/एबी319 के प्रचालन के लिए रनवे का 2250 मी.X45 मी. तक विस्तार सुदृढ़ीकरण तथा चौड़ा किया जाना व एप्रैन का विस्तार
02.	महाराष्ट्र		
	अकोला	1219 मी.X45 मी.	एटीआर 72 के प्रचालन के लिए रनवे का 1400 मी.X45 मी. तक विस्तार सुदृढ़ीकरण तथा चौड़ा किया जाना
	गोंदिया	1720 मी.X30 मी.	एबी320/एबी319 के प्रचालन के लिए रनवे का 2300 मी.X45 मी. तक विस्तार सुदृढ़ीकरण तथा चौड़ा किया जाना व एप्रैन का विस्तार
	मध्य प्रदेश		
	इन्दौर	2287 मी.X45 मी.	बी757 बी766 एबी300 के प्रचालन के लिए रनवे का 2750 मी.X45 मी. तक विस्तार सुदृढ़ीकरण तथा चौड़ा किया जाना व एप्रैन का विस्तार
03.	उत्तराखंड		
	पंथ नगर	1097 मी.X30 मी.	रनवे का 1371 मी.X45 मी. तक विस्तार सुदृढ़ीकरण तथा चौड़ा किया जाना
04.	छत्तीसगढ़		
	रायपुर	1955 मी.X45 मी.	एबी320/बी737-800 के प्रचालन के लिए रनवे का 2286 मी. X45 मी. तक विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण
05.	राजस्थान		
	उदयपुर	2281 मी.X45 मी.	बी757/बी766 के प्रचालन के लिए रनवे का 2730 मी.X45 मी. तक विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण
06.	असम		
	गुवाहाटी	2743 मी.X45 मी.	रनवे का 360 मीटर विस्तार

1	2	3	4
	सिल्चर	1829 मी.X45 मी.	रनवे का 2286 मी.X45 मी. तक विस्तार
07.	तमिलनाडु		
	मदुरै	1826 मी.X45 मी.	बी 737/800/एबी 320 के प्रचालन के लिए रनवे का 2286 मी.X45 मी. तक विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण
	त्रिची	1862 मी.X45 मी.	बी 737/800/एबी 320 के प्रचालन के लिए रनवे का 2441 मी.X45 मी. तक विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण
08.	कर्नाटक		
	मैसूर		एटीआर 72-500 के प्रचालन के लिए 1740 मी.X30 मी. के परिणाम के नए रनवे का निर्माण
09.	पश्चिम बंगाल		
	कोलकाता	2399 मी.X45 मी.	रनवे का 440 मीटर विस्तार

टर्मिनल भवन की क्षमता

क्र.सं.	हवाईअड्डा/राज्य	मौजूदा क्षमता	विस्तार	नई क्षमता
1	2	3	4	5
1.	तमिलनाडु	200 अंतरदेशीय		300 अंतरदेशीय
	त्रिची	200 अन्तरराष्ट्रीय		500 अन्तरराष्ट्रीय
2.	कोयम्बटूर	400 यात्री	600 यात्री	-
3.	चेन्नई	2000 अंतरदेशी	2000 यात्री	2100 अंतरदेशीय नियोजित
		1750 अन्तरराष्ट्रीय	अन्तरराष्ट्रीय आगमन/प्रस्थान	
4.	पंजाब	250 अंतरदेशीय		500 यात्री
	अमृतसर	250 अन्तरराष्ट्रीय		500 यात्री
5	आन्ध्र प्रदेश			
	विशाखापट्टनम	150 यात्री		700 यात्री

1	2	3	4	5
6.	गुजरात			
	सूरत	50 यात्री		250 यात्री
7.	अहमदाबाद	पुरानी बिल्डिंग गिराई गई		
		250 यात्री अन्तरराष्ट्रीय प्रस्थान		800 यात्री अंतरदेशीय प्रस्थान
		600 यात्री अंतरदेशीय आगमन		1000 यात्री अन्तरराष्ट्रीय टर्मिनल
		400 यात्री अन्तरराष्ट्रीय		
8.	मध्य प्रदेश			
	खजुराहो	200 यात्री		500 यात्री
9.	कनार्टक			
	मंगलौर	200 यात्री		800 यात्री
10.	मैसूर	अस्थाई ढांचा		100 यात्री
11.	गोवा	300 अन्तरदेशीय		600 यात्री
		300 अन्तरराष्ट्रीय		
12.	उतराखंड			
	देहरादून	300 यात्री		150 यात्री
13.	जम्मू और कश्मीर			
	श्रीनगर	400 यात्री	950 यात्री	
14.	बिहार			
	गया	200 यात्री		500 यात्री
15.	असम			
	डिब्रूगढ़	200 यात्री		500 यात्री
16.	राजस्थान	500 अन्तरदेशीय		500 यात्री
	जयपुर	100 अन्तरराष्ट्रीय		

1	2	3	4	5
17.	उदयपुर	200 यात्री		500 यात्री
18.	केरल	500 अन्तरदेशीय		1000 यात्री
	त्रिवेन्द्रम	520 अन्तरराष्ट्रीय		
	कालीकट	400 अन्तरदेशीय		1000 यात्री
		200 अन्तरराष्ट्रीय		
19.	उत्तर प्रदेश			
	लखनऊ	500 यात्री		500 यात्री
20.	वाराणसी	150 अन्तरदेशीय		800 यात्री
		100 अन्तरराष्ट्रीय		
21.	महाराष्ट्र			
	औरंगाबाद	200 यात्री		700 यात्री
22.	नागपुर	300 यात्री	475 यात्री	–
23.	मेघालय			
	शिलांग	50 यात्री		150 यात्री

बंगलौर को जोड़ने के लिए तीसरा रेलवे टर्मिनल

3000. श्री एम. शिवन्ना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने बंगलौर शहर की कनैक्टिविटी बढ़ाने के लिए तीसरे रेलवे टर्मिनल के स्थान के रूप में बयापन्नहल्ली की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन स्थलों के लिए हेलिकॉप्टर सेवाएं

3001. डा. टोकचोम मैन्या :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में इस वर्ष पवन हंस के लाभ नें कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पवन हंस के द्वारा इस समय पूर्वोत्तर क्षेत्र में एयर-टैक्सी के रूप में कितने हैलीकॉप्टरों को लगाया है;

(घ) क्या हेलीकॉप्टर सेवाओं का देश के अन्य भागों विशेषकर देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित तीर्थस्थलों तथा पर्यटन स्थलों में विस्तार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड (पी एच एच एल) का निष्पादन इसके पिछले वर्ष की अपेक्षा कम था जो बेड़े की कम सर्विसेबिलिटी तथा अधिक संख्या में हेलीकॉप्टरों के मेजर सट्रक्चरल रिपेयर्स की वजह से था जिसमें ओ एन जी सी के नए करार के तहत विमानन मानक 4 फिटमेंट आवश्यकताएं शामिल हैं। आगे, मुंबई में जुलाई 2005 में आई भारी बाढ़ में क्षतिग्रस्त पुर्जों की मरम्मत तथा ओवरहॉलिंग पर हुए भारी खर्च को भी वर्ष 2006-07 के दौरान लेखों में डाला गया है। इसके अतिरिक्त, एम आई-172 हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं कराए जा सके चूंकि इन्हें बड़ी ओवरहाल के लिए रूस भेजा गया था।

(ग) इस समय पूर्वोत्तर क्षेत्र में, पी एच एच एल ने मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा नागालैंड की सरकारों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों की देख-रेख में जन साधारण के लिए नियमित यात्री सेवाओं के लिए दीर्घावधिक लीज/वैट लीज पर हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए हैं।

(घ) और (ङ) जी हां। पी एच एच एल ने नियमित यात्री सेवाओं के लिए अण्डमान निकोबार तथा लक्षद्वीप प्रशासन को दीर्घावधिक लीज पर हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए हैं। यात्री सेवाएं मई-जून तथा सितम्बर-अक्तूबर में केदारनाथ तथा अमरनाथ धाम के लिए भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। पी एच एच एल की हेलीकॉप्टरों की लीज के जरिए तमिलनाडु में महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों-कोयम्बतूर, मदुरै, कोडैकनाल, रामेश्वरम आदि; पुदुचेरी में चेन्नई-कराइकल-पुदुचेरी सेक्टरों पर सम्पर्कता प्रदान करने की योजना है।

पी एच एच एल की उत्तराखंड के महत्वपूर्ण समीपवर्ती पर्यटक स्थलों जैसे घांघरिया, हेमकुंट साहिब आदि को पुनः वर्गीकृत करके जोड़ने की भी योजनाएं हैं।

[हिन्दी]

बिना टिकट तथा बिना बुक कराए समान के साथ यात्रा कर रहे यात्री

3002. श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगें पाटील :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की इस बात की जानकारी है कि बहुत से यात्री रेलवे अधिकारियों की मिलीभगत से बिना टिकट यात्रा करते हैं तथा बुक कराए बिना समान लाते ले जाते हैं जिससे रेलवे को राजस्व की हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या मजिस्ट्रेटों के साथ विशेष टिकट जांच-दलों ने इस संबंध में विशेष टिकट जांच-अभियान चलाए हैं;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में ऐसे कितने अभियान चलाए गए तथा कितने यात्री बिना टिकट और बिना सामान बुक कराए यात्रा करते पकड़े गए;

(घ) उक्त अवधि के दौरान उक्त दलों द्वारा किराए, जुर्माने के रूप में जोन-वार कितनी धनराशि वसूल की गई;

(ङ) किराया तथा जुर्माना न दे पाने पर जोन-वार कितने यात्रियों को जेल भेजा गया;

(च) दोषी पाए गए रेल अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) रेलगाड़ियों में इस प्रकार की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) कभी-कभार गाड़ियों में बिना टिकट के और बिना बुक किए गए सामानों को ले जाने वाले यात्रियों के कतिपय मामले सामने आते रहते हैं। कभी-कभी इस प्रकार के अनियमित यात्रा में यात्रियों के साथ रेलकर्मी के संलिप्त होने के मामले भी पाए जाते हैं।

(ख) रेलवे मजिस्ट्रेटों सहित विशेष टिकट जांच दलों द्वारा बिना टिकट के यात्रा करने वाले/अनियमित यात्रा करने वालों के विरूद्ध विशेष टिकट जांच अभियान चलाए जाते हैं। वे यात्री जो किराए की देय राशि का भुगतान नहीं करते हैं उन्हें रेलवे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है और उनपर मुकदमा चलाया जाता है।

(ग) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

(च) से (छ) क्षेत्रीय रेलवे के सतर्कता विभाग और भ्रष्टाचार निरोधक दस्तों द्वारा औचक जांचें की जाती हैं ताकि बिना टिकट के यात्रा करने वाले यात्रियों की मिलीभगत सहित विभिन्न प्रकार के कदाचारों में संलिप्त रेल कर्मचारियों को रोका जा सके।

विवरण

वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 और 2007-08 (अक्टूबर, 2007 तक नवीनतम उपलब्ध सूचना) के दौरान रेलवे मजिस्ट्रेटों सहित विशेष टिकट जांच दलों द्वारा की गई जांचों की संख्या, पकड़े गए/मुकदमा चलाए गए व्यक्तियों की संख्या, उनसे वसूल की गई किराए और जुर्माने की राशि और किरायों एवं जुर्माने की राशि का भुगतान न करने के कारण जेल भेजे गए व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है:-

क्षेत्रीय रेलवे	मजिस्ट्रेटों के साथ विशेष टिकट जांच दलों द्वारा की जांचों की संख्या				पकड़े गए/मुकदमा चलाए गए व्यक्तियों की संख्या				वसूल किए गए किराये और जुर्माने की राशि				किराये एवं जुर्माने की राशि का भुगतान न करने के कारण जेल भेजे गए व्यक्तियों की संख्या			
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (अक्टूबर, 07 तक)	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (अक्टूबर, 07 तक)	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (अक्टूबर, 07 तक)	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (अक्टूबर, 07 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
मध्य	663	643	653	476	16551	15321	17748	14544	26.03	26.62	33.33	26.67	2533	2020	2517	2187
पूर्व	5861	5260	7456	186	17118	17029	15753	10825	6.28	6.34	5.83	26.86	1709	1801	1555	1234
पूर्व-मध्य	227	313	307	142	9001	10401	7870	3900	18.29	20.89	13.59	7.68	1562	1907	1854	1071
पूर्व-तट	238	200	156	10[illegible]	2485	12210	10453	4644	2.74	15.15	10.2	4.28	103	1701	535	149
उत्तर	556	773	912	546	12181	13370	16284	8927	36.77	39.14	56.09	31.75	4226	4549	4742	2807
उत्तर-मध्य	2114	3090	2954	1204	23063	17790	20336	12919	80.17	67.26	74.64	44.42	1094	10949	7107	4835
पूर्वोत्तर	1211	1323	1406	877	14927	12329	9664	6015	28.14	23.86	29.16	14.71	8079	6652	4613	2523
पूर्वोत्तर सीमा	792	510	177	102	1778	1474	987	303	5.89	3.02	1.85	0.49	573	583	311	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
उत्तर-पश्चिम	1226	1220	807	589	1650	2672	3419	3674	3.17	3.83	1.58	1.01	17	59	732	1825
दक्षिण	688	709	726	433	52897	57052	57256	30060	121.45	143.51	139.06	68.90	166	187	146	54
दक्षिण-मध्य	624	569	813	425	23413	30516	49532	24334	39.01	47.78	54.59	0.25	1135	755	563	88
दक्षिण-पूर्व	249	359	228	151	7158	6764	7064	4381	7.77	8.12	9.45	0.06	1318	713	458	226
दक्षिण-पूर्व-मध्य	52	1442	674	782	1317	1104	2540	2251	1.55	3.83	4.89	1.65	176	25	32	16
दक्षिण-पश्चिम	88	79	72	32	54	32	40	45	0.01	0.04	0.05	0.05	29	9	7	5
पश्चिम रेलवे	3849	3896	3938	2289	7743	23891	18729	10947	7.13	25.77	17.71	9.69	510	750	684	340
पश्चिम-मध्य	1035	636	425	162	14857	8802	11049	6742	16.1	39.45	54.14	32.68	8558	5623	5297	3759
कुल योग	19473	21022	21704	8502	206193	230757	248724	144511	400.5	474.61	506.16	271.15	31788	38283	31153	21199

[अनुवाद]

रेलवे में विद्युत बचाने वाली प्रायोगिक परियोजना

3003. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को एक प्रायोगिक परियोजना में अक्टूबर में लगभग 2 मिलियन किलोवाट विद्युत आवर की बचत हुई; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है तथा इसमें किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय रेल अब नवसृजित विद्युत इंजनों का उपयोग कर रही है, जिसमें ब्रेकिंग के दौरान विद्युत शक्ति सृजित करने की विशेषता मौजूद है। जिसमें तीन फेज प्रोपलशन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके गतिक ऊर्जा को ब्रेकिंग के दौरान विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। उत्तर रेलवे के बेड़े में चालीस ऐसे इंजन मौजूद हैं, जो प्रतिष्ठित राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस तथा अन्य महत्वपूर्ण मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां चलाते हैं। अक्टूबर,, 2007 के दौरान ब्रेकिंग के दौरान इन इंजनों से सृजित ऊर्जा लगभग 2 मिलियन किलोवाट घंटे थी।

किसानों द्वारा पानी में घुलनशील उर्वरकों का इस्तेमाल

3004. श्री हरिभाऊ जावले : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में किसान मुख्य रूप से पानी में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पानी में घुलनशील उर्वरक शत-प्रतिशत आयातित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को पानी में घुलनशील इन उर्वरकों का देश में ही उत्पादन शुरू करने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार पानी में घुलनशील उर्वरकों हेतु कोई राजसहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय इन्डिक) : (क) देश में जल-घुलनशील उर्वरकों का उपयोग अन्य रासायनिक उर्वरकों की तुलना में बहुत कम होता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष लगभग 27000 मी.टन जल-घुलनशील उर्वरकों का उपयोग होता है।

(ख) से (च) सभी जल-घुलनशील उर्वरक 100% आयातित हैं, क्योंकि इसका स्वदेशी उत्पादन नहीं होता है। तथापि, हाल ही में मैसर्स गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड ने 100% जल-घुलनशील उर्वरकों की कुछ किस्मों का उत्पादन करने के लिए सरकार से अनुमति ली है। आज की तारीख में, जल-घुलनशील उर्वरक नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों की रियायत योजना के अंतर्गत नहीं आते है।

[हिन्दी]

रेलवे स्टॉफ क्वार्टर

3005. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि देश में अधिकांश रेलवे स्टाफ क्वार्टरों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है तथा उनकी स्थिति दयनीय है और उनमें से बहुत से क्वार्टर खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मंडल-वार-ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे स्टाफ क्वार्टरों के रख-रखाव में कोई अनियमितताएं तथा दुर्विनियोग के मामले सामने आए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ कोई निगरानी समिति गठित की गई है;

(ङ) क्या रेलवे का स्टॉफ क्वार्टरों में मूलभूत सुविधाओं तथा अनुरक्षण में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है तथा इस प्रयोजनार्थ इस वर्ष में कितनी धनराशि आवंटित की गई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा रेलवे स्टाफ क्वार्टरों का कब तक जीर्णोद्धार कर दिए जाने की संभावना है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (छ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रेलवे सुरक्षा हेतु कृतिक बल

3006. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने रेलवे सुरक्षा हेतु एक कृतिक बल का प्रस्ताव किया है, जिसे कि देशभर में समान रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने रेलगाड़ी में चढ़ने से पूर्व यात्रियों की जांच हेतु कोई नीति अपनाई है अथवा अपनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजसहायता की बकाया धनराशि

3007. **श्री कीरेन रिजीजू :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर उर्वरक राजसहायता की करोड़ों रुपए की धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त धनराशि का भुगतान कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (घ) उर्वरक राजसहायता जारी किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। चालू वर्ष में 20 नवम्बर, 2007 तक कुल 25952 करोड़ रुपए उर्वरक राजसहायता के रूप में जारी किए जा चुके हैं। राजसहायता जारी करने के कुछ दावे राजसहायता जारी करने के प्रक्रियाधीन दावों के रूप में रुके रहते हैं। इन दावों के देय होते ही इन पर कार्रवाई की जाती है और राजसहायता जारी कर दी जाती है।

[अनुवाद]

अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) हेतु छात्रावास योजना में संशोधन

3008. **डा. एम. जगन्नाथ :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के बाल तथा बालिका छात्रों हेतु छात्रावासों के निर्माण की केन्द्रीय योजना में संशोधन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चिकित्सा पर्यटन

3009. **श्री मोहन सिंह :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2006 के दौरान तथा 2007 के प्रथम छह माह में उपचार हेतु कितने पर्यटक भारत आए तथा वे किन-किन देशों के थे;

(ख) इन बीमार पर्यटकों के साथ कितने लोग आए;

(ग) चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रोत्साहन योजना का ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष के दौरान चिकित्सा पर्यटन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने विश्व स्तर पर चिकित्सा पर्यटन के प्रचार हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय भारत में चिकित्सा पर्यटक आगमन पर अलग से सूचना एकत्रित नहीं करता है।

(ग) से (ङ) पर्यटन मंत्रालय ने चिकित्सा पर्यटन के संवर्धन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर पहले ही अनेक कदम उठाए हैं जिनमें विदेशी बाजारों में संवर्धन और विवरणिकाओं, सीडी तथा फिल्मों, आदि जैसी प्रचार सामग्रियां तैयार करना और लक्षित बाजारों में उनका वितरण शामिल है। वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट, लंदन और आईटीबी, बर्लिन आदि जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मेलों में विशेष संवर्धन भी किए जाते हैं।

चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए 'चिकित्सा वीजा' की एक नई श्रेणी की शुरूआत की गई है।

[अनुवाद]

घरेलू विमान यात्रियों से कर की वसूली

3010. **श्री पी.सी. थामस :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में घरेलू विमान यात्रियों से वर्ष-वार कुल कितने कर की वसूली की गई;

(ख) क्या यात्रियों की बढ़ी संख्या के मद्देनजर यात्रियों पर कर का भार कम किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) सरकार देश में घरेलू विमान यात्रियों से प्रति आरोहण यात्री 200 रुपए की दर से केवल यात्री सेवा शुल्क और कोई अन्य शुल्क नहीं लगाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा घरेलू विमान यात्रियों से एकत्र किए गए यात्री सेवा शुल्क का ब्यौरा निम्नानुसार है:

2004-05	—	388.42
2005-06	—	512.59 तथा
2006-07	—	444.79

(ग) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान यात्री सेवा शुल्क (पीएसएफ) की दर समान रही। शुल्क के 70% भाग का प्रयोग सुरक्षा संबंधी व्ययों पर जबकि 30% सुविधा प्रभारों के लिए किया जाता है। इसके दृष्टिगत, वर्तमान में, यात्री सेवा शुल्क की दर को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पुरी और कोणार्क के बीच रेल संपर्क

3011. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने पुरी और कोणार्क के बीच नई बड़ी लाईन वाले संपर्क हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना हेतु अब तक आवंटित तथा आज की तारीख तक खर्च की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त परियोजना के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) पुरी से कोणार्क तक (35 कि.मी.) नई बड़ी लाइन के निमार्ण के लिए एक अद्यतन सर्वेक्षण पूरा किया गया है जिसके अनुसार इस लाइन की संभावित लागत 99.78 करोड़ रुपये और प्रतिफल की

दर ऋणात्मक आंकी गई है। सर्वेक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही प्रस्ताव के संबंध में आगे विचार करना व्यावहारिक होगा।

पश्चिम बंगाल में विमानपत्तन का आधुनिकीकरण

3012. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निजी कंपनियों की सहायता से विमानपत्तनों का तेजी से आधुनिकीकरण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो आधुनिकीकरण हेतु पश्चिम बंगाल में पहचान किए गए विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अवसंरचना संबंधी समिति ने इस प्रस्ताव की संवीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अवसंरचना संबंधी समिति (सी.ओ.आई.) ने, सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर निजी भागीदारी के द्वारा, 24 गैर-मेट्रो एयरपोर्टों पर सिटी साइड का विकास किए जाने की अनुमति प्रदान की है। यद्यपि इसमें पश्चिमी बंगाल का कोई एयरपोर्ट शामिल नहीं है तथापि अवसंरचना संबंधी समिति ने, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा कोलकाता एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण किए जाने का, नागर विमानन मंत्रालय का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है।

आंध्र प्रदेश में निजी विमानपत्तन

3013. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में सात नए निजी विमानपत्तन स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रवर्तकों ने सरकार से व्यापार गारंटी की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) उक्त राज्य में विमानपत्तनों की स्थापना/उन्नयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं। भारत सरकार को, आंध्र प्रदेश में निजी एयरपोर्ट बनाए जाने के लिए कोई नया प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, राजामुंद्री, तिरूपति, वारंगल, कुडुप्पा एवं दोनाकोंड़ा में एयरपोर्टों का आधुनिकीकरण करने के लिए योजनाएं बनाई हैं।

तुलनात्मक लागत लाभ के लिए नीति

3014. श्री के.एस. राव : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मूल्य वर्धित इस्पात तथा इस्पात आधारित उत्पादों के उत्पादन के माध्यम से तुलनात्मक लागत लाभ को सुनिश्चित करने तथा इस्पात के घरेलू मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात रोकने हेतु नीति बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) सरकार का मूल्यवर्धित इस्पात उत्पादों के जरिए और साथ ही इस्पात की निर्यात कीमतों पर तुलानात्मक लागत लाभ के संबंध में नीति बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

घरेलू विद्युत उपकरण विनिर्माण कम्पनियों को मूल्य अधिमान

3015. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उपकरणों की खरीद में घरेलू विद्युत उपकरण विनिर्माण कम्पनियों को मूल्य अधिमान देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने मूल्य अधिमान रियायत वापस लेने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) विद्युत मंत्रालय की वर्तमान वृहत विद्युत नीति के अनुसार वृहत विद्युत परियोजनाओं के मामलों में पूंजीगत उपस्करों के आयात पर सीमा शुल्क नहीं लगाया जाता है। घरेलू बोलीदाताओं को प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को 15% मूल्य अधिमानता दी जाती है, जबकि सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों की परियोजनाओं के मामले में घरेलू बोलीदाताओं को एक्जिम नीति के अनुसार सम निर्यात लाभ प्रदान किया जाता है। घरेलू बोलीदाताओं को अपनी मूल्य सूची अमरीकी डॉलर अथवा अपनी पसंद की किसी अन्य विदेशी मुद्रा में उद्धृत करने की अनुमति दी जाती है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। बहरहाल वर्तमान वृहत विद्युत नीति में संशोधन का प्रस्ताव विद्युत मंत्रालय के विचाराधीन है।

गरीब रथ रेलगाड़ियां चलाना

3016. डा. के.एस. मनोज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने वर्ष 2007-08 के रेल बजट में घोषित गरीब रथ रेलगाड़ियां शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वे गरीब रथ रेलगाड़ियां कौन-कौन सी हैं, जिन्हें अभी शुरू किया जाना है तथा इसमें विलंब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गरीब रथ सहित रेल बजट में उद्घोषित गाड़ियों को वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान शुरू किया जाता है। शुरू की जाने वाली गरीब रथ गाड़ियों के नाम नीचे दिए गए अनुसार हैं:-

क्र.सं.	गाड़ी नं.	से	तक	फेरे
1.	2201/2202	तिरूवनंतपुरम	लोकमान्य तिलक (ट)	सप्ताह में दो दिन
2.	2993/2994	जयपुर	बांद्रा (ट)	सप्ताह में तीन दिन
3.	2359/2360	कोलकाता	पटना	सप्ताह में तीन दिन
4.	2735/2736	सिकंदराबाद	यशवंतपुर	सप्ताह में तीन दिन
5.	2205/2206	निजामुद्दीन	देहरादून	सप्ताह में तीन दिन
6.	2831/2832	भुवनेश्वर	रांची	सप्ताह में तीन दिन
7.	2335/2536	रायपुर	लखनऊ	सप्ताह में दो दिन
8.	2517/2518	कोलकाता	गुवाहाटी	सप्ताह में दो दिन

[हिन्दी]

वैगनों में अवैध लौह-अयस्क

3017. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने हाल ही में भारतीय रेल के 16 वैगनों में ले जाए जा रहे 50 लाख रुपए मूल्य के अवैध लौह-अयस्क को जब्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्रवाई की गई हैं/की जा रही हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी नहीं। बहरहाल, 17.11.2007 को जोदा/उड़ीसा के उपनिदेशक, खदान, जुरुली रेलवे स्टेशन साइडिंग पहुंचे और दावा किया कि रेलवे माल डिब्बे में जो खनिज लोहा बुक किया और लादा गया है, वह अवैध खनन द्वारा प्राप्त किया गया था। इस संबंध में ड्यूटी पर कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर जुरुली को कथित 16 माल डिब्बे रोकने के लिए ज्ञापन दिया गया। खनन प्राधिकारियों द्वारा उक्त खनिज जब्त नहीं किया गया। हालांकि खनन प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए रेक को 17.11.2007 के 19.30 बजे से 08.11.2007 के 11.30 बजे तक रोके रखा गया और यह बताया गया कि खनन एवं खनिज विकास विनियामक अधिनियम, 1957 की धारा 21 के तहत प्रेषिती अर्थात् मैसर्स नकोडा इस्पात के विरूद्ध बंदाना ग्लोबल के विरूद्ध एक मामला दर्ज किया गया है जो 20 लाख रु. का अवैध खनिज लोहा खरीदने और वहन करने के बारे में है।

रेल सुरक्षा बल के अधिकारी और रेल कर्मचारियों ने कार्रवाई की और स्थानीय पुलिस/जोदा के समन्वय से उपनिदेशक/खनिज/जोदा का आवश्यक कार्रवाई के लिए अपेक्षित सहायता प्रदान की ताकि उपनिदेशक/खनिज/जोदा द्वारा ऐसी कार्रवाई के दौरान किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

[अनुवाद]

पीएनजी/सीएनजी सुविधाएं

3018. श्री प्रतीक पी. पाटील :
श्री श्रीचन्द कृपलानी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राजस्थान और देश में जनजातीय क्षेत्रों में सीएनजी वितरण केन्द्रों को खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस संबंध में कोई निदेश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो उक्त निदेशों का अनुपालन किया जा रहा है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (ग), (ङ) और (च) छाबरा, बांरन, कोटा, अलवर, धौलपुर, किशनगंज, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर में नगर गैस वितरण परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु गेल के आवेदन मंत्रालय द्वारा पी एन जी आर बी को भेज दिए गए हैं। राजस्थान में नगर गैस वितरण परियोजना के क्रियान्वयन के लिए गेल ने 17 मई, 2007 को एच पी सी एल के साथ संयुक्त उद्यम करार (जे वी ए) पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त उद्यम कंपनी (जे वी सी) का निगमन प्रगति पर है।

गेल की गैस पुनर्वासन और विस्तार परियोजना पाइपलाइन (जी आर ई पी) राजस्थान से गुजराती है। गेल ने विजयपुर-कोटा पाइपलाइन दिसम्बर, 2006 में पहले ही चालू कर दी है। गेल को राजस्थान में अलवर के समीप से गुजरने वाली छैंसा-गुड़गांव-झज्जर-हिसार पाइपलाइन के लिए प्राधिकार पत्र जारी कर दिया गया है।

(घ) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने अपने दिनांक 17.2.2007 के आदेश द्वारा महेन्द्र लोढ़ा बनाम राजस्थान राज्य (भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत डी बी सिविल रिट याचिका संख्या 6073/1993) के मामले में निर्णयादेश पारित किया था जिसमें कहा गया था "संबंधित प्राधिकारियों को कारगर कदम उठाने चाहिए ताकि एक वर्ष के भीतर सार्वजनिक पेट्रोल और डीजल के बजाय सी एन जी का इस्तेमाल करे।"

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना

3019. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में भारतीय

इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) की प्रसंस्करण इकाइयो की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त इकाइयों की स्थापना पर कितना व्यय होने का अनुमान है;

(घ) देश में ऐसी इकाइयों की स्थापना के क्या लक्ष्य और उद्देश्य हैं;

(ङ) इससे इकाई वार अनुमानतः कितना उत्पादन होगा;

(च) ऐसी इकाइयों की स्थापना से सेल के उत्पादन में इकाई-वार अनुमानतः कितनी वृद्धि होने की संभावना है; और

(छ) इनमें से प्रत्येक इकाई द्वारा कब तक कार्य शुरू किए जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) और (ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर राज्यों में उपयुक्त स्थानों पर इस्पात प्रक्रमण इकाइयां (एसपीयू) स्थापित करने पर विचार कर रहा है।

(ग) से (च) इकाइयों को स्थापित करने की लागत आर्डर दिए जाने के बाद पता लगेगी। उत्पाद मिश्र और क्षमता आदि के ब्यौरे का पता प्रस्तावों की फर्मिंग अप के बाद लगेगा। इस्पात प्रक्रमण इकाइयों (एसपीयू) की स्थापना खपत बिंदु के समीपवर्ती स्थानों की आवश्यकता के अनुसार साइज्ड और फिनिश्ड स्टील की आपूर्ति हेतु ग्राहकों की मांग पूरी करने के उद्देश्य से फिनिश्ड स्टील का उत्पादन बढ़ाने के लिए की जा रही है।

(छ) बेतिया (बिहार), महनार (बिहार) और होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) में निविदाओं को अंतिम रूप दिए जाने के बाद आर्डर दिए जाने की तारीख से 24 माह के भीतर 3 इस्पात प्रक्रमण इकाइयां (एसपीयू) स्थापित किए जाने की उम्मीद है।

रेलवे द्वारा ग्रुप हाउसिंग और वाणिज्यिक परियोजनाओं का विकास

3020. श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार पूरे देश में ग्रुप हाउसिंग और वाणिज्यिक परियोजनाओं को विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन स्थानों की पहचान की गई है;

(ग) क्या रेलवे ने उक्त प्रयोजनार्थ किसी सांविधिक प्राधिकरण की स्थापना की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) रेल मंत्रालय ने गैर-दरसूची उपायों द्वारा राजस्व उपार्जन करने हेतु मंत्रालय द्वारा बताए गए अनुसार मुख्यतः वाणिज्यिक उपयोग के लिए रेल भूमि का उपयोग करने के लिए रेल अधिनियम 1989 के एक संशोधन (2005 के संशोधन सं. 47) के जरिए ''रेल भूमि विकास प्राधिकरण'' (आर एल डी ए) नामक एक सांविधिक निकाय का गठन किया है। इस प्रकार के वाणिज्यिक उपयोग में बाजार अध्ययन और अन्य कारकों के आधार पर आवासीय अथवा वाणिज्यिक कॉम्पलेक्सों का विकास शामिल है। प्राधिकरण ने जनवरी 2007 से कार्य शुरू कर दिया है। अभी तक, विभिन्न स्थलों पर 108 स्थानों को आर एल डी ए को सौंपा गया है।

औषध विनिर्माण कंपनियों के खुदरा बिक्री केन्द्रों का खोला जाना

3021. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री कीर्तिवर्धन सिंह :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दवाइयों की थोक और खुदरा बिक्री को कानूनी रूप देने के लिए कोई केन्द्रीय कानून बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार औषध विनिर्माण कंपनियों को अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों को खोलने की अनुमति देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) बल्क (थोक) व खुदरा में औषधों और उनके फार्मूलेशनों की बिक्री का विनियमन, औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बने नियमों के तहत किया जाता है।

(ख) और (ग) औषधों की बिक्री के लिए औषध विनिर्माता कंपनियों द्वारा रिटेल आउटलेट खोले जाने पर उक्त नियमों के तहत कोई प्रतिबंध नहीं है।

[हिन्दी]

कृष्णा-गोदावरी बेसिन में खोजे गए गैस भंडार

3022. **श्री रामजीलाल सुमन :**
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा गोदावरी बेसिन में गैस के विपुल भंडार की खोज के बाद देश गैस उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2008-09 के दौरान देश में गैस की मांग और आपूर्ति के संबंध में सरकार द्वारा क्या आकलन किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (ग) देश में प्राकृतिक गैस की मांग प्राकृतिक गैस की उपलब्धता से अधिक है। वर्ष 2008-09 के दौरान अनुमानित मांग लगभग 196.64 मिलियन मानक घन मीटर प्रति दिन है और 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुमानों के अनुसार, 2008-09 के दौरान आपूर्ति लगभग 153.58 एम एम एस सी एम डी होने की संभावना है। देश में इस समय प्राकृतिक गैस का उत्पादन लगभग 87 एम एम एस सी एम डी है। 2008-09 में कृष्णा गोदावरी बेसिन से जून, 2008 से 80 एम एम एस सी एम डी अतिरिक्त गैस का उत्पादन होने की आशा है।

मंगलौर में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना

3023. **श्री संतोष गंगवार :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम का विचार मंगलौर में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें कितनी धनराशि का निवेश किए जाने की संभावना है और इससे तेल तथा प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में क्या लाभ मिलने की संभावना है; और

(घ) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) और (ख) आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) संयुक्त उद्यम कंपनी, मंगलौर स्पेशल इकोनोमिक जोन लिमिटेड के प्रवर्तकों में से एक हैं जो निम्नलिखित इक्विटी संरचना में मंगलौर में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस ई जैड) स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

— ओ एन जी सी - 26%

— कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड - 23%

— इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनैंसियल सर्विसेज + कर्नाटक वाणिज्य एवं उद्योग मंडल - 51%

(ग) मंगलौर एस ई जेड (एम एस ई जेड) की अनुमानित परियोजना लागत लगभग 1500 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, एम एस ई जेड में, ओ एन जी सी मंगलौर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (ओ एम पी एल) एक सुरमित द्रव्य परिसर स्थापित करने के लिए लगभग 5000 करोड़ रुपये निवेश कर रही है।

मंगलौर एस ई जेड में विकसित किए जा रहे पेट्रोरसायन और डाउनस्ट्रीम एकक, मंगलौर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की वर्तमान उत्पाद स्ट्रीम में मूल्य वृद्धि करेंगे।

(घ) इस परियोजना के पूरा होने की समय सीमा बता पाना संभव नहीं है। तथापि, सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, न्यूनतम तीन वर्ष लगने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

हुबली और बंगलौर के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस

3024. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुबली और बंगलौर के बीच एक और इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण हुबली-बेंगलूरू के बीच अतिरिक्त गाड़ी चलाना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

रेलवे के अंतर्गत विनिर्माण इकाइयां

3025. श्री जी. करूणाकर रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के अंतर्गत विनिर्माण इकाइयों का ब्यौरा क्या है और इनके द्वारा कितनी वस्तुओं का विनिर्माण किया गया है एवं इनका वित्तीय कार्य निष्पादन कैसा है;

(ख) पिछले महीने के आखिर से आज की तिथि तक इनमें से प्रत्येक विनिर्माण इकाई में कुल कितनी पूंजी का निवेश किया गया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक इकाई द्वारा कितना औसत वार्षिक लाभ अर्जित किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) इस समय, रेल मंत्रालय के अधीन 6 उत्पादन इकाइयां हैं। उनके नाम और उनके द्वारा विनिर्मित माल का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	उत्पादन इकाई का नाम	विनिर्मित मद
1.	चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना (चिरेका), चित्तरंजन, पश्चिम बंगाल	बिजली रेल इंजन
2.	डीजल रेल इंजन कारखाना (डीरेका), वाराणसी, उत्तर प्रदेश	डीजल रेल इंजन
3.	सवारी डिब्बा कारखाना (सडिका), चेन्नई, तमिलनाडु	सवारी डिब्बे
4.	रेल डिब्बा कारखाना (रेडिका), कपूरथला, पंजाब	सवारी डिब्बे
5.	रेल पहिया कारखाना (रेपका), बेंगलौर, कर्नाटक	पहिया एवं धुरा
6.	डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना (डी एम डब्ल्यू), पटियाला, पंजाब	डीजल रेल इंजन पुनर्निर्माण तथा कलपुर्जे

ये सभी स्वदेशी उत्पादन इकाइयां हैं जो भारतीय रेलों के उपयोग के लिए "बिना लाभ-हानि" के आधार पर उत्पादन करने के लिए संचालित हैं। इन उत्पादन इकाइयों में विनिर्मित की जाने वाली विभिन्न मदों के लिए लगभग निर्धारित अंतरण कीमतों के द्वारा उपयोग करने वाली यूनिटों (क्षेत्रीय रेलें) के लिए उत्पादन की पूरी लागत अंतरित की जाती है। वर्ष 2007-08 के लिए इन 6 इकाइयों को वित्तीय निष्पादन नीचे दिया गया है:-

इकाई	वित्तीय निष्पादन (अनंतिम आंकड़े)
1	2
चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना	747.42 करोड़ रु. (नवम्बर, 07 तक)

1	2
डीजल रेल इंजन कारखाना	855.00 करोड़ रु. (अक्टूबर, 07 तक)
सवारी डिब्बा कारखाना	629.88 करोड़ रु. (नवम्बर, 07 तक)
रेल डिब्बा कारखाना	801.51 करोड़ रु. (अक्टूबर, 07 तक)
रेल पहिया कारखाना	249.76 करोड़ रु. (अक्टूबर, 07 तक)
डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना	329.41 करोड़ रु. (नवम्बर, 07 तक)

(ख) पिछले माह के अंत और आज की तारीख तक विनिर्माण करने वाली प्रत्येक इकाइयों में निवेश की गई कुल पूंजी इस प्रकार है:-

इकाई	पूंजी निवेश
चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना	340.44 करोड़ रु. (अक्टूबर, 07 तक)
डीजल रेल इंजन कारखाना	542.00 करोड़ रु. (अक्टूबर, 07 तक)
सवारी डिब्बा कारखाना	512.96 करोड़ रु. (अक्टूबर, 07 तक)
रेल डिब्बा कारखाना	1044.42 करोड़ रु. (अक्टूबर, 07 तक)
रेल पहिया कारखाना	326.97 करोड़ रु. (नवम्बर, 07 तक)
डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना	284.42 करोड़ रु. (अक्टूबर, 07 तक)

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रत्येक इकाइयों द्वारा गैर रेलवे ग्राहकों को बेचे गए उत्पादों से अर्जित लाभ की वार्षिक औसत धनराशि इस प्रकार है :-

इकाई	अर्जित लाभ
चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना	कुछ नहीं
डीजल रेल इंजन कारखाना	13.15 करोड़ रु.
सवारी डिब्बा कारखाना	0.71 करोड़ रु.
रेल डिब्बा कारखाना	1.28 करोड़ रु.
रेल पहिया कारखाना	8.87 करोड़ रु.
डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना	कुछ नहीं

[हिन्दी]

हॉकी खिलाड़ियों को रेलवे के पास

3026. श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री हंसराज गं. अहीर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1975 में विश्व कप जीतने वाली हॉकी टीम के खिलाड़ियों को नि:शुल्क रेलवे के पास दिए जाने संबंधी घोषणा के बावजूद भी उन्हें पास जारी नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रेलवे द्वारा इस संबंध में की गई घोषणा के अनुसार हॉकी खिलाड़ियों को नि:शुल्क पास जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) मौजूदा नीति के अनुसार ऐसे खिलाड़ी जो अर्जुन अवार्ड विजेता हों, ओलम्पिक मैडलधारी हों, एशियाई खेलों और कॉमनवैल्थ खेलों के स्वर्ण पदक मैडलधारी हों, को रेलवे द्वारा मानार्थ रेलवे पास जारी किए जा रहे हैं। चूंकि नीति में किसी खेल के विश्वकप विजेता अवार्डधारी शामिल नहीं हैं। इसलिए एसे खिलाड़ी नि:शुल्क रेलवे पासों की जारी के लिए पात्र नहीं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तेजगति की मालगाड़ियों और वैगनों की कमी

3027. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा तेज गति के इंजनों और रेलपथों की उपलब्धता के बावजूद भी तेजगति की मालगाड़ियों और वैगनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) माल डिब्बों की अधिकतम अनुमेय रफ्तार पर मालगाड़ियां चलाने के संबंध में अनुदेश पहले से ही मौजूद हैं। कॉनराज नाम से मुख्यत: पश्चिमी भारत में चलनेवाली कंटेनर गाड़ियां 100 कि.मी. प्रति घंटा की अधिकतम अनुमेय रफ्तार पर चलती है। रेल मंत्रालय द्वारा भी अन्य खाली उच्च रफ्तार वाले मालडिब्बों को 100 कि.मी. प्रतिघंटा की रफ्तार पर चलाने का विनिश्चय किया गया है।

आरपीएफ/एसआरपीएफ का पुनर्गठन

3028. श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और विशेष रेलवे सुरक्षा बल (एसआरपीएफ) के पुनर्गठन के लिए कोई योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने इस संबंध में किसी समिति का गठन भी किया है;

(घ) यदि हां, क्या रेलवे को इसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त समिति की सिफारिशों के मद्देनजर आरपीएफ/एसआरपीएफ के पुनर्गठन के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम

3029. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य में बेल्लारी और चित्रदुर्ग स्थित किलों में ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम आयोजित करने पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने हाल ही में ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम को लागू करने के लिए विभाग की सहायता करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात व्यक्तियों वाली 11 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है; और

(ग) इन उपायों से राज्य में पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलेगा?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) राज्य सरकार ने कर्नाटक में ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रमों के विकास हेतु एक समिति का गठन किया है एवं निम्नलिखित कार्यों को समिति को सौंपा गया है:-

(i) स्क्रिप्ट तैयार करना

(ii) कार्यान्वयन एजेंसी का चयन

(iii) परियोजना की तकनीकी जांच

(iv) परियोजना संबंधी सलाह एवं निर्देश

(v) परियोजना के पूर्ण होने तक उसको मॉनिटरिंग

रत्नागिरी गैस एंड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड का पुनरूद्धार

3030. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) के पास रत्नागिरी गैस एंड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड (आरजीपीपीएल) में अतिरिक्त धनराशि लगाने और इसका पुनरूद्धार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुनरूद्धार की योजना कब तक शुरू होने की संभावना है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) और (ख) गेल ने रत्नागिरि गैस एण्ड पावर प्रा. लि. (आर जी पी पी एल) को एल एन जी टर्मिनल पूरा किए जाने के लिए कुछ शर्तों के अध्यधीन 475 करोड़ रुपए का अतिरिक्त इक्विटी अंशदान देने का निर्णय लिया है।

(ग) तीन विद्युत ब्लाकों में से 2 विद्युत ब्लाक प्रचालनरत हैं। तीसरे विद्युत ब्लाक के फरवरी, 2008 तक प्रचालनरत हो जाने की संभावना है। एल एन जी टर्मिनल तरंग रोध के बिना दिसम्बर, 2008 तक पूरा किए जाने की आशा है, यह टर्मिनल तरंग रोध सुविधाओं की पूर्ति के बाद मार्च, 2011 में पूर्ण रूप से प्रचालनरत हो जाएगा।

आवश्यक ईंधन दक्षता मानक

3031. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कारों, स्कूटरों, मोटर साइकलों, ट्रकों, बसों और तिपहिया वाहन सहित सभी वर्गों और सभी प्रकार के वाहनों में आवश्यक ईंधन दक्षता मानकों को निर्धारित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा न करने वाले विनिर्माताओं के विरूद्ध शास्ति की कार्रवाई करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने डीजल, गैसोलीन वाहनों के लिए कार्बन डाई ऑक्साईड और ईंधन खपत के संबंध में टाईप एप्रूवल और उत्पादन अनुरूपता के आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राजस्थान वित्त और विकास निगम से परियोजना प्रस्ताव

3032. श्री सुभाष महरिया : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम को राजस्थान अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम तथा राजस्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत ऐसे परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इसके अंतर्गत कितनी वित्तीय सहायता आबंटित और जारी की गई है;

(घ) राज्य के शेष परियोजना प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) उन में विलंब के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त

एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम (एनएमडीएफसी) द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीएज) से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा इस प्रकार है:

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

(लाख रुपए)

वर्ष	प्रस्तावों की संख्या		राशि	
	प्राप्त	मंजूर	मंजूर	जारी
2004-05	20	25	1166.66	820.04
2005-06	18	19	913.00	622.70
2006-07	15	12	422.22	274.72

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

(लाख रुपए)

वर्ष	स्वीकृत राशि	जारी राशि
2004-05	582.86	337.24
2005-06	488.74	345.42
2006-07	496.29	183.69

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम

(लाख रुपए)

वर्ष	स्वीकृत राशि	जारी राशि
2004-05	150.00	150.00
2005-06	300.00	100.00
2006-07	400.00	150.00

[अनुवाद]

कोंकण रेल निगम द्वारा 'वेटिवर घास' उगाया जाना

3633. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेल निगम (के आर सी) ने रेल लाइन पर ''वेटिवर घास'' उगाई है ताकि उनकी जड़ें मिट्टी को एक साथ बांध सकें और मृदा अपर्दन को रोक सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ''वेटिवर घास'' का चयन करने के क्या कारण हैं;

(ग) यह प्रणाली भूस्खलन को रोकने में किस हद तक प्रभावी साबित होगी;

(घ) ''वेटिवर घास'' कुल कितने लंबे क्षेत्र में उगाई जाएगी;

(ङ) इस कार्य पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है और संपूर्ण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी बार भूस्खलन हुआ और पश्चिम रेलवे की संपत्तियों को कितना नुकसान पहुंचा; और

(छ) भूस्खलन को रोकने के लिए रेलवे का अन्य क्या कदम उठाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) कटाव नियंत्रण पर फरवरी, 2005 में अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन (आर.डी.एस.ओ.) द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार निगम द्वारा कोंकण रेलवे मार्ग के कुछ स्थानों पर मिट्टी कटाव को नियंत्रित करने के लिए वेटिवर घास रोपण को अपनाया गया है।

(ग) अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन की सिफारिशों के अनुसार इस प्रकार से घास रोपण का उद्देश्य मुख्यत: मिट्टी कटाव वाले क्षेत्रों में जल परिस्त्रवण को रोककर मिट्टी के कटाव को रोकना है ताकि ढलान की मिट्टी को बहने और भू-स्खलन को रोका जा सके।

(घ) लगभग 100 किमी लम्बे रेलपथ को वेटिवर घास रोपण द्वारा कवर किया जाएगा। अभी तक लगभग 60 किमी लम्बे रेलपथ को वेटिवर घास रोपण द्वारा कवर किया जा चुका है।

(ङ) वर्ष के दौरान निगम द्वारा वेटिवर घास रोपण पर लगभग 1.30 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। आने वाले वर्षों में वेटिवर घास रोपण पर लगभग 1.0 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। इस प्रकार, वेटिवर घास रोपण पर संभावित खर्च लगभग 2.30 करोड़ रुपए होगा। इस प्रकार के सभी कार्यों को 2009-10 तक पूरा करने का प्रस्ताव है।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई भू-स्खलन नहीं हुई है और इनके कारण पश्चिम रेलवे की परिसंपत्तियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बहरहाल, कोंकण रेलवे मार्ग पर हुए भू-स्खलन और इसके परिणामस्वरूप निगम को हुई हानि का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	भू-स्खलनों की संख्या	हुई क्षति की लागत (करोड़ रुपयों में) लगभग
2005	4 अदद	10.00
2006	3 अदद	7.00
2007	2 अदद	7.00
कुल	9 अदद	24.00

(छ) भू-स्खलन को रोकने के लिए निगम द्वारा भू-तकनीकी संरक्षा से संबंधित कार्यों जैसे ढलानों के कटाव को चौड़ा करना, पत्थरों को बोल्ट करना और कटाव का शोटक्रेटिंग, माईक्रो पाइलिंग, कटावों की सोआईल नेलिंग, टो दीवारों का निर्माण करने और जल निकासी को दुरूस्त करने जैसे अन्य कदम उठाये गये हैं।

[हिन्दी]

निःशक्त व्यक्तियों के लिए रेलवे में रोजगार

3034. डा. रामेश्वर उरांव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा निःशक्त व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर रेलवे में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मंडलवार कितने निःशक्त व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) विकलांग व्यक्तियों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (जो कि ऐसे प्रयोजनों के लिए नोडल विभाग है) के मार्गनिर्देशों के अनुसार, ग्रुप "सी" और "डी" कोटियों में उनके लिए चिन्हित उपयुक्त पदों में सीधी भर्ती कोटा के तहत 3% तक आरक्षण प्रदान किया जाता है। उनको प्रदान की गई रियायतों में आयु में 10 वर्ष की छूट दी जाती है, निःशुल्क आवेदन पत्र तथा परीक्षा फीस, लिपिकीय पदों पर नियुक्ति के लिए टाइपिंग अर्हता में छूट दी जाती है। यदि उन्हें अन्यथा अर्हक पाया जाता है और चिकित्सा बोर्ड द्वारा टाइप करने में असमर्थ प्रमाणित किया जाता है, साथ ही, उनके मामले में मैट्रिक में पास भी माना जाता है (अन्य सामान्य उम्मीदवारों के मामलों में 50% अंकों पर जोर दिए जाने के स्थान पर) बशर्ते कि वे अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में विमान सेवा और प्रशिक्षण संस्थान

3035. डा. अरुण कुमार वर्मा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में एक पायलट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्र में एक क्षेत्रीय विमान सेवा शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक क्षेत्रीय विमान सेवा और पायलट प्रशिक्षण संस्थान शुरू किए जाने के प्रस्ताव के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है और इनमें क्या प्रगति हुई है तथा इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी नहीं, नागर विमानन मंत्रालय के तत्वाधान में पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसी पायलट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, असम उड़ान क्लब निजी पायलट लाइसेंस स्तर तक का उड़ान प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है।

(ख) से (घ) पूर्वोत्तर सहित क्षेत्रीय एयरलाइनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नीति पहले से ही विद्यमान है।

प्राकृतिक गैस ग्रिड

3036. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में कुछ विशिष्ट प्राकृतिक गैस ग्रिड स्थापित करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे ग्रिडों से प्राप्त होने वाले लाभ और उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (ग) गैस पाइपलाइनें गैस की उपलब्धता और उत्पादन केन्द्रों तथा ग्राहकों के स्थान के अनुसार बिछाई जाती हैं। देश में विभिन्न निकायों द्वारा ट्रंक गैस पाइपलाइनों का एक नेटवर्क बिछाया जा रहा है जिसके द्वारा ग्राहकों को प्राकृतिक गैस के विभिन्न स्रोतों से जोड़ा जा रहा है।

दहेज उरण पाइपलाइन (डी यू पी एल) तथा दाभोल-पनवेल पाइपलाइन (डी पी पी एल) 11 जुलाई, 2007 को गेल द्वारा चालू की गई है। केलारस-मालनपुर, विजयपुर, विजयपुर-कोटा तथा जगोती-पीतमपुरा पाइपलाइन गेल द्वारा क्रमशः जुलाई 2006, जनवरी, 2007 तथा मार्च, 2007 को चालू की गई है। रिलायन्स गैस ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आर जी टी आई एल) महाराष्ट्र और गुजरात में उपभोक्ताओं तक के जी बेसिन से गैस परिवहन के लिए काकीनाडा-हैदराबाद-उरण-अहमदाबाद पाइपलाइन (1385 कि.मी.) का निर्माण कर रही है। दादरी-पानीपत पाइपलाइन (133 कि.मी.) इंडिया आयल कारपोरेशन (आई ओ सी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

गेल को हाल ही में दादरी-बवाना-नांगल पाइपलाइन, चौंसा-गुड़गांव-झज्जर-हिसार पाइपलाइन, जगदीशपुर-हल्दिया पाइपलाइन, दाभोल-बंगलौर पाइपलाइन तथा कोच्चि कंजीरकोड-बंगलौर-मंगलौर पाइपलाइन के लिए प्राधिकार जारी किए गए हैं। रिलायन्स गैस ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आर जी टी आई एल) को हाल ही में काकीनाडा-बासुदेवपुर-हावड़ा पाइपलाइन, विजयवाड़ा नेल्लौर-चेन्नई पाइपलाइन, चेन्नई-तूतीकोरिन पाइपलाइन और चेन्नई-बंगलौर-मंगलौर पाइपलाइन के लिए प्राधिकार प्रदान किये गए हैं।

इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने तथा उसे बिना भेदभाव की पद्धति से विनियमित करने के लिए भारत सरकार ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 प्रवृत्त किया है तथा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और नगर अथवा स्थानीय "प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क हेतु विकास नीति" अधिसूचित की है।

एचएससीएल के स्टाफ क्वार्टर

3037. **श्री सुनील खां : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि. (एचएससीएल) ने अपने कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कंपनी का विचार इन क्वार्टरों के अतिक्रमण को रोकने के उद्देश्य से इन क्वार्टरों को कर्मचारियों को पट्टे पर देने/बेचने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) जी, हां। हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल) ने बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्रों में अपनी फील्ड इकाइयों में सरकारी क्षेत्र की संबंधित इस्पात इकाइयों द्वारा दी गई भूमि पर अपने कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण किया है।

(ख) और (ग) चूंकि कंपनी का भूमि पर स्वामित्व नहीं है अतः इन क्वाटरों को अपने कर्मचारियों को पट्टे पर देने/बेचने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, अधिशेष क्वार्टर अल्पकाल के लिए कंपनी की अनुमोदित शर्तों पर इच्छुक पूर्व कर्मचारियों को दिए जाते हैं।

बादामी स्मारकों का विकास

3038. **श्री पी.सी. गद्दीगौडर : क्या संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8वीं शताब्दि के चालुक्य शासन काल के बादामी स्मारकों की विश्व विरासत के अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के स्तर पर एक विशिष्ट समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किए जाने के लिए कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एहोल, बादामी, महाकुटा तथा जालीहाल स्थित आरंभिक चालुक्य कालीन कल्चरल रिसोर्सेज को 1987 में विश्व धरोहर सूची में पहले ही दर्ज पट्टडकल स्मारक समूह तक विस्तार के रूप में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है।

जीएमआर द्वारा राजस्व का अन्यत्र उपयोग

3039. श्री पी.एस. गढ़वी :
डा. राजेश मिश्रा :
श्री जे.एम. आरून रशीद :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीएमआर लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनी दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड (डीआईएएल) राजस्व का अन्यत्र उपयोग करने के उद्देश्य से प्रमुख व्यवसाय संभालने वाली इकाइयों को अलग-अलग करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने जीआईएएल और जीएमआर को इस कदम के संबंध में कोई निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में जीआईएएल और जीएमआर की प्रतिक्रियाएं क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने रियल इस्टेट विकास कारगो प्रचालनों तथा शुल्क मुक्त दुकानों के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कम्पनियां स्थापित की हैं।

(ग) और (घ) डीआईएएल को प्रचालन प्रबंध तथा विकास करार के प्रावधानों के अधीन अपना कारोबार कड़ाई से चलाने का परामर्श दिया गया है।

एचएमटी वाचिज लिमिटेड का पुनरूद्धार

3040. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार श्रीनगर स्थित एचएमटी चिनार वाचिज लिमिटेड के इच्छुक कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू कर रही है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को कार्यान्वित करने के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(घ) क्या सरकार श्रीनगर स्थित चिनार वाचिज लिमिटेड सहित एचएमटी की सभी इकाइयों का पुनरूद्धार करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने के लिए 10 करोड़ रुपए अनुमोदित किए हैं। तदनुसार, एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड ने इच्छुक कर्मचाीयों से वीआरएस के लिए आवेदन मांगे हैं।

(घ) और (ङ) सरकार राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में निर्धारित नीति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरूद्धार पर विचार कर रही है। इसने एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड, एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड और प्रागा टूल्स लिमिटेड के लिए पुनरूद्धार पैकेज अनुमोदित कर दिए हैं। जहां तक एचएमटी लिमिटेड (धारक कंपनी), एचएमटी वाचेज लिमिटेड और एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड का प्रश्न है, इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। एचएमटी इंटरनेशनल लिमिटेड लाभ अर्जित करने वाली कंपनी है और इस प्रकार इसे किसी पुनरूद्धार पैकेज की आवश्यकता नहीं है।

सीएनजी सुविधाएं

3041. श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री अनंत कुमार :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों अभी तक किन-किन स्थानों पर सी एन जी स्टेशन खोले गए हैं;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में सी एन जी की भारी कमी है;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न स्थानों पर अधिक सी एन जी स्टेशनों की आपूर्ति की मांग कि अनुरोध का ब्यौरा क्या है;

(घ) सी एन जी के संबंध में राज्यों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) अत्यधिक वाहन प्रदूषण वाले शहरों में वाहनों को चलाने के लिए सी एन जी की पर्याप्त आपूर्ति हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) और (ख) विभिन्न कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, देश के निम्नलिखित नगरों में सी एन जी स्टेशन खोले गए हैं-

महाराष्ट्र	मुंबई, ठाणे और मीरा-भायंदर
दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	दिल्ली
आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा और हैदराबाद
उत्तर प्रदेश	नोएडा, कानपुर, लखनऊ और आगरा
त्रिपुरा	अगरतला
गुजरात	अहमदाबाद, अंकलेश्वर, भरूच, सूरत, बडोदरा, गांधीनगर और हजीरा

देश में प्राकृतिक गैस की मांग उपलब्धता से अधिक है। तथापि, जैसे ही सी एन जी वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है ऐसे सभी नगरों में सी एन जी ईंधन की मांग को पूरा करने के लिए, सी एन जी स्टेशनों की वृद्धि की जा रही है, जहां सी एन जी स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

(ग) से (ङ) राज्यों में सी एन जी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए, कुछ राज्यों से समय समय पर अनुरोध प्राप्त हुए हैं। जैसा कि भाग (क) के उत्तर में उल्लेख किया गया है, बहुत से नगरों में सी एन जी बिक्री केन्द्र खोले गए हैं। गेल (इंडिया) लिमिटेड ने नगर गैस वितरण नेटवर्क कार्यान्वित करने के लिए तेल विपणन कंपनियों और कार्यनीतिक भागीदारों के साथ 8 संयुक्त उद्यम कंपनियां बनाई हैं।

भारत सरकार ने, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को छोड़ कर, परिष्कृत करने संसाधित करने, भंडारण करने, परिवहन, वितरण, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के विपणन और बिक्री को विनियमित करने के लिए "पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006" के अंतर्गत दिनांक 01.10.2007 से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार, बिछाने बनाने, प्रचालन करने और विस्तार करने नगर/स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए निकायों के पंजीकरण और प्राधिकरण का कार्य हाथ में लेगा।

अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन का विकास

3042. श्री तापिर गाव : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक पर्यटन से संबंधित अवसंरचना के विकास हेतु अरुणाचल प्रदेश सरकार को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन सर्किटों की कुल संख्या और नामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशी पर्यटकों हेतु अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र से प्रतिबंधित क्षेत्र अनुमति को वापस लेने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) पर्यटन के विकास एवं संवर्धन की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। पर्यटन मंत्रालय,

भारत सरकार पूर्वोत्तर के राज्यों सहित सभी राज्यों को पर्यटक गंतव्यों तथा परिपथों के लिए पर्यटन संबंधी परियोजनाओं हेतु गंतव्यों तथा परिपथों के उत्पाद/अवसंरचना विकास तथा भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं की सहायता की योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक पर्यटन संबंधी अवसंरचना के विकास हेतु अरुणाचल प्रदेश राज्य को आबंटित निधियों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

(लाख रुपए में)

वर्ष	स्वीकृत राशि
1	2
2004-05	1,041.69
2005-06	1,973.56
2006-07	1,827.80
2007-08 (आज की तारीख तक)	2,978.61

दसवीं योजना के पिछले तीन वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अरुणाचल प्रदेश में गंतव्यों तथा परिपथों के लिए स्वीकृत परियोजनाओं से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ग) और (घ) विदेशी पर्यटकों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट से संबंधित प्रतिबंधों की समीक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है और इसे सुरक्षा एजेंसियों के साथ परामर्श से तथा संबंधित राज्यों से प्रस्ताव की प्राप्ति पर गृह मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
	2004-05	
1.	कुपोरजी (दापेरीजी) में सुब-अन्सीरी नदी के तट पर अतिथि मार्गस्थ सुविधाओं का निर्माण	65.40
2.	ईटानगर में गंगालेक का विकास	243.00
3.	अरुणाचल प्रदेश ईको पर्यटन परियोजना	83.29
4.	पश्चिमी सियांग में आलोंग का गंतव्य विकास	266.00
5.	जेमिनथांग का विकास	384.00
	कुल	1041.69
	2005-06	
1.	लोअर दिबांग घाटि, अरुणाचल प्रदेश के जिया में हॉट स्प्रिंग का गंतव्य विकास	262.00

1	2	3
2.	पापम पारा जिले के तारासो में गेरा झील का गंतव्य विकास	373.00
3.	डिब्रूगढ़-पासीघाट-डेईंग ईरिंग वन्य जीव अभ्यारण्य का गंतव्य विकास	299.00
4.	अरुणाचल प्रदेश राज्य में पर्यटन परिपथ की योजना के अंतर्गत सियांग परिपथ का एकीकृत विकास	778.94
5.	पूर्वी सियांग जिले के रेंगो ग्राम में ग्रामीण पर्यटन परियोजना	46.62
6.	आईटी की योजना के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश का कंप्यूटरीकरण	50.00
7.	पासीघाट में बहुउद्देशीय हॉल/देवमाली में पर्यटक लॉज/देवमाली प्रवेश गेट, तिराप में मार्गस्थ सुविधाओं का निर्माण	161.00
	कुल	1973.56
	2006-07	
1.	लोअर दिबांग घाटी जिले के याबगो, डंबुक में हैरिटेज स्थल (स्टोन रैंपार्ट) का संरक्षण	283.22
2.	सूचना प्रौद्योगिकी की योजना के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को केन्द्रीय वित्तीय सहायता	50.00
3.	अरुणाचल प्रदेश में दिरक-वाकरो-तेजू-ह्यउलियांग-वालोंग पर्यटक परिपथ का विकास	772.26
4.	अपर सुबंसीरी जिले के लिगू ग्राम में ग्रामीण पर्यटन का विकास	46.00
5.	परशुराम कुंड में पर्यटक परिसर का निर्माण	462.68
6.	पापुम पारा में होलांगी में पर्यटक रिजार्ट का विकास	167.14
7.	पश्चिमी सियांग जिले के ईगो-निकते ग्राम में ग्रामीण पर्यटन का विकास	46.50
	कुल	1827.80
	2007-08	
1.	अपर सियांग के गेकू में पर्यटक लॉज का विकास	133.77
2.	अपर सियांग के टूटिंग में पर्यटक परिसर का विकास	358.51
3.	ईटानगर जीरो-डपोरजी-बसर पर्यटक परिपथ का विकास	759.87
4.	माळडिया लोअर दिबांग घाटी में पर्यटक परिसर का निर्माण	422.23

1	2	3
5.	ईटानगर के पास गयाकर सिन्नी झील का विकास एवं सुधार	426.00
6.	अरुणाचल प्रदेश में मेचुका पर्यटन गंतव्य का विकास	441.56
7.	अरुणाचल प्रदेश के चंगलांग जिले में जयराम पुर पर्यटक गंतव्य का विकास	436.67
	कुल	2978.61

विरासत मार्ग परियोजना

3043. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्मारक कोष और अमेरिकन एक्सप्रेस में हुमायूं के मकबरे से लाल किले तक विरासत मार्ग परियोजना हेतु 2 लाख डालर के अनुदान की घोषणा की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

यात्री सुविधाएं

3044. **श्री हेमलाल मुर्मू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा** करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 'यात्री और अन्य रेलवे प्रयोक्ता सुविधाएं' शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक मंडल/जोन में स्वीकृत और खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार बिहार और झारखंड के महत्वपूर्ण स्टेशनों पर बेहतर और गुणवत्तापरक साउंड आउटपुट के लिए माइक्रोप्रोसेसर आधारित समेकित सार्वजनिक घोषणा प्रणाली उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) योजना शीर्ष यात्री और अन्य रेलवे उपयोगकर्ताओं की सुविधाओं के अंतर्गत वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान आबंटित निधियों और किए गए खर्च का जोनवार ब्यौरा विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) से (ग) इस प्रकार की सुविधा इन राज्यों के कुछ रेलवे स्टेशनों पर मौजूद है। अन्य महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों को यथासमय शामिल कर लिया जाएगा क्योंकि इन सुविधाओं, जैसे कि अन्य यात्री सुविधाएं की व्यवस्था करना एक सतत प्रक्रिया है।

विवरण

योजना शीर्ष यात्री तथा अन्य रेलवे उपयोगकर्ता सुविधाओं के अंतर्गत वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान जोनवार निधि आबंटन तथा खर्च का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

(आंकड़े हजार रुपए में)

रेलवे	यात्री सुविधाएं					
	2004-05		2005-06		2006-07	
	बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय
1	2	3	4	5	6	7
मध्य रेलवे	110630	153600	107900	177800	304571	346300

1	2	3	4	5	6	7
पूर्व रेलवे	221896	124600	206500	141300	439355	379400
उत्तर रेलवे	248660	277900	218300	281600	340500	407700
पूर्वोत्तर रेलवे	93002	101500	92500	104400	125723	233000
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे	121767	118800	125200	198500	264878	338300
दक्षिण रेलवे	217513	206900	176300	258200	267384	444600
दक्षिण मध्य रेलवे	136608	413500	133200	341200	200900	398800
दक्षिण पूर्व रेलवे	92236	70000	92900	102300	78476	99300
पश्चिम रेलवे	262320	184200	253700	177500	253396	287700
पूर्व मध्य रेलवे	334702	198800	319300	249800	380994	223500
पूर्व तट रेलवे	42988	41600	89600	52800	134395	114300
उत्तर मध्य रेलवे	42495	61100	62400	45700	108000	80400
उत्तर पश्चिम रेलवे	34336	67500	45800	91000	172281	213300
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	100600	83700	122500	126200	203001	169800
दक्षिण पश्चिम रेलवे	44944	46700	102600	82600	121719	192300
पश्चिम मध्य रेलवे	27849	72200	38000	120200	122000	140500
मेट्रो रेलवे	17954	5000	34800	11200	14427	9900
योग	2150500	2227600	2221500	2562300	3532000	4079100

[अनुवाद]

इलेक्ट्रिक सह डीजल हाइब्रिड लोकोमोटिव्स चलाया जाना

3045. श्री मनोरंजन भक्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डीजल की बचत करने और साथ ही प्रदूषण को हटाने के लिए देश भर में जनरेटर द्वारा उत्पादित बिजली से चलने वाले डीजल लोको में सुधार करके उसे इलेक्ट्रिक टैरिटरी में बिजली पर चलाने की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे प्रस्तावों की विद्युत अभियंताओं के नियंत्रण के अंतर्गत आरडीएसओ द्वारा सिफारिश की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) डीजल/विद्युत प्रणाली में सुधार करने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं,

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मुस्लिम कारीगरों का विकास

3046. डा. एम. जगन्नाथ : क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में मुस्लिम कारीगरों के विकास हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (ए. आर. अंतुले) : (क) से (घ) मुस्लिमों में कौशल तथा उद्यमिता विकास से जुड़े विस्तृत कार्यक्रम के कार्यान्वयन की योजना बनाने के लिए एक अंतर्मंत्रालयीन दल का गठन किया गया है। दल द्वारा विचारणीय मुद्दों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल मुद्दे हैं- कौशल तथा उद्यमिता विकास की जरूरत को पूरा करने के लिए, जिससे स्व:रोजगार में लगे अधिकांश मुस्लिमों को लाभ होगा, अधिकाधिक लोगों तक पहुंच बनाना।

[हिन्दी]

उर्वरक उत्पादक इकाइयों द्वारा राजसहायता का उपयोग

3047. श्री मोहन सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक उर्वरक उत्पादक इकाइयां अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु राजसहायता का उपयोग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (ग) यद्यपि उर्वरकों की बिक्री के लिए उत्पादकों/आयातकों को उर्वरकों पर राजसहायता जारी की जाती है लेकिन यह उर्वरक के राजसहायता प्राप्त बिक्री मूल्य के रूप में किसानों तक पहुंचती है। उर्वरक जिलों में पहुंच जाने पर उर्वरक उत्पादकों/आयातकों को उत्पादन की मानकीय लागत तथा फार्मगेट स्तर पर उर्वरक की सुपुर्दगी लागत और उर्वरक के अधिसूचित बिक्री मूल्य के बीच के अन्तर की प्रतिपूर्ति उर्वरक राजसहायता के रूप में की जाती है।

विमानपत्तनों पर पार्किंग की सुविधाएं

3048. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न विमानपत्तनों विशेषकर दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई के विमानपत्तनों पर प्रति वाहन पार्किंग शुल्क की दर क्या है;

(ख) क्या पार्किंग शुल्क के रूप में भारी राशि वसूल की गई है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज तक पार्किंग शुल्क के रूप में कितनी धनराशि वसूल की गई;

(घ) पार्किंग सुविधाओं का आधुनिकीकरण करने हेतु पार्किंग शुल्क के रूप में वसूल की गई धनराशि का उपयोग करके गत तीन वर्षों के दौरान आज तक किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में विमानपत्तनों पर पार्किंग सुविधाओं का उन्नयन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता तथा चेन्नई हवाई अड्डे में वसूल किए जाने वाले सेवा कर सहित प्रति वाहन पार्किंग शुल्क निम्नानुसार है:

कार/वैन-60 रुपए, दुपहिया-15 रुपए, बस/कोच/मिनी बस/ट्रक/टैंपो-70 रुपए, चेन्नई हवाई अड्डे पर प्रीमियम कार पार्क-कार/वैन-120 रुपए/100 रुपए, बस/कोच-225 रुपए।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा एकत्रित पार्किंग प्रभारों की राशि इस प्रकार है: (करोड़ रुपए में): 2004-05- 30.62; 2005-06- 43.99; 2006-07- 37.84।

(घ) और (ङ) कार पार्किंग एरिया के विस्तार का निर्णय हवाई अड्डों की प्रचालनिक आवश्यकताओं को देखते हुए किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा चेन्नई तथा कोलकाता हवाई अड्डे में कार पार्किंग सुविधाओं में वृद्धि की गई है। दिल्ली तथा मुम्बई हवाई अड्डों पर भी, पार्किंग सुविधाओं के सुधार के लिए मास्टर प्लान तैयार किए गए हैं।

[अनुवाद]

जिप्सम का उत्पादन

3049. श्री पी.सी. थामस : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिप्सम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड का उप-उत्पाद है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जिप्सम का कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या इस उप-उत्पाद का उपयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या जिप्सम के उत्पादन हेतु किसी नए उद्यम की स्थापना की योजना बनाई जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) और (ख) जी हां। जिप्सम, फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रॉवनकोर लिमिटेड द्वारा उत्पादन किए जा रहे फॉस्फोरिक एसिड का उप-उत्पाद है। गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जिप्सम का उत्पादन निम्न प्रकार है:

वर्ष	उत्पादित जिप्सम की मात्रा
2004-05	4,19,000 मी.टन.
2005-06	5,05,000 मी.टन
2006-07	4,89,000 मी.टन

(ग) और (घ) जी हां, फैक्ट द्वारा जिप्सम की बिक्री कृषि और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए की जाती है। जिप्सम का उपयोग मृदा की स्थिति में सुधार करने और सीमेंट का उत्पादन करने के लिए किया जाता है।

(ङ) और (च) जी नहीं, तथापि फैक्ट जिप्सम के इस्तेमाल द्वारा मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्माण की संभावना तलाश कर रहा है।

पुरी और पारादीप के बीच शताब्दी एक्सप्रेस

3050. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को पुरी और पारादीप के बीच शताब्दी एक्सप्रेस चलाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने इन दो स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी चलाने हेतु कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम सहित ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेल सेवा को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां। पारादीप और पुरी के बीच शताब्दी एक्सप्रेस को शुरू करने के लिए कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) से (ङ) यातायात पैटर्न, परिचालनिक व्यावहारिकता, संसाधनों की उपलब्धता, वाणिज्यिक औचित्य आदि जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर भारतीय रेलवे में शताब्दी एक्सप्रेस सहित अतिरिक्त गाड़ियां

प्रारंभ की जाती है। पारादीप और पुरी के बीच कोई शताब्दी एक्सप्रेस शुरू करना इस समय औचित्यपूर्ण नहीं है।

[हिन्दी]

रिफाइनरियों/तेल कंपनियों द्वारा कच्चे तेल का शोधन

3051. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक विभिन्न तेल कंपनियों की विभिन्न रिफाइनरियों द्वारा कितनी मात्रा में कच्चे तेल का शोधन किया गया;

(ख) विभिन्न कंपनियों की रिफाइनरियों की क्षमता उपयोग का ब्यौरा क्या है और क्या यह क्षमता इनकी संस्थापित क्षमता के अनुसार हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन रिफाइनरियों और तेल कंपनियों का अधिकतम क्षमता उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (ङ) 2004-05, 2005-06, 2006-07 और वर्ष 2007-08 के पूर्वार्द्ध के दौरान विभिन्न रिफाइनरियों की स्थापित क्षमता, क्रूड थ्रुपुट और क्षमता उपयोग विवरण में दिए गए हैं।

उत्तर पूर्व की सभी चारों रिफाइनरियों नामतः डिग्बोई, गुवाहाटी, नुमालीगढ़ और बोंगाईगांव तथा चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की नारीमनम रिफाइनरी का क्षमता उपयोग स्वदेशी क्रूड की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण निम्न है।

उत्तर पूर्व की रिफाइनरियों के क्षमता उपयोग में सुधार करने के लिए सरकार ने बोंगाईगांव रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लि. (बी आर पी एल) को 1.5 मिलियन मीट्रिक टन (एम एम टी) राव्वा क्रूड का आबंटन किया है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन ई एल पी) के तहत आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल), आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओ एन जी सी) तथा निजी पक्षकारों को कच्चे तेल के अन्वेषण और उत्पादन के लिए नए ब्लाकों का आबंटन किया है।

विवरण

रिफाइनरियों का क्षमता उपयोग

आंकड़े मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) में

रिफाइनरी	2004-05			2005-06			2006-07			2007-08 (अप्रैल-सितं.) अनंतिम		
	क्षमता	वास्तविक	उपयोग %	क्षमता	वास्तविक	उपयोग %	क्षमता	वास्तविक	उपयोग %	क्षमता	वास्तविक	उपयोग %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आई ओ सी एल												
आईओसी-मथुरा	8.00	6.39	80	8.00	7.94	99	8.00	8.88	111	4.00	3.27	82
आईओसी-कोयाली	13.70	11.70	85	13.70	11.54	84	13.70	12.95	95	6.85	6.61	97
आईओसी-हल्दिया	6.00	5.42	90	6.00	5.50	92	6.00	5.84	97	3.00	2.88	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आईओसी-बरौनी	6.00	5.08	85	6.00	5.55	93	6.00	5.47	91	3.00	3.01	100
आईओसी-गुवाहाटी	1.00	1.00	100	1.00	0.86	86	1.00	0.84	84	0.50	0.43	86
आईओसी-डिग्बोई	0.65	0.65	100	0.65	0.61	95	0.65	0.59	90	0.33	0.27	84
आईओसी-पानीपत	6.00	6.39	106	6.00	6.51	108	7.30	9.44	129	6.00	6.59	110
आईओसीएल-योग	41.35	36.63	89	41.35	38.52	93	42.65	44.00	103	23.68	23.06	97
एच पी सी एल												
एचपी-मुंबई	5.50	6.12	111	5.50	6.25	114	5.50	7.42	135	2.75	3.58	130
एचपी-विशाख	7.50	7.82	104	7.50	7.57	101	7.50	9.23	123	3.75	4.61	123
एचपीसीएल-योग	13.00	13.94	107	13.00	13.82	106	13.00	16.65	128	6.50	8.19	126
बी पी सी एल												
बीपीसीएल-मुंबई	6.90	9.14	133	8.16	10.28	126	12.00	12.04	100	6.00	6.63	110
बीपीसीएल-कोच्चि	7.50	7.92	106	7.50	6.94	93	7.50	7.74	103	3.75	4.10	109
बीपीसीएल-योग	14.40	17.07	119	15.66	17.22	110	19.50	19.78	101	9.75	10.73	110
सी पी सी एल												
सीपीसीएल-चेन्नई	9.50	8.18	86	9.50	9.68	102	9.50	9.78	103	4.75	5.04	106
सीपीसीएल-नरीमनम	1.00	0.74	74	1.00	0.68	68	1.00	0.62	62	0.50	0.23	46
सीपीसीएल-योग	10.50	8.92	85	10.50	10.36	99	10.50	10.40	99	5.25	5.27	100
बीआरपीएल-बोंगाईगांव	2.35	2.31	98	2.35	2.36	100	2.35	2.07	88	1.18	1.01	86
एनआरएल-नुमालीगढ़	3.00	2.04	68	3.00	2.13	71	3.00	2.50	83	1.50	1.25	83
ओएनजीसी-तातीपाका	0.08	0.09	119	0.08	0.09	120	0.08	0.09	121	0.04	0.03	85
एमआरपीएल-मैंगलोर	9.69	11.81	122	9.69	12.01	124	9.69	12.54	129	4.85	6.35	131
उप-योग सा.क्षे.रिफा.	94.37	92.81	98	95.63	96.52	101	100.77	108.03	107	52.73	55.89	106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आरपीएल-जामनगर	33.00	31.490	95	33.00	30.47	92	33.00	31.67	96	16.50	16.12	98
ईओएल-जामनगर							3.65	1.76	48	5.25	2.78	53
उप-योग नि.रिफा.	33.00	31.49	95	33.00	30.47	92	36.65	33.43	91	21.75	18.90	87
कुल योग	127.37	124.30	98	128.63	126.99	99	137.42	141.46	103	74.48	74.78	100

चालू किए जाने/विस्तार किए जाने के समयानुक्रम के अनुसार वर्ष के दौरान क्षमता अनुपात में बांटी गई है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में संस्कृति को बढ़ावा

3052. **श्री प्रबोध पाण्डा :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल की संस्कृति की रक्षा करने और इसे बढ़ावा देने हेतु कोई पहल की है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज तक प्राप्त उपलब्धियों और खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी, हां। संस्कृति मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सहित समग्र देश में संस्कृति की सुरक्षा और उसके संवर्धन हेतु विभिन्न उपाय किए हैं। ये कार्यकलाप, मंत्रालय की स्कीमों तथा इसके सम्बद्ध, अधीनस्थ तथा स्वायत्त निकायों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कार्यकलापों/उपलब्धियों तथा संस्कृति मंत्रालय और इसके अधीन विभिन्न संगठनों द्वारा खर्च की गई राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पश्चिम बंगाल में संस्कृति की सुरक्षा हेतु गत तीन वर्षों के दौरान दिए गए सहायता अनुदान के ब्यौरे

(लाख रु. में)

क्र.सं.	मद	गत तीन वर्षों के दौरान व्यय की गई राशि
1	2	3
1.	शताब्दियों एवं स्मारक	
	1. फेडरेशन हॉल सोसायटी, कोलकाता	1.50
	2. कैकल ग्रामीण विकास सोसायटी, हुगली	
2.	बहुउद्देश्यीय सांस्कृतिक परिसर	
	1. रोडन स्कोयर	370.00

1	2	3
	2. साल्ट लेक	
	3. जगदीश चन्द्र बोस रोड (कोलकाता)	
	4. पश्चिमबंगा बंगला (जात्रा) अकादमी, कोलकाता	
3.	**एशियाटिक सोसायटी**	
	अधिग्रहण, पुस्तकों, पत्रिकाओं का प्रकाशन, प्रशिक्षण, सेमिनार/व्याख्यान, कार्यशाला तथा अनुसंधान, संग्रहालय और अन्य सुविधाओं की वृद्धि आदि।	416.86
4.	**सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र**	
	1. भारत की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।	54.07
	2. सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति स्कीम।	
5.	**ललित कला अकादमी**	
	ललित कला अकादमी का क्षेत्रीय चित्रकार शिविर, आवास रविन्द्र नाथ टैगोर राष्ट्रीय स्मारक व्याख्यान, गोधूली, स्वर्ण जयन्ती समारोह का समापन समारोह, मृत्कला/चित्रकला में कार्यशाला, छपाई निर्माण शिविर, टेराकोटा एवं मृत्कला (राकू) में कला शिविर, आवास कार्यक्रम में कला उत्सव करलाकार तथा काष्ठ नक्काशी शिविर आदि।	7.56
6.	**छात्रवृत्ति एवं अध्येतावृत्ति**	
	छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति तथा सेमिनार।	65.50
7.	**साहित्य अकादमी**	
	पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता	75.00
8.	**मंच कलाएं**	
	1 जनजातीय लोक कला एवं संस्कृति के संवर्धन एवं प्रसार की स्कीम।	
	2. विशिष्ट मंच कला परियोजना हेतु पेशेवर समूहों तथा व्यक्तियों का वित्तीय सहायता की स्कीम।	754.43
	3. सांस्कृतिक संगठनों को भवन एवं उपस्कर अनुदान की स्कीम।	

पेट्रो रसायन अनुसंधान एवं विकास कोष

3053. **श्री बाडिगा रामकृष्णा :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोरसायन अनुसंधान एवं विकास कोष की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय इन्डिक) : (क) और (ख) जी, हां। क्रियाविधि तैयार करने के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन कराने का निर्णय लिया गया है।

विमानपत्तनों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं

3054. **डा. के.एस. मनोज :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया देश में विमानपत्तनों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं को वापस ले रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीआईएएल) में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं का कार्य प्राईवेट एजेंसियों को सौंपा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस समय इस क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों का भविष्य क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं बाहर से नहीं ली जाती हैं। तथापि कुछ कम महत्वपूर्ण कार्यकलाप, इस मुद्दे पर बनी सामान्य व्यावसायिक नीतियों के अनुरूप निजी एजेंसियों को सौंपे जा रहे हैं।

एयर इंडिया की उड़ानों में विलम्ब

3055. **श्री प्रतीक पी. पाटील :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 20 नवम्बर, 2007 को एयर इंडिया की उड़ान में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या केवल एक यात्री ने टिकट पर एयर इंडिया एंडोर्समेंट वाली एक अन्य एयरलाइन से यात्रा की जोकि विलम्ब के दुर्लभ मामले में होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या अन्य यात्रियों को यह सुविधा प्रदान की गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) दिनांक 20.11.2007 को एयर इंडिया की कुछ उड़ाने इंजीनियरी, ए.टी.सी., विमान के देर से आगमन आदि जैसे कारणों की वजह से विलम्बित हो गई थी।

(ख) से (घ) सामान्य चलन के अनुसार सभी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनें, यात्रियों के अनुरोध पर उन्हें विलम्बित फ्लाइटों से दूसरे वाहकों में ट्रांसफर करती हैं। दिनांक 20.11.2007 को विलम्बित उड़ान सं.एआई-111 यात्रियों को दूसरी एयरलाइनों में ट्रांसफर किया गया है। एक को ब्रिटिश एयरवेज में तथा दूसरे को फ्रिनएयर में।

एयर इंडिया कार्गो के फ्रेटर्स

3056. **श्री किसनभाई वी. पटेल :**
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एयर इंडिया (एआई) कार्गो के समर्पित फ्रेटर्स के बेड़े में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो कंपनी द्वारा अब तक कार्गो संचालन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनी ने गति और अन्य निजी आपरेटरों के साथ समझौता किया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक आपरेटर के साथ निर्धारित निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) एयर इंडिया द्वारा वर्ष 2007-08 हेतु निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी हां, पूर्ववर्ती एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा वर्ष 2006 में वाहित कुल कार्गो 170603 टन था। आगे, 15582 टन डाक को भी वहन किया गया।

(ग) और (घ) जी हां। नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसमें एअर इंडिया लिमिटेड तथा इंडियन एयरलाइंस का विलय हुआ है, ने गति के साथ-साथ डाक तार विभाग (डीओपी) के साथ गठबंधन किया है। एनएसीआईएल ने दिल्ली-मुम्बई-बगलौर-दिल्ली सेक्टर पर मालवाही सेवाएं प्रचालित करने के लिए पांच वर्ष की अवधि हेतु पांच विमानों के लिए गति के साथ 16 मई, 2007 को एक करार किया है और डीओपी के साथ कोलकाता-गुवाहाटी-इम्फाल-अगरतल्ला सेक्टर पर मालवाही सेवा प्रचालित करने के लिए एक वर्ष के लिए एक विमान का करार किया है।

(ङ) एयर इंडिया कार्गो द्वारा वर्ष 2007-08 के लिए नियत किया गया राजस्व लक्ष्य 834.32 करोड़ रुपये है।

(च) एयर इंडिया कार्गो उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है जिसमें शामिल है- (i) पूर्ववर्ती एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के विलय के बाद, एयर इंडिया अपने ग्राहकों को और अधिक कुशल तथा आक्रामक तरीके से सयुंक्त सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम हैं। (ii) एयर इंडिया अब गैरबे प्वाइंटस के माध्यम से देश के आंतरिक स्थलों से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए बेरोकटोक सम्पर्कता उपलब्ध कराकर अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने में सक्षम है। (iii) एयर इंडिया विदेश स्थित अपने एजेंटों सेवा प्रदान करने की सम्भावना की खोज कर रही है और उसने चरणबद्ध तरीके से यह प्रक्रिया आरंभ कर दी है, तथा (iv) एयर इंडिया विभिन्न देशों की पोस्टल यूनियनों के व्यापार के लिए प्रयत्नरत है और यूएस पोस्टल मेल के साथ बातचीत कर रही है ताकि अपनी सेवाओं पर उनकी डाक के आवागमन को प्रोत्साहित कर सके।

दाभोल संयंत्र हेतु एल एन जी की पूर्ति

3057. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दाभोल संयंत्र हेतु एल एन जी की पूर्ति के लिए कतर और अल्जीरिया की कंपनियों के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समझौते के निबंधन और शर्तें क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (घ) पेट्रोनेट एल एन जी लिमिटेड (पी एल एल) ने जुलाई, 2007 में रास गैस, कतर के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संविदा के अंतर्गत रत्नागिरी गैस एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड (आर जी पी पी एल) की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 1.25 एम एम टी एल एन जी की आपूर्ति की जाएगी। संविदा के अनुसार, आपूर्ति की अवधि जुलाई, 2007 से आरम्भ करके एक वर्ष है और ये आपूर्तियां प्राप्ति पर लागत और भाड़ा (सी एफ आर) आधार पर हैं।

सत्यमंगला और बैंगलोर के बीच नई रेल लाइन

3058. श्री एम. शिवन्ना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलविल्ली, सतनौर, कनकपुरा और हरोहल्ली के रास्ते सत्यमंगला, कोलेगल और बंगलौर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) बैंगलोर-सत्यमंगलम नई लाइन परियोजना पर, बैंगलुरु से गट्टेवाडी (बेंगलुरु छोर से) और सत्यमंगलम से बेन्नारी (सत्यमंगलम छोर से) तक की लाइन का सर्वेक्षण किया गया है। बहरहाल, गट्टेवाडी एवं बेन्नारी (58 कि.मी.) के बीच सर्वेक्षण को तमिलनाडु के वन विभाग से अनुमति प्राप्त न होने के कारण रोक दिया गया है। रेलवे ने

सर्वेक्षण करने हेतु अनुमति के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश के अंतर्गत गठित केन्द्रीय अधिकार संपन्न समिति से अनुरोध किया है। आगे का सर्वेक्षण आवश्यक अनुमति प्राप्त होने के बाद ही संभव होगा।

ईंधन हेतु प्रीपेड कार्ड

3059. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई ओ सी ने ट्रांसपोर्टरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधन और अन्य सेवाओं हेतु प्रीपेड कार्ड जारी किए है.

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसने इन कार्डों को शुरू किए जाने के बाद से इनसे कितनी धनराशि अर्जित की है;

(ग) क्या यह कार्ड ट्रांसपोर्टरों को ऐसी अतिरिक्त सेवाएं भी प्रदान करता है जो इन्हें अपने बेड़े का बेहतर उपयोग करने में सहायता करता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) और (ख) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी) ने परिवहनकर्त्ताओं के लिए शुरू किए गए वफादारी कार्यक्रम के भाग के रूप में ईंधन और अन्य सेवाओं के लिए "एक्स्ट्रापावर" फ्लीट कार्डों के रूप में ज्ञात प्री पेड कार्ड जारी किए हैं। ये कार्ड, परिवहनकर्त्ताओं को 100/- रुपये प्रति कार्ड के नाममात्र शुल्क पर जारी किए जाते हैं ताकि इन कार्डों को बनाने के लिए होने वाले खर्चों को पूरा किया जा सके। ये कार्ड आई ओ सी द्वारा मार्च, 2004 में शुरू किए गए थे। प्रत्येक मास इन कार्डों के जरिए लगभग 1.5 लाख किलोलीटर ईंधन बेचा जाता है।

(ग) और (घ) परिवहनकर्ता नामित खुदरा बिक्री केन्द्र में कार्ड पर धन लोड कर सकता है जो ड्राइवर को नामित खुदरा बिक्री केन्द्रों पर ईंधन और ल्यूब खरीदने में समर्थ बनाता है। ये कार्ड परिवहनकर्त्ता को अतिरिक्त सेवाएं भी देते हैं जैसे नकद बिना लेन देन, वाहन का पता लगाना, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस) रिपोर्ट और परिवहनकर्त्ताओं ओर उनके कर्मीदल के लिए बीमा। आई ओ सी ने सूचना दी है कि इन कार्डों से परिवहनकर्त्ताओं को अपना बेड़ा बेहतर और सफल ढंग से इस्तेमाल करने में मदद मिली है।

[हिन्दी]

गैस एजेंसियां खोलना

3060. **श्री दलपतसिंह परस्ते :**
श्री गणेश सिंह :
श्री कीरेन रिजीजू :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग विपणन योजना, 2004-05 के तहत देश के कुछ स्थानों पर सरकार द्वारा गैस एजेंसी खोलने की योजना थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के तहत सभी स्थानों पर गैस एजेंसियां खोलने के लिए विज्ञापन के जरिए आवेदन आमंत्रित किये गए थे;

(घ) यदि हां, तो दक्षिण त्रिपुरा के उदयपुर में विज्ञापन के जरिए आवदेन आमंत्रित न किये जाने के क्या कारण थे; और

(ङ) सरकार द्वारा दक्षिण त्रिपुरा के उदयपुर में गैस एजेंसी खोलने का निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (ङ) जी, हां। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) ने एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने/स्थापित करने के लिए दक्षिण त्रिपुरा के उदयपुर स्थल सहित देश के 841 स्थलों को शामिल करके एक साझी उद्योग विपणन योजना 2004-07 को अंतिम रूप दिया है। स्थल-वार ब्यौरे संबंधित ओ एम सीज के निदेशकों (विपणन) के पास उपलब्ध हैं। दक्षिण त्रिपुरा के उदयपुर स्थान सहित त्रिपुरा राज्य के लिए विज्ञापन दिसम्बर, 2007 के द्वितीय सप्ताह तक जारी किए जाने की संभावना है।

रेल यात्रियों और माल की बीमा सुरक्षा

3061. **श्री रघुवीर सिंह कौशल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल यात्रियों और रेल द्वारा ढुलाई किए जाने वाले माल का रेलवे द्वारा गीमा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में किए गए बीमा का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त बीमा प्रणाली में भुगतान का माध्यम क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त बीमा के आधार पर बीमा कंपनियों को किए गए भुगतान और इन कंपनियों द्वारा दिए गए मुआवजे का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेलें, रेलवे दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं के परिणामस्वरूप मारे गए/घायल हुए रेलवे यात्रियों को बीमा सुरक्षा मुहैया कराती है। बहरहाल, रेलवे द्वारा ढोए गए माल के लिए कोई बीमा नहीं किया जाता है।

(ख) से (घ) रेलवे यात्री बीमा से संबंधित सूचना निम्नानुसार है:-

अवधि	बीमा कर्त्ता	प्रीमियम की दर (प्रति यात्री)	भुगतान किया गया कुल प्रीमियम (करोड़ रुपयों में)	भुगतान का तरीका	चुकाई गई राशि (31.10.2007 तक) करोड़ रुपयों में
1.8.04-31.7.05	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	6.8. पैसे	37.93	रेलवे राजस्व से पूरी राशि का अग्रिम भुगतान किया गया	5.34
1.8.05-31.7.06	-वही-	7.2 पैसे	42.23	-वही-	10.88
20.9.06-19.9.07	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	5.29 पैसे	39.11	-वही-	0
20.9.07-19.9.08	आईसीआईसीआई लोमबर्ड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4.75 पैसे	34.72	-वही-	0

नोट:- उपर्युक्त उल्लिखित पॉलिसी संबंधी अवधियों से संबंधित मामले या तो लंबित हैं या रेल दावा अधिकरण में अभी किए दायर जाने हैं जो अर्द्ध न्यायिक निकाय होने के कारण इस प्रकार के मामलों को तय करने में समय लेता है। रेल दुर्घटनाओं/अप्रिय घटनाओं के कारण किसी पॉलिसी अवधि के दौरान मुआवजा के लिए दायर सभी दावों के संबंध में डिक्री दिए जाने पर बीमा कंपनियां भुगतान करने के लिए बाध्य होती हैं।

[अनुवाद]

पैन कार्ड धारकों से एल पी जी राजसहायता को वापस लेना

3062. **श्री एस.के. खारवेनथन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पैन कार्ड धारकों से एल पी जी राजसहायता को वापस लेने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका कम आय वाले वर्गों पर और विभिन्न लेन-देनों के लिए पैन कार्ड होने की उनकी आवश्यकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या एल पी जी उपभोक्ताओं हेतु स्मार्ट कार्ड लागू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा जांच केंद्रों की स्थापना

3063. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंस्टीटयूट ऑफ एविएशन मेडिसिन (आईएएम) वर्तमान में किन-किन स्थानों पर स्थित हैं और इसके क्या कार्य हैं;

(ख) क्या सरकार का देश में नए चिकित्सा जांच केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन केंद्रों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) इंस्टीटयूट आफ एयरोस्पेस मेडिसिन (आई.ए.एम.) बंगलौर में स्थित है। इसके कार्य हैं–मिलिट्री तथा सिविल एयर क्रू का वायु-चिकित्सकीय मूल्यांकन तथा इंडोक्ट्रीनेशन, अल्प तथा दीर्घावधिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से एयरोस्पेस मेडिसिन में चिकित्सा स्नातकों का स्नातकोत्तर डिग्री के लिए प्रशिक्षण, उड़ान संरक्षा का प्रमोशन, विमान दुर्घटनाओं का मानवीय कारक विश्लेषण तथा वायु चिकित्सकीय अनुसंधान। सिविल एयर क्रू मेडिकल इवैल्यूएशन में संलिप्त वायु सेना के अन्य संस्थान नई दिल्ली में एयरफोर्स सेंट्रल मेडिकल इस्टेब्लिशमेण्ट (ए.एफ.सी.एम.ई.) तथा एयरफोर्स हॉस्पिटल, जोरहाट (असम) में चिकित्सा मूल्यांकन केन्द्र हैं। ये तीन संस्थान वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सी.पी.एल.) जारी करने के लिए इनिशियल इश्यू तथा रिन्यूवल चिकित्सा परीक्षण करते हैं। देश भर में विभिन्न स्थानों पर स्थित नौ अन्य संस्थान केवल रिन्यूवल चिकित्सा परीक्षण करते हैं।

(ख) से (घ) नए चिकित्सा मूल्यांकन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, दिल्ली, मुंबई तथा चेन्नई में एक-एक निजी हॉस्पिटल को सी.पी.एल. जारी करने के लिए क्लास-I मेडिकल के इश्यू के लिए प्रारम्भिक चिकित्सा जांच करने हेतु चिन्हित किया गया है। ए.एफ.सी.एम.ई. के अधिकारियों के समग्र पर्यवेक्षण में, ये अस्पताल शीघ्र ही कार्य करना आरम्भ कर देंगे।

उर्वरकों हेतु रेक पाइंटों की कमी

3064. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के आवागमन के लिए रेक पाइंटों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा इस संबंध में विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मौजूदा टर्मिनलों के अलावा, मध्य प्रदेश में उर्वरकों की सप्लाई को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए अभी हाल ही में भिंड, गंजबासोदा, बीना, निवारी और दामोह में आधा रेक सम्हलाई सुविधाएं और नीमच तथा शहडोल में पूर्ण रेक सम्हलाई सुविधाएं मुहैया करायी गयी हैं। रीवा में एक माल शेड साइडिंग भी स्वीकृत की गयी है और कार्य प्रगति पर है। महाराष्ट्र राज्य के लिए आयातित अथवा घरेलू उर्वरकों के संचलन में कोई समस्या नहीं है।

[हिन्दी]

डालटेनगंज विमानपत्तन

3065. डा. रामेश्वर उरांव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड के डालटेनगंज (मेदिनी नगर) स्थित विमानपत्तन का पिछले पैंतीस वर्षों से उपयोग नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विमानपत्तन को उपयोग में लाने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक प्रचालन योग्य होने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) झारखंड का डालटनगंज एयरफील्ड राज्य सरकार का है। इसलिए, यह केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है।

(ग) से (ङ) इस एयरफील्ड को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा विकसित कराए जाने के लिए झारखंड की राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। अत: प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

असम स्थित तेलशोधन कारखानों का विस्तार, आधुनिकीकरण और विविधीकरण

3066. **डा. अरूण कुमार शर्मा :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में चल रहे तेलशोधन कारखानों की मौजूदा क्षमत, कच्चे तेल के उद्गम और वित्तीय स्थिति की तुलना में उपयोगिता की स्थिति क्या है;

(ख) इन तेलशोधन कारखानों के विस्तार, आधुनिकीकरण और विविधीकरण के चालू एवं भावी कार्यक्रम क्या हैं और कुल परिव्यय कितना हुआ और कितना उपयोग किया गया;

(ग) सरकार द्वारा विपणन तंत्र के विस्तार के लिए कितनी सहायता प्रदान की गई है और और इन तेलशोधन कारखानों की भावी व्यवहार्यता कितनी है;

(घ) क्या बी आर पी एल को आई ओ सी में विलय करने में असाधारण विलम्ब हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो यथास्थिति क्या है और इसका क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) असम रिफाइनरियों में वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 (अप्रैल-सितम्बर, 2007) के लिए स्थापित क्षमता, वास्तविक थ्रूपुट, क्षमता उपयोग तथा सकल रिफाइनिंग लाभांश के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ख) बोंगाईगांव, नुमालीगढ़, डिग्बोई और गुवाहटी स्थित रिफाइनरियों में निम्नलिखित परियोजनाएं चल रही हैं-

(करोड़ रुपए)

परियोजना	अनुमानित लागत	30.9.2007 के अनुसार किया गया व्यय
1	2	3
डीजल हाइड्रो ट्रीटमेंट प्लांट, बोंगाईगांव शोधनशाला तथा पेट्रोरसायन लिमिटेड (बी आर पी एल)	1431.91	161.46
मोटर स्पिरिट (एम एस) मैक्सिमाइजेशन, बी आर पी एल	44.56	9.10
सिलिगुड़ी मार्केटिंग टर्मिनल नुमालीगढ़ रिफाइनरी मिलिटेड (एन आर एल)	149.57	82.22

1	2	3
एम एस क्वालिटी सुधार, डिग्बोई, इंडियन आयल कारपोरेशन (आई ओ सी)	200.00	शून्य (31.10.07 तक)
एम एस क्वालिटी सुधार, गुवाहटी इंडियन आयल कारपोरेशन (आई ओ सी)	200.00	3.12 (31.10.07 तक)

बी आर पी एल द्वारा मोटर स्पिरट क्वालिटी (एम एस क्यू) परियोजना तथा बी आर पी एल द्वारा इंडमैक्स परियोजना के कार्यान्वयन तथा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि. (एन आर एल) द्वारा डीजल क्वालिटी के सुधार के लिए हाईड्रोक्रेकर यूनिट और हाईड्रोजन संयंत्र के क्षमता विस्तार के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

(ग) सरकार द्वारा उत्तर-पूर्व रिफाइनरियों की भावी साध्यता में सुधार करने की दृष्टि से निम्नलिखित उपाय किए गए हैं-

- 1.3.2002 से सभी उत्तर पूर्व रिफाइनरियों से निष्कासित उत्पादों पर 50% उत्पाद शुल्क का लाभ प्रदान करना।
- बी आर पी एल को उत्तर पूर्व रिफाइनरियों की क्षमता उपयोग में सुधार करने के लिए सन 2003-04 से 1.5 मिलियन मीटरी टन (एम एम टी) राव्वा कच्चे तेल का आबंटन करना।

इसके अलावा, एन आर एल ने आज की तारीख तक उत्तर-पूर्व क्षेत्र में 42 खुदरा बिक्री केन्द्र चालू किए हैं। आई ओ सी की चालू वर्ष के दौरान उत्तर पूर्व क्षेत्र में 34 किसान सेवा केन्द्रों सहित 62 खुदरा बिक्री केन्द्र चालू करने की योजना है।

(घ) से (च) बी आर पी एल के इंडियन आयल कारपोरेशन (आई ओ सी) के साथ विलय के लिए समामेलन की स्कीम को बी आर पी एल तथा आई ओ सी के निदेशक बोर्ड द्वारा नवम्बर, 2006 में अनुमोदित कर दिया गया है। स्टाक एक्सचेंजों से अनापत्ति प्राप्त कर ली गई है। बी आर पी एल तथा आई ओ सी ने कंपनी कार्य मंत्रालय को आवश्यक क्लीरियंस देने के लिए कहा है। विलय प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

	स्थापित क्षमता (एम एम टी पी ए)	2006-07			2007-08 (अप्रैल-सितम्बर)		
		थ्रुपुट (एम एम टी)	क्षमता उपयोग (%)	जी आर एम अमरीकी डालर/बैरल	थ्रुपुट (एम एम टी)	क्षमता उपयोग (%)	जी आर एम अमरीकी डालर/बैरल
डिग्बोई	0.65	0.59	90	19.10	0.27	84	26.77
गुवाहटी	1.00	0.84	84	10.48	0.43	86	12.70
बोंगाईगांव	2.35	2.07	88	13.80	1.01	86	17.00
नुमालीगढ़	3.00	2.50	83	11.35	1.25	83	10.00

एम एम टी पी ए मिलियन मीटरी टन प्रति वर्ष, एम एम टी - मिलियन मीटरी टन

जी आर एम सकल शोधन लाभांश

कार्गो उड़ानों का प्रचालन

3067. श्री सनत कुमार मंडल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश का विमान क्षेत्र विभिन्न देशों के लिए अपनी उड़ानों में कार्गो ले जाने की क्षमता में कटौती कर रहा है और पृथक कार्गो उड़ानों के संचालन की योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) नेशनल एविएशन कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.ए.सी.आई.एल.) की सभी उड़ानों में वाणिज्यिक कार्गो वहन किया जाता है तथा कार्गो क्षमता में कोई कमी नहीं है। वर्तमान में, नेशनल एविएशन कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की दो एयरबस ए-310 तथा 2 बी-737 विमान को पूर्णतः कार्गो में परिवर्तित किया गया है तथा फ्रांस, जर्मनी तथा साउदी अरेबिया के लिए समर्पित कार्गो उड़ानें प्रचालित कर रहे हैं। एन.ए.सी.आई.एल. का 6 और बी-737 तथा 2 और ए-310 विमानों को कार्गो विमानों में परिवर्तित करने का विचार है। छह बी 747-400 विमानों को भविष्य में चरणबद्ध आधार पर कार्गो विमानों में परिवर्तित करने का भी विचार है। इसके अतिरिक्त निजी अनुसूचित एयरलाइनें यथा जेट एयरवेज तथा जेटलाइट अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं प्रचालित कर रही हैं तथा अपनी कार्गो क्षमताओं का उपयोग कर रही हैं।

अल्पसंख्यक छात्राओं हेतु शैक्षिक संस्थान

3068. श्री जी. करूणाकर रेड्डी : क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों की छात्राओं के लिए अनन्य शैक्षिक संस्थानों को आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कर्नाटक सहित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने विद्यालयों की स्थापना की जायेगी और इसके लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बागलकोट और नई दिल्ली के बीच रेलगाड़ी

3069. श्री पी.सी. गद्दीगौडर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि बारास्ता शोलापुर और मुंबई, बागलकोट से नई दिल्ली के बीच कोई रेलगाड़ी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे का विचार उक्त मार्ग पर कोई रेलगाड़ी चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और समय सीमा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां। बगलकोट-नई दिल्ली के बीच कोई गाड़ी नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कालका-शिमला रेल पथ को विश्व धरोहर का दर्जा

3070. श्री एम.के. सुब्बा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को की हेरिटेज टीम ने सितंबर माह में कालका-शिमला रेल मार्ग को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए इस का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो यूनेस्को टीम की सिफारिशों के साथ-साथ यूनेस्को धरोहर घोषणा समिति का इस संबंध में क्या निर्णय है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी सेक्शन को भी धरोहर का दर्जा देने हेतु कोई प्रस्ताव यूनेस्को में विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या तथा अब तक कौन से रेल मार्गों को विश्व धरोहर की दर्जा दिया जा चुका है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) यूनेस्को दल की सिफारिशें आंतरिक रूप से संसूचित कर दी गयी हैं। इन सिफारिशों के आधार पर निर्णय जुलाई, 2008 में

कनाडा में होने वाले यूनेस्को वर्ल्ड हैरिटेज कमेटी के अगले सत्र में किया जायेगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उधमपुर-बारामूला रेल लाइन

3071. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में भारतीय रेल को उधमपुर-कटरा-काजीगुंड-बारामूला रेल संपर्क परियोजना राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण न कर पाने की वजह विलम्बित हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 148 किमी. लंबे कटरा-काजीगुंड खंड के लिए अब तक केवल 44 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण किया गया है और राज्य के वन विभाग के वन क्षेत्र के अंतर्गत भूमि के लिए मंजूरी नहीं दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर इस रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) उधमपुर-कटरा खंड पर सारी भूमि अधिगृहित कर ली गयी है। कटरा-काजीगुंड-बारामूला खंड में, भूमि अधिग्रहण और वन विभाग द्वारा क्लियरेंस में समस्या के कारण कार्य में अंशत: देरी हो रही है। कटरा-काजीगुंड खंड पर, अभी तक कुल अपेक्षित भूमि का लगभग 41 प्रतिशत भाग अधिगृहित किया गया है।

(घ) भूमि अधिग्रहण और वन क्लियरेंस को शीघ्र निबटाने हेतु रेलवे राज्य सरकार में विभिन्न स्तरों पर बैठकें आयोजित कर रही है।

शीतकालीन कुहरे के लिए प्रबंधन रणनीति

3072. श्री असादुद्दीन ओवेसी :
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के प्रवर्तक-जीएमआर समूह (डी आई ए एल) और सभी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विमान संचालकों और अन्य विभागों के बीच शीतकालीन कुहरे के समाधान के लिए संशोधित कुहरा प्रबंधन रणनीति तैयार करने के लिए कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के विमानपत्तनों पर उड़ानों में देरी को कम-से-कम करने के लिए डीआईएएल, मौसम विभाग और विमान कम्पनियों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) जी हां। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली के लिए कोहरा प्रबंधन रणनीति तैयार की गई थी। मौसम विज्ञान विमान ने पिछले वर्षों में कोहरे की प्रवृत्ति तथा आने वाले मौसम के लिए अनुमान बताए हैं। कोहरा होने पर सुचारू प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम निम्न प्रकार हैं;

(i) असहाय यात्रियों के लिए प्रदान सीटिंग क्षेत्र को विकसित करने के लिए टर्मिनल 1बी में एक अस्थाई विस्तार; (ii) टर्मिनलों के अंदर अतिरिक्त सीटिंग तथा और अधिक खाद्य और मदिरा प्रबन्ध होगा; (iii) प्रदर्शन के लिए डी.आई.ए.एल. द्वारा यात्रियों के लिए एक यात्रा सलाहकार तैयार किया गया है; (iv) यात्रियों को सूचना देने तथा सहायता प्रदान करने के लिए डी.आई.ए.एल. द्वारा अपने स्वयं के काल सेंटर स्थापित करेगा; (v) एयरलाइन सक्षमता और आवश्यकताओं के अनुसार श्रेणी-III पार्किंग बे आवंटित किया जाएगा; (vi) मौसम विज्ञान विभाग 6 घंटों का मौसम पूर्वानुमान प्रदान करेगा। एयरलाइन प्रचालनों के लिए कार्यवाही योजना है: मार्ग परिवर्तित उड़ानों के लिए समयबद्ध सूचना सुनिश्चित करने के लिए प्रात: काल तथा देर के सायंकाल घंटों के दौरान प्रचालन के लिए श्रेणी-III प्रशिक्षित विमान चालकों को रोस्टर डयूटी लगायेगी; विलम्बित उड़ानों के मामले में असहाय यात्रियों के लिए अल्पाहार इत्यादि का प्रबंध करना; उड़ानों में विलम्ब के बारे में यात्रियों को सूचित करना तथा रात्रि पार्किंग के लिए रात्रि पार्किंग श्रेणी-III की पुष्टि, नागर विमानन महानिदेशालय ने विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त भी जारी किए हैं।

रेलवे जोन

3073. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल अधिकांश प्रत्येक राज्य द्वारा रेलवे जोन की मांग के मद्देनजर अपने प्रचालनों को बड़े पैमाने पर सरलीकृत करने की योजना बना रही है और रेलवे अपने माल-भाड़ा व्यापार को चार राष्ट्रीय मंडलों में मिलाने पर विचार कर रही है जो अन्य सभी प्रशासनिक वर्गों को अधिक्रमण कर देगा;

(ख) यदि हां, तो क्या मौजूदा जोन अपनी वर्तमान जिम्मेवारियों को जारी रखते हुए कार्य करेंगे; और

(ग) यदि हां, तो नए जोन रेलवे में भाड़ा सम्भारतन्त्र और रेलगाड़ियों के प्रचालन के सुधार में कितनी सहायता करेंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

वैश्विक कार्बन व्यापार बाजार

3074. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने वैश्विक कार्बन व्यापार बाजार में भारतीय रेल के प्रवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके उद्देश्य क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां, रेल मंत्रालय ने पुनरूत्पादक ब्रेकिंग सहित बिजली लोकोमोटिवों एवं बिजली बहुल इकाइयों (ईएमयू) के लिए तीन चरण प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु क्लीन डेवलपमैन्ट मैकेनिज्म प्रोजेक्ट के अंतर्गत विश्व बैंक के साथ एक आशय पत्र हस्ताक्षरित किया है।

(ग) इसका उद्देश्य बिजली लोकोमोटिव्स और ईएमयू में ब्रेकिंग और उसमें से कार्बन उत्सर्जन में कमी के दौरान उसमें विद्युत ऊर्जा के पुनरूत्पादन के लिए कार्बन क्रेडिट्स प्राप्त करने की संभावना की खोज करना है।

एचएफसीएल के हल्दिया एकक की बिक्री

3075. श्री मनोरंजन भक्त : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लि. (एचएफसीएल) के हल्दिया एकक की बिक्री के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार किसी निजी क्षेत्र के उद्यमी के माध्यम से बिक्री कराने के लिए प्रयास कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय इन्दिक) : (क) से (घ) जी नहीं। एचएफसीएल की हल्दिया इकाई को बेचने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार गैस की सुनिश्चित उपलब्धता के आधार पर हल्दिया इकाई सहित एचएफसीएल की बंद पड़ी हुई इकाइयों के पुनरूद्धार के लिए सभी विकल्पों का पता लगा रही है।

एचएफसीएल, दुर्गापुर के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत याचिका की स्थिति

3076. श्री सुनील खां : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वी एस एस के अंतर्गत निर्धारित अवधि से पहले हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड (एच एफ सी एल), दुर्गापुर के भूतपूर्व कर्मचारियों के दावों के संबंध में याचिकाएं भूतपूर्व कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1971 के अंतर्गत विदड्राअल लाभ हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो याचिकाओं के विलम्ब के क्या कारण है;

(ग) इस एकक के 58 ठेका मजदूरों जिन्हें निर्धारित समय से पहले हटा दिया गया था, की ओर से प्रस्तुत याचिका पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या एच एफ सी एल, दुर्गापुर के भूतपूर्व कर्मचारियों की विधवाओं की ओर से परिवार पेंशन जारी रखने की कोई याचिका प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) जी नहीं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 11.11.2003 को दिए गए निर्णय के अनुसार पारिवारिक पेंशन योजना 1971 के अंतर्गत धन वापसी लाभ को फिर से चालू कर दिया गया है। पारिवारिक पेंशन योजना 71 के कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत आते हैं बशर्ते कि राशि का अंतर जमा कराया जाए। जिन कर्मचारियों ने एफपीएस 1995 के अंतर्गत राशि का अंतर जमा कराने सहित अपने दावों को प्रस्तुत किया है, उन्हें एचएफसीएल द्वारा भविष्य निधि कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। एचएफसीएल में ईपीएस 1995 के अंतर्गत कोई दावा लंबित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विभाग को ऐसी किसी याचिका की जानकारी नहीं है।

(घ) और (ङ) एचएफसीएल में एफपीएस-71 से पृथक पारिवारिक पेंशन योजना विद्यमान थी। निदेशक मण्डल के निर्णय के अनुसार कंपनी द्वारा योजना को दिनांक 31.5.2003 से वापस लिया गया था। तत्पश्चात् कंपनी ने सदभावना का परिचय देते हुए एचएफसी पारिवारिक पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल परिवार पेंशन धारकों को एक बारगी वितरण के रूप में 12 महीने की पेंशन के बराबर एकमुश्त राशि का भुगतान करने का अनुमोदन दिया। इस संबंध में परिवार पेंशन धारकों से प्राप्त अनुरोध का एचएफसीएल द्वारा निपटान कर दिया गया है।

हवाई यातायात के आवागमन हेतु मानदण्ड

3077. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हवाई यातायात के आवागमन के लिए निर्धारित मानदण्डों/मानकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये मानदण्ड/मानक किस वर्ष निर्धारित किए गए थे;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में हवाई यातायात की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर इन मापदण्डों/मानकों को परिवर्तित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) एयरलाइनों द्वारा, एयरपोर्ट प्रचालक के साथ परामर्श करके अपने व्यावसायिक इनपुटों तथा प्रचालनात्मक व्यवहार्यता के आधार पर समय-सारणियों का स्वत: निर्धारण किया जाता है। इन सारणियों का समन्वयन, राष्ट्रीय स्तर की एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, एयरपोर्ट प्रचालक तथा एयरलाइनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। स्लॉट्स, पूर्व पद्धति के अनुसार तथा जो नई पद्धतियां बनती रहती हैं एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत होती हैं, उनके अनुसार आवंटित किए जाते हैं। तथापि, हवाई स्थल की हद बंदी करने तथा विगत 3 वर्षों में विशेष रूप से दिल्ली व मुम्बई के एयरपोर्टों पर हवाई यातायात में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के कारण हवाई अड्डा अवसरंचना को ध्यान में रखते हुए एयरलाइनों को व्यस्ततम् समय के बाद भी अपनी उड़ानें प्रचालित करने, रात्रि तथा सुबह-सुबह उड़ाने प्रचालित करने तथा रात्रि पार्किंग के लिए गैर-मैट्रो एयरपोर्टों को इस्तेमाल करने आदि के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में रेल परियोजनाएं

3078. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में नई, चालू/लंबित परियोजनाएं रेल लाइन के दोहरीकरण, नई रेल लाइनें बिछाने संबंधी सर्वेक्षण और आर ओ बी/आर यू बी की क्या स्थिति है ओर उनके पूर्ण करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) आज की तिथि तक एक परियोजना-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है और खर्च की गई है;

(ग) क्या इनमें से कुछ परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा उक्त कार्य में तीव्रता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार परियोजनाओं की प्रगति की जा रही है। चालू परियोजनाओं के पूरा होने में तेजी लाने के लिए बजटेतर संसाधनों का सृजन करने के प्रयास किए जा

रहे हैं। सार्वजनिक/निजी भागीदारी, राज्य सरकारों के साथ लागत में भागीदारी, रक्षा मंत्रालय के माध्यम से वित्तपोषण, राष्ट्रीय रेल विकास योजना और राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियों के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अनेक पहलें की गई हैं। लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत ऊपरी सड़क पुलों के मामले में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने वास्तविक निष्पादन के लिए स्वीकृत कार्यों के अनुरूप निधियां उपलब्ध नहीं कराई हैं। रेलवे पर्याप्त निधियों के आबंटन का अनुरोध करने तथा राज्य सरकार द्वारा अंतिम निर्णय/सहमति दिए जाने के लिए लंबित कार्यों को शुरू करने के लिए राज्य सरकार के साथ आवधिक बैठकें कर रही है।

विवरण

1. पश्चिम बंगाल में अंशतः/पूर्णतः स्थित चालू नई लाइन और दोहरीकरण परियोजनाओं, उनकी लंबाई, प्रत्याशित लागत, मार्च 2007 तक व्यय, 2007-08 के लिए परिव्यय, मौजूदा स्थिति और लक्ष्य, जहां कहीं निर्धारित हो, का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना	लंबाई (किमी)	प्रत्याशित लागत	मार्च 2007 तक व्यय	परिव्यय 2007-08	मौजूदा स्थिति और लक्ष्य जहां कहीं निर्धारित हो
1	2	3	4	5	6	7
	नई लाइनें					
1.	अजीमगंज (नासीपुर)-जियागंज, घाट तक	6.60	51.13	21	20	
2.	एकलाखी-बालूरघाट और गजौल-इटाहार	113.11	282.74	218.71	2	एकलाखी-बालूरघाट (87.11 किमी) पूरा हो गया है।
3.	हवड़ा-आमटा	73.50	154.30	82.97	5	हवड़ा-अमटा (43 किमी) पूरा हो गया है। बड़गछिया-चम्पाडंगा (32 किमी) : अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है।
4.	मंदारहिल-रामपुरहाट बरास्ता दुमका	130	254.07	131	17	
5.	न्यू मयनागुडी-जोगीघोपा	257	894.38	149.30	55	
6.	कुमारकुंडू बाईपास तक विस्तार सहित तारकेश्वर-बिष्णुपुर	85	255.68	72	15	
	दोहरीकरण					
1.	आद्रा-जोईचांदीपहाड़	6	18.19	0	1	

1	2	3	4	5	6	7
2.	बांडेल-जीरत	22.01	50.14	40.29	12	बंडेल-बांसबेरिया (4.5 किमी) पूरा हो गया है। बांसबेरिया-खमारगाछी : 2007-08
3.	बारासत-हसनाबाद दोहरीकरण, विद्युतीकरण सहित चरण । (बारासत-सोनडलिया)	12.12	23.65	5	10	बारासत-करिया-कदमबगाछी (6.5 किमी): 2007-08
4.	बरुईपुर-लक्ष्मीकांतपुर चरण । (बरुईपु-दक्षिण बारासत)	1704	31.82	16.82	13	2007-08
5.	बरुईपुर-मगराहाट	15	30.10	2.71	10	बरुईपुर-होतोर (7.2 किमी) : 2007-08
6.	चांदपाड़ा-बोगांव	9.77	22.23	0.30	10	
7.	चिनपाई-सैंथिया	32	81.80	7	30	
8.	गोकुलपुर-मिदनापुर	2	26.64	0	1	
9.	हबरा-चांदपाड़ा	22.25	40.88	15.61	26	हबरा-मसलंदपुर (9.2 किमी) पूरा हो गया है। मसलंदपुर-गोबडंगा (4 किमी): 2007-08
10.	कृष्णानगर-कालीनारायणपुर	22	43.39	37.59	10	कृष्णानगर-बडकुल्ला (9.9 किमी) पूरा हो गया है। बडकुल्ला-कालीनारायणपुर (12.1 किमी): 2007-08
11.	मालदा-पुराना माल्दा	0.38	21.17	0	2	
12.	पांडेश्वर-चिनपाई	21.41	69.03	11	30	
13.	तारकेश्वर-शियौराफुल्ली चरण । (शियौराफुल्ली-नालीकुल)	17.76	40.79	56.25	5	शियौराफुल्ली-सिंगुर (11.2 किमी) पूरा हो गया है। सिंगुर-नालीकुल (6.6 किमी): 2007-08
14.	टिकापारा-संतरागाछी चौथी लाइन	5.60	46.79	10	8	2007-08

2. पश्चिम बंगाल में अशंत:/पूर्णत: स्थित नई लाइन के निर्माण के लिए चालू सर्वेक्षणों की सूची इस प्रकार है-

क्र. सं.	खंड	लंबाई (किमी)	पूरा करने का लक्ष्य
1.	पांसकुडा-घाटल-चंद्राकोना रोड	80	
2.	दीघा-जालेश्वर	40	31.12.2007
3.	रानीगंज-बांकुरा	45	
4.	गुनजरिया-गजौल	120	28.02.2008
5.	जयनगर-जामतला	20	31.12.2007
6.	तेजनारायणपुर-भालुका रोड	57	30.06.2009

3. इस समय पश्चिम बंगाल में लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों के 39 कार्य स्वीकृत हैं। स्थिति इस प्रकार है:

(i)	पूरा हो गया है	—	1 स्थल
(ii)	केवल रेलवे हिस्सा पूरा हुआ है राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों का कार्य शुरू किया गया है	—	1 स्थल
(iii)	राज्य सरकार को अभी भी कार्य की लागत में हिस्सेदारी की सहमति देनी है	—	13 स्थल
(iv)	राज्य सरकार कार्य शुरू करने की इच्छुक नहीं है	—	5 स्थल
	कार्य प्रगति पर है	—	8 स्थल
(v)	राज्य सरकार को अभी जी.ए.डी. को अंतिम रूप देना है	—	2 स्थल
(vi)	कार्यों को निर्माण कार्यक्रम से हटा दिया गया है	—	2 स्थल

शेष 7 स्थलों पर कार्य, नियोजन एवं डिजाइन के विभिन्न चरणों में है। रेलवे रेलपथ पर पुल खास का निर्माण करती है और पहुंच मार्गों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसलिए कार्य को पूरा करने का लक्ष्य राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों को पूरा किए जाने पर निर्भर करता है। रेलवे अपने हिस्से को कार्य को पहुंच मार्गों के कार्य से पहले या साथ-साथ पूरा करने का सभी प्रयास करती है। वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल में स्थित कार्यों के निष्पादन के लिए 38.15 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इन कार्यों की प्रगति के लिए निधियों की कोई तंगी नहीं है। रेलवे वास्तविक प्रगति के अनुरूप धन खर्च कर रही है।

इसके अलावा, पश्चिम बंगाल में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अन्य 8 स्थलों पर ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण किया जा रहा है।

सी आई ए एल में एयर इण्डिया के नैमित्तिक कर्मचारी

3079 डा. के.एस. मनोज : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया में कार्यरत नैमत्तिक कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां। तो मजदूरी में वृद्धि की दर कितनी है और यह किस तिथि से प्रभावी है;

(ग) क्या कोचीन इंटरनेशनल विमानपत्तन लिमिटेड (सी आई ए एल) में एयर इंडिया के समान नैमित्तिक कर्मचारियों को बढ़ी हुई मजदूरी से मना कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं; और

(ङ) सी आई ए एल के नैमत्तिक कर्मचारियों हेतु दैनिक मजदूरी में वृद्धि के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ङ) एयर इंडिया के साथ कार्यरत नैमेत्तिक कर्मचारियों को, जिनमें कोच्चि हवाई अड्डे पर कार्यरत कर्मचारी भी शामिल हैं, 01 मई, 2001 से कार्य के निवल 8 घंटों पर 150 रुपए की दर से भुगतान किया जाता है। कोच्चि हवाई हड्डे पर कार्यरत नैमेत्तिक कर्मचारियों

को नेशनल एविएशन कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कम्पनी एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड (ए.आई.सी.एल.) में जाने का विकल्प दिया गया था और उनमें से लगभग आधे लोग तीन वर्षीय करार पर ए.आई.सी.एल. में शामिल हो गए और उन्हें प्रतिमाह लगभग 5500 रुपए का भुगतान किया जा रहा है।

रात्रि उड़ानों पर प्रतिबंध

3080. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक देशों ने अपने देशों में विमानों की रात्रि उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विमानन नियम/मानकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत सरकार ने इस मुद्दे को इन देशों और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के साथ उठाया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में इन देशों/संगठन की प्रतिक्रिया और ब्यौरा क्या है; और

(च) इस प्रकार रात्रि प्रतिबंध की वजह से प्रभावित राष्ट्रीय विमान कंपनियों की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। विश्व में 227 हवाईअड्डों में कर्फ्यू हैं जिनमें रात्रि के समय यथा 1000 या 1100 घंटों से 0600 या 0700 घंटों तक के दौरान सभी उड़ानों पर प्रतिबंध है। इन 227 हवाई अड्डों में से 115 यूरोप में हैं, 71 उत्तरी अमेरिका तथा शेष अन्य क्षेत्रों यथा अफ्रीका, एशिया तथा लैटिन अमेरिका में फैले हुए हैं।

(ग) शिकागो अभिसमय के अनुबंध 16 में ध्वनि प्रबंधन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण का प्रावधान है जिसमें हवाई अड्डे पर ध्वनि समस्या की पहचान करना तथा सर्वाधिक लागत कुशल रूप में ध्वनि समस्या के समाधान हेतु इसे कम करने के लिए उपलब्ध विभिन्न उपायों का विश्लेषण शामिल हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ), जो कि नागर विमानन के मुद्दों को उठाने के लिए एक मंच है, के समक्ष इस विषय को उठाया है। भारत ने सितम्बर, 2007 में मांट्रियल में हाल ही में संपन्न इकाओ जनरल असेम्बली के सत्र में इस मुद्दे पर कार्यपत्र भी प्रस्तुत किया है। भारत द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर सामान्य सहानुभूति थी तथा इकाओ ने इस विषय पर आगे अध्ययन करने की सहमति व्यक्त की है।

(च) नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड विभिन्न देशों के लिए प्रचालन कर रही है जैसे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी जापान, हांगकांग तथा कनाडा जहां रात्रि कर्फ्यू लागू है, बहरहाल, नैसिल की उड़ाने इस प्रकार अनुसूचित की जाती हैं ताकि रात्रि कर्फ्यू समय से बचा जा सके।

सोमनाथ और द्वारका का विकास

3081. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोमनाथ और द्वारका मन्दिरों के आस पास के क्षेत्रों के विकास के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) यह कब तक पूरा होने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (घ) पर्यटक रूचि के स्थलों का विकास और संवर्धन मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ परामर्श से प्राथमिकता प्रदत्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

दसवीं योजना अवधि के दौरान सोमनाथ और द्वारका के विकास के लिए निम्न परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है:-

(1) सोमनाथ मंदिर के आस-पास के क्षेत्र के विकास के लिए 500.00 लाख रुपए।

(2) सोमनाथ मंदिर के आस-पास अतिरिक्त कार्यों के लिए 48.81 लाख रुपए।

(3) जूनागढ़-वीरावल-पोरबन्दर-द्वारका में पर्यटन परिपथ के एकीकृत विकास के लिए 329.83 लाख रुपए।

पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन और निष्पादन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय नियमित रूप से समय-समय पर आयोजित समीक्षा बैठकों के द्वारा परियोजनाओं के विकास का अनुवीक्षण करता है।

[हिन्दी]

पी एस यू में शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों की भर्ती

3082. **श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख :** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कितने शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों को भर्ती किया गया; और

(ख) प्रत्येक उपक्रम में ऐसे व्यक्तियों की भर्ती के लिए क्या योजना तैयार की गई है और गत तीन वर्षों के दौरान इस बारे में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन् देव) : (क) और (ख) प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार विकलांगों के लिए कम-से-कम 3% रिक्तियां आरक्षित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। विकलांग व्यक्तियों की भर्ती केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के प्रबंधन द्वारा स्वयं की जाती है। भर्ती से संबंधित विवरण किसी एक स्थान पर नहीं रखा जाता है।

[अनुवाद]

बैंगलुरू विमानपत्तन पर उड़ानों की आवाजाही

3083. **श्री एम. शिवन्ना :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन सर्दियों में बैंगलूरू में घरेलू उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार बैंगलुरू विमानपत्तन पर उड़ानों का सुचारू संचालन किस प्रकार करेगी क्योंकि यहां पहले ही भारी दबाव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल) : (क) और (ख) बैंगलोर हवाईअड्डे से संचलनों (आगमन तथा प्रस्थान) की कुल संख्या को ग्रीष्मकाल अनुसूची में प्रतिदिन 258 से बढ़ाकर शीतकाल अनुसूची में 310 कर दिया गया है। बैंगलोर हवाईअड्डे पर उपलब्ध वर्तमान अवसरंचना से प्रतिदिन अधिकतम 400 संचलनों की व्यवस्था की जा सकती है।

[हिन्दी]

कृषि प्रयोजन के लिए रेलवे की अतिरिक्त भूमि का प्रयोग

3084. **श्री दलपत सिंह परस्ते :**
श्री हंसराज गं. अहीर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार कृषि प्रयोजनों के लिए अपनी अतिरिक्त भूमि का उपयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने इस संबंध में कोई नियम बनाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं। बहरहाल, निर्धारित शहरी क्षेत्रों में कीमती भूमि पर अतिक्रमण को रोकने के लिए अधिक अन्न उपजाओ योजना के अंतर्गत ग्रुप 'सी' और 'डी' कर्मचारियों को रेलवे भूमि लाइसेंस पर देने की रेलवे की नीति है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

होटल प्रबंधन संस्थान

3085. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में राज्यवार कितने होटल प्रबंधन संस्थान है;

(ख) क्या होटल प्रबंधन पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर मौजूदा होटल संस्थानों की संख्या पर्याप्त नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कब तक और अधिक संस्थान स्थापित किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) देश के विभिन्न भागों में स्थित केन्द्रीय/राज्य/निजी क्षेत्र के होटल प्रबंधन संस्थानों (आईएचएम) के ब्यौरे जो कि पर्यटन मंत्रालय के एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं केटरिंग टकनालॉजी परिषद (एनसीएचएमसीटी) से संबद्ध है, विवरण में संलग्न सूची के अनुसार दिये गये हैं।

(ख से (घ) विद्यमान होटल प्रबंध संस्थान के होटल प्रबंध पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इच्छुक छात्रों को, प्रतिवर्ष होने वाले संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना अपेक्षित होता है। नये संस्थाओं की स्थापना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आवश्यकता आधारित मूल्यांकन के आधार पर की जाती है और वर्तमान में छह राज्य आईएचएम, कुरूक्षेत्र, जमशेदपुर, रायपुर, सिलवासा, कोजीकोड एवं आइजवाल में स्वीकृत किए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1	2
	पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन और एनसीएचएमसीटी से संबद्ध होटल प्रबंध संस्थान
1.	आंध्र प्रदेश
2.	असम
3.	बिहार
4.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)
5.	दिल्ली
6.	गुजरात
7.	गोवा
8.	हिमाचल प्रदेश
9.	जम्मू एवं कश्मीर
10.	केरल
11.	कर्नाटक
12.	महाराष्ट्र
13.	मेघालय
14.	मध्य प्रदेश (भोपाल)
15.	मध्य प्रदेश (ग्वालियर)
16.	उड़ीसा
17.	पंजाब
18.	राजस्थान
19.	तमिलनाडु
20.	उत्तर प्रदेश
21.	पश्चिम बंगाल
	विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के नियंत्रणाधीन और एनसीएचएमसीटी से संबद्ध होटल प्रबंध संस्थान
22.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)
23.	दिल्ली

1	2
24.	राजस्थान
25.	सिक्किम
26.	उत्तराखंड
	एनसीएचएमसीटी के संबद्ध निजी होटल प्रबंध संस्थान
27.	आंध्र प्रदेश
28.	उत्तर प्रदेश
29.	केरल
30.	तमिलनाडु

ओ एन जी सी के उत्पाद

3086. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ एन जी सी) की कितनी परियोजनाएं पूरी हो गई हैं तथा कितनी क्रियान्वयनाधीन हैं;

(ख) क्या ओ एन जी सी में कर्मचारियों की कमी है;

(ग) यदि हां, तो क्या ओ एन जी सी द्वारा और अधिक कर्मचारियों को नियुक्त किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) ने तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए कई अन्वेषण और विकास तथा सुविधा सृजन परियोजनाओं की शुरूआत की है। इनमें से दो परियोजनाएं नामत: उत्तरी कादी चरण-II तथा मुंबई हाई उत्तर पुनर्विकास वर्ष 2006-07 के दौरान पूरी की गई थीं। इसी प्रकार, दो परियोजनाएं नामत: उत्तरी कादी चरण-I तथा मुंबई हाई दक्षिण पुनर्विकास डेवलपमेंट वर्तमान वर्ष 2007-08 के दौरान पूरी की गई थीं।

पूर्ण की गई तथा जारी परियोजनाओं के ब्यौरे ओ एन जी सी के पास उपलब्ध हैं।

(ख) से (घ) जी नहीं। तथापि, कोर डिसीप्लिन्स में कार्मिकों की कुछ अपूर्णता है।

नियमित प्रचालनीय आवश्यकताओं और विविधीकृत कार्यों को पूरा करने के लिए, ओ एन जी सी की वर्ष 2008 के दौरान कार्यपालक तथा गैर-कार्यपालक दोनों स्तरों पर जनशक्ति की भर्ती करने की योजना है।

एन.ई.एल.पी. से उपलब्धियों संबंधी रिपोर्ट

3087. श्री अबु अयीश मंडल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीन अन्वेषण तथा लाइसेंसिंग नीतियों (एनईएलपी) से प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उनमें किए गए निवेश से हुए लाभों संबंधी अध्ययन रिपोर्ट क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) भारत सरकार ने नई अन्वेषण लाईसेंसिंग नीति (एन ई एल पी) के अब तक संचालित किए गए 6 दौरों के अधीन 162 अन्वेषण ब्लाक अवार्ड किए हैं। एन ई एल पी ब्लाकों में अभी तक कुल 49 तेल एवं गैस खोजें की गई हैं। दो ब्लाकों से तेल एवं गैस का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है। अन्य खोजें विकास, आगणन एवं मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं।

31 मार्च, 2007 तक कुल 129133 लाइन कि.मी. (एल के एम) का द्विआयामी, 104508 वर्ग कि.मी. (एल के एम) के त्रिआयामी आंकड़ों का अर्जन किया गया है और 146 अन्वेषणात्मक कूपों का वेधन किया गया है अभी तक किया गया कुल निवेश 3.17 बिलियन अमेरिकी डालर है।

(ख) इन ब्लाकों में किए गए निवेश से होने वाले लाभ के संबंध में कोई अध्ययन रिपोर्ट नहीं है। सरकार ने इन ब्लाकों में किसी में भी निवेश नहीं किया है।

असम में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन

3088. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 11वीं योजना अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों सहित उत्तरपूर्व क्षेत्र में असम और समीपवर्ती राज्यों में विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन का सार्वजनिक उपक्रम-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इन सार्वजनिक उपक्रमों ने विगत पांच वर्षों में इन राज्यों और केन्द्र सरकार को रॉयल्टी, लाभांश, केन्द्रीय उपकर शुल्कों एवं अन्य रूप में कितनी राशि का भुगतान किया है; और

(घ) असम के तेल क्षेत्रों से कितना लाभ प्राप्त हुआ और इस लाभ की कितने प्रतिशत राशि का असम में विभिन्न कल्याणकारी कार्यकलापों में उपयोग किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) असम और उत्तर-पूर्व क्षेत्र (एन ई आर) के निकटवर्ती राज्यों में कच्चे तेल और गैस उत्पादन संबंधी सूचना विवरण में दी गई है।

(ख) तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं-

(i) विशेष वेधन तकनीकों का अर्जन।

(ii) अधिक कूपों का वेधन।

(iii) रूग्ण/गैर प्रवाही कूपों के लिए उन्नत अपाकरण कार्यनीति।

(iv) नई खोजों का तेजी से विकास।

(v) सेवा संविदाओं/बाहरी स्रोतों से छोटे/सीमांत क्षेत्र विकास।

(vi) फील्ड उत्पादन सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित सेवा उपलब्धकर्त्ताओं को नियुक्त करना।

(vii) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन ई एल पी) के तहत अधिक से अधिक क्षेत्र प्रस्तुत करना।

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी), आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) तथा निजी/संयुक्त उद्यमों (निजी/सं.उ.) द्वारा संबंधित राज्यों और संघ सरकार को रायल्टी, लाभांश, केन्द्रीय उपकर, शुल्कों तथा अन्य रूपों में किया गया अंशदान इस प्रकार है-

(रुपए करोड़ में)

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	राज्य सरकारों को अंशदान	केन्द्र सरकार को अंशदान
ओ एन जी सी	1959.88	25027.8
ओ आई एल	4231.50	8584.91
निजी/सं.उ.	42.60	–

(घ) वर्ष 2006-07 के दौरान ओ एन जी सी द्वारा एन ई आर में अर्जित लाभ 344.39 करोड़ रुपए था और इसने विभिन्न कल्याण कार्यों पर लाभ का 1.19% खर्च किया। ओ आई एल ने वर्ष 2006-07 में 1629.18 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया और कल्याण कार्यों पर 0.78% खर्च किया।

विवरण

गत पांच वर्षों के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन

(मि.मी.ट. में)

सा.क्षे.उ.	राज्य	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7
ओएनजीसी	असम	1.735	1.621	1.546	1.285	1.331

1	2	3	4	5	6	7
ओआईएल	असम	2.926	2.969	3.155	3.187	3.061
	अरुणाचल प्रदेश	0.024	0.033	0.041	0.046	0.046
निजी/सं.उ.	असम	0	0	0	0.0017	0.0076
	अरुणाचल प्रदेश	0.042	0.048	0.042	0.058	0.062
	योग	4.727	4.671	4.784	4.5777	4.5076

गत पांच वर्षों के दौरान गैस का उत्पादन (एम एम एस सी एम)

सा.क्षे.उ.	राज्य	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
ओएनजीसी	असम	476	498	467	400	498
	त्रिपुरा	446	508	496	480	520
ओआईएल	असम	1570.53	1705.85	1780.15	2003.21	2011.18
	अरुणाचल प्रदेश	29.23	34.99	34.59	39.9	28.44
निजी/सं.उ.	असम	0	0	0.868	4.413	16.425
	अरुणाचल प्रदेश	0	8.554	5.238	7.598	6.185
	योग	2521.76	2755.394	2783.846	2935.12	3080.23

ग्यारहवीं योजना अवधि में तेल और गैस उत्पादन के लक्ष्य (2007-2012 में)

सा.क्षे.उ.	मि.मी.ट. में तेल उत्पादन के लक्ष्य	एमएमएससीएम में गैस उत्पादन लक्ष्य
ओ एन जी सी	9.47	8531
ओ आई एल	17.8	14925
निजी/सं.उ.	0.616	138.57

संक्षिप्ति:

पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	प्रा./जेवी	निजी संयुक्त उद्यम
ओएनजीसी	आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड	एमएमटी	मिलियन मीट्रिक टन
ओआईएल	आयल इंडिया लिमिटेड	एमएमएससीएम	मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर

[हिन्दी]

रेलवे द्वारा ढुलाई के दौरान माल की चोरी

3089. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा ढुलाई के दौरान माल की चोरी अथवा नुकसान हो जाने के संबंध में विगत तीन वर्षों के दौरान की गई शिकायतों/दावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे ने इन दावों के लिए भुगतान कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो मंडल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2004, 2005, 2006 और 2007 (सितंबर तक) के लिए रेलवे द्वारा परिवहन के दौरान रिपोर्ट की गयी चोरियों की संख्या निम्नलिखित है:-

वर्ष	रिपोर्ट की गयी चोरियों की संख्या
2004	2113
2005	1725
2006	1166
2007 (सितंबर तक)	747

(ख) और (ग) चालू वित्त वर्ष अप्रैल से सितंबर, 2007 सहित दावों पर किया गया भुगतान, बुक किए गए परेषणों की हानि और चोरी का जोनवार विविरण दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

रेलवे	अवधि	हानि/चोरी आदि के पंजीकृत दावों की कुल संख्या	हानि और चोरी पर भुगतान किए दावे	हानि और चोरी पर भुगतान की गयी राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
मध्य रेलवे	2007-08*	907	100	0.65
	2006-07	3112	604	226.49
	2005-06	3178	826	22.25
	2004-05	3519	1108	97.65
पूर्व रेलवे	2007-08*	1569	149	1.64
	2006-07	2157	1282	56.93
	2005-06	3657	1353	91.81
	2004-05	4461	1656	201.01
उत्तर रेलवे	2007-08*	2584	24	0.42

1	2	3	4	5
	2006-07	4563	749	137.97
	2005-06	6876	678	82.5
	2004-05	6164	1280	92.19
पूर्वोत्तर रेलवे	2007-08	794	133	2.97
	2006-07	1848	474	21.8
	2005-06	1949	630	10.36
	2004-05	3357	821	15.81
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	2007-08*	633	166	0.32
	2006-07	4599	315	49.07
	2005-06	7458	296	12.5
	2004-05	8011	569	21.48
दक्षिण रेलवे	2007-08*	492	76	5.49
	2006-07	1274	223	44.01
	2005-06	1800	244	7.78
	2004-05	1749	504	29.73
दक्षिण मध्य रेलवे	2007-08*	440	130	10.49
	2006-07	1146	225	25.34
	2005-06	1245	445	177.25
	2004-05	1408	401	18.98
दक्षिण पूर्व रेलवे	2007-08*	1113	425	4.63
	2006-07	1676	262	6.49
	2005-06	2256	345	7.39
	2004-05	3177	1437	43.55

1	2	3	4	5
पश्चिम रेलवे	2007-08*	685	181	0.84
	2006-07	1529	316	9.94
	2005-06	1375	338	11.85
	2004-05	2125	543	18.16
पूर्व मध्य रेलवे	2007-08*	1017	0	0
	2006-07	3056	10	0.08
	2005-06	3308	0	0
	2004-05	5209	661	7.27
पूर्व तट रेलवे	2007-08*	510	119	1.53
	2006-07	1343	193	2.74
	2005-06	1190	492	43.57
	2004-05	1474	530	5.88
उत्तर मध्य रेलवे	2007-08*	751	314	20.74
	2006-07	2403	842	72.11
	2005-06	3184	1027	14.34
	2004-05	3835	1342	11.26
उत्तर पश्चिम रेलवे	2007-08*	215	79	2.64
	2006-07	517	168	2.47
	2005-06	532	263	8.6
	2004-05	769	350	9.74
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	2007-08*	459	0	0
	2006-07	1070	223	2.44

1	2	3	4	5
	2005-06	1196	61	3.03
	2004-05	1631	131	1.31
दक्षिण पश्चिम रेलवे	2007-08*	556	15	0.55
	2006-07	1341	27	2.14
	2005-06	921	89	1.99
	2004-05	737	103	2.62
पश्चिम मध्य रेलवे	2007-08*	528	73	0.88
	2006-07	1407	936	21.64
	2005-06	1624	1191	31.3
	2004-05	2894	1448	13.18
जोड़	2007-08*	13253	1984	53.79
	2006-07	33041	6849	681.66
	2005-06	41749	8278	526.52
	2004-05	50520	12884	589.82

*आंकड़े सितम्बर, 2007 तक

[अनुवाद]

कर्नाटक में रेल परियोजनाएं

3090. श्री पी.सी. गद्दीगौडर :
श्री के. विरुपाक्षप्पा :
श्री सुरेश अंगड़ि :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में लंबित रेल परियोजनाओं और नई लाइनों को बिछाने संबंधी सर्वेक्षण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन प्रत्येक प्रयोजनाओं/सर्वेक्षणों को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) इन प्रत्येक परियोजनाओं के लिए अब तक कितनी धनराशि आबंटित की गई और उपयोग में लाई गई;

(घ) इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे है; और

(ङ) कर्नाटक में मॉडल स्टेशन के रूप में उन्नत किए जा रहे रेलवे स्टेशनों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (ग) कर्नाटक में अशंतः/पूर्णतः स्थित चालू नई लाइन और सर्वेक्षणों का ब्यौरा, उनकी स्थिति, पूरा करने के लक्ष्य (जहां कहीं निर्धारित हो), 2007-08 के लिए परिव्यय और मार्च 2007 तक व्यय को दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	परियोजना	प्रत्याशित लागत	मार्च, 2007 तक उपगत व्यय	परिव्यय 2007-08	स्थिति
1	2	3	4	5	6
	नई लाइन				
1.	कोट्टूर-हरिहर (65 किमी)	206.82	53.46	30.70	कोट्टूर-हरपनहल्ली (30 किमी) को 2007-08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। शेष खंड पर भी भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी कार्य एवं पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।
2.	हुबली-अंकोला (167 किमी)	997.58	34.54	5	हुबली-किरवट्टी खंड पर मिट्टी संबंधी कार्य और पुल संबंधी कार्य शुरू किए हैं। बरहाल, इस कार्य को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित केंद्रीय उच्चाधिकार समिति की सलाह पर रोक दिया गया है।
3.	गुलबर्गा-बीदर (106.6 किमी)	369.70	52.17	20	भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य और गिट्टी आपूर्ति का कार्य शुरू किया गया है।
4.	मुनीराबाद-महबूबनगर (246 किमी)	497.47	35.61	5	भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी कार्य और पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।
5.	बेंगलूरू-हसन (166 किमी)	412.91	222.77	21	हसन-श्रवणबेलगोला (43 किमी) और बेंगलुरू (चिकबन्नावेर)-नीलमंगला (14 किमी) पर कार्य पूरा हो गया है। शेष हिस्से पर भूमि अधिग्रहण मिट्टी संबंधी कार्य और पुल संबंधी कार्य शुरू किया गया है।
6.	काडूर-चिकमगलूर-सकलेशपुर (93 किमी)	274.29	54.25	10	काडूर-चिकमगलूर खंड (45 किमी) पर मिट्टी संबंधी कार्य और पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।

1	2	3	4	5	6
7.	बेंगलुरू-सत्यमंगलम (260 किमी)	901.62	0.28	1	बेंगलुरू से गट्टेवाडि और सत्यमंगलम से बेन्नारी तक सर्वेक्षण किया गया है। गट्टेवाडि और बेन्नारी के बीच (58 किमी) सर्वेक्षण आवश्यक स्वीकृतियों के कारण रूका हुआ है।
8.	रायदुर्ग-तुमकुर (213 किमी)	887.31	0	0.01	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण, यार्ड योजना आदि के प्रारंभिक कार्य शुरू किए गए हैं।
	आमान परिवर्तन				
1.	कोलार-चिकबल्लापुर (96.5 किमी)	99.42	4.29	64	मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य और गिट्टी आपूर्ति का कार्य शुरू किया गया है।
2.	मैसूर-चामराजनगर (61 किमी)	606.58	44.30	45	मैसूर-नंजनगढ़ टाउन (26 किमी) पूरा हो गया है और शेष को 2007-08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
3.	बेंगलुरू-हुबली और शिमौगा टाउन-तालगुप्पत (630 किमी)	539.41	409.85	70	मुख्य लाइन (533 किमी) को पूरा कर लिया गया और खोल दिया गया है। शिमौगा-आनंदपुरम (56 किमी) को 2007-08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। 97 किमी की समूची लंबाई पर मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य और गिट्टी आपूर्ति का कार्य शुरू किया गया है।
4.	सोलापुर (होटगी)-गदग (300 किमी)	357.69	347.65	65	सोलापुर-होटगी-बीजापुर-बगलकोट (207 किमी) पूरा हो गया है और खोल दिया गया है तथा शेष खंड अर्थात बगलकोट-गदग (93 किमी) को 2007-08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
	दोहरीकरण				
1.	अरसीकेरे-बिरूर (44.28 किमी)	98.21	0	1	प्रारंभिक कार्य शुरू किए गए हैं।
2.	बेंगलुरू-व्हाइट फील्ड-बेंगलुरू सिटी-कृष्णाराजपुरम (23.08 किमी)	84.99	0	0.10	इस परियोजना को कर्नाटक सरकार के साथ लागत में भागीदारी के आधार पर शुरू करने की जांच की जा रही है।
3.	धारवाड़-कम्बारगनवी (26.15 किमी)	87.48	0.06	30	मिट्टी संबंधी कार्य और पुल संबंधी कार्य के लिए निविदाओं पर कार्रवाई हो चुकी है।
4.	हुबली-हेब्सर (18.75 किमी)	56.99	0	18	मिट्टी संबंधी कार्य और पुल संबंधी कार्य के लिए ठेके दे दिए गए हैं।

1	2	3	4	5	6
5.	कंगेरी-रामनगरम (29.83 किमी)	122.01	35.14	10	कंगेरी-बिडाडी (17 किमी) पूरा हो गया है और शेष को 2007-08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
6.	रामनगरम-मैसूर (91.5 किमी) विद्युतीकरण सहित कंगेरी-मैसूर	343.18	0	5.16	प्रारंभिक कार्य शुरू किए गए हैं।
7.	यशवंतपुर-तुमकुर (64 किमी)	109.55	103.09	30	यशवंतपुर-गोलाहल्ली (20 किमी) खोल दिया गया है और शेष को 2007-08 के दौरान पूरा करने का प्रस्ताव है।
8.	होजपेट-गुंतकल (115.40 किमी)	350.29	240.81	25	ब्यलवाड्डीगेरी-होजपेट (18 किमी) को छोड़कर पूरा खंड खोल दिया गया है।

क्र.सं.	नई लाइन के लिए सर्वेक्षण	लंबाई (किमी में)	पूरा करने की लक्ष्य तिथि, जहां कहीं निर्धारित हो
1.	गुंजी-कुलेम	30	31.3.2008
2.	बीजापुर से शाहबाद	140	31.3.2008
3.	अलमट्टी से कुपगल	170	31.5.2008
4.	बगलकोट-कुडाछी	111	31.3.2008
5.	कोट्टूर से चित्रदुर्ग बरास्ता जगलूर	80	30.6.2008
6.	धारवाड़-बैलाहोंगल-बेलगाम	97	30.6.2008
7.	तुमकुर-देवनगेरे	210	30.6.2008
8.	प्रशांथिनिलायम-कादिरी बरास्ता नल्लामाडा	45	31.6.2008
9.	शालासेगी मैसूर	298	31.3.2008
10.	नंजनगढ-नीलाम्बूर	230	31.3.2008
11.	तालगुप्पा-होनावर	82	31.8.2008
12.	कृष्णाराजनगर-कुशालनगर	45	निर्धारित नहीं
13.	बेंगलुरू-नांगली	120	निर्धारित नहीं

(घ) इन परियोजनाओं के पूरा होने में तेजी लाने के उद्देश्य से सार्वजनिक/निजी भागीदारी, राज्य सरकारों के साथ लागत में भागीदारी, रक्षा मंत्रालय के माध्यम से वित्तपोषण, राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त निधियों के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अनेक पहलें की गई हैं उनके पूरा होने में तेजी लाने के लिए आंतरिक संसाधन सृजन से भी निधियां आवंटित की जा रही हैं।

(ङ) कर्नाटक राज्य में आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित किए जाने के लिए निम्नलिखित 26 स्टेशनों की जोनवार पहचान की गई है-

क्षेत्रीय रेलवे	स्टेशन
दक्षिण पश्चिम	बेंगलुरू छावनी, बीजापुर, होजपेट जंक्शन, हुबली जंक्शन, मैसूर, शिमौगा, त्रोणागल्लू, बेलगाम, बेल्लारी जं., यशवंतपुर जं., अलनावर, बेंगलूर सिटी, बंगारपेट जं., दावनगेरे, धारवाड़, गदग, हसन, कृष्णाराजपुरम, लौंडा जं. और तुमकुर,
मध्य	गुलबर्गा
दक्षिण	मंगलौर, कनकानाडि
दक्षिण राज्य	रायचूर, बिदर, यादगीर

रेलवे द्वारा कॉल सेंटरों की स्थापना

3091. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का प्रस्ताव देश भर में कॉल सेंटरों की स्थापना पर 50 करोड़ रु. खर्च करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये केंद्रों राज्य-वार कहां-कहां स्थापित किए जाएगें; और

(ग) इस व्यवस्था से यात्रियों को क्या लाभ होगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं। चूंकि कॉल सेंटरों की स्थापना सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर की जा रही है, अत: व्यय फर्म द्वारा वहन किया जा रहा है, जिसके लिए ठेका आबंटित किया गया है।

(ख) चार मेट्रो शहरों अर्थात् दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नै जिसमें देश के उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम क्षेत्र शामिल हैं, में कॉल सेंटर चालू किए गए हैं। इस प्रणाली का पहले से ही मूल पूछताछ सेवाओं के लिए उत्तर, पश्चिम तथा दक्षिण क्षेत्रों में उद्घाटन किया गया है तथा पूर्व क्षेत्र को शीघ्र ही शामिल किया जाएगा। महानगर टेलिफोन निगम लि. (एम टी एन एल) तथा भारत संचार निगम लि. (बी एस एन एल) इस सेवा के लिए टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (टी एस पी) है। हाल ही में उत्तर क्षेत्र में वोडाफोन पर यह सेवा उपलब्ध करायी गयी है। अन्य नेटवर्कों, जिनमें सेलफोन भी शामिल हैं, में शीघ्र ही यह सेवा उपलब्ध करायी जाएगी।

(ग) एकीकृत गाड़ी पूछताछ प्रणाली में इंटरएक्टिव वायस् रिस्पांस सिस्टम (आई वी आर एस) तथा मैनुअल पूछताछ दोनों की व्यवस्था है ताकि गाड़ियों के चालन की स्थिति, आरक्षण स्थिति, अन्य मूल्य संवर्धित सेवाओं के साथ-साथ स्थान की उपलब्धता की सूचना दी जा सके। यात्री रेल से संबंधित पूछताछ के लिए देशभर में स्थानीय कॉल के रूप में यूनिवर्सल संख्या 139 डायल कर सकते हैं।

नीम परियोजना

3092. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीम परियोजना का दूसरा चरण अक्टूबर, 2006 में शुरू हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) और (ख) जी, हां। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं और भागीदार संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन(एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कार्य योजना के अनुसार फील्ड परीक्षण, प्रयोगशाला परीक्षण, प्रशिक्षण एवं किसान जागरूकता अभियान आदि जैसी विभिन्न गतिविधियां शुरू की गई हैं।

परियोजना के द्वितीय चरण के लिए कुल अनुमानित परिव्यय 613.77 लाख रु. है जिसमें से अब तक विभिन्न भागीदार संस्थानों को 327.21 लाख रु. की राशि निर्गत की गई है।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण संबंधी समिति

3093. श्री जी. करुणाकर रेड्डी :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री कीरेन रिजीजू :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण संबंधी एक नियत अथवा दीर्घावधि नीति के अभाव में निवेशकों को घाटा उठाना पड़ता है;

(ख) क्या निवेशक उपर्युक्त कारणों से सरकारी तेल कंपनियों से दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यनिर्धारण और करों से संबंधित व्यापक नीति बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यह समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (ग) वर्ष 2004 से कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य उच्च और अस्थिर रहे हैं। तेल के मूल्यों में हुई अत्यधिक वृद्धि को समग्र रूप से उपभोक्ताओं पर डालने से आम आदमी को कठिनाई हो गई होती, पेट्रोल, डीजल, पी डी एस मिट्टी तेल और घरेलू एल पी जी के खुदरा बिक्री मूल्य, तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुसार घट बढ़ नहीं किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान, पी डी एस मिट्टी तेल और घरेलू एल पी जी के मूल्य में वृद्धि नहीं की गई है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में होने वाली वृद्धि के कारण, संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू बिक्री पर अल्प वसूलियां ले रही हैं।

आम आदमी, समाज के कमजोर वर्गों और ओ एम सीज की वित्तीय स्थिति के भी हितों की सुरक्षा के लिए, सरकार ने सरकार और तेल पी एस यूज के बीच समान भार हिस्सेदारी का सिद्धांत अपनाया है। इस संदर्भ में, सरकार ने ओ एम सीज की वर्ष 2007-08 के लिए उनकी अल्प वसूलियों के लिए आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति करने के लिए निम्नलिखित उपाय अनुमोदित किए हैं-

(क) कुल अनुमानित अल्प वसूलियों के 42.7% तक तेल बांड जारी करना; और

(ख) अपस्ट्रीम तेल कंपनियां, कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर रियायत देकर अल्प वसूलियों का लगभग 1/3 भाग शेयर करेंगी।

(घ से (च) जी हां। पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण और कर निर्धारण के संबंध में रंगराजन समिति की रिपोर्ट सरकार को 17.2.2006 को प्राप्त हुई थी। इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को मोटे तौर पर निम्नलिखित तीन वर्गों में बांटा जा सकता है:-

1. पेट्रोल और डीजल का मूल्य निर्धारण:-

   (i) रिफाइनरी गेट और साथ ही खुदरा मूल्यों के निर्धारण को व्यापार समता मूल्य निर्धारण फार्मूले में बदलना;

   (ii) सरकार को मूल्य निर्धारण से दूर रहना चाहिए और तेल कंपनियों को प्रस्तावित फार्मूले के अंतर्गत खुदरा मूल्य निश्चित करने के लिए लचीलापन रखने की अनुमति देनी चाहिए; तथा

   (iii) पेट्रोल और डीजल पर सीमा शुल्क को 7.5% तक कम करके प्रभावी संरक्षण कम करना चाहिए।

2. घरेलू एल पी जी तथा पी डी एस मिट्टी तेल के मूल्य निर्धारण:

   (i) राजसहायता प्राप्त मिट्टी तेल को केवल बी पी एल परिवारों तक सीमित रखना

(ii) घरेलू एल पी जी के मूल्य में 75 रुपए सिलेंडर तक वृद्धि करना;

(iii) अपस्ट्रीम कंपनियों को अपस्ट्रीम सहायता प्रदान करने के लिए कहने की परम्परा समाप्त करना लेकिन उसकी बजाए ओ आई डी बी उपकर को 1,800 रुपए/मी. टन के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 4,800 रुपए/मी. टन करके उनका अंशदान एकत्र करना; तथा

(iv) सरकार को बजट से राजसहायता की शेष लागत पूरी करनी चाहिए।

3. उत्पादन शुल्कों की पुनर्संरचना करना:

वर्तमान विशिष्ट और मूल्यानुसार के मिश्रण को शुद्ध विशिष्ट लेवी में बदलना तथा डीजल की 5.00 रुपए/लीटर और पेट्रोल की 14.75 रुपए/लीटर की लेवी को आंशिक रूप में संशोधित करना।

समिति ने सिफारिश की थी कि इन सिफारिशों के प्रत्येक पहले दो सेटों को एकीकृत पैकेजों के रूप में कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

सरकार ने डा. रंगराजन समिति की रिपोर्ट की निम्नलिखित सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं-

(i) पेट्रोल और डीजल के लिए व्यापार समता आधार पर मूल्य निर्धारण करना जिसमें 80:20 के अनुपात में आयात समता और निर्यात समता मूल्यों का भारित औसत होगा।

(ii) पेट्रोल और डीजल पर सीमा शुल्क को 10% से घटाकर 7.5% करना।

(iii) राजसहायता प्राप्त पी डी एस मिट्टी तेल को केवल बी पी एल परिवारों के लिए सीमित रखने में सैद्धांतिक संशोधन।

तदनुसार पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण को आयात समता से व्यापार समता (80:20 के अनुपात में आयात और निर्यात समता का भारित औसत) में बदल दिया गया था। पेट्रोल और डीजल पर सीमा शुल्क को 16.6.06 से 10% से घटाकर 7.5% कर दिया गया था।

ग्राउंड हैंडलिंग के लिए सहायक कंपनियों की स्थापना

3094. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर इंडिया लि. इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड, और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा ग्राउंड हैंडलिंग के लिए सहायक कंपनियों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश में ग्राउंड हैंडलिंग के लिए सहायक कंपनियों की स्थापना किए जाने संबंधी कार्य को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा ग्राउंड हैंडलिंग व्यवस्था के लिए कोई मानदंड/नियम निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ङ) सरकार द्वारा निर्धारित नई ग्राउंड हैंडलिंग नीति के अनुसार महानगरीय हवाईअड्डों यथा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलौर तथा हैदराबाद में स्थित हवाई अड्डों में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के निष्पादन के लिए निम्नलिखित निकाय पात्र हैं:- 1. (i) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/स्वयं हवाई अड्डा प्रचालक या उसकी संयुक्त उद्यम कंपनी (ii) राष्ट्रीय वाहक यथा नेशनल एविएशन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियां या कार्य निष्पादन मानकों के संतोषजनक अवलोकन के मद्देनजर हवाई अड्डा प्रचालक के साथ राजस्व भागीदारी के आधार पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं में विशेषज्ञता प्राप्त उसके संयुक्त उद्यम (iii) केन्द्र सरकार द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस तथा कार्य निष्पादन मानकों के अवलोकन के मद्देनजर राजस्व भागीदारी के आधार पर प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया कोई अन्य ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाता। 2. अन्य सभी हवाई अड्डों पर उपर्युक्त विनिर्दिष्ट निकायों के साथ-साथ विदेशी एयरलाइनों से इतर एयरलाइनों को स्वसम्भलाई की अनुमति होगी। नए ग्राउंड हैंडलिंग विनियमों के जारी होने के पश्चात सरकार को एनएसीआईएल तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से ग्राउंड हैंडलिंग के लिए सहायक कंपनियों की स्थापना का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रवेश शुल्क

3095. श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि विदेशी पर्यटकों को विश्व विरासत स्थलों में प्रवेश के लिए 5 डॉलर और संरक्षित स्मारकों में प्रवेश के लिए 2 डॉलर का प्रवेश शुल्क अदा करना पड़ता था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन दरों में संशोधन किया है तथा विदेशी पर्यटकों को अब प्रवेश शुल्क मात्र भारतीय रुपयों में ही अदा करना होगा;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन स्थलों पर प्रवेश के लिए भारतीय रुपए में निर्धारित नई दरें कितनी हैं;

(ङ) क्या इन स्थलों पर प्रवेश शुल्क से वसूली गई राशि पर सरकार को कोई घाटा होने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन स्थलों पर प्रवेश शुल्क से विगत तीन वर्षों और आज की तिथि तक वर्षवार कुल कितनी आय हुई?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) जी, हां। टिकटेड स्मारकों पर लिए जाने वाले प्रवेश शुल्क का ब्यौरा निम्नानुसार है:

	टिकटेड विश्व धरोहर स्मारक	अन्य टिकटेड स्मारक
(i) भारत का नागरिक	प्रति व्यक्ति 10/- रुपए	प्रति व्यक्ति 5/- रुपए
(ii) अन्य	प्रति व्यक्ति 5 अमरीकी डालर या 250/- रुपए	प्रति व्यक्ति 2 अमरीकी डालर या 100/- रुपए

(ग) और (घ) अमरीकी डालर की विदेशी विनिमय दर में उतार/चढ़ाव को देखते हुए, सरकार द्वारा विदेशियों से टिकटेड विश्व धरोहर स्मारकों पर प्रति व्यक्ति 250/- रुपए की दर से और अन्य टिकटेड स्मारकों पर प्रति व्यक्ति 100/- रुपए की दर से भारतीय रुपयों में प्रवेश शुल्क लेने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय राजपत्र में अधिसूचना के बाद कार्यान्वित किया जाएगा।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन 116 टिकटेड स्मारकों से प्रवेश शुल्क के रूप में एकत्र किया गया कुल राजस्व निम्नानुसार है :-

2004-05	5285.72 लाख रुपए
2005-06	5466.63 लाख रुपए
2006-07	6303.63 लाख रुपए

कृषि आधारित उद्योगों को राजसहायता

3096. **श्री किसनभाई वी. पटेल :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बैंक ऋण मांगने वाले कृषि आधारित उद्योगों को ब्याज पर राजसहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने इस मामले पर अन्य संबंधित मंत्रालयों से चर्चा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मंत्रालय की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना संबंधी योजना स्कीम के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कार्यान्वयन एजेंसियों/उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख

रुपये है और दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये है, सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है।

मंत्रालय ने योजना आयोग को एक स्कीम प्रस्तुत की है जिसमें 11वीं पंच वर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में तीस मेगा खाद्य पार्कों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देने की परिकल्पना की गई है। स्कीम परियोजना उन्मुखी है जिसका उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्त्ताओं और खुदरा व्यापारियों को एक मंच पर लाने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना और कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ना है ताकि अधिकतम मूल्यवर्धन, न्यूनतम अपव्यय और किसानों की आय में सुधार सुनिश्चित हो सके। मेगा खाद्य पार्क में सहायक बुनियादी सुविधाओं और सुस्थापित सप्लाई श्रृंखला समेत अधुनातम प्रसंस्करण सुविधाओं को शामिल करते हुए सुपरिभाषित कृषि/बागवानी प्रसंस्करण अंचल की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य मूल स्तर पर प्रसंस्करण और अपेक्षित फारवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज द्वारा समर्थित एक समेकित मूल्यश्रृंखला की स्थापना को सुकर बनाना है। इस स्कीम के अंतर्गत सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक और विशेष श्रेणी वाले राज्यों में परियोजना लागत के 75 प्रतिशत तक सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है जिसकी अधिकतम सीमा 50 करोड़ रुपये अथवा अनुमोदित सुविधाओं की लागत, इनमें से जो भी कम हो, होगी।

इसके अतिरिक्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, एचएसीसीपी, आईएसओ-9000, जीएचपी और जी एम पी प्रक्रियाओं जैसी गुणवत्ता प्रणालियों का कार्यान्वयन, अनुसंधान और विकास का संवर्धन, क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास और अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलापों संबंधी स्कीम के अंतर्गत निजी क्षेत्र/सरकारी क्षेत्र के संगठनों को अनुदान के रूप में सहायता दी जा रही है। 11वीं योजना में, उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत उच्चतर स्तर की सहायता के साथ लगातार सहायता देने का प्रस्ताव किया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त दर्शाए गए अनुसार अपनी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत उद्योग को अनुदान के रूप में दी जा रही पूंजीगत सब्सिडी को ध्यान में रखते हुए कृषि आधारित उद्योग को ब्याज सब्सिडी देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेलवे में विदेशी निवेश

3097. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देश भारतीय रेलवे में निवेश करना चाह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वे किन मार्गों पर पूंजीनिवेश करना चाहते हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात मूल्यन नीति

3098. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक स्वतंत्र पैनल को एक ऐसा व्यावहारिक मॉडल बनाने का कार्य सौंपा गया है जिससे सरकार को इस्पात मूल्यन नीति बनाने में सहायता मिले;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने इस संबंध में पहले ही अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ये सिफारिशें कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) सरकार ने इस्पात मूल्यन नीति के संबंध में व्यावहारिक मॉडल बनाने के लिए किसी स्वतंत्र पैनल का गठन नहीं किया है। इस्पात मंत्रालय ने देश में इस्पात की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से संबंधित मुद्दों का प्रबोधन करने और उन पर विचार-विमर्श करने के लिए स्टील प्राइस मॉनीटरिंग कमेटी (एसपीएमसी) का गठन किया है। प्रमुख इस्पात उत्पादक और उपभोक्ता इस समिति के सदस्य हैं तथा संयुक्त सचिव (इस्पात) इस समिति के अध्यक्ष हैं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हेलीपैडों का निर्माण

3099. श्री पंकज चौधरी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अब देश में हेलीकॉप्टर प्रचालन पर विचार कर रही है तथा वर्ष 2008 को हेलीकाप्टर वर्ष के रूप में मनाने की योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे अस्पतालों ने अपने अभिघात केन्द्रों में सुविधा बहाल करने हेतु हेलीपैड के निर्माण की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश के कतिपय प्रमुख अस्पतालों को हेलीकाप्टर सेवा प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) सरकार ने वर्ष 2008 को हेलीकॉप्टर वर्ष घोषित करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य जन-साधारण में हेलीकॉप्टरों के विभिन्न प्रयोगों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना तथा देश में हेलीकाप्टर प्रचालनों को प्रोत्साहित करना है। वर्ष 2008 के दौरान हेलीकाप्टर प्रचालनों तथा नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), रक्षा मंत्रालय आदि जैसे विनियामक प्राधिकरणों के साथ देश में हेलीकाप्टरों के सुगम प्रचालनों के समक्ष अवरोधों की जांच करने व उन्हें हटाने के लिए बैठकें व संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस) ने अगस्त 2007 में जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रौमा सेन्टर, एआईआईएमएस पर उत्थापित हैलीपैड पर हैलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया है। एआईआईएमएस को कहा गया था कि प्रस्तावित हैलीपेड से हैलीकॉप्टरों के प्रचालनों के लिए नागर विमानन आवश्यकताओं के अनुसार हैलीपैड तैयार करने तथा मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए उत्थापित (रूफटाप) हैलीपैड तथा दिशानिर्देशों का अनुसरण करें।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को प्रोत्साहन

3100. श्री के. विरुपाक्षप्पा : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों के आर्थिक विकास हेतु उन्हें वित्तीय सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो सभी प्रकार के प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है, तथा इस संबंध में कितने वित्तीय अनुदान का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) भारत सरकार की, साहित्य कला तथा जीवन के ऐसे अन्य क्षेत्रों में लब्धप्रतिष्ठित ऐसे व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम है, जो अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे हों। इस स्कीम को दो भागों में बांटा गया है नामतः (1) केन्द्रीय कोटा और (2) केन्द्र राज्य कोटा। केन्द्रीय कोटा के तहत लाभार्थी को प्रतिमाह 2000/- रु. अर्थात् 24000/- रु. प्रतिवर्ष का भत्ता दिया जाता है। केन्द्र राज्य कोटा के तहत, इस भत्ते की राशि केन्द्र और संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा 3 और 1 के अनुपात में दी जाती हे और लाभार्थी केन्द्र से 1500/- रु. प्रतिमाह की सहायता प्राप्त करता है तथा शेष 500/- रु. की राशि राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा दी जाती है।

विभिन्न भाषाओं में साइन बोर्ड

3101. श्री के. विरुपाक्षप्पा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का प्रस्ताव साक्षर व्यक्तियों की सुविधाओं के लिए दिल्ली और बड़े स्टेशनों पर राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंग्रेजी भाषा में प्रदर्श फलकों अथवा साइनबोर्ड लगाने ओर निरक्षर व्यक्तियों की सुविधा हेतु प्लेटफार्मों पर गाइडों का व्यवस्था करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) क्षेत्रीय, हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में स्टेशन के नामपट्ट, नोटिस बोर्ड आदि प्रदर्शित करने के संबंध में क्षेत्रीय रेलों को पहले ही अनुदेश दिए गए हैं। अशिक्षित यात्रियों सहित सभी यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर संकेत चिह्न (चित्रलिपि) जिनके जरिए विभिन्न यात्री सुविधाओं/सुख-सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जाती है, की व्यवस्था की गयी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता

3102. **श्री रायापति सांबासिवा राव :**
श्री रामदास आठवले :
डा. धीरेंद्र अग्रवाल :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों को संरक्षित स्मारकों के परिरक्षण तथा नए संग्रहालयों के निर्माण के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का स्मारक, संग्रहालय और योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान आवंटित धनराशि का इन कार्यों में पूरी तरह उपयोग किया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) राज्य संरक्षित स्मारकों तथा संग्रहालयों के संरक्षण हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने की कोई योजना नहीं है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय "प्रोडक्ट/इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फार डेस्टिनेशन्स एन्ड सर्किट्स" योजना के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन सहित पर्यटन विरासत स्थलों, स्मारकों तथा संग्रहालयों के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पर्यटन मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

पर्यटन मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व विरासत स्थलों के लिए स्वीकृत इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना

वर्ष : 2004-05

(रुपए लाखों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	योजना	स्वीकृत धनराशि
1.	बादामी-एहोल-पट्टाडकल-महाकूटा सर्किट का विकास	कर्नाटक	सर्किट	800.00
2.	अजंता फुटहिल्स रेस्तरां का उन्नयन	मध्य प्रदेश	डेस्टिनेशन	37.26
3.	मामल्लापुरम में सूचना पट्ट को स्थापित करना	तमिलनाडु	डेस्टिनेशन	5.92
4.	महाबलीपुरम का डेस्टिनेशन डेवलपमेंट (चरण II)	तमिलनाडु	डेस्टिनेशन	432.00

वर्ष : 2005-06

(रुपए लाखों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	योजना	स्वीकृत धनराशि
1.	पर्यटक सर्किट योजना के अंतर्गत बोधगया-राजगीर-नालन्दा का विकास	बिहार	सर्किट	768.12
2.	ग्वालियर-ओरछा-खजुराहो का समन्वित विकास	मध्य प्रदेश	सर्किट	461.09
3.	सांची-भोपाल-भोजपुर-भीमबैठका-पंचमढ़ी सर्किट का समन्वित विकास	मध्य प्रदेश	सर्किट	715.45
4.	तंजावुर में एस ई एल शो	तमिलनाडु	डेस्टिनेशन	150.00
5.	मामल्लापुरम में श्रव्य गाइड सुविधा प्रारंभ करना	मध्य प्रदेश	डेस्टिनेशन	88.04
6.	आगरा का समन्वित विकास-ताजमहल के आस पास-ताजमहल के पूर्वी दरवाजे के प्रवेश का सुदृढ़ीकरण तथा पर्यटक प्रबंधन	उत्तर प्रदेश	डेस्टिनेशन	767.00

वर्ष : 2006-07

(रुपए लाखों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	योजना	स्वीकृत धनराशि
1.	बोधगया-राजगीर-नालन्दा-पर्यटक सर्किट	बिहार	सर्किट	1922.42
2.	चेन्नै-कांचीपुरम-तिरूकाजुकुंदरम-मामल्लापुरम का विकास	तमिलनाडु	सर्किट	452.78
3.	तंजावूर का डेस्टिनेशन डेवलपमेंट	तमिलनाडु	डेस्टिनेशन	427.46
4.	आगरा पश्चिम दरवाजा प्रवेश का समन्वित विकास	उत्तर प्रदेश	डेस्टिनेशन	758.00

पर्यटन संचालक

3103. **श्री सुग्रीव सिंह :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सररकार का देश में पर्यटन संचालकों की मान्यता के नवीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सरल प्रक्रिया से देश में पर्यटक संचालकों को तथा पर्यटक को कितना लाभ होगा; और

(ग) इससे देश में पर्यटक संचालकों के कार्यकलापों पर किस प्रकार से नियंत्रण रखा जा सकेगा?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पर्यटन संचालकों एवं अन्य यात्रा संबंधी सेवा प्रदाताओं की मान्यता के नवीकरण को सरलीकृत किया गया है। दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता और गुवाहटी के क्षेत्रीय निदेशकों को यह कार्य सौंपा गया है। यह संबंधित क्षेत्र के पर्यटन संचालकों को उनकी मान्यताओं के नवीकरण में सुविधा प्रदान करेगा।

बीपीसीएल के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत

3104. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तरी क्षेत्र में नियुक्त भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी पी सी एल) के कंपनी अधिकारियों के विरुद्ध पुनर्गठन प्रस्तावों तथा आशय पत्र पर कोको (सीओसीओ) खुदरा बिक्री केन्द्रों के आबंटन के संबंध में निर्णय लेने में जानबूझ कर देरी करने की शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सभी मामलों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार ने संबद्ध डीलरों की शिकायतों का निवारण करने हेतु एक निर्धारित अवधि में ऐसे सभी प्रस्तावों को निपटाने के लिए बी पी सी एल को कोई निर्देश दिए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बी पी सी एल द्वारा प्रत्येक मामले में की गई कार्यवाही रिपोर्ट क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

गोधरा की घटना पर नई जांच समिति

3105. **श्री अधीर चौधरी :**
श्री निखिल कुमार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार इलैक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा हाल में किए गए खुलासे के मद्देनजर गोधरा की घटना की जांच एक नई जांच समिति द्वारा कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों के लिए धुंध-रोधी उपकरण और मशीनें

3106. **श्री हेमलाल मुर्मू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में आज की तारीख तक भारतीय रेल द्वारा अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है तथा रेलवे द्वारा इस पर जोन-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या सरकार ने रेलगाड़ियों की आवाजाही में सामान्य रूप से तथा धुंध के कारण होने वाले विलंब को रोकने के लिए नई तकनीकों का पता लगाने के लिए अनुसंधान कार्य किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेलवे के अनुसंधान और विकास कार्य, रेल मंत्रालय के अंतर्गत अनुसंधान,

अभिकल्प और मानक संगठन लखनऊ द्वारा किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अअमासं द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य नीचे दिए गए हैं:-

संरक्षा:- ओस्किलेशन मानीटरिंग सिस्टम (ओएमएस), व्हील इम्पेक्ट लोड डिटेक्शन (डब्ल्यू आई एल डी) सिस्टम, सैटेलाइट इमेजिंग फॉर रेल नेवीशेन (सिमरन)।

पुल और रेल पथ:- वाइब्रेशन सिग्नेचर एनालिसिस का प्रयोग करते हुए पुल की दशा का जायजा लेना, टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमेटरी का प्रयोग करते हुए ब्रिज पाया/अबटमेंट फाऊंडेशन का निरंतर स्कॉर मानीटरिंग, आधुनिक एलुमिनो-थर्मिक रेल वेल्डिंग प्रौद्योगिकी का विकास, 32.5 टन धुरा भार के लिए स्लीपर।

सवारी डिब्बे:- सवारी डिब्बों के क्रैशवर्दी डिजाइनों का विकास, बढ़ी हुई बर्थ क्षमता सहित सवारी डिब्बों का डिजाइन, आग प्रतिरोधी कोचों, रेलगाड़ियों के होटल लोड के लिए हैड ऑन जनरेशन सिस्टम का डिजाइन और विकास।

माल डिब्बे:- 25 टन धुरा भार के बाक्स एन 25 माल डिब्बों का डिजाइन, 25 टन धुरा भार के बीओवाई, 25 माल डिब्बों का डिजाइन, 25 टन धुरा भार के आर एन 25 माल डिब्बों का डिजाइन, लदी हुई स्थितियों में 100 किमी./घंटा की गति पर 22 टन धुरा भार सहित डबल स्टेक कंटेनर का परिचालन।

इंजन:- ई एम डी इंजन का 4000 से 4500 एच पी उन्नयन, ई एम डी डीजल इंजनों के यूनिट इंजेक्टरों के लिए वैकल्पिक स्रोतों का विकास, 12 सिलिंडर एल्को/डी एल डब्ल्यू डीजल इंजन का 2300 से 2700/3000 एच पी में उन्नयन, डब्ल्यू ए जी9/डब्ल्यू ए पी 7 श्रेणी के इंजनों के हाई टोर्क थ्री केस ट्रेक्शन मोटर्स का विकास।

अअमासं द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अनुसंधान और विकास अन्य स्थापनाओं पर किया गया व्यय निम्नानुसार है:-

वर्ष	वास्तविक व्यय (आंकड़े करोड़ रु. में)
1	2
2004-05	70.85
2005-06	66.53
2006-07	96.28
2007-08 (सितंबर, 2007 तक)	38.52

भारतीय रेलवे का अनुसंधान एवं विकास कार्य, क्षेत्रीय रेलों पर नहीं किया जाता इसलिए इस प्रयोजन से क्षेत्रीय रेलों को किसी कोष का आबंटन नहीं किया जाता।

(ख) रेलवे संरक्षा प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत "फॉग विजन इंस्ट्रूमेंटेशन" को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर (समन्वयक), अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन और औद्योगिक सहयोगियों द्वारा सामूहिक रूप में निष्पादित किया जा रहा है।

(ग) फॉग विजन इंस्ट्रूमेंटेशन परियोजना का उद्देश्य धुंध वाले मौसम में सामान्य गति पर गाड़ियों को चलाने के लिए चालकों की सहायता के लिए लेजर प्रौद्योगिकी पर आधारित इंस्ट्रूमेंट का विकास करना है। इस अनुसंधान परियोजना के लिए 3 करोड़ रु. परिव्यय है।

अध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात सभा मध्याह्न 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

(लोक-सभा मध्याह्न बारह बजे पुनः समवेत हुई)

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

अपराह्न 12.0½ बजे

(इस समय डा. शफीकुर्रहमान बर्क तथा अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमने नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)* बाबरी मस्जिद के विध्वंस को 15 साल हो चुके हैं।...*(व्यवधान)* आज उसकी 15वीं बरसी है।...*(व्यवधान)* ये बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने वाले लोग हैं।...*(व्यवधान)* सन् 1993 में लिब्राहन उपयोग बना। उसकी रिपोर्ट तैयार है।...*(व्यवधान)* इस आयोग की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत नहीं हुई।...*(व्यवधान)* इसमें विपक्ष के नेता भी अभियुक्त हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत हो।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा-पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

(व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय श्री ए.आर. अंतुले की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं-

(1) सेन्ट्रल वक्फ काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) सेन्ट्रल वक्फ काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 7787/07]

(व्यवधान)

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं-

(1) प्लाईवुड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पालक्काड के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) प्लाईवुड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पालक्काड के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 7788/07]

(व्यवधान)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 7789/07]

(ख) (एक) ऑयल इंडिया लिमिटेड, दुलियाजान के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ऑयल इंडिया लिमिटेड, दुलियाजान के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन,

लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 7790/07]

(ग) (एक) बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 7791/07]

(घ) (एक) बिक्को लॉरी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिक्को लॉरी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 7792/07]

(ङ) (एक) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 7793/07]

(च) (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 7794/07]

(छ) (एक) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 7795/07]

(2) (एक) ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 7796/07]

(व्यवधान)

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं-

(1) (एक) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7797/07]

(3) (एक) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फार द आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फार द आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7798/07]

(5) (एक) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फार द आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फार द आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फार द आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7799/07]

(7) (एक) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फार द आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फार द आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फार द आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7800/07]

(9) (एक) साउथ सेन्ट्रल ज़ोन कल्चरल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ सेन्ट्रल ज़ोन कल्चरल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7801/07]

(10) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 7802/07]

(12) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 7803/07]

(14) (एक) नेशनल काउंसिल फार होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नालॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल फार होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नालॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 7804/07]

(व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 7805/07]

(ख) (एक) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 7806/07]

(ग) (एक) फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 7807/07]

(घ) (एक) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 7808/07]

(ङ) (एक) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7809/07]

(च) (एक) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7810/07]

(छ) (एक) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7811/07]

(2) हिन्दुस्तान एन्टीबॉयोटिक्स लिमिटेड के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 7812/07]

(3) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2002-2003 से 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 7813/07]

(4) बंगाल केमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 7814/07]

(व्यवधान)

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : मैं श्री नारन भाई राठवा की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) इंडियन रेलवे फाइनान्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) इंडियन रेलवे फाइनान्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7815/07]

(व्यवधान)

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7816/07]

(ख) (एक) मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7817/07]

(ग) (एक) कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7818/07]

(घ) (एक) कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7819/07]

(व्यवधान)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7820/07]

(ख) (एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7821/07]

(व्यवधान)

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा

(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 7822/07]

(ख) (एक) एन्ड्रयु यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एन्ड्रयु यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 7823/07]

(ग) (एक) साम्भर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) साम्भर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 7824/07]

(घ) (एक) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 7825/07]

(ङ) (एक) नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 7826/07]

(च) (एक) हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 7827/07]

(छ) (एक) टायर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) टायर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 7828/07]

(ज) (एक) सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,

नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 7829/07]

(झ) (एक) एच.एम.टी. लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एच.एम.टी. लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 7830/07]

(ञ) (एक) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, उटकमंड के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, उटकमंड के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 7831/07]

(ट) (एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 7832/07]

(ठ) (एक) भारत यंत्र निगम लिमिटेड, इलाहाबाद और उसकी सहायक कंपनियों के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत यंत्र निगम लिमिटेड, इलाहाबाद और उसकी सहायक कंपनियों का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 7833/07]

(ड) (एक) नेशनल बाईसिकल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल बाईसिकल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 7834/07]

(2) (एक) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 7835/07]

(3) 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (परिसमापन के अधीन) की कार्यों

के संवीक्षित विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 7836/07]

(4) 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के परिसमापक के कार्यकरण और निष्पादन को दर्शाने वाले विवरण (परिसमापन के अधीन) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 7837/07]

(व्यवधान)

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) स्टील अॅथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टील अॅथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7838/07]

(ख) (एक) एमएसटीसी लिमिटेड और सहायक कंपनियां, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमएसटीसी लिमिटेड और सहायक कंपनियां, कोलकाता का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7839/07]

(व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति 5 दिसम्बर, 2007 को सभा में प्रस्तुत अपने नौवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के समक्ष दी गयी अवधि के लिए सभा से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाए।

(1)	श्रीमती मनोरमा माधवराज	–	27.08.2007 से 10.09.2007
(2)	श्री राजेश रंजन	–	02.12.2006 से 19.12.2006
			23.02.2007 से 20.03.2007 और
			26.04.2007 से 10.05.2007
(3)	श्री अंजन कुमार यादव	–	15.11.2007 से 30.11.2007
(4)	डा. मोहम्मद शहाबुद्दीन	-	07.05.2007 से 17.05.2007
			10.08.2007 से 10.09.2007 और
			15.11.2007 से 30.11.2007

(5)	श्रीमती प्रिया दत्त	—	15.11.2007 से 07.12.2007	
(6)	श्री ए. नरेन्द्र	—	15.11.2007 से 07.12.2007	
(7)	श्री प्रकाश परांजपे	—	15.11.2007 से 7.12.2007	
(8)	श्री अतीक अहमद	—	10.08.2007 से 10.09.2007 और	
			15.11.2007 से 7.12.2007	
(9)	श्री गोविन्दा	(i)	17.03.2007 से 20.03.2007	अनुपस्थिति की छूट प्रदान की गई
			26.04.2007 से 17.05.2007	
			10.08.2007 से 10.09.2007	
		(ii)	30.11.2007 से 02.12.2007	अनुमति प्रदान की गई

अध्यक्ष महोदय : क्या यह सभा सदस्यों को समिति द्वारा यथा संस्तुत अनुपस्थिति की अनुमति तथा अनुपस्थिति की छूट प्रदान करती है?

अनेक सदस्यगण : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति प्रदान कर दी गयी है सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के संबंध में श्रम संबंधी स्थायी समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : लोक सभा बुलेटिन भाग-II में दिनांक 01 सितम्बर 2004 को प्रकाशित माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश 73(ए) के अनुसरण में मैं वस्त्र मंत्रालय की अनुदान मांगों (2007-08) पर श्रम संबंधी स्थायी समिति की 21वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में यह वक्तव्य दे रहा हूं।

श्रम संबंधी स्थायी समिति ने जांच की और अपनी 21वीं रिपोर्ट 26 अप्रैल 2007 को लोक सभा में प्रस्तुत की। रिपोर्ट में 16 सिफारिशें हैं। समिति की सिफारिशें मुख्य रूप से विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं और वस्त्र मंत्रालय के तहत विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए वर्तमान योजनाओं के तीव्रीकरण के लिए निधियों के आबंटन को बढ़ाने और उसके उपयोग पर केंद्रित है। रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों की वस्त्र मंत्रालय में जांच की गई और इन सिफारिशों पर की गई कार्रवाई/प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण जुलाई 2007 में श्रम संबंधी स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया था। वस्त्र मंत्रालय समिति की सिफारिशों को यथांथत: कार्यान्वित करने के लिए वचनबद्ध है।

मैं, इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति भी सदन के पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान)

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिये संख्या एल.टी. 7840/07

अपराह्न 12.03½

(दो) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित हथकरघा क्षेत्र के लिए विकासात्मक स्कीमों (2005-2006) के संबंध में श्रम संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : लोक सभा बुलेटिन भाग-II में दिनांक 01 सितम्बर, 2004 में प्रकाशित माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देशन 73(क) के अनुसरण में मैं वस्त्र मंत्रालय की हथकरघा क्षेत्र की विकास योजनाओं (2005-06) पर श्रम संबंधी स्थायी समिति की नवीं रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह विवरण दे रहा हूं।

श्रम स्थायी समिति ने अपनी नवीं रिपोर्ट की जांच की और 20 दिसम्बर, 2005 को उसे राज्य सभा में प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट में 22 सिफारिशें हैं। समिति की सिफारिशें में मुख्य रूप से हथकरघा क्षेत्र के विकास पर ध्यान दिया गया है। यह इस दृष्टि से है ताकि हथकरघा क्षेत्र की विकासात्मक और कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार लाया जाए और इस क्षेत्र के विभिन्न खण्डों में उत्पादकता तथा गुणवत्ता बढ़े। रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों की जांच वस्त्र मंत्रालय में की गई है और इन सिफारिशों पर की गई कार्रवाई/प्रस्तावित कार्रवाई पर एक विवरण मार्च, 2006 में श्रम संबंधी स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वस्त्र मंत्रालय समिति की सिफारिशों को सही मायने में कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मैं, सदन के पटल पर इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति भी रखता हूं।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.04

(तीन) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रोरसायन विभाग से संबंधित पेट्रोरसायनों की मांग और उपलब्धता के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के अठारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय इन्डिक) : मैं यह वक्तव्य माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देश सं. 73ए, एल एस बीएन (ii), दिनांक 1.9.2004, अनुच्छेद के माध्यम से जारी निर्देशों के अनुकरण में पेट्रोरसायनों की मांग और उपलब्धता पर रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) (2006-07) की अठारहवीं रिपोर्ट (चौदहवीं लोकसभा) में निहित सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में दे रहा हूं।

वर्ष 2006-07 के लिए रसायन और उर्वरक (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) संबंधी स्थायी समिति ने अपनी 18वीं रिपोर्ट लोक सभा में 17.5.2007 को प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में 10 सिफारिशें हैं। सिफारिशों का सार निम्नानुसार है:

(i) अतः समिति इस बात की पुरजोर सिफारिश करती है कि सरकार को भारतीय पेट्रोरसायन उद्योग के तीव्र विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना चाहिए जिससे कि वह वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके।

(ii) समिति सिफारिश करती है कि सभी आवश्यक औपचारिकताओं को यथाशीघ्र पूरा किया जाए जिससे कि पेट्रोरसायन संबंधी राष्ट्रीय नीति को शीघ्रातिशीघ्र अंतिम रूप दिया जा सके।

(iii) समिति यह भी सिफारिश करती है कि राज्य सरकारों से यह आग्रह किया जाए कि वे भूमि स्थानान्तरण कार्य को सुकर बनाएं जिससे कि पीसीपीआईआर नीति को अत्यधिक सफल बनाया जा सके।

(iv) समिति इच्छा व्यक्त करती है कि परियोजना को निर्धारित समयावधि में पूरा करने और इसे कार्यात्मक बनाने हेतु यथासंभव प्रयास किया जाना चाहिए क्योंकि इससे लगभग 500 प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने और पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर असम राज्य में सामाजिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

(v) समिति नोट करती है कि नॉफ्था और प्राकृतिक गैस पेट्रोरसायन उद्योग के लिए मुख्य फीडस्टॉक है। प्राकृतिक गैस से पेट्रोरसायन का उत्पादन नॉफ्था की तुलना में सस्ता है। अतः समिति इच्छा व्यक्त करती है कि विभाग को पेट्रोरसायन क्षेत्र हेतु आवश्यक गैस आपूर्ति आवंटित करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

(vi) समिति पाती है कि पत्तन, सड़क, विद्युत जल, दूरसंचार, भंडारण और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाएं पेट्रोरसायन उद्योगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। अतः समिति सिफारिश करती है कि विभाग द्वारा

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिये संख्या एल.टी. 7842/07

पेट्रोरसायन उद्योग को ऐसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने हेतु अनिवार्य कदम उठाए जाने चाहिए।

(vii) समिति नोट करती है कि संपूर्ण मूल्यवर्धन श्रृंखला में शुल्क ढांचे में भी विसंगतियां हैं जिसके परिणामस्वरूप शुल्क ढांचे के विपरीत होने के उदाहरण सामने आए हैं। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि शुल्क और कर ढांचे को तर्कसंगत बनाने के लिए केन्द्र सरकार आवश्यक कदम उठाए।

(viii) समिति इच्छा व्यक्त करती है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कौशल और प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता पेट्रोरसायन क्षेत्र में बाधक न बनें, इन संस्थानों को सुदृढ बनाया जाए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि पेट्रोरसायन क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेट्रोरसायन अनुसंधान एवं विकास निधि स्थापित करने की नई योजना शुरू करने के सरकार के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाए।

(ix) समिति इच्छा व्यक्त करती है कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्लास्टिक का इस्तेमाल किए जाने की आवश्यकता की जांच करने के लिए, अंतर-मंत्रालयी विशेषज्ञ समिति के गठन संबंधी सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी की जाएं और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों को बचाने हेतु प्लास्टिक की खपत को बढ़ाने के कदम उठाए जाएं।

(x) समिति को आशा है कि गुवाहाटी में पुनर्चक्रण कचरा प्रबंधन केन्द्र की स्थापना शीघ्र की जाएगी। समिति यह भी सिफारिश करती है कि जैव-अपघटनीय किफायती प्लास्टिक उत्पादन हेतु अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा प्रयास किए जाएं।

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने 14 अगस्त, 2007 को रसायन और उर्वरक (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) के ''पेट्रोरसायन की मांग और उपलब्धता'' (2006-07) से संबंधित स्थायी समिति की अठारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट उपरोक्त सिफारिशों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।''पेट्रोरसायन की मांग और उपलब्धता'' संबंधी तेईसवें प्रतिवेदन के अनुसार रसायन और उर्वरक (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) की पेट्रोरसायन की मांग और उपलब्धता संबंधी स्थायी समिति ने लोकसभा में नवम्बर, 2007 में ''पेट्रोरसायन की मांग और उपलब्धता'' के संबंध में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2006-07) की अठारहवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोकसभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई प्रस्तुत की। मैं, पेट्रोरसायन की मांग और उपलब्धता के संबंध में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) (2006-07) के अठारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति को सभा पटल पर रखता हूं।

सिफारिश क्रम संख्या 1/पैरा 7

समिति यह नोट करती है कि भारतीय उद्योग में 1980 और 1990 के दशकों में तीव्र विकास हुआ है। तथापि, वर्ष 2000-2006 के दौरान इस विकास में करीब-करीब ठहराव आ गया था। समिति यह भी नोट करती है कि भारतीय पेट्रोरसायन उद्योग अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार छोटे आकार का है जिसकी विश्व स्तर पर इथीलीन की क्षमता केवल 2-3% है। अत: समिति इस बात की पुरजोर सिफारिश करती है कि सरकार को भारतीय पेट्रोरसायन उद्योग के तीव्र विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना चाहिए जिससे कि वह वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके।

क्रियान्वयन की स्थिति

पेट्रोरसायन उद्योग लाइसेंसमुक्त और अविनियमित है। सरकार की भूमिका सुविधा प्रदाता की है। त्वरित वृद्धि और नये निवेश की प्राप्ति के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए. रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने पेट्रोरसायन के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति तैयार की हैं। इसके अतिरिक्त, रसायन/पेट्रोरसायन के क्षेत्र में देश को ग्लोबल हब बनने में समर्थ बनाने के लिए पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र नीति राजपत्र में प्रकाशित की गई है।

सिफारिश क्रम संख्या 2/ पैरा 23

समिति यह नोट करती है कि भारत सरकार ने पेट्रोरसायन उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए पेट्रोरसायन संबंधी एक कार्यदल गठित किया तथा इस कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। कार्यबल की सिफारिशों को ठोस रूप देने के लिए पेट्रोरसायन संबंधी एक प्रारूप राष्ट्रीय नीति तैयार की गयी है जिस पर सचिवों की समिति द्वारा 29 नवम्बर, 2006 को विचार किया गया। अत: समिति सिफारिश करती है कि सभी आवश्यक औपचारिकताओं को यथाशीघ्र अंतिम रूप दिया जा सके।

[श्री विजय हान्डिक]

क्रियान्वयन की स्थिति

पेट्रोरसायन संबंधी राष्ट्रीय नीति को मंत्रिमंडल द्वारा 12.04.2007 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया था। पेट्रोरसायन संबंधी नीति प्रस्ताव को संख्या 116 के तहत 30 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग-1, खंड-1 में प्रकाशित किया गया है।

सिफारिश क्रम संख्या 3/पैरा 34

समिति यह नोट करती है कि पेट्रोरसायन, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) संबंधी कार्यदल का गठन प्रधान मंत्री कार्यालय में 20 जनवरी, 2006 को किया गया जिससे कि पेट्रोलियम, रसायनों और पेट्रोरसायनों के क्षेत्र में विश्व-स्तरीय डेवलपर्स एवं निवेशकों को शामिल करके अभीष्ट स्तर की सुविधाओं के निवेश क्षेत्रों के विकास हेतु उचित नीति ढांचे के साथ शीघ्र और समन्वित निर्णय लिया जा सके। इस तथ्य की प्रशंसा करते हुए कि पीसीपीआईआर नीति की शुरूआत की गयी है, समिति यह आशा करती है कि सरकार वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पीसीपीआईआर नीति के कार्यान्वयन हेतु प्रयास करेगी। समिति यह भी सिफारिश करती है कि राज्य सरकारों से यह आग्रह किया जाए कि वे भूमि स्थानान्तरण कार्य को सुकर बनाएं जिससे कि पीसीपीआईआर नीति को अत्यधिक सफल बनाया जा सके।

क्रियान्वयन की स्थिति

पीसीपीआईआर नीति में राज्य सरकार के साथ-साथ केन्द्र सरकार द्वारा की जाने वाली पहलों की स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है। पीसीपीआईआर की स्थापना में राज्य सरकार अहम भूमिका अदा करेगी। इसके अतिरिक्त, राज्यों पर जोर डालने के लिए सचिव के स्तर से सभी मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर उन्हें इस नीति से अवगत कराया गया है। साथ ही रसायन और उर्वरक एवं इस्पात मंत्री द्वारा इस नीति की शुरूआत किए जाने के दौरान जहां सभी राज्य सरकारों को आमंत्रित किया गया था, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु उड़ीसा जैसे कुछ राज्यों ने पीसीपीआईआर के आयोजन संबंधी अपनी तैयारी की प्रस्तुति दी। पीसीपीआईआर्स स्थापित करने संबंधी नीति में निर्धारित फार्मेट में चार राज्यों से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनकी समीक्षा की जा रही है।

सिफारिश क्रम संख्या 4/पैरा 49

समिति को यह जानकारी दी गई है कि भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) की असम गैस क्रेकर परियोजना के ऑयल इंडिया लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और असम औद्योगिक विकास निगम के साथ परियोजना में 10% की इक्विटी भागीदारी के साथ लागू करने में 70% की इक्विटी भागीदारी वाले अग्रणी प्रमोटर के रूप में पहचान की गई है। तदंतर इस परियोजना के कार्यान्वियन हेतु एक निगरानी समिति और परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया है और 'मैसर्स ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर्स लिमिटेड (बीसीपीएल)' नामत: एक संयुक्त उद्यमी कंपनी बनाकर इसका पंजीकरण कराया गया है। समिति इस बात पर अपना संतोष जाहिर करती है कि मैसर्स ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड की आधारशिला 9 अप्रैल, 2007 को रखी गई थी। अब समिति इच्छा व्यक्त करती है कि परियोजना को निर्धारित समयावधि में पूरा करने और इसे कार्यात्मक बनाने हेतु यथासंभव प्रयास किया जाना चाहिए क्योंकि इससे लगभग 500 प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने और पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर असम राज्य में सामाजिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

क्रियान्वयन की स्थिति

असम गैस क्रैकर परियोजना के संबंध में अब तक हुई प्रगति निम्नानुसार है:-

1. संयुक्त उपक्रम कंपनी मैसर्स ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड जिसे 8 जनवरी, 2007 को निगमित किया गया, के लिए 18.10.2006 को एक करार किया गया।

2. पंजीकृत कार्यालय गोवाहाटी और प्रोजेक्ट कार्यालय डिब्रुगढ़ में प्रचालानात्मक बनाए गए हैं। मुख्य प्रचालन अधिकारी (सीओओ) और वित्त अधिकारी (सीएफओ) की नियुक्ति की गई है।

3. परियोजना के लिए आवश्यक लगभग 1108 एकड़ भूमि में से 2692 बीघा(लगभग 890 एकड़) भूमि का बीसीपीएल द्वारा अधिग्रहण किया गया है।

4. मैसर्स ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) एवं मैसर्स ओएनजीसी के साथ क्रमश: 19.9.2007 एवं 15.10.2007

को फीडस्टाक गैस सप्लाई एग्रीमेंट (जीएसए) पर हस्ताक्षर किया गया और नाफ्था आपूर्ति के लिए मैसर्स रफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) के साथ 19.9.2007 को हस्ताक्षर किया गया।

5. ऑयल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड 327 करोड़ रुपए का टर्म ऋण देने के लिए सहमत हो गया है।

6. ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पालीमर लि. (बीसीपीएल) ने नामिनेशन आधार पर 10.9.2007 को लागत प्रतिपूर्ति के आधार पर परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएचसी) का कार्य मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) को सौंपा गया है।

7. संशोधित कॉन्फिगुरेशन के लिए राज्य व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय दोनों से आवश्यक पर्यावरण एवं प्रदूषण क्लीयरेंस प्राप्त किया।

8. रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, भारत सरकार द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन के लिए कैपिटल सब्सिडी के तौर पर वर्ष 2007-08 के दौरान 30 करोड़ रुपए अवमुक्त किए गए।

असम गैस क्रैकर परियोजना के क्रियान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग में निगरानी समिति गठित की गई है। यह समिति नियमित रूप से प्रगति की निगरानी एवं समीक्षा करती है। निर्धारित समय-सीमा के भीतर परियोजना के क्रियान्वयन के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी, अर्थात मैसर्स ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलिमर्स लिमिटेड द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

सिफारिश क्रम संख्या 5/पैरा 67

समिति नोट करती है कि नॉफ्था और प्राकृतिक गैस पेट्रोरसायन उद्योग के लिए मुख्य फीडस्टॉक है। समिति को जानकारी दी गई है कि देश में नॉफ्था की अतिरिक्त उपलब्धता है। तथापि, प्राकृतिक गैस की उपलब्धता पेट्रोरसायन उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है जबकि विद्युत और उर्वरक क्षेत्र को गैस आपूर्ति के संदर्भ में प्राथमिकता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, उपलब्ध गैस में ही पेट्रोरसायन के क्षेत्र में उपयोग हेतु प्राप्त होने वाली मात्रा कम है। साथ ही प्राकृतिक गैस से पेट्रोरसायन का उत्पादन नॉफ्था की तुलना में सस्ता है। अतः समिति इच्छा व्यक्त करती है कि विभाग को पेट्रोरसायन क्षेत्र हेतु आवश्यक गैस आपूर्ति आवंटित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने चाहिए।

क्रियान्वयन की स्थिति

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, उर्वरक विभाग एवं वस्त्र मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ गठित की जा रही राष्ट्रीय पेट्रोरसायन नीति में यथा परिकल्पित फीडस्टॉक संबंधी स्थायी समिति जो उपलब्ध फीडस्टॉक का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी मूल्य पर पूर्ण उपयोग के लिए नीतिगत रूपरेखा तैयार करने, फीडस्टॉक की उपलब्धता को विस्तार देने के लिए उपाय बताने विभिन्न उपभोग्य क्षेत्रों एवं आने वाले क्रैकर परिसरों में फीडस्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा पेट्रोलियम क्षेत्र में निवेश के संवर्द्धन के दीर्घकालिक उपायों के साथ पेट्रोरसायन क्षेत्र के लिए विशिष्ट फीडस्टॉक हेतु नीतिगत पहल हेतु सुझाव देगी।

सिफारिश क्रमांक 6/पैरा 75

समिति पाती है कि पत्तन, सड़क, विद्युत जल, दूरसंचार, भंडारण और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाएं पेट्रोरसायन उद्योगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। अतः समिति सिफारिश करती है कि विभाग द्वारा पेट्रोरसायन उद्योग को ऐसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने हेतु अनिवार्य कदम उठाए जाने चाहिए।

क्रियान्वयन की स्थिति

घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देश को एक महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए पेट्रोलियम क्षेत्र में निवेश संवर्धन हेतु पेट्रालियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) नीति को अनुमोदित किया गया है। भारत सरकार, समयबद्ध रूप से पीसीपीआईआर को रेल, सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग), पोर्ट, एयरपोर्ट एवं दूरसंचार आदि सहित वाह्य भौतिक अवसंरचनाएं लिंकेज सुनिश्चित करेगी। ये अवसंरचनाएं, जहां तक संभव हो, पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के माध्यम से सृजित/उन्नत की जाएगी। जहां आवश्यक होगा, वहां इन लिंकेजों का पब्लिक सेन्टर के माध्यम से सृजित करने के लिए अपेक्षित बजटीय प्रावधान भी किया जाएगा।

[श्री विजय हान्डिक]

सिफारिश क्रमांक 7/पैरा 82

समिति को बताया गया है कि तेजी से घट रहे सीमा शुल्क के कारण भारतीय पेट्रोरसायन उद्योग को मिलने वाले संरक्षण में लगातार कमी आ रही है। समिति नोट करती है कि संपूर्ण मूल्यवर्धन श्रृंखला में शुल्क ढांचे में भी विसंगतियां हैं जिसके परिणामस्वरूप शुल्क ढांचे के विपरीत होने के उदाहरण सामने आए हैं। आदानों और उत्पादों दोनों पर उच्च दर से बिक्री कर लगाने के कारण भी पेट्रोरसायन उद्योग पर गंभीर प्रभाव पड़ता है तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापक भिन्नता होने और कारोबार कर प्रवेश कर जैसे बहुत से राज्य करों के कारण यह समस्या और भी बढ़ जाती है। इन पहलुओं पर विचार करते हुए समिति इच्छा व्यक्त करती है कि शुल्क और कर ढांचे को तर्कसंगत बनाने के लिए केन्द्र सरकार आवश्यक कदम उठाए।

क्रियान्वयन की स्थिति

समस्त मूल्य संवर्द्धन परिवर्तनों में शुल्क संरचना में मौजूद विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता राष्ट्रीय पेट्रोरसायन नीति में परिकल्पित है। इस क्षेत्र में वृद्धि व विकास को संवर्द्धित करने के लिए पेट्रोरसायन मूल्य संवर्धन परिवर्तन में ड्यूटी इन्वर्जन को हटाने एवं ड्यूटी व कर संरचना को तर्कसंगत बनाने का प्रयास सरकार द्वारा मेक्रो इकोनोमिक आवश्यकताओं एवं संपूर्ण राजस्व लक्ष्यों को देखते हुए किया जाएगा। रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग विभिन्न स्टेकधारक उद्योग संघों के परामर्श के जरिए वार्षिक आधार पर बजट पूर्व/बजट उपरांत चर्चा के दौरान वित्त मंत्रालय को ड्यूटी/कर संरचना में सुधार लाने की सिफारिश करता है।

सिफारिश क्रमांक 8/ पैरा 95

समिति का यह मत है कि किसी भी उद्योग के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति और उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। समिति को बताया गया कि भारत में पेट्रोरसायन उद्योग आयातित तकनीकी जानकारी के आधार पर स्थापित किया गया है। इस बात की प्रशंसा करते हुए कि सिपेट, आईआईटी, आईटीआई, इंजीनियरिंग कालेज इत्यादि जैसी कुछ संस्थान प्रशिक्षण और कौशल प्रदान कर रही है और इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ केमिकल लेबोरेट्री, पुणे, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं, इत्यादि जैसी संस्थान पेट्रोरसायन क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्य कर रही है। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कौशल और प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता पेट्रोरसायन क्षेत्र में बाधक न बनें, इन संस्थानों को सुदृढ़ बनाया जाए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि पेट्रोरसायन क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेट्रोरसायन अनुसंधान एवं विकास निधि स्थापित करने की नई योजना शुरू करने के सरकार के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाए।

क्रियान्वयन की स्थिति

पेट्रोरसायन संबंधी राष्ट्रीय नीति में पालीमर के क्षेत्र में कार्यरत वर्तमान शैक्षणिक व शोध संस्थानों जैसे नेशनल केमिकल, लैबोरेटरी, इंडियन इंस्टीटयूट आफ केमिकल टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीटयूट आफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इस्टीटयूट आफ टेक्नोलाजी व अन्य संस्थानों में उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना की परिकल्पना है। इसमें पेट्रोरसायन शोध एवं विकास निधि (पीआरडीएफ) की नई योजना बनाने की भी संकल्पना है जो पालीमर/प्लास्टिको के क्षेत्र में आर एंड डी परियोजनाओं की आवश्यकता पूर्ति भी करेगी। इस संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन करने का फैसला किया गया है।

सिफारिश क्रमांक 9/ पैरा 107

समिति को सूचित किया गया है कि लगभग 25 कि. ग्राम के वैश्विक औसत की तुलना में भारत में पालीमर की प्रति व्यक्ति खपत 4.0 कि. ग्राम है। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि रसायन और पेट्रोरसायन विभाग एक अंतर-मंत्रालयी विशेषज्ञ समिति गठित करने पर विचार कर रहा है जो कृषि, जल प्रबंधन, दरवाजा/खिड़की की चौखट जैसे निर्माण अनुप्रयोगों एवं इन्सूलेशन पैनलों, इलेक्ट्रोनिकी, विद्युत और दूर संचार, टिकाऊ और गैर टिकाऊ उपभोक्त उत्पादों और आटोमोबाईल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्लास्टिक का उपयोग करने की आवश्यकता की जांच करेगी। प्लास्टिक उत्पादों की किफायत और अधिक ऊर्जा दक्षता पर विचार करते हुए समिति इच्छा व्यक्त करती है कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्लास्टिक का इस्तेमाल किए जाने की आवश्यकता की जांच करने के लिए, अंतर-मंत्रालयी विशेषज्ञ समिति के गठन संबंधी सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी की जाएं और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों को बचाने हेतु प्लास्टिक की खपत को बढ़ाने के कदम उठाए जाएं।

क्रियान्वयन की स्थिति

पेट्रोरसायन संबंधी राष्ट्रीय नीति में रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के अंतर्गत एक अंतरमंत्रालयी विशेषज्ञ समिति बनाने की संकल्पना है जो प्रमुख क्षेत्रों में प्लास्टिक के प्रयोग की आवश्यकता की जांच करेगी और संबंधित मंत्रालयों को सिफारिशें करेगी। रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने प्रमुख क्षेत्रों में प्लास्टिक अनुप्रयोग के विकास हेतु एक अंतरमंत्रालयी विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इसमें संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

सिफारिश क्रमांक 10/पैरा 116

समिति को सूचित किया गया है कि प्लास्टिक अपने आप में खतरनाक नहीं है। यह तो कचरे का प्रबंधन न किया जाना अथवा उसका कुप्रबंधन है जो समस्याएं पैदा कर रहा है। इसके अलावा, 160 एमएमटी के कुल प्लास्टिक उत्पादन की तुलना में जैव-अपघटनीय प्लास्टिक का उत्पादन स्तर 50 केटीए है (0.1 प्रतिशत से कम), समिति को यह भी सूचित किया गया कि गुवाहाटी में पुनर्चक्रण कचरा प्रबंधन केन्द्र की स्थापना करने के लिए योजना आयोग ने हाल ही में 750 करोड़ रुपए की एक परियोजना स्वीकृत की है। इन पहलुओं पर विचार करते हुए, समिति को आशा है कि गुवाहाटी में पुनर्चक्रण कचरा प्रबंधन केन्द्र की स्थापना शीघ्र की जाएगी। समिति यह सिफारिश करती है कि जैव-अपघटनीय किफायती प्लास्टिक उत्पादन हेतु अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा प्रयास किए जाएं।

क्रियान्वयन की स्थिति

गुवाहाटी स्थित प्लास्टिक रिसाइक्लिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर की अनुमानित लागत 7.95 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार से भूमि प्राप्त हो गई है। पेट्रो रसायन संबंधी राष्ट्रीय नीति में यह परिकल्पना है कि प्लास्टिकों, विशेषकर कैरी बैग्स, की नान-डिग्रेडेबिलिटी के कारण उत्पन्न होने वाली बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान करने के लिए प्लास्टिकों का पुनःप्रयोग, पुनर्चक्रण तथा जैव अपघटनीय पालीमरों का विकास आवश्यक है। जैव अपघटनीय पालीमरों की विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में न्यू मिलेनियम, इनीशिएटिव टेक्नोलॉजी लीडरशिप इंडिया (एनएमआईटीएलआई) के तहत प्रमुख शोध क्षेत्रों में से एक के रूप में पहचान की गई है।

अपराह्न 12.05 बजे

(व्यवधान)

कार्य मंत्रणा समिति के चौवालीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 5 दिसम्बर, 2007 को सभा पटल पर रखे गए कार्य मंत्रणा समिति के चवालीसवें प्रतिवेदन पर यह सभा सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि 5 दिसम्बर, 2007 को सभा पटल पर रखे गए कार्य मंत्रणा समिति के चवालीसवें प्रतिवेदन पर यह सभा सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.06

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.00 बजे

[अनुवाद]

लोक सभा अपराह्न 2 बजे पुनः समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में अभी जन्तर-मन्तर पर शिवसेना के लोग राम मंदिर बनाने के लिए धरना देकर बैठे थे।...*(व्यवधान)* आप हमें दो मिनट बोलने का समय दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अपराह्न 2.01 बजे

सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

(एक) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक 2007*

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब अनुपूरक कार्य सूची की मद सं. 15(क) पर विचार करेगी।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, अब विधेयक पुरःस्थापित करें।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(व्यवधान)

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-2 दिनांक 6.12.07 में प्रकाशित

अपराह्न 2.01½ बजे

(दो) पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2007*

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब अनुपूरक कार्य सूची की मद सं. 15(ख) पर विचार करेगी।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रयोजन की परियोजनाओं के लिए भूमि के अर्जन या किसी अन्य कारण से अस्वैच्छिक विस्थापन से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि लोक प्रयोजन की परियोजनाओं के लिए भूमि के अर्जन या किसी अन्य कारण से अस्वैच्छिक विस्थापन से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, अब विधेयक पुरःस्थापित करें।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(व्यवधान)

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-2 दिनांक 6.12.07 में प्रकाशित

अपराह्न 2.02 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब मद संख्या 16 पर विचार करेगी। नियम 377 के अधीन मामले को सभा पटल पर रखा हुआ समझा जाए।

(व्यवधान)

(एक) पालनपुर-कांडला-खेड ब्राह्म-श्यामला और अहमदाबाद-आबू रोड को जोड़ने वाली सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा का मुख्यालय पालनपुर कई बड़े शहरों के बीच में है। कांडला एवं श्यामलाजी वाया अम्बा जी, अहमदाबाद एवं आबू रोड को आने जाने के लिए पालनपुर शहर का प्रयोग किया जाता है। इन शहरों के पर्यटन केन्द्र एवं धार्मिक केन्द्रों को आने जाने के लिए पालनपुर से आया जाया जाता है। परन्तु पालनपुर से इन शहरों को जाने के लिए कोई अच्छी सड़क नहीं है और न ही सड़क की कोई अच्छी सुविधा है। जिससे इन पर्यटन केन्द्र और धार्मिक केन्द्रों को जाने वालों को बहुत ही दिक्कत होती है। इस संबंध में सरकार से काफी वर्षों से इस संबंध में मांग की जा रही है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सड़क बनने से पर्यटन केन्द्रों को बढ़ावा मिलेगा और उत्तर गुजरात के औद्योगिक पिछड़ेपन को सहायता मिलेगी।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि कांडला से अम्बा जी, खेड़ ब्रह्म एवं श्यामला जी होते हुए मध्य प्रदेश तक के लिए एवं अहमदाबाद से आबू रोड जाने के लिए एक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाये। जिससे पर्यटन केन्द्र को बढ़ावा मिल सके।

(दो) भगवान राम से संबंधित सभी तीर्थस्थलों को जोड़ने वाला एक "रामपथ" बनाए जाने की आवश्यकता

श्री गणेश सिंह (सतना) : महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के पर्यटन विभाग का ध्यान देश में रामपथ के विकास के संबंध में आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसकी शुरूआत 21 नवम्बर से लाखों की उपस्थिति के मध्य प्रदेश सरकार ने भगवान राम तपोभूमि जहां उन्होंने अपने वनवास काल के साढ़े ग्यारह वर्ष बिताये थे, चित्रकूट से प्रारंभ किया है, क्योंकि भगवान राम देश के कई राज्यों से होते हुए लंका गये थे और दुनिया के लाखों पर्यटक आज भी भगवान राम के विभिन्न तीर्थस्थलों में आते जाते हैं। अतः पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर से दक्षिण तक एक रामपथ का निर्माण विभिन्न तीर्थस्थलों को जोड़ते हुए कराया जाये, मैं ऐसी मांग करता हूं।

(तीन) नई दिल्ली और जयपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को छह लेन में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को 11वीं पंचवर्षीय योजना में 6 लेन में परिवर्तित करने की घोषणा की गई है। इस मार्ग पर काफी भारी संख्या में यातायात चलता है। भारी यातायात के चलते हर दिन दुर्घटनाएं घटती हैं। दिल्ली-जयपुर या जयपुर-दिल्ली आने जाने में काफी समय लगता है। इसमें भारी वाहनों व लाइट वाहनों की अलग अलग लाइन नहीं है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ बड़ी बड़ी कम्पनियां स्थित हैं। इस वजह से काफी भारी संख्या में यातायात चलता है। इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि इन समस्याओं को मध्य नजर रखते हुए एनएच-8 दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को 6 लेने में परिवर्तित किया जाये।

(चार) महाराष्ट्र के शोलापुर को विमान सेवा से जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख (शोलापुर) : महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र शोलापुर, महाराष्ट्र राज्य का काफी बड़ा शहर है तथा शोलापुर जिले के अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध विट्ठल रकुमई का मंदिर भी स्थित है। यहां पर देश विदेश से काफी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। पिछले काफी समय से इस शहर को विमान सेवा से जोड़ने की मांग की जा रही है; लेकिन अभी तक इस शहर को विमान सेवा से नहीं जोड़ा गया है। यदि सोलापुर शहर को विमान सेवा से जोड़ दिया जाता है तो इससे न केवल सोलापुर के नागरिकों को बल्कि देश विदेश से विश्व प्रसिद्ध विट्ठल रकुमई मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को भी आवागमन में काफी सुविधा होगी।

*सभा पटल पर रखे माने गए।

(पांच) बरेली में राजमार्ग संख्या 24 पर एक बाईपास और एक रेल ऊपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : महोदय, मेरा भूतल परिवहन मंत्री से आग्रह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 के ऊपर पिछले कई वर्षो से लंबित निम्न कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ करवाएं। संबंधित कार्यो की प्रारंभित प्रक्रियायें पूर्ण हो चुकी हैं।

1. राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 बरेली के ऊपर बाईपास का तत्काल निर्माण प्रारंभ करना।

2. राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 पर भिटौरा व नगरिया सदात (मीरगंज) पर रेल ओवर ब्रिज का निर्माण।

(छह) "खेसारी दाल" के उत्पादन पर से प्रतिबंध हटाए जाने की आवश्यकता

श्री हंसराज ग. अहीर (चन्द्रपुर) : महोदय, देश में जनसंख्या के अनुपात में खाद्यान्न उत्पादन नहीं हो रहा है। पहली हरित क्रांति के बाद एक तरफ खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात कर रहें हैं तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चला रहे हैं। इस दोहरी मानसिकता के कारण कृषि क्षेत्र का सही मायनों में विकास नहीं हो पा रहा है। आज हम दलहन, तिलहनों तथा अन्य कई कृषि उत्पादों का आयात कर रहे हैं। आज गेहूं का भी आयात हो रहा है आयात के कृषि उत्पादों के लिए भारी दाम चुकाये जाते हैं, लेकिन स्वदेशी कृषकों को न्यूनतम दाम देने में सरकार हिचकती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सरकार द्वारा कतिपय राज्यों की विभिन्न मिलों को चयनित कर वहां गेहूं, चावल और दलहनों के उत्पादन के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहित करने की योजना है। हमारे यहां के चन्द्रपुर और गढ़चिरौली जिलों को भी इसमें शामिल किया गया है, लेकिन हमारे यहां पर जो खेसारी (लाखोडी) दाल विपरीत स्थिति में उत्पादन देती है, को दलहन उत्पादन में शामिल किया गया होता तो हम दलहनों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकते थे। लेकिन केन्द्र सरकार इसके उत्पादन की अनुमति नहीं देने और राज्य सरकार की अकर्मण्यता के कारण खेसारी दाल का अधिकृत रूप से उत्पादन नहीं लिया जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि खेसारी दाल के उत्पादन को स्वीकृति देने के लिए सभी अवरोधों को तत्काल प्रभाव से दूर करे और इसके उत्पादन का रास्ता प्रशस्त करें।

(सात) केरल में क्विलॉन (कोल्लम) बाईपास के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने के आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी. राजेन्द्रन (क्विलोन) : क्विलोन (कोल्लम) उपनगरीय मार्ग का निर्माण सामान्यत: केरल के लोगों तथा विशेष कर क्विलोन के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही मांग है। कार्य के चार चरणों में पूरा होने की उम्मीद है और प्रथम दो चरण का काम पहले ही पूरा हो चुका है। यद्यपि तीसरे और चतुर्थ चरण के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है फिर भी केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय से अनुरोध में अभाव में कार्य अभी शुरू नहीं हो सका है। क्विलोन का उन्नयन निगम के रूप में हो गया है और यातायात की समस्या लगातार बनी हुई है जिसका शीघ्र समाधान होना चाहिए। यदि क्विलोन उपनगरीय मार्ग बन जाता है तो यातायात की समस्या का काफी हद तक समाधान हो जाएगा। निर्माण में अनुचित विलम्ब से लोगों के मन में रोष और असंतोष है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि बिना किसी देर किए वह इस परियोजना के लिए तत्काल कदम उठाए।

[हिन्दी]

(आठ) उत्तर प्रदेश में कोशी रेलवे फाटक पर एक सड़क ऊपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर) : महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग (दिल्ली से रामपुर होते हुए लखनऊ तक) पर कोसी क्रासिंग की वजह से रोजाना घंटों जाम रहता है। रोजाना लगने वाले इस जाम से जहां वाहन चालकों व राहगीरों को भारी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं वहीं लाखों रुपयों का नुकसान भी होता है।

दिन में ट्रेन गुजारने के लिए कोसी क्रासिंग का फाटक बंद कर दिया जाता है जिससे मुरादाबाद दिशा में आने वाले वाहन बेतरतीब ढंग से खड़े हो जाते हैं। जाम के कारण वाहनों की कतारें बढ़ती चली जाती है। दूसरी ओर भी ट्रैफिक अधिक होने के कारण स्थिति खराब हो जाती है।

एनएच पर वाहनों का दबाव अधिक होने के कारण ओवरब्रिज ही एकमात्र तरीका है जिससे जाम की समस्या कुछ हद तक कम हो सकती है।

हाईवे पर लगने वाले जाम की वजह से जनवरी, 2004 में तत्कालीन केन्द्रीय भूतल मंत्री ने कोसी ओवरब्रिज का शिलान्यास किया था। पिछले साल ओवरब्रिज निर्माण को लेकर एक बार फिर सेतु निर्माण विभाग ने कुछ दिलचस्पी दिखाई थी। वन विभाग ने ओवरब्रिज के आड़े आने वाले सैंकड़ों पेड़ भी काट दिये थे, नतीजा कुछ भी नहीं रहा। तीन साल में इस प्रोजेक्ट की तरक्की उतनी ही है जितनी शिलान्यास के दौरान थी। यानी ओवरब्रिज निर्माण के लिए एक ईंट तक नहीं रखी गयी है और इस प्रकार क्रांसिंग पर फ्लाई ओवर की दिशा में अभी तक ठोस कार्यवाही नहीं हो पाई है।

(नौ) गन्ने का लाभकारी मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : महोदय, उत्तर प्रदेश एवं देश में गन्ना किसानों को उनके गन्ने का उत्पादन मूल्य भी नहीं मिल रहा है। अभी हाल ही में गन्ना मिल मालिकों की याचिका पर माननीय न्यायालय ने गन्ने का मूल्य निजी मिल मालिकों के लिए रुपये 110 प्रति क्विंटल रखा है जिसके कारण सार्वजनिक चीनी मिल एवं सहकारी चीनी मिलों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। यह निर्णीत मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम है। खेद की बात है कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार ने किसानों के हित में अपना कोई भी पक्ष नहीं रखा और न ही इस आदेश के लिए कोई अपील की गई तथा पिछले साल का किसानों का गन्ना मूल्य चीनी मिलों पर अभी तक बकाया है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस निर्णय के तहत जिसमें गन्ना किसानों हेतु गन्ने का बिक्री मूल्य रुपये 110 रखा गया है उसके विरूद्ध केन्द्र सरकार द्वारा अपील की जाये और गन्ना किसानों को संरक्षण प्रदान किया जाये।

(दस) बिहार में भूतही-बलान नदी पर पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 104 भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन रेखा है तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस राजमार्ग के किसी 194.195 में लौकहा के समीप भुतहीबालान नदी के ऊपर उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिए दिनांक 8 फरवरी, 2007 को कंसल्टेन्सी सर्विस बहाल की गई तथा चार महीने के भीतर डीपीआर कार्य सम्पन्न कराने की अवधि निर्धारित की गई थी। लेकिन लगभग 10 महीने बीतने के बाद भी इस पुल का डीपीआर नहीं बनाया जा सका है, जिसके कारण पुल निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हो सका है। इस पुल के नहीं होने के कारण वर्षा ऋतु में हर वर्ष नदी पार करते समय अनेक लोग बाढ़ के पानी में डूबकर असामयिक मौत के शिकार होते रहते हैं।

मैं चाहूंगा कि लोकहित में इस अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 104 में भुतहीबालान नदी के ऊपर स्वीकृत उच्चस्तरीय पुल निर्माण के अविलम्बनीय लोक महत्व एवं तात्कालिक आवश्यकता के कार्य को अतिशीघ्र प्रारंभ कराने के लिए सरकार त्वरित सकारात्मक कार्रवाई करें।

(ग्यारह) देश में गो-वध पर प्रतिबंध लगाने हेतु विधेयक लाए जाने की आवश्यकता

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : महोदय, गोवंश हत्या के विरोध में समय समय पर काफी विरोध होता है। हमारे देश में गाय की पूजा होती है। साथ ही वैज्ञानिक ने भी गौमूत्र, गौ-गोबर (गोंसय) आदि को अनेक बीमारियों के इलाज हेतु उपयुक्त माना है। फिर भी प्रतिदिन एक राज्य से दूसरे राज्यों तक ट्रकों में क्रूरतापूर्वक भर कर गायों को ले जाकर हत्या कर दी जाती है।

हमने पहले भी गोवंश हत्या निरोधक कानून बनाने की मांग सरकार से की थी, परन्तु इस पर कोई विचार नहीं किया गया। गोवंश हत्या को रोकने के लिए पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं। पिछले 7 नवम्बर, 2007 को पार्लियामेंट के समीप भी गोवंश हत्या बंद करने को लेकर प्रदर्शन हुआ था। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस विषय पर तुरन्त कार्यवाही करें और गोवंश हत्या निरोधक कानून बनाएं।

(बारह) पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में रेल संपत्ति "पूजा परिसर" में दुकानों के आबंटन हेतु लाइसेंस देने संबंधी नीति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर) : दक्षिण-पूर्व रेल के अंतर्गत खड़गपुर रेल भूमि पर से बड़ी संख्या में छोटे व्यापारियों और फेरीवालों को

[श्री प्रबोध पाण्डा]

हटाया गया है और उनकी अस्थायी संरचनाओं को रेल प्रशासन द्वारा वर्ष 1989-99 के दौरान गिरा दिया गया है। प्रभावित लोगों को आश्वासन दिया गया और घोषणाएं की गई कि प्रभावित फेरीवालों और व्यापारियों को सम नए बाजार परिसर निर्माण के बाद लाभ होगा। इसके वाद खड़गपुर रेल भूमि पर एक 'पूजा कम्पलेक्स' नामक एक बड़ा बाजार परिसर बनाया गया है। प्रभावित लोग इस आशा में बैठे हैं कि रेल प्रशासन उनको इस परिसर में कम लाइसेंस शुल्क पर दुकानें उपलब्ध कराएगा। लेकिन वर्तमान नीति गरीब और छोटे व्यापारियों तथा फेरीवालों के अनुकूल नहीं है क्योंकि एक छोटे कमरे का लाइसेंस शुल्क भी लाख रुपये से ऊपर है। यह प्रभावित लोगों की पहुंच से बाहर है। इस स्थिति में मैं रेल मंत्रालय से इस समस्या का समाधान करने तथा लाइसेंस शुल्क की समीक्षा करने का अनुरोध करता हूं जिससे कि व्यापारियों का पिछड़ा तबका उक्त परिसर में अपनी आजीविका कमाने का अवसर प्राप्त कर सके।

(तेरह) नासिक में लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 2142) का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम स्वरूप प्रसाद (नालन्दा) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान पूर्वी रेल अंतर्गत राजेन्द्र नगर (पटना) से खुलने वाली 2142 लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इस ट्रेन का ठहराव नासिक रेलवे स्टेशन पर जाते समय नहीं है। नासिक एक ऐतिहासिक धार्मिक एवं औद्योगिक शहर के रूप में मशहूर है। बिहार राज्य के हजारों लोग यहां रहकर अपने एवं परिवार के लिये रोजी रोटी की समस्या का निदान कर रहे हैं। उपरोक्त ट्रेन का ठहराव जाते समय नासिक में नहीं रहने के कारण बिहार वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

मेरी सरकार से मांग है कि नासिक में जाते समय उपरोक्त ट्रेन के ठहराव की व्यवस्था की जाये।

(चौदह) नारियल का लाभकारी मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, श्रीकाकुलम जिले के उद्यानक क्षेत्र, जो मेरा चुनाव क्षेत्र है, में नारियल उत्पादक किसान नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अभाव में समस्याओं का सामना कर रहे है। फिर भी दक्षिण भारत के चार राज्यों केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का देश में कुल नारियल उत्पादन तथा क्षेत्र में हिस्सेदारी 90 प्रतिशत की है। पिछले कुछ वर्षों में नारियल के उत्पादन में आ रही कमी क्षेत्र में चिंता का प्रमुख विषय है। किसानों के लिए विपरीत मौसम दशा तथा बिमारी का संक्रमण कम उत्पादन के दो प्रमुख कारण रहे हैं। दक्षिण के राज्यों में नारियल की खेती वहां की जीवन रेखा है, और मौसम की मार, कीटनाशकों और बिमारियों के कारण किसानों को प्रत्येक वर्ष नुकसान होता है। नारियल उत्पाद के गिरते मूल्य ने किसानों की समस्या को और बड़ा दिया है जिससे किसानों का दशा दयनीय हो गई है। डा. एम.एस. स्वामी नाथन की अध्यक्षता वाला राष्ट्रीय कृषि आयोग तथा नारियल विकास बोर्ड ने पुरानी खेती को नई गुणवत्ता युक्त खेती सामग्री से प्रति स्थापित करते हुए इसमे नव-जीवन डालने की सिफारिश की है। परियोजना का प्रतिवेदन अभी भी भारत सरकार के विचाराधीन है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य से नारियल उत्पादक किसानों को कोई राहत नहीं मिली है। केन्द्र ने मिलींग कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 3620 रुपये प्रति क्विंटल तथा बॉल कोपरा का मूल्य 3870 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। लेकिन बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसी भी एजेंसी ने नारियल खरीद शुरू नहीं की है। नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा के बाद इसे लागू नहीं किये जाने के कारण नारियल उत्पादक किसानों को बेहतर मूल्य नहीं मिल पा रहा है।

मैं भारत सरकार से नारियल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने तथा परियोजना रिपोर्ट को अविलम्ब लागू करने का अनुरोध करता हूं जिससे पूरे देश के नारियल उत्पादक किसानों, विशेषकर आंध्र प्रदेश के किसानों, को राहत मिले।

(पन्द्रह) वृहद् विद्युत परियोजनाओं से राज्यों को विद्युत के आंबटन के लिए विद्युत वितरण के निजीकरण के बारे में लिए गए निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : राज्यों को वृहद् विद्युत परियोजनाओं से विद्युत के आबंटन के लिए वितरण कार्य के निजीकरण

के संबंध में निर्णय पर विद्युत मंत्रालय को तत्काल विचार करना चाहिए क्योंकि राज्य सरकारों की नीति के अनुसय इस मुद्दे पर निर्णय एस.ई.आर.सी को करना है। इसमे अतिरिक्त, मंत्रालय की बृहद् विद्युत नीति विद्युत परियोजनाओं को करो, शुल्को तथा लेवी में छूट देकर उनको कई लाभ प्रदान करती है। यह सभी जानते है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरों में विद्युत की खपत अधिक है। इसलिए, इन मेगा विद्युत परियोजनाओं और अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के विद्युत का अधिकांश भाग ऐसे शहरों को जाएगा। जब शहरों में विद्युत वितरण का निजीकरण हो जाएगा तो सस्ती विद्युत के लाभ इन निजी शहरी लाभार्थियों तथा लोगों को मिलेगा, जिससे गलत लोगों को रियायत मिलेगी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लाखों गरीब लोगों के हकों की अनदेखी होगी। मैं सरकार से उस संविदा को संशोधित करने का अनुरोध करता हूं जिसके तहत राज्य सरकारों को वितरण को निजी क्षेत्र के हाथों में देना है तथा राज्यों को इस संबंध में स्वविवेक से चयन करने की स्वतंत्रता देने का अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 2.02 बजे

सशस्त्र बल अधिकरण विधेयक, 2007

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब मद सं. 17 पर विचार करेगी– श्री ए.के. एंटनी।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : महोदय, अधिकांश माननीय सदस्यों का विचार है कि इस विधेयक को बिना चर्चा के ही पारित कर दिया जाए। इसलिए, इसे बिना चर्चा के पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.03 बजे

इस समय डा. शफी कुर्रहमान बर्क और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 और वायु सेना अधिनियम, 1950 के अध्यधीन व्यक्तियों के बारे में कमीशन, नियुक्तियों, नामांकन और सेवा की शर्तों की बाबत विवादों और शिकायतों का सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा न्यायिक निर्णयन या विचारण के लिए उपबंध करने तथा उक्त अधिनियमों के अधीन सेना न्यायालयों के आदेशों, निष्कर्षों या दण्डादेशों से उत्पन्न अपीलों का उपबंध करने तथा उनसे संबंधित या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : यदि हां, सभा सहमत हो तो मैं प्रश्न पर मतदान कराऊंगा।

प्रश्न यह है:

"कि सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 और वायु सेना अधिनियम, 1950 के अध्यधीन व्यक्तियों के बारे में कमीशन, नियुक्तियों, नामांकन और सेवा की शर्तों की बाबत विवादों और शिकायतों का सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा न्यायिक निर्णयन या विचारण के लिए उपबंध करने तथा उक्त अधिनियमों के अधीन सेना न्यायालयों के आदेशों, निष्कर्षों या दण्डादेशों से उत्पन्न अपीलों का उपबंध करने तथा उनसे संबंधित या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 43 तक विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 43 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा पूरा शीर्षक विधेयक में जोड़े गए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय, प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित हो।

श्री ए.के. एंटनी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित हो।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"विधेयक पारित हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा आंतरिक सुरक्षा पर शुरू की गई चर्चा पर आगे चर्चा जारी रखेगी। श्री रामजीलाल सुमन।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : महोदय, क्या मुझे एक मिनट का समय मिल सकता है?...*(व्यवधान)* सुबह एक निर्णय लिया गया था तथा नेता माननीय अध्यक्ष के समक्ष इस बात पर सहमत हुए थे कि आंतरिक सुरक्षा पर समावेशी चर्चा आज जारी रखी जाए और माननीय मंत्री महोदय उत्तर देंगे।...*(व्यवधान)*

यदि सदस्य चर्चा नहीं चाहते हैं तो मुझे खेद है। चर्चा शुरू हो चुकी है। कृपया आंतरिक सुरक्षा पर वाद-विवाद को आज ही पूरा करने की अनुमति दीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री एम.जी. लाल सुमन।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.05 बजे

इस समय डा. शफी कुर्रहमान और कुछ अन्य माननीय सदस्य वापस अपने-अपने स्थान पर चले गए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने के लिए दो मिनट का समय दीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : गीते जी, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने के लिए दो मिनट का समय दीजिए, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : गीते जी, आप बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते : महोदय, दिल्ली में जंतर-मंतर पर शिवसैनिकों द्वारा श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए धरना दिया था।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने गीते जी को अनुमति दे दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : यह धरना शांतिपूर्वक चल रहा था। इतने में दो गुंडे वहां आए और आकर दो लोगों ने शिवसैनिकों पर तलवार और लाठी से हमला किया।...*(व्यवधान)* इससे कई शिवसैनिक घायल हो गए हैं।...*(व्यवधान)* जबकि देश में हाई एलर्ट घोषित किया गया है कि दिल्ली में कुछ आतंकवादी आए हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनंत गीते का भाषण कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार और दिल्ली पुलिस के होते हुए ये लोग तलवार वगैरह लेकर जंतर-मंतर तक कैसे पहुंच सके? दिल्ली में हाई एलर्ट घोषित हुआ है लेकिन तलवारों से हमला किया गया है। इन लोगों के हमले में दस-बारह शिवसैनिक घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। उस समय जबकि हाई-एलर्ट घोषित किया गया है, ये लोग तलवार लेकर वहां तक कैसे आ गए?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 7 दिसम्बर, 2007 को पूर्वाह्न 11 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.06 बजे

तत्पश्चात, लोक सभा शुक्रवार, 7 दिसम्बर, 2007/16 अग्रहायण, 1929 (शक) के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री भाईलाल	301
2.	श्री मदन लाल शर्मा प्रो. एम. रामदास	302
3.	श्री बालेश्वर यादव	303
4.	श्री पी.सी. गद्दीगउडर	304
5.	डा. सत्यनारायण जटिया श्री बी.एम. सिद्दीश्वर	305
6.	श्री पी.एस. गढ़वी	306
7.	श्री थावरचंद गेहलोत	307
8.	श्री सुभाष महरिया	308
9.	श्री रवि प्रकाश वर्मा श्री अधीर चौधरी	309
10.	श्री के. विरूपाक्षप्पा	310
11.	श्री सनत कुमार मंडल श्री इकबाल अहमद सरडगी	311
12.	श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" श्री अजीत जोगी	312
13.	श्री सुरेश अंगड़ि श्री सुभाष सुरेशचंद देशमुख	313
14.	श्री रामजीलाल सुमन श्री सूरज सिंह	314
15.	श्री चन्द्रभूषण सिंह	315
16.	श्री राजनरायन बुधौलिया श्री गणेश सिंह	316
17.	श्री अब्दुल रशीद शाहीन श्री मोहन सिंह	317
18.	श्री रघुवीर सिंह कौशल	318
19.	डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	319
20.	श्री हरिसिंह चावड़ा डा. धीरेन्द्र अग्रवाल	320

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम.	2925, 3039
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	2921, 3017
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2929, 2962, 2993, 3020
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	2986, 3102

1	2	3
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	3026, 3084
6.	अनंत कुमार, श्री	2938, 2961, 3041
7.	अंगड़ि, श्री सुरेश	2994, 3090
8.	आठवले, श्री रामदास	2917, 3102
9.	बारड, श्री जसुभाई धानाभाई	2916, 2993
10.	भक्त, श्री मनोरंजन	3006, 3045, 3075
11.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	2932, 3095, 3104
12.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	2951
13.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	2973
14.	चौरे, श्री बापू हरी	2887, 2942, 2964
15.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	2938
16.	चौधरी, श्री पंकज	3099
17.	चौधरी, श्री अधीर	2997, 3105
18.	देवरा, श्री मिलिन्द	2891, 2932, 2984, 3072
19.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद	2988, 3032, 3051, 3082
20.	धोत्रे, श्री संजय	2887, 2942, 2964
21.	धूमल, प्रो. प्रेम कुमार	2885
22.	गद्दीगउडर, श्री पी.सी.	2992, 3038, 3069, 3090
23.	गढ़वी, श्री पी.एस.	2981, 3039
24.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	2963, 3021, 3057, 3081, 3097
25.	गंगवार, श्री संतोष	2894, 2923, 3023
26.	गाव, श्री तापिर	2937, 2996, 3042
27.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	2887, 2942, 2964

1	2	3
28.	गुढ़े, श्री अनंत	2912, 2978
29	हसन, चौ. मुनव्वर	2936
30.	हुसैन, श्री अनवर	2953
31.	जगन्नाथ, डा. एम.	2944, 3008, 3046
32.	जय प्रकाश, श्री	2933
33.	जावले, श्री हरिभाऊ	3004
34.	जिन्दल, श्री नवीन	2902
35.	जोगी, श्री अजीत	2950
36.	जोशी, श्री प्रहलाद	2954
37.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2914, 2979, 3033, 3064
38.	खां, श्री सुनील	2901, 3037, 3076
39.	खन्ना, श्री अविनाश राय	2903, 2975, 2999
40.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2905, 2976, 3030, 3062, 3085
41.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2974, 3027, 3061, 3089
42.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	3018
43.	कृष्ण, श्री विजय	2926
44.	कुसमरिया, डा. रामकृष्ण	2894
45.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	3022
46.	महरिया, श्री सुभाष	2966
47.	मंडल, श्री सनत कुमार	2985, 3036, 3067
48	माने, श्रीमती निवेदिता	2963, 3021, 3057, 3081, 3097
49.	मनोज, डा. के.एस.	2957, 3016, 3054, 3079
50.	मसूद, श्री रशीद	2959

1	2	3
51.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	2927, 2935
52.	मैन्या, डा. टोकचोम	2928, 3001
53	मिश्रा, डा. राजेश	3039
54.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	2940
55.	मंडल, श्री अबु अयीश	2918, 2989, 3087
56.	मोरे, श्री वसंतराव	2958
57.	मुन्शी राम, श्री	2886
58.	मुर्मु, श्री हेमलाल	2897, 2926, 3005, 3044, 3106
59.	निखिल कुमार, श्री	2910, 2997, 3105
60.	उरांव, डा. रामेश्वर	2915, 2980, 3034, 3065
61.	ओवेसी, श्री असादुद्दीन	2899, 2995, 3041, 3072, 3095
62.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	2890, 2970, 3031, 3063, 3086
63.	पाण्डा, श्री प्रबोध	2922, 3012, 3052, 3078
64.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	2888, 2967, 3028, 3093
65.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2889, 2969, 3026, 3060, 3084
66	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	2900, 3002
67	पटेल, श्री किसनभाई वी.	2938, 3019, 3056, 3080, 3096
68.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	2921
69.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	2913, 3018, 3055
70.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2906, 2977, 3001, 3102
71.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	2931
72.	राजगोपाल, श्री एल.	2887, 2998
73.	समदास, प्रो. एम.	2991

1	2	3
74.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2948, 3013, 3053
75.	राणा, श्री काशीराम	2990
76.	राव, श्री के.एस.	2949, 3014
77.	राव, श्री रायपति सांबासिवा	2934, 3102
78.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	2941, 2960
79.	रावत, प्रो. रासा सिंह	2909
80.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	2896, 2972, 3025, 3068, 3093
81.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2900, 2904, 2986, 3002, 3048
82.	रिजीजू, श्री कीरेन	2907, 3007, 3060, 3093
83.	साई प्रताप, श्री ए.	2947
84.	संगलिअना, डा. एच.टी.	2955
85.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2968, 3029, 3073, 3098
86.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	2911, 2983, 3035, 3066, 3088
87.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	2945
88.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	2965, 3040, 3071
89	शैलेन्द्र कुमार, श्री	2920
90.	शर्मा, श्री मदन लाल	2991
91.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2929, 2962, 2993, 3020
92.	शिवन्ना, श्री एम.	2939, 3000, 3058, 3083
93.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2991
94.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	2971, 3024, 3059, 3091
95.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	2990
96.	सिंह, श्री गणेश	3060

1	2	3
97.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	2963, 3021
98.	सिंह, श्री मोहन	3009, 3047
99.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	2930, 2999
100.	सिंह, श्री राकेश	2908, 2982
101.	सिंह, श्री रेवती रमन	2919, 2987
102.	सिंह, श्री सुग्रीव	2938, 3019, 3056, 3080, 3103
103.	सिंह, श्री उदय	2943
104.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	3070
105.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	2898
106.	सुमन, श्री रामजीलाल	3022
107.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	2893, 2994
108.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	2892, 2895
109.	थामस, श्री पी.सी.	2946, 3010, 3049
110.	थुपस्तन, श्री छेवांग	2952
111.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	2888, 2967, 3028, 3093
112.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2924, 3011, 3050, 3077, 3094
113.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	2933, 3003, 3043, 3074, 3092
114.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	2956, 3015
115.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2929, 2962, 2993, 3020
116.	वीरूपाक्षप्पा, श्री के.	3090, 3100, 3101

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	307, 309, 312
नागर विमानन	:	302, 306, 311, 315, 316, 317
संस्कृति	:	310
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग		
भारी उद्योग और लोक उद्यम		
अल्पसंख्यक मामले	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	303, 313, 319, 320
रेल	:	301, 304, 308, 318
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	
इस्पात		314
पर्यटन	:	305

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक		2887, 2893, 2910, 2913, 2925 29[illegible], 2943, 2946, 2963, 3004, 3007, 302[illegible], 3047, 3049, 3053, 3075, 3076, 3092
नागर विमानन	:	2885, 2888, 2896, 2898, 2916, 2917, 2924, 2927, 2932, 2937, 2948, 2953, 2955, 2965, 2975, 2981, 2992, 2999, 3001, 3010, 3012, 3013, 3035, 3039, 3048, 3054, 3055, 3056, 3063, 3065, 3067, 3072, 3077, 3079, 3080, 3083, 3094, 3099
संस्कृति	:	2891, 2897, 2918, 2919, 2922, 2931, 2952, 3038, 3043, 3052, 3100, 3102
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	2900, 3096
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	3015, 3031, 3040, 3082

अल्पसंख्यक मामले		2972, 2984, 3046, 3068
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस		2886, 2892, 2895, 2899, 2902, 2921, 2923, 2926, 2929, 2930, 2933, 2935, 2940, 2944, 2949, 2968, 2970, 2983, 2986, 2987, 2989, 2993, 2997, 2998, 3018, 3022, 3023, 3030, 3036, 3041, 3051, 3057, 3059, 3060, 3062, 3066, 3086, 3087, 3088, 3093, 3104
रेल	:	2890, 2894, 2901, 2903, 2905, 2907, 2908, 2909, 2911, 2912, 2914, 2915, 2928, 2939, 2941, 2947, 2951, 2954, 2956, 2958, 2959, 2964, 2966, 2967, 2971, 2973, 2974, 2976, 2979, 2980, 2982, 2985, 2990, 2991, 2996, 3000, 3002, 3003, 3005, 3006, 3011, 3016, 3017, 3020, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3033, 3034, 3044, 3045, 3050, 3058, 3061, 3064, 3069, 3070, 3071, 3073, 3074, 3078, 3084, 3089, 3090, 3091, 3097, 3101, 3105, 3106
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	2889, 2906, 2920, 2938, 2960, 2961, 2969, 2978, 2995, 3008, 3032
[illegible]यात		2942, 2945, 2950, 3014, 3019, 3037, 3098
[illegible]टन		2934, 2957, 2962, 2977, 2988, 2994, 3009, 3029, [illegible] [illegible]081, 3085, 3095, 3103.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदशंन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/31/16/2007 (एन०)
232

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रका

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।